

# विमर्श

अन्तः अनुशासनात्मक शोधपत्रिका



महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

Published by Maharana Pratap Post Graduate College, Jungle Dhusan, Gorakpur (U.P.)  
E-mail : vimarshmppg@gmail.com  
Printed at : HPS INTERNATIONAL, Varanasi-221010, 8400445000



विमर्श

आश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत् 2078 • सितम्बर 2021  
वर्ष 15 • अंक 15

ISSN 0976-0849



ISSN 0976-0849

# विमर्श

अन्तः अनुशासनात्मक शोधपत्रिका

वर्ष 15 • अंक 15 • आश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत् 2078 • सितम्बर 2021



ब्रह्मलीन पूज्य महन्त अवेधनाथ जी महाराज

(18.5.1919 - 12.9.2014)

कल्याण सभी जन का मन से,  
है किया कि सभी अभय होवें।  
होकर अवेद्य भी वेद्य धरा पर,  
संत प्रवर की जय होवे॥



# VIMARSH

AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL

## Editorial Advisory Board

- U.P. Singh**, Ex Vice Chancellor, V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur  
**Pratap Singh**, Ex Chairman, Higher Education Service Commission (HESC), Uttar Pradesh  
**Ram Achal Singh**, Ex Vice Chancellor, R.M.L. Awadh University, Faizabad and  
Ex Chairman, Higher Education Service Commission (HESC), Uttar Pradesh  
**K.B. Pandey**, Ex Vice Chancellor, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur and  
Ex Chairman, Public Service Commission, Uttar Pradesh  
**Makkhan Lal**, Director, Delhi Institute of Heritage Research and Management, New Delhi  
**Mrinal Shankar Raste**, Ex Vice Chancellor, Symbiosis International University, Pune  
**Ram Sakal Pandey**, Ex Pro-Vice Chancellor, Allahabad University, Allahabad  
**Prof. Surendra Dubey**, Ex Vice Chancellor, Siddhartha University, Kapilvastu, Siddharthanagar  
**Shri Prakash Mani Tripathi**, Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (M.P.)  
**Sadanand Prasad Gupta**, Executive Chairman, U.P. Hindi Sansthan, Lucknow  
**Shivajee Singh**, Professor, Ancient History, Archaeology and Culture, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Jay Prakash Chaturvedi**, Professor, Physics. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**V.K. Srivastava**, Professor, Geography. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**N.K.M. Tripathi**, Professor, Psychology. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Pratibha Khanna**, Professor, Education. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Murli Manohar Pathak**, Professor, Sanskrit. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**S.S. Verma**, Professor, Geography. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**S.S. Das**, Professor, Chemistry, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**D.K. Singh**, Professor, Zoology, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Rajawant Rao**, Professor, Ancient History, Archaeology and Culture. D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Himanshu Chaturvedi**, Professor, History, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Harsh Sinha**, Professor, Defence and Strategic Studies, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Chandrashekhar**, Professor, Law, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Pragya Mishra**, Professor, Ancient History, Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad  
**Rajesh Singh**, Professor, Political Science, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Mahesh Kumar Sharan**, Professor, Maghadh University, Bodhgaya (Bihar)  
**Ravi Shankar Singh**, Professor, Physics, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**B.D. Pandey**, Professor, Botany, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Vinod Kumar Singh**, Professor, Defence & Strategic Studies, D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur  
**Mrityunjay Kumar**, Renowned Journalist

## GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

1. Contribution should be submitted in duplicate, the first two impressions of the typescript. It should be typed in font Walkman-Chanakya (Hindi) and in Times New Roman (English) on a quarter or foolscap sized paper, in double-space and with at least one and a half inch margin on the right. Two copies of a computer printout along with a CD are preferred. They should subscribe strictly to the journal format and style requirements.
2. The cover page of the typescript should contain: (i) title of the article, (ii) name(s) of author(s), (iii) professional affiliation, (iv) an abstract of the paper in less than 150 words, and (v) acknowledgements, if any. The first page of the article must also provide the title, but not the rest of the item of cover page.
3. Though there is no standard length for articles, a limit of 5000 words including tables, appendices, graphs, etc., would be appreciated.
4. Tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal containing about 45 lines, each of about 85 characters (letter/digits). The source(s) should be given below each table containing data from secondary source(s) or results from previous studies.
5. Figures and charts, if any, should be professionally drawn using such materials (like black ink on transparent papers) which allow reproduction by photographic process. Considering the prohibitive costs of such process, figures and charts should be used only when they are most essential.
6. Indication of notes should be serially numbered in the text of the articles with a raised numeral and the corresponding notes should be given at the end of the paper.
7. A reference list should appear after the list of notes. It should contain all the articles, books, reports, etc., referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works:
  - (a) Reference to books should present the following details in the same order: author's surname and name (or initials), year of publication (within brackets), title of the book (underlined/italic), place of publication. For example:  
Chakrabarti, D.K. (1997), *Colonial Indology: Socio-politics of the Ancient Indian Past*, pp. 224-25, New Delhi
  - (b) Reference to institutional publications where no specific author(s) is(are) mentioned should present the following details in the same order, institution's name, year of publication (within brackets), title of the publication (underlined/italic), place of publication. For example:  
Ministry of Human Affairs (2001), *Primary Census Abstract*, New Delhi, pp. xxxviii.
  - (c) Reference to articles in periodicals should present the following details in the same on: the author's surname and name (or initials), year of publication (in brackets), title of the article (in double quotation marks), title of periodical (underlined/italic), number of the volume and issue (both using Arabic numerals); and page numbers. For example:  
Siddiqui, F.A. and Naseer, Y. (2004), "Educational Development and Structure of Works participation in western Uttar Pradesh", *Population Geography*, Vol. 26, Nos. 1&2, pp.25-26.
  - (d) Reference in the text or in the notes should simply give the name of the author or institution and the year of publication, the latter within brackets; e.g. Roy (1982), Page numbers too may be given wherever necessary, e.g. (Roy 1982: pp. 8-15)



# विमर्श

अन्तः अनुशासनात्मक शोध-पत्रिका

वर्ष १५ • अंक १५ • आश्विन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम सम्वत् २०७८ • सितम्बर २०२१

प्रधान सम्पादक

प्रो. महेश कुमार शरण

सम्पादक

डॉ. प्रदीप कुमार राव

डॉ. सुबोध कुमार मिश्र

सह-सम्पादक

मनीष कुमार त्रिपाठी



महाराणा प्रताप महाविद्यालय

जंगल धूसड़, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) २७३०१४

की वार्षिक शोध-पत्रिका

This Journal is a *Referral* Volume.

**ISSN-0976-0849**

Volume 15 • Number 15 • Aashwin Krishna Chaturthi, Vikram Samvat 2078 • September 2021

*Vimarsh*, an interdisciplinary *referred or peer reviewed* is an annual and bilingual journal of Maharana Pratap P.G. College Jungle Dhusan, Gorakhpur (UP).

**Copyright** of the published articles, including abstracts, vests in the Editors. The objective is to ensure full Copyright protection and to disseminate the articles, and the journal, to the widest possible readership. Authors may use the article elsewhere after obtaining prior permission from the editors.

**Research Papers** related to Interdisciplinary subjects are invited for publication in the journal. Research papers, book reviews, Subscription and other enquiries should be sent to - Maharana Pratap P.G. College Jungle Dhusan, Gorakhpur (UP)- 273014, Mob.:9794299451, 9452971570. You may also e-mail your contributions and correspondence at *vimarshmppg@gmail.com*.

**Guidelines for Contributors** given on the inner side of the back cover.

**The Editors and the Publisher** cannot be held responsible for errors and any consequences arising from the use of information contained in this journal. The views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the editors and the publisher.

**Designed & Printed at** : HPS International, Varanasi-221010, 8400445000

**Subscription Rates**

	Individual		Institutional	
Annual	Rs. 100	US \$ 5	Rs. 200	US \$ 10
Five Years	Rs. 400	US \$ 20	Rs. 800	US \$ 40
Life (15 Years)	Rs. 1300	US \$ 60	Rs. 2500	US \$ 100



## वन्दे भारतमातरम् !!

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।

वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ वायु पुराण

पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष है, जहाँ भारती प्रजा रहती है।

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने।

यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्याः भोगभूमयः॥ वायु पुराण

इस जम्बू-द्वीप में भी, हे महामुने! भारतवर्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है और बाकी भोग-भूमियाँ ही हैं।

अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम।

कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्॥ वायु पुराण

भारतवर्ष में जीव हजारों जन्मों के अनन्तर पुण्य जुटाने से कदाचित् मनुष्य जन्म प्राप्त करता है।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ मनुस्मृति

इस देश में जन्म पाए हुए श्रेष्ठ जन्मा पुरुषों से पृथिवी के सारे मनुष्य अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें।

रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीम्।

ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्॥ मनुस्मृति

समुद्र जिसके पाँव पखार रहा है, हिमालय जिसका किरीट है और जो ब्रह्मर्षि-राजर्षिरूप रत्नों से समृद्ध हैं, ऐसी भारत-माता की मैं वन्दना करता हूँ।



## भारतीय जीवन दृष्टि

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः।

देवा नो यथा सद्मिद् वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ (ऋग्वेद १/४९/१)

कल्याणकारिणी, अप्रतारित, अप्रतिरुद्ध तथा अर्थसाधिका बुद्धियाँ हमारे पास सब ओर से आयें, जिससे निरलस एवं प्रतिदिन रक्षा करने वाले देव सर्वदा हमारी वृद्धि के लिए हों-

भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ (ऋग्वेद १/८/८)

हे देव! हम कानों से अच्छा सुनें। यजनीय देवगण! हम आँखों से अच्छा देखें। हम दृढ़ाङ्गशरीरों से तुम्हारी स्तुति करते हुए, देव-स्थापित आयु प्राप्त करें।

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि।

बलमसि बलं मयि धेहि। ओजोऽसि ओजो मयि धेहि।

महोऽसि महो मयि धेहि। सहोऽसि सहो मयि धेहि। (यजुर्वेद १९/९)

(हे परमात्मन्! तुम) तेज हो, मुझमें तेज स्थापित करो। पराक्रम हो, मुझमें पराक्रम स्थापित करो। बल हो, मुझमें बल स्थापित करो। ओज हो, मुझमें ओज स्थापित करो। मह हो, मुझमें मह स्थापित करो। सहिष्णु हो, मुझमें सहिष्णुता स्थापित करो।

भद्रं इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः, तपो दीक्षा उपसेदुः अग्रे।

ततो राष्ट्रं बल ओजश्च जात तदस्मै देवा उपसंनमन्तु॥ (अथर्ववेद १९/४१/१)

आत्मज्ञानी ऋषियों ने जगत् का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के आरम्भ में दीक्षा लेकर जो तप किया, उससे राष्ट्र-निर्माण हुआ, राष्ट्रीय बल और ओज भी हुआ। इसलिए सब विवुध इस राष्ट्र के सामने नम्र होकर इसकी सेवा करें।

आ ब्रह्मन्! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आ राष्ट्रं राजन्यः शूराविध्यतेऽतिव्याधी महारथो जायताम्। दोग्धी धेनुः, वोढाऽनड्वान्, आशुः सप्तिः, पुरन्धिर्योषा, जिष्णुरथेष्ठाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे-निकामे पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। (यजुर्वेद. २२/२२)

हे ब्रह्मन्! राष्ट्र में हमारे ब्राह्मण, ब्रह्म वर्चस्वी हों। हमारे राजन्य शूर, अस्त्र-शस्त्र में निपुण, रिपुदल के महासंहारक तथा महायोद्धा हों। हमारी गायें दुधारू हों, बैल हल आदि ढोने वाले हों, घोड़े वेग से दौड़ने वाले हों, स्त्रियाँ घर सँभालने वाली हों, योद्धा विजयशील हों, तथा युवक सभ्य एवं वीर हों। जब-जब हम चाहें बादल बरसें। हमारी फल-फूलवती खेतियाँ पकती रहें और हमारा योगक्षेम चलता रहे।

ॐ सह नावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै।


तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।



पुण्य-स्मृति

गोरक्षपीठ द्वारा संचालित  
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्  
शिक्षा क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था है।  
पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को केन्द्र बनाकर  
प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक लगभग चार दर्जन  
शिक्षण संस्थानों का संचालन करने वाले  
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्  
की स्थापना १९३२ ई. में  
गोरक्षपीठाधीश्वर  
महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज  
ने की थी और इसे विशाल वटवृक्ष का रूप दिया  
उनके शिष्य महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने।  
महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
इसी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्  
जैसे वटवृक्ष की एक शाखा है।  
युगद्रष्टा ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज की ५२वीं एवं  
राष्ट्रसन्त महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के ७वीं पुण्यतिथि पर  
सादर समर्पित है  
विमर्श-२०२१





## राष्ट्रसन्त महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज

जन्म-तिथि	: 18 मई 1919
जन्म स्थान	: ग्राम- कांडी, जिला- गढ़वाल (उत्तरांचल)
पारिवारिक स्थिति	: बाल ब्रह्मचारी
शिक्षा	: शास्त्री, संस्कृत (वाराणसी एवं हरिद्वार में अध्ययन)
दीक्षा	: 08 फरवरी 1942
गोरक्षपीठाधीश्वर	: 29 सितम्बर 19694
राजनीतिक उपलब्धियाँ	: विधानसभा सदस्य ✠ 1962 मानीराम, हिन्दू महासभा ✠ 1967 मानीराम, हिन्दू महासभा ✠ 1969 मानीराम, हिन्दू महासभा ✠ 1974 मानीराम, हिन्दू महासभा ✠ 1977 मानीराम, जनता पार्टी लोकसभा सदस्य ✠ 1970 गोरखपुर संसदीय क्षेत्र, हिन्दू महासभा ✠ 1989 गोरखपुर संसदीय क्षेत्र, हिन्दू महासभा ✠ 1991 गोरखपुर संसदीय क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी ✠ 1996 गोरखपुर संसदीय क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी
संसदीय दायित्व	: 1971 सदस्य, परामर्श समिति, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) 1989 सदस्य, परामर्श समिति, गृह मंत्रालय (भारत सरकार)
महत्त्वपूर्ण पद	: महासचिव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर।
धार्मिक पद	: गोरक्षपीठाधीश्वर, श्री गोरक्षनाथ पीठ, गोरखपुर।

### अध्यक्ष

- ✠ श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति।
- ✠ अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष बारहपंथ-योगी महासभा, हरिद्वार।
- ✠ श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर निर्माण उच्चाधिकार समिति।
- ✠ गुरु गोरखनाथ सेवा संस्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर।



- चिकित्सा के क्षेत्र में : अध्यक्ष
- 卐 गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ, गोरखपुर।
  - 卐 महन्त दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय, गोरखनाथ, गोरखपुर।
  - 卐 श्री माँ पाटेश्वरी सेवाश्रम चिकित्सालय, देवीपाटीन, तुलसीपुर, बलरामपुर।
  - 卐 गुरु गोरखनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, सोनबरसा, मानीराम, गोरखपुर।
- सामाजिक-सांस्कृतिक : श्रीराम जन्मभूमि-मुक्ति आन्दोलन के प्रणेता।
- साहित्य एवं विज्ञान : विभिन्न मासिक पत्रिकाओं में योग और दर्शन पर लेख प्रकाशित।  
प्रबन्ध सम्पादक, मासिक पत्रिका 'योगवाणी'।
- योग के क्षेत्र में : अध्यक्ष, महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान, गोरखनाथ, गोरखपुर।
- ब्रह्मलीन : 12 सितम्बर 2014
- जनता दर्शन : 13 सितम्बर 2014
- समाधि : 14 सितम्बर 2014





## चरैवेति! चरैवेति!

वैदिक ग्रन्थ 'ऐतरेय ब्राह्मण' के 'चरैवेति! चरैवेति!' शीर्षक मंत्र युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसन्त महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के जीवन में साक्षात् दिखता है। इन मंत्रों का मूल स्वरूप और सहज-सरल भावानुवाद यहाँ प्रस्तुत है-

**नानाश्रान्तायश्रीरस्तिइतिरोहितशुश्रुम।**

**पापोनृषद्वरोजनइन्द्रइच्चरतःसखा॥ चरैवेति! चरैवेति!**

भावार्थ : (हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित को उपदेश करते हुए इन्द्र कहते हैं) हे रोहित! हम ऐसा सुनते हैं कि श्रम करने से जो नहीं थका है, ऐसे मनुष्य को श्री की अथवा ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। बैठे हुए आलसी आदमी को पाप धर दबाता है। इन्द्र उसका ही मित्र है, जो बराबर चलता रहता है। इसलिए चलते रहो! चलते रहो!

**पुष्पिण्यौचरतोजधेभूष्णुरात्माफलग्रहिः।**

**शोरेऽस्यसर्वेपाप्मानःश्रमेणप्रपथेहताः॥ चरैवेति! चरैवेति!**

भावार्थ : जो मनुष्य चलता रहता है, उसकी जांघों में फूल फूलते हैं। उसकी आत्मा भूषित और शोभित होकर फल प्राप्त करती है। ऐसे चलने वाले परिश्रमी व्यक्ति के सारे पाप थककर सोये रहते हैं। इसलिए चलते रहो! चलते रहो!

**आस्तेभगआसीनस्यऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः।**

**शोतेनिपद्यमानस्यचरातिचरतोभगः॥ चरैवेति! चरैवेति!**

भावार्थ : बैठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है और खड़े होने वाले का सौभाग्य उठकर खड़ा हो जाता है। पड़े रहने वाले का सौभाग्य सोता रहता है और उठकर चलने वाले का सौभाग्य चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो! चलते रहो!

**कलिः शयानो भवति संजिहानस्तुः द्वापरः।**

**उत्तिष्ठस्त्रेताभवतिकृतसम्पद्यतेचरन्॥ चरैवेति! चरैवेति!**

भावार्थ : सोने वाले का नाम कलियुग है, अंगड़ाई लेने वाला द्वापर है, उठकर खड़ा होने वाला त्रेता है और चलने वाला सतयुगी होता है। इसलिए चलते रहो! चलते रहो!

**चरन्वै मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदम्बरम्।**

**सूर्यस्यपश्यश्रेमाण्योनतन्द्रयतेचरन्॥ चरैवेति! चरैवेति!**

भावार्थ : चलता हुआ मनुष्य ही मधु (अमृत) प्राप्त करता है। चलता हुआ मनुष्य ही स्वादिष्ट फलों को चखता है। सूर्य के परिश्रम को देखो, जो नित्य चलता हुआ कभी आलस्य नहीं करता। इसलिए चलते रहो! चलते रहो!





राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महन्त अवेधनाथ जी महाराज  
के पावन स्मृति में आयोजित  
सप्तदिवसीय व्याख्यान-माला

ऑनलाइन

**साप्ताहिक व्याख्यान-माला**

23-29 अगस्त, 2021

**उद्घाटन**

**23 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

वक्ता : डॉ. वी. रामनाथन  
सहायक आचार्य, आई.आई.टी. (वी.एच.यू.), वाराणसी  
विषय : पास्कल के पूर्व पास्कल त्रिभुज

**व्याख्यान कार्यक्रम**

**24 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

वक्ता : डॉ. गीता सिंह  
विषय : पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कृषि में कीटनाशकों की भूमिका



**25 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

- वक्ता : डॉ. राजेश्वर आचार्य (पदमश्री विभूषित)  
पूर्व आचार्य, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
- विषय : संगीत एवं आध्यात्म

**26 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

- वक्ता : डॉ. इन्दुमति काटदरे  
कुलपति, पुनरुत्थान विद्यापीठ, अहमदाबाद, गुजरात
- विषय : युवा अवस्था में जीवन विकास के सूत्र

**27 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

- मुख्य वक्ता : ले. जन. डी बी शेकटकर (PVSM, AVSM, VSM)  
कुलाधिपति, सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सिक्किम
- विषय : राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ एवं सामाजिक दायित्व

**28 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

- वक्ता : डॉ. अनंत नारायण भट्ट  
वरिष्ठ वैज्ञानिक, डी. आर. डी. ओ., नई दिल्ली
- विषय : कोविड-19 महामारी के लिए सुरक्षात्मक एवं चिकित्सकीय ज्ञान : प्राचीन वैदिक संस्कृति से आधुनिक विज्ञान तक



**29 अगस्त 2021, प्रातः 11.20 बजे**

- वक्ता : डॉ. एच. सी. वर्मा (पदमश्री विभूषित)  
पूर्व आचार्य, आई. आई. टी. कानपुर
- विषय : समर्थ शिक्षक समर्थ भारत



# Vimarsh

An Interdisciplinary Journal

Volume 15 • Number 15 • Aashwin Krishna Chaturthi, Vikram Samvat 2078 • September 2021

## CONTENTS

Articles	Pages
1. सामाजिक परिवर्तन एवं पुनर्जागरण में गुरु श्रीगोरक्षनाथ एवं गोरक्षपीठ का योगदान अविनाश प्रताप सिंह.....	1
2. राष्ट्र (भारत) निर्माण का सामाजिक सन्दर्भ और नाथपंथ प्रदीप कुमार राव, सुबोध कुमार मिश्र.....	8
3. भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा कृष्ण कुमार.....	28
4. संत रविदास का सामाजिक सरोकार आरती सिंह .....	34
5. भारतीय हिन्दू परिवार मनीष कुमार त्रिपाठी, नेहा शुक्ला.....	38
6. बौद्धकालीन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मनीषा शरण.....	52
7. शोर से संगीत की ओर वेद प्रकाश मिश्र.....	58
8. स्थानीय स्वशासन : प्राचीन भारतीय विरासत ब्रजेश कुमार मिश्र.....	63
9. भूमण्डलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति सुचेता कुमारी.....	73
10. मूल्य शिक्षा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण हनुमान प्रसाद उपाध्याय.....	77
11. विपिन चन्द्र पाल का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान महेन्द्र प्रताप सिंह.....	82
12. मानव-प्रकृति संबंध : बदलते प्रतिरूप अरविन्द कुमार मौर्य.....	86
13. हमारी सांगीतिक विरासत-‘लोकसंगीत’ एवं ‘शास्त्रीयसंगीत’ दीप्ती गुप्ता.....	89
14. ज्ञाननाथ मंदिर की ऐतिहासिकता दीपंकर लामा.....	94
15. इतिहास में शोध-प्रविधि पद्मजा सिंह.....	98



16.	अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में सन्निवेश हनुमान प्रसाद.....	103
17.	Literature, Film & Society <b>Kavita Mandhyan</b> .....	108
18.	Environmental protection regime under Nepal's constitutional renaissance : A revisit to the salient features of the Environment Protection Act, 2019 <b>Alok Kumar Yadav &amp; Jivesh Jha</b> .....	117
19.	Cooperative Fiscal Federalism in Covid-19 <b>Chandan Kumar Thakur</b> .....	137
20.	Artistic Symbolism-its relation to human mind <b>Pranesh Kumar Singh</b> .....	143
21.	Strategic Significance of 1971 War for South Asia and its Impact on India's National Security <b>Ramakant Dubey</b> .....	151
22.	Green Chemistry: A tool for sustainable development <b>Rohit Srivastava &amp; Md. Rashid Tanveer</b> .....	158
23.	The Concept of Liberation in Advaita Vedanta <b>Mahesh sharan</b> .....	165
24.	Availability of Road Service in Uttar Pradesh with Special Reference to Gorakhpur District <b>Manjeshwar</b> .....	175
25.	On product summability methods (d, A, $\beta$ ) (c, i, m) of functions अनुपमा श्रीवास्तव .....	187
26.	Protection and Therapeutics for COVID-19 pandemic: the knowledge from Ancient Vedic Culture to Modern Science अनन्त नारायण भट्ट.....	196
27.	Pascal's Triangle Before Pascal <b>V. Ramanathan</b> .....	204

### नयी पहल

मिशन मंझरिया-एक समीक्षात्मक रपट शिप्रा सिंह .....	215
--	-----

### पुनर्पाठ

National Policy on Education : <b>Mahant Digvijay Nath</b> .....	257
---	-----

# सामाजिक परिवर्तन एवं पुनर्जागरण में गुरु श्रीगोरक्षनाथ एवं गोरक्षपीठ का योगदान

डॉ. अविनाश प्रताप सिंह\*

इस धरती पर जब भी अत्याचार बढ़ा है तब तब महापुरुषों ने अवतार लिया है। महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ का भी अवतार उसी सन्दर्भ में देखा जाता है। नाथपंथ के प्रवर्तक एवं महान साधक श्री गोरक्षनाथ के आगमन से भारतीय जनमानस के लिए न केवल सुखद था वरन् भविष्य के भारत के निर्माण में युगान्तकारी प्रभाव छोड़ने वाला भी साबित हुआ। महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ और उनकी यशस्वी परम्परा योग-साधना, विशेषतः हठयोग साधना सहित सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में आज भी भारतीय समाज के मानस पटल पर प्रतिष्ठित है। श्री गोरक्षपीठ का भारतमाता के प्रति इसी समर्पण एवं मानव-सेवा की अविरल यात्रा में गुरु श्रीगोरक्षनाथ के योगदान की ओर संकेत करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है- भारत में शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और युगप्रवर्तक व्यक्तित्व दूसरा नहीं हुआ।<sup>1</sup> वास्तव में गुरु श्रीगोरक्षनाथ जी और उनके उपरान्त उनकी गौरवशाली शिष्य-परम्परा ने भारत की माटी से अपने को जोड़ते हुए न केवल आध्यात्मिक साधना एवं भारतीय सन्त-परम्परा में अपनी सार्थकता साबित किया, अपितु सामाजिक सरोकारों से अपने को सम्बद्ध कर भारतीय समाज के उत्थान का जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह समूचे राष्ट्र या यों कहें सम्पूर्ण मानव समुदाय के लिए सही अर्थों में प्राणदायिनी के समान है। आज भी समाज सेवा की यह यात्रा अविरल गति से प्रवाहमान भी है। साथ ही भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में यह यात्रा अविच्छिन्न गति से गतिशील है। श्रीगोरक्षपीठ की यह सनातन परम्परा उस प्रदीप्त ज्योति के सदृश है जो सदैव प्रज्वलित होता रहेगा। समाज भी श्रीगोरक्षपीठ के प्रति उसी श्रद्धा एवं निष्ठा के भाव से साथ संलग्न है।

श्रीगोरक्षपीठ हिन्दू समाज की विकृतियों के विरुद्ध जन-जागरूकता एवं हिन्दू समाज को सामाजिक-राजनीतिक-आध्यात्मिक नेतृत्व देने के लिए ही सदा से प्रतिष्ठित रहा है।<sup>2</sup> प्रारम्भ से ही आडम्बर और धार्मिक-पाखण्ड के कारण सामाजिक भेद-भाव को नाथयोगी पुरजोर अस्वीकार करते रहे हैं। सामाजिक जन-जागरण नाथपन्थी योगियों और विशेषकर गोरक्षपीठ की उपासना पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गुरु श्रीगोरक्षनाथ जी के कालखण्ड से ही मानवसेवा और मानवता के प्रति नाथपंथ के योगदान के इतिहास से समाज परिचित है। भारतीय समाज एक ओर जहाँ उपासना पद्धतियों में विकृतियाँ आयी और पाखण्ड बढ़े तो समाज में ऊँच-नीच का भाव भी अत्यधिक बढ़ा। इसके

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर



विरुद्ध दक्षिण भारत में आदि शंकराचार्य तथा उत्तर भारत से महायोगी श्रीगोरक्षनाथ ने सामाजिक पुनर्जागरण का अभियान आरम्भ किया। महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ ने नाथपंथ को नये विचार एवं नये दर्शन के साथ नये रूप में प्रतिष्ठित कर भारतीय समाज को नई दिशा दी।<sup>3</sup> गुरु श्रीगोरक्षनाथ जी का प्रादुर्भाव ही भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों और आडम्बरों का समूल नाश करने के लिए हुआ था। श्रीगोरक्षपीठ का सामाजिक समरसता द्वारा सामाजिक परिवर्तन का मार्ग निर्मित करने का भव्य प्रसाद गुरु श्रीगोरक्षनाथ ने ही खड़ा किया था। पूर्व मध्ययुगीन भारतीय समाज में पुरोहितो के पाखण्ड लिप्सा के कारण पूजा-उपासना जटिल और आडम्बर युक्त बन गये थे। सामान्य आदमी के सामर्थ्य से सारे कर्म काण्ड बाहर कर दिये गये थे। पुरोहित अनिवार्य थे। अनेक जातियों के लोगों के लिए उपासना विधि-विधान करने पर रोक तक लगा दी गयी। ऐसे युग में महायोगी श्रीगोरक्षनाथ ने इन आडम्बरों का कड़ा विरोध किया। साधना का सरल मार्ग दिया जो मानव के सामाजिक जीवन से लेकर अध्यात्मिक जीवन तक के द्वार की चाबी बन गयी।<sup>4</sup> वास्तव में गुरु श्रीगोरक्षनाथ सामाजिक समरसता की स्थापना कर सामाजिक परिवर्तन का अलख जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ जन नेता थे। उन्होंने पातंजलि योग दर्शन को युगसम्मत बनाकर जीवंत योगाचार प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किसी भी देवी-देवता की उपासना के लिए योग-ध्यान का मार्ग ही पर्याप्त है। उन्होंने समतत्त्व की प्रतिष्ठा की।<sup>5</sup> साधु रहें हो या गृहस्थ, महायोगी के निर्मम हथौड़े की चोट ने दोनों कुरीतियों को चूर्ण कर डाला। ऊंच-नीच, छुआ-छूत, जात-पात जैसी हर रूढ़ि पर चोट की। किसी से समझौता नहीं किया, न लोक से, न ही वेदों से। इस तरह श्रीगोरक्षनाथ ने अपने समय में ऐसे वैचारिक अभियान का सूत्रपात किया जो मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन जैसे प्रभावशाली धार्मिक-सामाजिक क्रान्ति की नींव बना।<sup>6</sup>

भारत प्राचीन काल से अपने यशस्वी जीवन दृष्टि और मानवीय मूल्यों के लिए दुनिया भर में प्रतिष्ठित रहा है। यह महादेश अपने-अपने गौरवशाली परम्पराओं और अक्षुण्ण सामाजिक ताने बाने के लिए हमेशा से मिशाल के रूप में दुनियाँ का मार्गदर्शन भी करता रहा है। अपने ज्ञान-विज्ञान की सम्यक् दृष्टि, योग और वैराग्य, धर्म और अध्यात्म, शौर्य और बलिदान, विवेक और धैर्य, सहनशीलता और संयमित जीवन शैली जैसे अनेक गुणों के कारण ही भारत को विश्वगुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कालान्तर में विभिन्न कारणों से भारत के इस वैभवशाली परम्परा में अवनति हुयी, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त छुआ-छूत बढ़ा और उसका निरन्तर विस्तार भी हो रहा था। भारतीय समाज में व्याप्त इस अभिशाप पर बहुत ही कठोर तथा प्रभावकारी प्रहार महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ एवं उनके यशस्वी परम्परा के ध्वजवाहक श्रीगोरक्षपीठ ने किया। नाथपंथ का अभ्युदय ही हिन्दू तंत्र साधना में पंचमकार के शमन के साथ दिखायी देता है।<sup>7</sup> महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ अपने युग के सबसे बड़े युग-प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अपने योग-दर्शन और साधना द्वारा सम्पूर्ण मानवता का मार्गदर्शन किया, उन्हें सन्मार्ग दिखाया, मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान की। सामाजिक क्रान्ति के ऐसे विश्वविख्यात् नायक के रूप में महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ और उनकी

यशस्वी शिष्य परम्परा ने मानवता की सेवा का अभूतपूर्व संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया है। श्रीगोरक्षपीठ की इसी परम्परा के आधुनिक युग में महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी अद्भुत दिव्य-दृष्टि से समाजोत्थान का नवमार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रीय एकता उनके चिन्तन का मूल विषय था। राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक समरसता को अपरिहार्य मानते हुए नाथपंथ के समस्त योगी सामाजिक विभेदीकरण को अस्वीकार करते हैं।<sup>8</sup> सामाजिक जनजागरण नाथपंथी योगियों एवं गोरक्षनाथ मन्दिर के श्रीमहन्तों की उपासना का ही एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।<sup>9</sup> गोरक्षपीठाधीश्वर युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरक्षपीठ की राजनीतिक तथा सामाजिक भूमिका का बहुआयामी विस्तार दिया। युगपुरुष ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के विराट् व्यक्तित्व का उल्लेख करते हुए जगद्गुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ ने कहा था कि राजनीति, धर्म, संस्कृति, शिक्षा एवं समाजसेवा इत्यादि विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये कार्य चिरकाल तक भारतीय जनमानस अपनी स्मृतियों में संजोये रखेगा।<sup>10</sup> महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज का स्पष्ट मानना था कि अस्पृश्यता भारतीय समाज और राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। समाज के सभी जाति वर्ण के लोग समान हैं। हरिजन भी हिन्दू समाज का उसी भाँति अभिन्न अंग है। जिस भाँति क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी अथवा सनातनी लोग। उनके प्रति समाज में उत्पन्न भेद-भाव की भावना चाहे वह धार्मिक हो, या सामाजिक, राजनैतिक हो अथवा आर्थिक समाप्त कर दी जानी चाहिए।<sup>11</sup> समाज के तथाकथित अस्पृश्य जातियों के बारे में राष्ट्रविरोधी शक्तियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि अस्पृश्य जातियाँ हिन्दुओं से अलग हैं। समाज में वर्षों से फैले इस भ्रान्ति को तोड़ने का बीड़ा महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने उठाते हुए एक तरफ सत्तासीन लोग जो भारत की व्यवस्था देख रहे थे उन्हें चुनौती दी तथा दूसरी तरफ स्वयं ही इस कलंक को समाज से मिटाने का अथक प्रयास जनजागरण के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उक्त सन्दर्भ को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा-हमारा दृढ़ विश्वास है कि जीवन में मनुष्य का सामाजिक स्तर उसके जन्म के आधार पर नहीं, अपितु जीवन में उसके द्वारा किये गये कार्यों के द्वारा आँका जाता है। खेद है कि कुछ समय पूर्व से अस्पृश्यता का यह अभिशाप हमारे समाज में बहुत व्याप्त हो गया है। शास्त्रों में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। भूतकाल में इसके कारण काफी क्षति उठानी पड़ी है। अब हम इसे भविष्य में कदापि चालू करने की आज्ञा नहीं दे सकते। यह हिन्दू समाज के लिए पूर्ण आत्महत्या सदृश ही है। महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज का स्पष्ट मानना था कि छुआ-छूत राष्ट्रीय एकता-अखण्डता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हम सभी प्रत्यक्ष रूप से इसकी अनुभूति भी कर रहे हैं।<sup>12</sup>

महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने सामाजिक अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर हिन्दू समाज को जागृत करने का प्रयास किया। 1944 ई. में विलासपुर अधिवेशन में एक ऐसी दलित हिन्दू जाति के प्रमुखों ने, जिनका



जलादिक ग्रहण करने में हिन्दुओं को आपत्ति थी, खुले अधिवेशन में पहुँचकर महन्त जी से अपनी अवस्था एवं स्थिति को बताया। इस तथाकथित अस्पृश्य समाज के लोगों से महन्त जी ने आग्रह किया- “आप लोग आगत अतिथियों तथा स्थानीय हिन्दू महासभाइयों को भी आमंत्रित कर प्रीति-भोज दें, जिसमें हम सब सम्मिलित होंगे।”<sup>13</sup> इस भोज में स्वातंत्र्यवीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉ. मुजे, श्रीमहन्त जी सहित अत्यधिक संख्या में लोग सम्मिलित होकर एकसाथ भोजन किये। इसका हिन्दू समाज पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव दिखाई दिया। सामाजिक समरसता के सम्बन्ध में महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज का स्पष्ट और निर्भीक विचार था। महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आधुनिक भारत में उसकी धार को और भी तेज किया। सामाजिक कुरीतियों के कारण भारतीय समाज में आये इन विकृतियों के विरुद्ध लड़ाई मानो गोरक्षपीठ का मुख्य उद्देश्य था। महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज केवल धर्माचार्य या मठाधीश ही नहीं थे अपितु वे एक कर्मठ जनसेवी भी थे। समाज के प्रति उनकी सेवा दृष्टि के कारण ही पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था-“आज देश को महन्त जी जैसे कर्मठ धर्माचार्यों की आवश्यकता है जो देश में जनजागृति करके देश की प्रगति में योगदान कर सकें।”<sup>14</sup> वास्तव में समाजोद्धारक के रूप में युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जो मशाल गोरखनाथ मन्दिर के भव्य प्रासाद से प्रारम्भ किया था वह आज भी न केवल प्रवाहमान है वरन् और भी व्यापक एवं प्रभावी रूप में नित नये आयामों के साथ भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए प्राणवायु सिद्ध हो रहा है।

पारलैकिक और भौतिक जीवन का सामंजस्य बैठाने वाले नाथपंथ के विचार-दर्शन ने एक ऐसे योगी परम्परा को जन्म दिया, जिसने भारतीय संस्कृति के एकाकार, सामाजिक चिंतन की प्रतिष्ठा को ही मिशन बना लिया जो महायोगी गोरक्षनाथ से लेकर महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज, महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज से होते हुए महन्त योगी आदित्यनाथ तक चलता आ रहा है। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज इस परम्परा के ऐसे धर्मगुरु थे जिनका सम्पूर्ण जीवन छुआ-छूत, ऊंच-नीच, के विरुद्ध संघर्ष में बीता। गाँव-गाँव सहभोज, दलितों के साथ स्वयं तथा सबको बैठाकर भोजन करने का अभियान भी प्रभावकारी ढंग से चलाया।<sup>15</sup>

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के नेतृत्व में गोरक्षपीठ ने सामाजिक परिवर्तन की जो मशाल प्रज्वलित की वह महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज द्वारा देशभर में चलाये गये छुआ-छूत विरोधी अभियानों से पूर्णतः देदीप्यमान हो गयी।<sup>16</sup> भारतीय समाज में व्याप्त इस अभिशाप से महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज सर्वाधिक चिन्तित रहने वाले भारतीय सन्त-परम्परा के इतिहास में सर्वअग्रणी महासन्त थे। इस कारण उनकी सम्पूर्ण लोकमंगल-यात्रा में हिन्दू समाज की एकता का मंत्र दिखाई देता है। 1987 ई. से हम सब लगातार सुनते आ रहे हैं, कोई भी मंच हो, यहाँ तक कि कोई भी विषय हो, महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज का उद्बोधन में समाज की एकता और छुआ-छूत समाप्त करने की अपील किसी-न-किसी रूप में अवश्य आ जाती। 1980

ई. की मीनाक्षीपुरम् की घटना ने, जिसमें बड़ी संख्या में हिन्दू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, श्रीमहन्त अवेद्यनाथ जी महाराज को अन्दर से हिला दिया। इस घटना के बाद महन्त जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर हिन्दू समाज की एकता और सामाजिक समरसता के यज्ञाभियान पर निकल पड़े।<sup>17</sup> वास्तव में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज संत के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता अखण्डता के अग्रणी अग्रदूत भी थे।

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज का स्पष्ट मत था कि जब तक हिन्दू समाज में अस्पृश्यता का कोढ़ बना रहेगा तबतक राष्ट्रविरोधी शक्तियाँ समाज में फूट डालकर देश को विखण्डित करने में सफल होती रहेंगी। इसी कारण महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने गाँव-गाँव जाकर छुआ-छूत के विरुद्ध अभियान चलाया। इन तथाकथित अस्पृश्य जातियों के साथ सम्पूर्ण समाज के लोगों को एक साथ सहभोज कराया। इसका नेतृत्व स्वयं करने लगे। सामाजिक एकता में उनका यह प्रयास रामबाण साबित होने लगा। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण 18 मार्च 1994 ई. को काशी के डोमराजा के घर भारत के प्रतिष्ठित साधु-सन्तों के साथ जाकर भोजन करने की एक युगान्तकारी घटना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। दैनिक समाचार (आज) ने लिखा- 'सदियों से बिखरी पड़ी हिन्दू एकता की सभी कड़ियों को परम्परा मजबूती से जोड़कर-सशक्त हिन्दू समाज का पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से छुआ-छूत मिटाने के प्रयासों को ठोस आधार प्रदान करते हुए डोमराजा सुजीत चौधरी के घर उनकी मां के हाथों भोजन कर अस्पृश्यता की धारणा पर जोरदार चोट की। अस्पृश्यता की जड़ पर निर्णायक प्रहार का ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर लोगों के नेत्र आनन्दातिरेक के छलछला उठे।<sup>18</sup> जब एक पत्रकार ने महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज से पूछा कि डोमराजा के घर भोजन कर आपको कैसा लगा? उनका उत्तर था- गंगा तट पर डोमराजा के घर भोजन कर मैं धन्य हुआ हूँ क्योंकि सदियों से भारतीय समाज में कोढ़ की तरह जड़ हो चुके छुआ-छूत को मेरे साथ देश के धर्माचार्यों ने एक बार फिर शास्त्रसम्मत घोषित कर हिन्दू समाज की एकता का मार्ग प्रशस्त किया है। महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज द्वारा चलाये गये सामाजिक समरसता के अभियान का यह चरमोत्कर्ष था।<sup>19</sup> 'वास्तव में महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के शिल्पी बनकर भारतीय जनमानस के पटल पर अपनी अमिट पहचान कायम की। श्रीराम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्यतम मन्दिर का शिलान्यास की पहली ईंट एक दलित के हाथों रखवाकर उन्होंने अपने स्पष्ट और निश्चय के साथ सामाजिक समरसता के संकल्प का दर्शन कराया। पटना में स्थित महावीर मन्दिर में तथाकथित सवर्ण समाज के विरोध के बाद भी दलित पुजारी की नियुक्ति उनके जीवनदर्शन का अगला उदाहरण है।

महन्त जी का स्पष्ट कहना था कि राष्ट्र की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता स्थापित करने में सहयोग हेतु देश के धर्माचार्यों को गुफाओं की साधना और मठ-मन्दिरों की आराधना छोड़कर राष्ट्र को दिशा देने का भगीरथ प्रयास करना होगा। राष्ट्रीय एकता व अखण्डता में छुआ-छूत बड़ी बाधा है, महामारी है, जीवित भूत है। हिन्दू समाज का दलित हमारा अभिन्न अंग है, उसे बराबर सम्मान



देना ही होगा, उन्हें बेरोक-टोक मन्दिरों में पूजा-पाठ करने की खुली छूट देनी होगी। इनके साथ भेद-भाव नाजायज है।<sup>20</sup> राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के प्रति महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की निश्चलता समाज के लिए एक अमर सन्देश है। वे कहा करते थे कि हिन्दू समाज की एकता के लिए यदि अपने ही बन्धु-बान्धव हरिजनों के सामने झुकना भी पड़े तो हमें हिचक नहीं होनी चाहिए।<sup>21</sup> उन्होंने 1992 ई. में गोरखपुर महानगर मे मानसरोवर स्थित रामलीला मैदान में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कहा कि वस्तुतः बाबा साहेब एक आदर्श प्रतिमान हैं हिन्दू समाज के लिए। उन्होंने अनेक अपमान के बावजूद भारत के दलित समाज को राष्ट्र की एकता के लिए जोड़े रखा।<sup>22</sup> महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज सामाजिक समरसता के प्रश्न पर सदैव स्पष्टवादी एवं मुखर रहे। उन्होंने इस प्रश्न पर धर्माचार्यों, सन्त महात्माओं, राजनीतिज्ञों, किसी को भी क्षमा नहीं किया यदि वे हिन्दू समाज की एकता के विरुद्ध अथवा अस्पृश्यता के पक्ष में खड़े हुए।<sup>23</sup> महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज ने समाज की एकता का सन्देश भारत के कोने-कोने तक पहुँचाया। 1994 ई. में सोलन (पंजाब) में एक समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि भारतीय समाज अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहता है तो वह संकीर्ण मानसिकता का त्याग करे, समाज में व्याप्त कुरीतियों का शमन करे तथा हिन्दुत्व की व्यापकता को आचरण में स्वीकार करे। यदि हम उन्हें बराबरी की जगह नहीं देते तो स्वाभाविक प्रश्न है कि वे ऐसे समाज में क्यों रहेंगे।<sup>24</sup> समाज की एकता की खातिर महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज की दृढ़ इच्छाशक्ति का एक और उदाहरण सर्वविदित है। एक बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में विदुषी महिला को वेदपाठ करने से रोके जाने पर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द जी महाराज के विरुद्ध खड़े हो गये थे।<sup>25</sup> महन्त जी का स्पष्ट मानना था कि महिलाओं को वेदपाठ से क्यों और कैसे रोका जा सकता था। उनका सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण साधना के कण-कण में सामाजिक समरसता की स्थापना के प्रति समर्पण से ओतप्रोत है।

महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के इस महा अभियान को उनके यशस्वी शिष्य वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर तथा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने और भी गतिमान स्वरूप प्रदान किया है। हम कह सकते हैं कि गोरक्षपीठ की साधना पद्धति में सामाजिक समरसता की जड़ें गहरी रची-बसी हैं। स्वयं महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी ने मानव सेवा का जो मार्ग निर्मित किया उसे उनकी यशस्वी पीठ द्वारा नित नये प्रयोजनों के माध्यम से और सशक्त करते हुए 'सबका साथ-सबका विकास' तक की यात्रा तक पहुँचाया है। निश्चित ही गोरक्षपीठ के इस महायज्ञ से राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की पुनर्स्थापना सुनिश्चित हो रही है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि गोरक्षपीठ ने आधुनिक भारत में सामाजिक पुनर्जागरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत के रूप में असंदिग्ध एवं अनुकरणीय प्रतिष्ठा प्राप्त किया है। समकालिक समरसता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता अखण्डता स्थापना में श्रीगोरक्षपीठ का योगदान अनुकरणीय है।

**सन्दर्भ:**

1. द्विवेदी, हजारी प्रसाद, 'नाथ सम्प्रदाय', पृ. 106
2. गुप्त, सदानन्द प्रसाद, 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 124
3. नाथपंथ की से धुआं हुए युग के आडंबर, अमर उजाला, गोरखपुर, 01 फरवरी 2018, पृ. 6
4. जीवन और उसके पार, एक ही चाबी से खुले हर द्वार, अमर उजाला, गोरखपुर, 09 नवम्बर 2019, पृ. 3
5. वही, पृ. 3
6. कुरीतियों का अंधेरा मिटाने यहीं जली अखंड ज्योति, अमर उजाला, गोरखपुर, 03 नवम्बर 2018, पृ. 6
7. गुप्त, सदानन्द प्रसाद, 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 124
8. पाण्डेय, डॉ. वेदप्रकाश, 'शहरनामा गोरखपुर', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017, पृ. 448
9. सिंह, डॉ. भगवती प्रसाद, 'महन्त दिग्विजयनाथ स्मृति ग्रन्थ', 1972, पृ. 1
10. अस्पृश्यता हिन्दू समाज का अभिशाप है, युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ ने कहा था, गोरखनाथ मंदिर, सं. 2054-2055 वि., पृ. 56
11. वही, पृ. 448
12. सिंह, डॉ. भगवती प्रसाद, 'महन्त दिग्विजयनाथ स्मृति ग्रन्थ', 1972, पृ. 279
13. गुप्त, सदानन्द प्रसाद, 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012
14. सिंह, डॉ. भगवती प्रसाद, 'महन्त दिग्विजयनाथ स्मृति ग्रन्थ', 1972, पृ. 145
15. सैकड़ों साल से समानता के लिए धधकती धूनी, अमर उजाला, गोरखपुर, 06 फरवरी 2018, पृ. 4
16. गुप्त, सदानन्द प्रसाद, 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 124
17. वही, पृ. 124
18. 'आज' वाराणसी 19 मार्च, 1994, 'राष्ट्रीय सहारा', गोरखपुर संस्करण।
19. गुप्त, सदानन्द प्रसाद, 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 126
20. 'अमर उजाला', मेरठ 16 अप्रैल 1990, 'स्वतंत्र चेतना' गोरखपुर, 4 अक्टूबर 1989
21. 'आज' गोरखपुर, 7 सितम्बर 1990
22. 'दैनिक जागरण', 'राष्ट्रीय सहारा' गोरखपुर, 27 अप्रैल 1992
23. गुप्त, सदानन्द प्रसाद, 'राष्ट्रीयता के अनन्य साधक महन्त अवेद्यनाथ', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2012, पृ. 128
24. 'जनसत्ता', 'दैनिक जागरण', 'पंजाब केसरी' (सोलन), 2 मई 1994
25. 'आज' गोरखपुर, 21 नवम्बर 1994।





## राष्ट्र (भारत) निर्माण का सामाजिक सन्दर्भ और नाथपंथ

डॉ. प्रदीप कुमार राव\*, डॉ. सुबोध कुमार मिश्र\*\*

भारत- राष्ट्र का निर्माण भूमि (भूगोल), जन (समाज), राज्य (सरकार/शासन) और संस्कृति के समन्वय एवं सामन्जस्य से हुआ है। निश्चित भू-भाग पर रह रहे समाज के हजारों वर्षों की अनुभूति एवं पूर्वज परम्परा के द्वारा सृजित जीवन मूल्य से निर्मित भारतीय संस्कृति सम्बन्धित भू-भाग एवं जन को ही भारत-राष्ट्र का स्वरूप देती है। भारतीय समाज एवं उसकी संस्कृति ही भारत की राष्ट्रीय पहचान है। भारत-राष्ट्र ही विश्व में भारत, हिन्दुस्तान एवं इण्डिया के नाम से जाना जाता है।

भारत (भारत-राष्ट्र) के निर्माण के मूल में भारत की ऋषि-परम्परा है। भारत के ऋषियों ने समाज एवं संस्कृति के सृजन में अपने को पीढ़ी-दर-पीढ़ी खपा दिया। उन्होंने अपनी मुक्ति (मोक्ष/कैवल्य/निर्वाण) से अधिक महत्त्व भारत के सामाजिक-जीवन-मूल्य के सृजन को दिया। उनकी तपस्या और उसकी सम्पूर्ण ऊर्जा अनेकशः राष्ट्र-समाज रचना में व्यय हुई। वे इस मंत्र को जीते थे-

न त्वहम् कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनर्भवम्।

कामये दुःखतप्तानम् प्राणिनामर्तिनाशनम्॥

उल्लेखनीय है कि वैदिक ऋषि परम्परा से भारतीय समाज-संस्कृति की रचना के साथ प्रारम्भ राष्ट्र-निर्माण का यज्ञ अनवरत चलता रहा। नाथपंथ और उसके योगियों ने इस श्रेष्ठतम् ऋषि-परम्परा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रनिर्माण के मूल 'समाज एवं संस्कृति' के विकास में नाथपंथ और उसके योगियों के योगदान को रेखांकित करना ही इस आलेख का उद्देश्य है।

नाथपंथ के आदिगुरु के रूप में अनुमन्य महायोगी गोरखनाथ भारतीय धर्म-साधना के सिद्ध-योगी थे। वे अप्रतिम व्यक्तित्व से सम्पन्न योगमार्ग के उन्नायक थे तथा योग के बल पर सृष्टि के लय-प्रलय की क्षमता से युक्त थे। उन्होंने अपने समय की युग-धारा के प्रबल-प्रवाह को मोड़ दिया। समकालीन परिस्थितियों को युगानुकूल बनाया। परम्परागत विचार-प्रवाह को मथकर सार्वयुगीन

\*प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

\*\*असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

तत्त्व का पुनर्प्रकटीकरण किया। योग के सैद्धान्तिक विचार-दर्शन को क्रियात्मक योग में बदला। महायोगी गोरखनाथ अपने इसी सर्वव्यापी व्यक्तित्व के कारण योगी के साथ-साथ युग-प्रवर्तक एवं राष्ट्र-निर्माता बने। वे धार्मिक-आध्यात्मिक गुरु के साथ समाज-सुधारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज को जाग्रत किया, जीवन्त किया और इसे रूढ़ियों-पाखण्डों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया तथा भारत की राष्ट्रीय एकता की प्रतिष्ठा हेतु मुखर स्वर दिया।

गोरखनाथ एवं उनके द्वारा प्रवित्त नाथपंथ का साहित्य भारत की लगभग सभी भाषाओं-बोलियों में उपलब्ध हैं। नाथपंथी साहित्य के अनुशीलन से महायोगी गोरखनाथ एवं नाथपंथ का राष्ट्र-निर्माता हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 'समाज-दर्शन' जाना एवं समझा जा सकता है। नाथपंथ के 'सामज-दर्शन' पर अब तक उपलब्ध किसी शोध-कार्य या पुस्तक की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। यद्यपि कि अक्षय कुमार बनर्जी का 'गोरख-दर्शन' गुरु श्रीगोरखनाथ के विचार-दर्शन का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है तथापि यह ग्रन्थ भी 'सामाजिक-दर्शन' पर यदा-कदा संकेत करते हुए आगे बढ़ जाता है।

महायोगी गोरखनाथ का 'सामज-दर्शन' भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए वर्तमान युग की माँग है। गुरु श्रीगोरखनाथ ने भारत के राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन में वही भूमिका निभाई है जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन ने निभायी थी। महायोगी गोरखनाथ एवं उनके द्वारा प्रवित्त नाथपंथ के व्यापक-लोक को समझने के लिए जो साहित्य उपलब्ध हैं, उनमें गोरक्षसंहिता, गोरक्षशतक, सिद्धसिद्धान्तपद्धति, योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तण्ड, योगमार्तण्ड, योग-चिन्तामणि, ज्ञानामृत, अमनस्कआत्मबोध, योगबीज, गोरक्षसहस्रनाम, अमरौधप्रबोध, गोरक्ष-गीता, मत्स्येन्द्रनाथसंहिता, कौलज्ञाननिर्णय, नादबिन्दु उपनिषद्, मण्डलब्राह्मण उपनिषद्, योगशिक्षा उपनिषद्, योगतत्त्व उपनिषद्, योगचूड़ामणि उपनिषद्, जाबालोपनिषद्, गोरक्ष उपनिषद्, नाथसूत्र, शिवगीता, अवधूतगीता, शिवसंहिता, सूतसंहिता, घेरण्ड संहिता, हठयोग प्रदीपिका प्रमुख हैं। बांग्ला, राजस्थानी, पंजाबी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, आदि प्रादेशिक भाषाओं में नाथपंथी योगियों की रचनाओं का अध्ययन भी नाथपंथ के सामाजिक-दर्शन को समझने में अत्यधिक सहायक होंगे।

भारत के सामाजिक-जीवन में धर्म-आध्यात्म जीवन पद्धति का अमूल्य हिस्सा है तो 'जाति' भारतीय समाज का दर्पण है। 'जाति-व्यवस्था' के श्रेष्ठतावादी-विचार दर्शन से भारतीय समाज में ऊँच-नीच की भावना का जन्म हुआ। ऊँच-नीच के इसी विचार की कोख से छुआ-छूत का उद्भव हुआ। बड़ा छोटा एवं छूत-अछूत की विकृतियों ने भारतीय जाति-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। हिन्दू समाज के सभी मानवतावादी सिद्धान्त एवं दर्शन पर अस्पृश्यतावादी जाति-व्यवस्था भारी पड़ती है। हिन्दू समाज की इसी विद्धति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने 'बाँटों और राज करो' की नीति अपनाई। हिन्दू-समाज की इसी कुरीति का प्रतिफल था भारत पर इस्लामी सत्ता की स्थापना।



भारतीय समाज की ऊँच-नीच एवं अस्पृश्यतावादी जाति-व्यवस्था के खिलाफ समय-समय पर हमेशा भारतीय समाज के अन्दर से ही आवाज उठती रहती है। इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ गोरखनाथ ने न केवल आवाज उठायी, अपितु मौलिक भारतीय समाज-दर्शन का पुनः प्रकटीकरण किया। नाथपंथ के योगियों ने महायोगी गोरखनाथ के 'समरस समाजदर्शन' को ही आगे बढ़ाया और इसी की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु नाथपंथ के योगी आज तक अभियानरत हैं।

### समाज बदलने गोरख आए

महायोगी गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथपंथ के नाथसिद्धों, नवनाथों और चौरासी सिद्धों का आविर्भाव तथा विचारकाल सामान्यतः नवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक माना जाता है। यह युग भारतीय धर्म-साधना में उथल-पुथल का युग था ही, सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में भी भारत की सनातन संस्कृति के प्रतिकूल अनेक विकृतियों एवं चुनौतियों का भी कालखण्ड था। इस्लाम एक पांथिक शक्ति के साथ-साथ आक्रमणकारी राजनीतिक ताकत के रूप में भारत में प्रवेश कर रहा था। भारत को धार्मिक-आध्यात्मिक जीवन में तन्त्र-मंत्र, टोने-टोटके प्रभावी होते जा रहे थे। बौद्ध साधना पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ चुका था। बौद्ध, शाक्त, शैव और वैष्णव सम्प्रदायों के बीच आपसी मतभेद एवं कटुता बढ़ती जा रही थी।

भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता स्वयं शुद्धिकरण की है। भारत के धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन में जब-जब जटिलता, कर्मकाण्ड, रूढ़िवादिता प्रभावी हुई, इनके विरुद्ध भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों के पुनर्जागरण हेतु भारतीय समाज खड़ा हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में समय-समय पर समाज का नेतृत्व करने के लिए महापुरुषों का अभ्युदय हुआ। समय-समय पर समाज का मार्गदर्शन करने हेतु वैचारिक आन्दोलन चले और कुछ वैचारिक आन्दोलन पांथिक स्वरूप ग्रहण कर संगठित स्वरूप में भारतीय संस्कृति के वाहक बने। महायोगी गोरखनाथ का अभ्युदय एवं उनके द्वारा प्रवर्तित नाथपंथ, इन्हीं परिस्थितियों की उपज है।

महात्मा बुद्ध ने जिस वैचारिक अधिष्ठान पर बौद्ध मत का प्रतिपादन किया, लगभग हजार वर्ष बीतते-बीतते वह वैचारिक आन्दोलन भी उन्हीं रूढ़ियों, कुरीतियों, पाखण्डों का शिकार हुआ जिनके गर्भ से स्वयं उसका जन्म हुआ था। आचार-विचार की शुद्धता तार-तार हो रही थी। वामाचार, तन्त्रवाद एवं अनाचार का शिकार बौद्ध मत तामसी, विलासी, कामुकतापूर्ण एवं कलुषित जीवन का समर्थक दिखने लगा। परिणामतः बौद्ध मत से सामान्य जन का विश्वास डिगने लगा।

बौद्ध मत के ह्रास एवं पतन की परिस्थितियों में वैदिक मत की विविध धाराएँ अपने पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयत्न में सफल होने का प्रयत्न कर रही थीं। विशेष कर वैष्णव एवं शैव मत अपने नए कलेवर, वैचारिक शुद्धता और आत्मा-परमात्मा के सम्बन्धों पर विविध दार्शनिक व्याख्याओं के

साथ वैदिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में प्रयत्नरत थे। किन्तु इस प्रयत्न में भारतीय समाज के अन्तर्गत रुढ़िगत स्वरूप में विकसित होने वाली जाति-व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा थी।

कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था बहुत पहले ही जन्माधारित जाति-व्यवस्था का रूप ग्रहण कर चुकी थी। जाति-व्यवस्था में ऊँच-नीच के साथ-साथ अस्पृश्यता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। एक तरफ बौद्धमत का पतन और दूसरी तरफ जाति-व्यवस्था में ऊँच-नीच, छुआ-छूत जैसी विकृतियों से पीड़ित भारतीय समाज एक ऐसे धार्मिक-आध्यात्मिक नायक को खोज रहा था जो एक बार फिर सहज जीवन का ऐसा मार्ग दिखाए जो उसे लौकिक जीवनानन्द के साथ पारलौकिक जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करे।

बौद्ध युग के बाद यह युग एक बार फिर सामाजिक क्रान्ति की दहलीज पर खड़ा था। भारत के धार्मिक-आध्यात्मिक जीवन में उथल-पुथल के साथ-साथ जाति व्यवस्था में ऊँच-नीच एवं छुआ-छूत से आक्रान्त समाज में एकरसता की डोर कमजोर होती जा रही थी। समाज विखण्डन का शिकार हो रहा था।

राष्ट्रीय-सामाजिक एकता की पुनर्प्रतिष्ठा समय की माँग थी। धर्म-अध्यात्म के सात्विक स्वरूप के पुनर्स्थापना के साथ उसके प्रति सामाजिक आस्था उत्पन्न करना भारतीय संस्कृति की सनातन धार्मिक-आध्यात्मिक परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए अपरिहार्य था। दुःख से मुक्त आनन्द एवं सुख की खोज में भटकती मानवता को सर्वस्वीकार्य पथ चाहिए था। भारत की सनातन संस्कृति में सर्व प्रतिष्ठित जीवन-मूल्य सदाचरण को समाज में प्रतिष्ठा चाहिए थी। ऐसे संक्रांति के काल में ही समाज को सत्य सनातन संस्कृति एवं धर्म के पथ पर पुनः आगे बढ़ाने एवं समाज को बदलने हेतु महायोगी गोरखनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। महायोगी गोरखनाथ उपरोक्त इन्हीं कार्य हेतु भारत की पावन भूमि पर अभ्युदित हुए। यह महायोगी भारत में अपनी यौगिक क्षमता का चमत्कार दिखाने नहीं समाज बदलने आया था। इस महायोगी ने भारतीय समाज में सदाचरण पर आधारित योग केन्द्रित जन-सामान्य के लिए सुलभ मोक्ष मार्ग के दार्शनिक-व्यावहारिक अधिष्ठान पर उसी सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया जो उससे हजार वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध एवं महावीर जैन ने प्रारम्भ की थी। दया-करुणा परपीड़ाहरण के साथ सामाजिक विकृतियों के खिलाफ तनकर खड़े गोरखनाथ ने विश्व-वन्धुत्व, विश्वप्रेम, सहानुभूति, मानव-मानव की समानता, जीव-मात्र के जीवन की पवित्रता, न्याय एवं स्वतन्त्रता के अधिकार, सत्य का आदर, निःस्वार्थ सेवा, मानव जाति की एकता, ब्रह्माण्ड की एकता, मानवजाति को उच्च से उच्चतर सभ्यता की ओर से जाने वाले धार्मिक-आध्यात्मिक दर्शन का प्रतिपादन किया। गोरखनाथ और उनके नाथपंथी योगियों ने मानव-जाति को सिखाया कि आत्मसंयम आत्मतुष्टि से श्रेष्ठ है, बलिदान योग से महान है, आत्म विजय दूसरों की विजय से श्रेष्ठ है (आध्यात्मिक उन्नति भौतिक उन्नति से महान है, विश्वप्रेम सर्वनाशी पाशविक शक्ति से कहीं श्रेष्ठ

है) आत्मा के शाश्वत हित में संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग श्रेष्ठतर है। महायोगी गोरखनाथ ने न केवल वैचारिकी एवं दर्शन का प्रतिपादन किया अपितु योगियों की एक ऐसी श्रृंखला खड़ी की जिन्होंने उनके विचार-दर्शन को लोकभाषा में जन-जन तक पहुँचाया। जातियों में ऊँच-नीच एवं भेद-भाव की दीवारें तोड़ दी। सभी के लिए ईश्वर तक जाने का एक योग-मार्ग प्रतिष्ठित कर दिया। धर्म-अध्यात्म का द्वार सभी के लिए एक समान रूप से खोल दिया। पूजा-पाठ अथवा उपासना पद्धतियों की जटिलताएँ समाप्त कर दी। तन-मन को स्वस्थ रखते हुए ऐहिक जीवन के आनन्द के साथ पारलौकिक जीवन के प्रश्नों का सहज उत्तर प्रस्तुत किया। सदाचरण एवं लोक-कल्याण को धर्म-अध्यात्म का मूलमंत्र बनाया। वस्तुतः महायोगी गोरखनाथ इस धरती पर भारत की सनातन संस्कृति को पुनर्जीवन देने के लिए समाज बदलने आए। भारत में एक नयी सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात करने आए और इसमें इस महायोगी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

### पाखण्ड एवं रूढ़ियों के विरूद्ध नाथपंथी अभियान

गोरखनाथ के अभ्युदय के समय भारतीय समाज में विघटन और विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ विकसित हो चुकी थीं। अपरिपक्व शरीर और स्वेच्छाचारी मन के भिक्षुओं एवं श्रमणों का बोलबाला था। शूद्र के रूप में तिरस्कृत समूह एवं स्त्रियों की दशाहीन होती जा रही थी। सनातन धर्म एवं संस्कृति के मौलिक तत्व एवं जीवन-मूल्य ग्रन्थों में सीमित हो चुके थे। धर्माचार्यों, बौद्ध भिक्षुओं तथा श्रमणों द्वारा भोग-विलास की धर्माधारित नयी व्याख्या दी जा रही थीं। सुरा-सुन्दरी के उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा था। देव-मंदिरों में बलि-पूजा जोरों पर थी। मठ-मन्दिर अकूत धन-सम्पत्ति इकट्ठा करने के केन्द्र बन चुके थे। पंच-मकार अर्थात् मद्य, मत्स्य मांस, मुद्रा तथा मैथुन को उपासना एवं देवपूजा का आवरण पहनाया जा चुका था। बौद्ध-साधना में योनि-पूजा और योनिभोग चरमोत्कर्ष पर था। बज्रयान, बोधिसत्त्व और चक्र-पूजा में उक्त का उपयोग आवश्यक माना जाने लगा था। शैव कापालिकों में भी यही प्रवृत्ति विकसित हो चुकी थी। इन पाखण्डी धर्माचार्यों का तर्क था कि तृप्त योगी ही सही त्यागी हो सकता है। अतृप्त आत्माएँ ही बन्धन युक्त होकर बार-बार जन्म ग्रहण करती हैं। अतः वैराग्य के लिए हर प्रकार से तृप्ति आवश्यक है।

भारत का पूर्वमध्ययुगीन समाज इन रूढ़िवादी, पाखण्डी एवं भोग-विलासी उपासना पद्धतियों का तेजी से शिकार हो रहा था। पूजा-पाठ एवं तन्त्र-मंत्र की रूढ़िवादी-पाखण्डी धारा का प्रवाह प्रबल होता जा रहा था। उस समय में इस तामसिक पूजा पद्धति के विरोध का साहस न तो कोई राजा कर पा रहा था न ही दूसरी कोई सामाजिक-धार्मिक संगठित शक्ति थी, जो राष्ट्र-समाज हित में इस पाखण्ड के विरूद्ध खड़ा हो सके। इन्हीं विषम परिस्थितियों में गोरख तन कर खड़े हुए। गोरखनाथ ने न केवल गिरते हुए तामसिक जीवन के उन्नयन हेतु, विमुख धार्मिक चेतना को जाग्रत करने तथा सामाजिक जीवन में शुद्धता, सात्त्विकता एवं सन्तों-साधुओं में अखण्ड ब्रह्मचर्य की भावना भरने के लिए पाखण्डी धर्माचार्यों, समर्थ सामन्तों एवं तामसिक उपासना की इस प्रबलधारा में बह रहे साधकों



को ललकारा अपतुि परमार्थ, लोक-कल्याण एवं सदाचरण का वह धर्मपथ पुनः प्रकाशित किया जो भारत की सनातन संस्कृति का प्राणतत्त्व है। गोरखनाथ ने मांस-मदिरा का परित्याग एवं संयमित आहार पर जोर दिया। काम, क्रोध, अहंकार, मन-माया, विषय-विकार, तृष्णा, लोभ और जीव हिंसा के परित्याग को धर्म एवं उपासना का मूल आधार घोषित किया। गोरख का यह वचन अति लोकप्रिय हुआ कि **मन सबसे प्रबल है, यही शिव है, यही शक्ति है, यही पंचतत्त्वों से निर्मित जीव है। जो इस मन पर नियन्त्रण कर उन्मनावस्था में लीन हो जाते हैं वहीं तीनों लोकों के रहस्य को जान लेते हैं।** यथा -

**यहु मन सकती यहु मन सीव। यहु मन पांच तत्त्व का जीव।  
यहु मन ले जै उनमन रहे। तो तीनि लोक की बातां कहै॥**

संयमित आचार-विचार एवं संयमित जीवन निर्वाह का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए गोरखनाथ हँसते-खेलते, गाते-बजाते हुए आनन्दपूर्वक दृढ़ता के साथ चित्त को संयमित रखने का उपदेश करते हैं। अल्पाहार के साथ योगाभ्यास को आवश्यक मानते हुए गोरखनाथ ने स्वस्थ मन, दृढ़ चित्त के साथ तन की स्वस्थता को भी उतना ही महत्त्वपूर्ण माना। गोरखनाथ ने बोलने की अपेक्षा सुनना, संयमित व्यवहार एवं सत्संग को जीवनोत्कर्ष के लिए आवश्यक माना।

गोरखनाथ ने उन साधकों धर्माचार्यों, उपासकों को सन्मार्ग दिखाया जो योगी होने का ढोंग करते थे, किन्तु मोह-माया के जाल में फँसकर साधना के नाम पर घृणित कर्म करते थे। गोरखनाथ ने पाखण्ड का डटकर विरोध किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-“गोरखनाथ ने निर्मम हथौड़े की चोट से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर्ण-विचूर्ण कर दिया। लोक जीवन में जो धार्मिक चेतना पूर्ववर्ती सिद्धों से आकर उसके पारमार्थिक उद्देश्य से विमुख हो रही थी उसे गोरखनाथ में नई प्राणशक्ति से अनुप्राणित किया। किसी भी रूढ़ि पर चोट करते समय उन्होंने दुर्बलता नहीं दिखाई। उन्होंने किसी से भी समझौता नहीं किया, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं।”

गोरखनाथ ने भारतीय धर्म-अध्यात्म-साधना में पाखण्ड एवं कुरीतियों के विरुद्ध जिस सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात एवं सदाचरण, सच्चरित्रता, सहजता, सरलता के साथ योग-मार्ग का प्रतिपादन किया उसे नाथपंथी योगियों ने अनवरत आगे बढ़ाया। प्रचलित नव-नाथ एवं चौरासी सिद्धों से लेकर अद्यतन नाथपंथ के योगी योगमय अपने कठोर जीवन, अखण्ड ब्रह्मचर्य के साथ सहज, सरल उपासना पद्धति के वाहक हैं। पाखण्ड एवं रूढ़ियों के विरुद्ध सदैव तनकर खड़ा होने का साहस करते हैं।

**जातीय श्रेष्ठतावाद को नकारा नाथपंथ ने**

पूर्व मध्ययुग अर्थात् छठवीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के कालाखण्ड में भारत में कई इस्लामी आक्रमण हुए। यह युग भारत के तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश का भी युग था। इसी युग में एक ओर जहाँ भारतीय समाज में धार्मिक एवं उपासना पद्धतियों के नाम पर पाखण्ड एवं आडम्बर बढ़े, तो वही दूसरी तरफ जातियों में उपजातियों का तेजी से निर्माण हुआ। जाति व्यवस्था ऊँच-नीच एवं छुआ-छूत की विकृति का शिकार हुयी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण जन्माधारित जाति में रूढ़ हो ही रहे थे, इनमें भी विखण्डन एवं विभाजन की प्रवृत्ति हावी थी। अनेक विदेशी जातियों के भारतीय समाज में समन्वीकरण ने भी जातीय विखण्डन एवं उपजातियों के निर्माण में भूमिका निभाई। इस युग के जाति-व्यवस्था पर अलबरूनी के किताब-उल-हिन्द एवं चन्द्रबरदाई के पृथ्वीराजरासो में विस्तृत विवरण मिलता है।

यह युग जातीय विखण्डन के कारण जातीय अस्तित्व एवं शुद्धता को लेकर काफी संवेदनशील युग था। ब्राह्मण अपनी सांस्कारिक शुद्धता, रूढ़िवादिता और धर्मान्धाता को अपनी विशिष्टता एवं श्रेष्ठता का आधार मानते थे, तो क्षत्रिय अपने शौर्य-पराक्रम की श्रेष्ठता के अहंकार में डूबे थे। वैश्यों के बीच से कायस्थ जाति का उद्भव हो चुका था और वे शासन-प्रशासन में अपनी लिखा-पढ़ी के आधार पर जगह बना चुके थे। जातीय श्रेष्ठतावाद से भारतीय समाज में ऊँच-नीच की एक गहरी खाई बनती जा रही थी। ब्राह्मण-क्षत्रिय पौरुहित्य एवं राज्य के बल पर अपनी श्रेष्ठता पूरे समाज पर जबरन थोप भी रहे थे। समाज में इनके द्वारा घोषित शूद्र के अन्तर्गत आने वाली वे जातियाँ जिनके कौशल एवं परिश्रम पर समाज जी-खा रहा था, वे नीच और अछूत घोषित की जा रही थीं।

देबल एवं लक्ष्मीधार ने ब्राह्मणों की अनेक उपजातियों का उल्लेख किया है। अत्रिस्मृति तथा मिनतकसार ने ब्राह्मणों का दस श्रेणियों-देवा, मुनि, हिज, राज्य, वैश्य, शूद्र, मरजरा, पशु, म्लेच्छ तथा चाण्डाल- का उल्लेख किया है। क्षेत्रीय आधार पर भी ब्राह्मणों की अनेक उपजातियाँ, यथा बंगाल में वन्ध्यधतिया, चम्पहटिया, इकिया, बरेन्द्र, वैदिक का उल्लेख है। द्राविड़ और उत्कल से आए ब्राह्मण दक्षिणात ब्राह्मण कहलाए। बिहार में मैथिली, शाकद्वीपी, गयावाल, मग, गौड़, उत्तर प्रदेश में कन्नौजिया, सरयूपारीय तथा कश्मीर के कश्मीरी ब्राह्मण कहे जाने लगे थे। स्पष्ट है कि जातियों के अन्दर भी ऊँच-नीच का भाव प्रबल होने लगा था।

क्षत्रियों की भी उत्तर भारत में ही 36 जातियों का उल्लेख मिलने लगता है। अलबरूनी लिखता है समाज में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का दूसरा स्थान था। इब्नखुदवर्दा के अनुसार क्षत्रिय दो वर्ग यथा-सवकुफरिया तथा कहरिया में विभाजित थे। क्षत्रियों में भी ऊँच-नीच की भावना घर कर गयी थी। इसी प्रकार वैश्यों एवं शूद्रों में भी अनेक जातियों एवं उपजातियों का विकास हो चुका था। जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह के अनुसार गुजरात तथा राजस्थान में ही श्रीमाली, प्रागवत, उपकेश, घरकटा,

पल्लखाल, मोधा, गूजर, नागर, दिसवाल, औद, दुम्बाल वैश्यों की प्रमुख जातियाँ थी। अलबरूनी की माने तो ग्यारहवीं शताब्दी तक वैश्यों और शूद्रों में कोई अन्तर नहीं रह गया था।

अभिधान चिन्तामणि, देसीनमामला तथा विजयन्ती जैसे ग्रन्थों में शूद्र कहे जाने वाले मजदूर, लोहार, पत्थर काटने वाले, शंख बनाने वाले, कुम्हार, जुलाहा, बढई, चर्मकार, तेली, ईंट बनाने वाले, स्वर्णकार, जौहरी, ताँबे का काम करने वाले, चित्रकार, बोझा ढोने वाले, भिश्ती, दर्जी, धोबी, कलाल, मदिरा बेचने वाले, माली, घूम-घूम कर वस्त्रों के विक्रेता, शिकारी, चाण्डाल, नर्तक, अभिनेता इत्यादि का उल्लेख मिलता है। वैजयन्ती के अनुसार शूद्रों की 64 जातियाँ थी।

उपर्युक्त जातियों, उपजातियों और उनके बीच ऊँच-नीच प्रबल होते भाव के बीच भारतीय समाज में विखण्डनकारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। इससे समाज और राष्ट्र-निरन्तर कमजोर हो रहा था। नाथपंथ के प्रवर्तक महायोगी गोरखनाथ इस जाति व्यवस्था के ऊँच-नीच एवं छुआ-छूत जैसी कुरीतियों के विरुद्ध तनकर खड़े हुए। उन्होंने घोषित किया कि ये कुरीतियाँ शास्त्र-सम्मत नहीं हैं। उन्होंने सभी के लिए योग का एक ऐसा सहज मार्ग प्रतिपादित किया, जो बिना भेद-भाव के ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता था और जिस पथ पर चलकर सभी मोक्ष के अधिकारी थे। नाथपंथ समरस समाज की स्थापना में धार्मिक-आध्यात्मिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया अपितु सभी जातियों के लिए धर्म-अध्यात्म-योग को सुलभ बना दिया। गोरखनाथ के इसी अभियान का परिणाम था कि भक्ति आन्दोलन में नीच कही जाने वाली जातियों के भक्त ताल ठोककर आगे आए। नाथपंथ में भी बड़ी संख्या में नीच कही जाने वाली जातियों के लोग बड़ी संख्या में दीक्षित हुए। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि नाथपंथ 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में इस्लाम के अनुयायी भी नाथपंथ में दीक्षित हुए। **नाथपंथ के प्रभाव में ही सूफी मत विकसित हुआ।** महायोगी गोरखनाथ एवं नाथपंथी योगियों ने भारतीय जाति व्यवस्था में कोढ़ की तरह व्याप्त जाति व्यवस्था के ऊँच-नीच, छुआ-छूत के विरुद्ध जो अभियान चलाया उसी का परिणाम था कि भारत की सामाजिक-राष्ट्रीय चेतना में एकता के सूत्र बचे रहे।

### गोरख ने दिया उपासना का सर्वसुलभ सहज योग

जातीय स्तरीकरण एवं श्रेष्ठतावाद के साथ-साथ पूर्व मध्य युगीन भारतीय समाज में उपासना पद्धति में जटिलता आ चुकी थी। तथाकथित उच्च वर्गीय समाज में पौरौहित्य प्रभाव के कारण भगवान की भक्ति और उनकी पूजा एक तरु जहाँ कठिन, तंत्र-मंत्र युक्त, महँगे एवं व्ययसाध्य विधान के गिरफ्त में थी, तो वही दूसरी तरु समाज का एक वर्ग बौद्ध साधना में आयी तन्त्रवादी विकृति का शिकार हो रहा था। अन्य उपासना पद्धतियाँ भी इन्हीं के प्रभाव में जटिल, पाखण्डपूर्ण और व्यय साध्य थीं। सामान्य जीवन जीते हुए, पारिवारिक-सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए



परमात्मा को प्रसन्न करने के सहज-सरल उपासना के मार्ग लगभग बन्द हो चुके थे। फलतः उपासना एवं धर्म से समाज कटता जा रहा था। आध्यात्मिकता हाशिए पर जा रही थी। भगवान और सामान्य जन के मध्य पूजा-पाठ कराने वाले पण्डित, बौद्ध भिक्षु एवं अन्य उपासना विधियों के तथाकथित पुजारी अपरिहार्य हो चुके थे। उन्हें ही माध्यम बनाकर अर्थात् उनके उपासना-विधिक सहयोग से ही अपने भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था या परमात्मा तक पहुँचा जा सकता था। इसमें भी समाज में जाति के नाम पर कुछ लोगों को धार्मिक उपासना के अनेक विधि-विधानों से वंचित किया जाने लगा था। जाति आधारित उपासना एवं कर्मकाण्डों का विधान किया जाने लगा था। गोरखनाथ ने एक झटके से उपासना विधियों एवं कर्मकाण्डों की जटिलता को नकारते हुए वंचित एवं उपेक्षित समाज को मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। महायोगी गोरखनाथ ने जन सामान्य को अपने-अपने आराध्य अथवा ईश्वर अथवा परमतत्त्व तक सीधे पहुँचने का ऐसा सरल मार्ग दिया, जहाँ किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं थी। योगी बनने के लिए एक मात्र गुरु आवश्यक था, जबकि गृहस्थों के लिए सदाचरण एवं योग की सहज विधियाँ ही पर्याप्त थीं।

गोरखनाथ ने पातञ्जल योग दर्शन को युगसम्मत बनाकर एक जीवन्त योगाचार प्रस्तुत किया। भगवान शिव के साथ-साथ अन्य देवी-देवताओं की उपासना हेतु भी योग-ध्यान का मार्ग पर्याप्त बताया। गोरखनाथ ने समस्त तार्किक विश्लेषण से ऊपर उठकर समतत्त्व की प्रतिष्ठा की। यह 'समतत्त्व' ही परमतत्त्व, परासंवित, परब्रह्म, परमपद, परमशून्य, परमशिव इत्यादि सभी विविध रूपों में समाहित था। यह मार्ग तत्त्व-चिन्तन से अधिकांश आनुभूतिक-व्यावहारिक सच्चाई, चारित्रिक निष्ठा एवं मानसिक निर्मलता पर प्रतिष्ठित था, जो विशुद्ध व्यक्तिगत प्रयत्न से पाया जा सकता था। गोरखनाथ ने समाज को उपासना एवं धर्म का ऐसा सहज-सरल रूप प्रदान किया जिसे पाने के लिए किसी को न कहीं जाना था और न किसी से मांगना था। बस सदाचरण एवं प्रत्येक स्वांस के जप से सत्-चित्त-आनन्द पाया जा सकता था।

महायोगी गोरखनाथ जी ने सामान्य जनो को, गृहस्थों को संयम से रहने का, अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग ग्रहण करने का, कथनी-करनी के अविरोध का, दया-दान, शीलाचरण का उपदेश किया और यह विश्वास दिलाया कि इसी सदाचरण से सुख शान्ति मिलेगी और परमात्मा प्राप्त होंगे। गोरखवाणी में ऐसे उपदेश भरे पड़े हैं। कथनी-करनी पर बल देते हुए गोरखनाथ जी योगवाणी में कहते हैं- कहणि सुहेली रहणि दुहेली कहणि रहणि बिन थोथी। वे आगे पुनश्च कहते हैं-

**कहणि सुहेली रहणि दुहेली बिन षायां गुण मीठा।**

**खाई हींग कपूर बषाणों गोरष कहे सब झुठा।**

गोरखनाथ जी ने सत्य, शील, दान और दया जैसे व्यावहारिक गुणों को जीवन में उतारने को ही पूजा माना। इसी के पालन का उन्होंने योगी से लेकर सामान्य जन को पालन करने का उपदेश

किया। गोरखनाथ अहंकार से बचने तथा धैर्य, शालीनता और स्थिरता का उपदेश देते हुए गोरखवाणी में कहते हैं-

**हबकि न बोलिबा ठबकि न चलिबा धीरे धरिबा पावां।**

**गरब न करिबां सहजै रहिबा भणत गोरख रावां।।**

गोरखनाथ ने धर्म के नाम पर खड़े किए गए वितण्डावाद से त्रस्त जनता को योग का मंत्र देते हुए कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया छोड़ो। प्राणायाम एवं सामान्य आसन करो। तन के साथ मन की साधना से शान्त चित्त होकर समाधि अवस्था तक पहुँचो तब जाकर निराकार, निरंजन, अलख की वह ज्योति मिलेगी और वहीं से आगे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा।

महायोगी गोरखनाथ ने उपर्युक्त जीवनोपयोगी एवं सभी के लिए स्वयं के शारीरिक-मानसिक दिनचर्या के प्रयत्न से ही योग और योग के माध्यम से धर्म और फिर मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। ऐसी उपासना पद्धति जिसमें किसी विशेष भाषा और ज्ञान की अपरिहार्यता नहीं थी। सब कुछ जीवनचर्या का हिस्सा था। ऐसा हिस्सा जो तन को स्वस्थ रख सकता था, मन को शान्त और स्थिर करता था तथा चित्त को आनन्द देता था। अपने इसी सहज मार्ग के कारण गोरख भारत ही नहीं अपितु आस-पास के देशों की जनता के दिलों के विजेता बनें। राजा से लेकर फकीर तक नाथपंथ की योगधार में प्रवाहमान हुए।

### **मृत्यु पर जय से मोक्ष तक का सहज मार्ग प्रदाता नाथपंथ**

सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव के साथ ही मानव ने मृत्यु का साक्षात्कार किया। जन्म-मृत्यु उसके विचार-दर्शन का सदैव केन्द्र बिन्दु रहा। दुनिया की सभी उपासना-पद्धतियों, पांथिक विचार-दर्शनों एवं दार्शनिकों ने 'मृत्यु के बाद के संसार' को अपने-अपने अनुभव, तर्क और ज्ञान के आधार पर समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। अपनी साधना एवं तपस्या के बल पर भारतीय ऋषियों ने भी ऐहिक जीवन के साथ-साथ पारलौकिक जीवन अर्थात् मृत्युलोक एवं परलोक को समझने, जानने और देखने का बहुविध प्रयत्न किया। अन्ततः भारतीय सनातन संस्कृति ने जीवन का अन्तिम उद्देश्य या यो कहें जीवन का साध्य 'मोक्ष' अर्थात् 'जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति' को माना। भारत की सभी प्रमुख पांथिक-धाराओं एवं विचार-दर्शनों ने इस 'मोक्ष' के स्वरूप को अपने-अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है तथा इसे प्राप्त करने के मार्ग सुझाए हैं।

ऐहिक जीवन में सुख-सम्पत्ति तथा पद-प्रतिष्ठा पाने हेतु देवोपासना में शरणागत मनुष्य अन्ततः जीवन के अन्तिम सोपान पर 'मोक्ष' अथवा 'मुक्ति' हेतु लालायित हो जाता है। साधु-सन्त, योगी, ज्ञानी, अज्ञानी, गृहस्थ सभी को अन्ततः 'मोक्ष' या मुक्ति का अमृत घट चाहिए, जिसे प्रत्यक्ष दिखा पाने में आज तक मनुष्य सफल नहीं हो पाया है। परलोक की इस अदृश्य दुनिया की यात्रा करने

के लिए देवी-देवाओं को प्रसन्न करने के नाम पर भी उपासना-पद्धतियों में पाखण्ड-आडम्बर बढ़े। सामान्यतः भारतीय समाज में छुआ-छूत की विकृति आ जाने के कारण भारत के सामाजिक जीवन में अछूत कहे जाने वाले, अनेक उपासना पद्धतियों से वंचित समाज को मोक्ष का अधिकारी ही नहीं माना गया। नाथपंथ के प्रवर्तक महायोगी गोरखनाथ ने सभी के लिए 'मुक्ति' अर्थात् 'मोक्ष' पाने का सहज मार्ग प्रस्तुत किया। गोरख का 'योग' ऐहिक-पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन पर विजय पाने का मार्ग है। गोरक्ष-सिद्धान्त संग्रह में कहा गया है-शिवभाषित कैवल्यरूप मोक्ष सिद्धमार्ग में सुलभ है। यह निष्कल, निर्मल, स्वात्मप्रकाश जीवरूप में अवभासित है। यथा- **स्वात्मप्रकाश रूपतत् किंशास्त्रेण प्रकाश्यते।** गोरखनाथ कहते हैं कि काम, क्रोध, भय और चिन्ता द्वारा आवृत्त होने से मुक्त होने की अवधि तक जीव को शिवत्व अर्थात् मोक्ष प्राप्त नहीं होता। केवल ज्ञान से भी सिद्धि नहीं पायी जा सकती। गोरखनाथ कहते हैं-मात्र ज्ञान या शास्त्रों द्वारा कामक्रोधादि पर विजय पाना सम्भव नहीं है, योग के द्वारा ही कामक्रोधादि विषयजनित प्रवृत्तियों पर विजय पायी जा सकती है। **अतः योग के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है।**

**योगबीज** में उल्लेख मिलता है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा- 'अज्ञान से संसार की सत्ता है और ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर योग का प्रयोजन क्या है?' इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव के माध्यम से 'योगबीज' ग्रन्थ कहता है- स्वात्मस्वरूप परिपूर्ण है। इसी पूर्णता के कारण वह सकल और निष्कल अर्थात् अंशयुक्त और अंशहीन कहा जाता है। संसारभ्रम के कारण अज्ञानी संसारी जीव कलायुक्त मोह के सागर में पतित होता है। ज्ञानी भी अपने ज्ञान-संसार की वासना में लिप्त हो जाता है। अतः योग के बिना ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, इन्द्रियजयी के लिए भी मुक्ति सम्भव नहीं है। यथा-

**ज्ञाननिष्ठो विरक्तोदपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः।**

**विनायेगेनदेवोदपि न मोक्षं लभते प्रिये॥**

नाथपंथ ने स्पष्ट किया कि योगाग्नि के बिना मुक्तिलाभ सम्भव नहीं है, इसके बिना वैराग्य एवं जपादि मिथ्या है। सप्तधातुमय देह को योगाग्नि द्वारा तपा कर योगदेह प्राप्त करने वाला मानव जीव-मुक्त, दोषवर्जित, निर्लेप, सदा स्वरूपस्थ होता है। नाथपंथ के अनुसार योग मोक्षप्रद मार्ग है अर्थात्- **योगात् परसरो नास्ति मार्गस्तु मोक्षदः।** वस्तुतः नाथपंथ में सभी को योग की साधना के बल पर मोक्ष अर्थात् मुक्ति का मार्ग सुलभ है।

**समाज की सिसकी न सुनी तो सिद्धि-साधना व्यर्थ**



नाथपंथ का सार यही उद्घाटित करता है कि वह योगी कैसा जिसे समाज की पीड़ा सुनाई न दे। सुनकर वह उसे दूर करने के लिए समाज के साथ खड़ा न हो और उसका मार्गदर्शन न करें। समाधान तक सामाजिक-संघर्ष का साथी न बनें। यदि ऐसा नहीं है, अर्थात् दुःख-दर्द अथवा पीड़ा से उत्पन्न समाज की सिसकी सिद्ध योगी अगर न सुनें न तो उसका सारा ज्ञान, सारी साधना और सिद्धियाँ व्यर्थ हैं। इसी समाज-दर्शन पर केन्द्रित नाथपंथी प्रमुख योगियों ने अपनी आध्यात्मिक साधना को लक्ष्य करते हुए सामाजिक चेतना से कभी अपने को विरत नहीं किया। यही कारण है कि नाथपंथ के युग प्रवर्तक योगी योग-साधना के मार्ग में अविश्रान्त बढ़ते हुए अपने व्यक्तित्व को निर्मल बनाते हुए दूसरों के अनुकरण योग्य बने रहे। समाज को गतिशील बनाए रखने के लिए आदर्शानुकूल आचरण के वे आज भी पक्षधर हैं। कथनी-करनी की एकरूपता नाथपंथी योगियों की विशेषता भी है और वे इस पर पर्याप्त जोर देते हैं। ज्ञान और कर्म की एकरूपता की राही नाथपंथी साधना की चरम परिणति घर-घर व्यापी उस अनन्त चेतना का अनुभव करना और तदनु रूप व्यवहार करना है।

नाथपंथ मानता है कि समाज और उसकी समस्याओं से भागना साधना नहीं है। वास्तविक योग-साधना समाज के संघर्ष को झेलते हुए, समाज को उससे निजात पाने का मार्ग दिखाकर आगे ले जाना है। परमतत्त्व का बोध समाज को संकीर्ण परिधि से बाहर निकालकर ही किया जा सकता है और समाज को भी कराया जा सकता है।

गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगमार्ग वह साधना का पथ है जिस पर चलकर सम्प्रदायगत संकीर्ण मनोवृत्तियों का नाश किया जा सकता है तथा वृहत् संवेदनशील लोककल्याणकारी मानव-समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। नाथों का यह अलौकिक व्यक्तित्व ही था, जो विजेता बर्बर मुसलमानों को भी अपना अनुयायी बनाने में सफल हुआ। उदाहरण बाबा रतननाथ, बालगुदई और सिद्ध गरीबनाथ के अनुयायी मुसलमान योगियों की श्रद्धाशीलता उल्लेखनीय है। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की जिस भावना का प्रबल प्रचार कबीर आदि सन्तों ने किया उसकी नींव नाथपंथी योगियों ने ज्ञान-कर्म की एकरूपता पर आधारित अपनी समाज-केन्द्रित सहज साधना पद्धतियों से पहले ही डाल रखी थी। घट-घट वासी आत्मतत्त्व की सहज आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के साथ प्रेम, करुणा, अहिंसा, संयम और सन्तोष को योग, उपासना एवं भक्ति का अस्त्र बनाकर नाथपंथ के योगियों ने मानव-मानव में एकरसता का संदेश दिया। वे दया एवं करुणा के गीत गाते समाज के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा स्तम्भ बनें।

गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथपंथ ने ज्ञान-कर्म के इसी अपने विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्त पर ऊँच-नीच का भेद खत्म किया। धनी हो या दरिद्र, ब्राह्मण हो या शूद्र, बौद्ध हो या जैन, हिन्दू हो या मुसलमान वे सभी को समान दृष्टि से स्वीकार्य उपासना का सहज मार्ग 'योग' का प्रतिपादन किया।

गोरखनाथ ने स्वस्थ मन से हँसते-गाते परमतत्त्व की प्राप्ति का सहज मार्ग दिखाते हुए घोषित किया कि काम-क्रोध आदि विकारों से रहित मन योग के बल पर दृढ़ होकर जब आत्मा में झांकता है तो परमात्मा उसे उसी प्रकार दिखाई पड़ता है जैसे जल में चन्द्रमा अर्थात्-आत्मा मध्ये परमात्मां दीसैं ज्यो जल मध्ये चन्दा।

महायोगी गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित यह सहज उपासना पद्धति जिसमें आत्मतत्त्व प्रधान था, जिसमें कोई कर्मकाण्ड एवं विधि-विधान नहीं था, सर्व स्वीकार्य था, सर्वसुलभ था और सभी व्यक्तियों के लिए करणीय था। नाथपंथ की इसी सहज उपासना का समाज दिवाना था।

गोरखनाथ जी कहते हैं मानव शरीर मन्दिर अथवा मठ है। इस शरीर रूपी मढ़ी में मन रूपी योगी निवास करता है। मन महान योगसाधक है। जिस तरह योगी के शरीर पर कन्था (वस्त्र) रहती है, उसी तरह मन रूपी योगी पाँच तत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, गगन और वायु के संयोग से निर्मित परिधान से आवेष्टित रहता है। काया रूपी मन्दिर में रहने वाले मन रूपी योगी के लिए कर्म ही उसकी पूजा है, यही उसका धर्म है, यही उसका परमात्मतत्त्व तक पहुँचने का साधक है।

#### नाथपंथ में क्रियात्मक योग -

महायोगी गोरखनाथ एवं नाथपंथ के योगियों ने मानव समाज को योग का अमूल्य उपहार दिया। नाथपंथ के इन योगियों ने योग-दर्शन को क्रियात्मक योग में बदलकर सम्पूर्ण मानव समाज के तन-मन को स्वस्थ रखने एवं साधने का अचूक मंत्र दिया। इनके पूर्व योग-विद्या कुछ योगियों, मुनियों, संन्यासियों के व्यवहार में तो थी, किन्तु समाज के समक्ष यह दर्शन का गूढ़ तत्त्व बना हुआ था। मानव-कल्याण को समर्पित नाथपंथ ने योग-दर्शन एवं साधु-सन्तों, योगियों-मुनियों, तपस्वियों की शरीर साधना का समन्वीकरण कर योग को ही साधना बना दिया। योग की गूढ़ देशना को व्यावहारिक बनाया, उसे विकसित कर तन-मन को साधने का विज्ञान बना दिया। आज का वर्तमान योग-विज्ञान एवं क्रियात्मक योग महायोगी गोरखनाथ एवं उनके द्वारा प्रवर्तित नाथपंथी योगियों की देन है।

योग भारत की अत्यन्त प्राचीन आध्यात्मिक विद्या है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों में योगी एवं योग-मुद्राओं का प्रमाण उपलब्ध है। वैदिक संहिताओं, आरण्यकों, उपनिषदों में प्राप्त श्रमणों एवं तपस्वियों के विचार-दर्शन में योग के सूत्र दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में मुनि, यति, श्रमण का उल्लेख बाद के योगी परम्परा के ही आरम्भिक स्वरूप का परिचायक है। महाभारत भी भारतीय योग-परम्परा को रेखांकित करने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। सांख्य-दर्शन के प्रवर्तक कपिल भी योग-दर्शन के ऋषि हैं। कपिल का सांख्य योग प्राचीनतम योग-दर्शन है।

योग को व्यवस्थित एवं विकसित दर्शन के रूप में सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग-दर्शन नाम से लिपिबद्ध किया। इसके बाद से भारत में योग-दर्शन पतंजलि के नाम से जाना जाने लगा। पातंजलि योग ऋषियों-मुनियों-तपस्वियों के आश्रमों तक सिमटा रहा तथा सामान्य जन के लिए यह अब भी गूढ़-दर्शन के रूप में दुरूह एवं असाध्य माना जाता था। महायोगी गोरखनाथ ने पातंजलि योग-दर्शन को प्रवर्धित एवं विकसित किया। उसके व्यावहारिक अर्थात् करणीय पक्ष का शब्द दिया। योगियों के साथ जनता के द्वार तक योग को पहुँचाया। भारत सहित दुनिया में आज जो योग-साधना प्रचलित है उसके प्रमुख प्रवर्तक आचार्य महायोगी गोरखनाथ ही हैं।

महायोगी गोरखनाथ ने योग के शारीरिक, मानसिक नैतिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन की ऐसी जीवन पद्धति बनायी जिसके द्वारा मन एवं शरीर पर पूर्ण नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। नाथपंथ द्वारा विकसित योग-पद्धति के बल पर व्यक्ति न केवल अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है अपितु इन्द्रियेतर तथा प्रकृति के क्रियाकलापों पर आध्यात्मिक अंकुश भी लगा सकता है।

आज का मानव जीवन आपा-धापी से भरा हुआ है। आधुनिक जीवन-पद्धति की जटिलताओं के कारण तथा भौतिकवादी जीवन पद्धति के अनवरत विकास से मानव-जीवन में मानसिक तनाव बढ़ा है। मनुष्य अपनी महत्त्वाकांक्षा पर नियंत्रण पाने में असमर्थ हो रहा है। शारीरिक स्वस्थता भी दुष्प्रभावित हो रही है। जीवन का चैन छिनता जा रहा है। इस आधुनिक युग में महायोगी गोरखनाथ का योग रामबाण बनकर उभरा है। महत्ता इतनी कि योग पर एक बार फिर दुनिया फिदा हो चुकी है। महायोगी गोरखनाथ एवं नाथपंथ के योगियों द्वारा प्रतिष्ठित योग ने मानव को अपने तन एवं मन को साधने का ऐसा अचूक नुस्खा दिया है जो युग-युगान्तर तक प्रासंगिक एवं उपयोगी बना रहेगा।

**नाथपंथ : सेवा भी जहाँ साधना है-**

मानव-जीवन के परम-लक्ष्य मोक्ष अर्थात् मुक्ति के लिए नाथपंथ ने योगाधारित तन-मन की जो साधना विकसित की, लोक-कल्याण उस साधना का प्रबल पक्ष है। नाथपंथ ने सुसभ्य, सुसंस्कृत, स्वस्थ समाज की रचना ही लोक-कल्याण का स्थायी मार्ग माना। समरस- संवेदनशील समाज लोक-कल्याण को समर्पित होगा। ऐसा समाज सेवा-भावी होगा। सेवा-भावी समाज दुःख से मुक्त आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का समाज होगा। इसी सामाजिक परिवेश में नाथपंथी योग-साधना अपने चरम-लक्ष्य तक पहुँचेगी। स्वाभाविक रूप से नाथपंथ ने सेवा-साधना के बल पर लोक-कल्याण और योग-साधना के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया।

श्रीगोरक्षपीठ एवं श्रीगोरखनाथ मन्दिर की महन्त-परम्परा सेवा एवं योग साधना का समन्वित नाथपंथी प्रतिमान है। ऐसा प्रतिमान जो भारत की सनातन संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस



पीठ ने बीसवीं शताब्दी में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को मानव-सेवा का प्रस्थान बिन्दु मानकर अपनी युगानुकूल भूमिका का विस्तार किया। गो-सेवा इस पीठ का प्रारम्भ से ही अधिष्ठान रहा है। महन्त दिग्विजयनाथ जी ने 1932ई. में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् की नींव रखी। 1948 ई. तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् ने प्राथमिक से लेकर उच्चशिक्षा तक की शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना कर दी। भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकसित ये शिक्षण संस्थाएं भी आजाद भारत में शिक्षण-संस्थान का माडल बनी। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना इसी सेवा-साधना के संकल्प का परिणाम था। इस क्षेत्र में प्रथम महिला महाविद्यालय, (महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय की स्थापना का हिस्सा बन गया) तकनीकी शिक्षा के लिए प्रथम पालीटेक्निक (महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर 1956ई.), प्रथम आयुर्वेदिक कालेज (दिग्विजयनाथ आयुर्वेदिक कालेज, 1971ई) की स्थापना का श्रेय श्री गोरक्षपीठ को ही। वर्तमान में श्री गोरखनाथ मन्दिर द्वारा संचालित 44 सेवा-संस्थानों में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएं, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के संस्थान, तकनीकी ज्ञान-विज्ञान के संस्थान, कृषि के वैज्ञानिक विकास हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, गो-सेवा एवं दरिद्र नारायण सेवा जैसी संस्थाएँ संचालित हैं। मानव-पशु-पक्षी सहित सेवा के सभी आयामों पर श्रीगोरखनाथ मन्दिर कार्य करता है। श्री गोरक्षपीठ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं गाँव के गरीब, मजबूर, असहायों तक निःशुल्क चिकित्सा पहुँचाने में श्री गोरखनाथ मन्दिर अहर्निश जुटा हुआ है। प्रतिवर्ष लगभग 750 छात्र-छात्राओं एवं खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, लगभग 500 विद्यार्थियों के निःशुल्क छात्रावास में रखकर वस्त्र, भोजन एवं पढ़ाई की सम्पूर्ण व्यवस्था, प्रतिवर्ष लगभग 5000 रोगियों का निःशुल्क उपचार, लगभग 2000 गरीबों का निःशुल्क आंख का आपरेशन तथा गरीब एवं असहायों की आर्थिक सहायता श्रीगोरक्षपीठ की सेवा-साधना अभियान का हिस्सा है। वस्तुतः दीन-दुखियों की सेवा भी नाथपंथ की साधना का एक प्रमुख अंग है।

श्री गोरखनाथ मन्दिर का भण्डारा सभी के लिए खुला होता है। प्रतिदिन महायोगी गोरखनाथ को भोग लगाने के बाद आस-पास के सभी के सहभोज हेतु भण्डारा खुल जाता है। प्रतिदिन लगभग 500 से अधिक दीन-दुखी, गरीब प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। मन्दिर की गोशाला में गो-सेवा का अपना विशिष्ट माडल है। वर्ष भर के पर्व-त्योहार पर श्री गोरखनाथ मन्दिर एवं उसके महन्त का सामाजिक सहभाग भी अपने तरह का अनूठा है। विजयादशमी पर्व पर श्रीराम का राजतिलक, शस्त्रपूजन, शोभा-यात्रा, महाशिवरात्रि पर्व पर भव्य-आयोजन, कृष्ण-जन्माष्टमी पर कृष्ण-जन्मोत्सव, दीपावली पर एक दीप शहीदों के नाम के साथ दीपोत्सव एवं बनटांगियों के साथ गोरक्षपीठाधीश्वर का दीपावली मनाना, होली में भगवान नृसिंह की पूजा के साथ होलिका दहन के जुलूस में सम्मिलित होना तथा भगवान नृसिंह के रथ पर सवार होकर हजारों की संख्या में होलिकोत्सव मनाती जनता के साथ महानगर के साथ रंग खेलना इस पीठ के सामाजिक सहभाग के कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं।

श्री गोरखनाथपीठ योग को जन-जन तक पहुँचाने हेतु मासिक पत्रिका योगवाणी का प्रकाशन, लोगों के सुख-दुख में सम्मिलित होने, लोक-कल्याण से जुड़े हर धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक विषय पर सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा जन-सरोकारों से जुड़ी हुयी है। श्री गोरक्षपीठ ने एकान्तिक योग-साधना के साथ-साथ सेवा और सामाजिक सहभाग का माडल देश-दुनिया के मठ-मन्दिरों के लिए प्रस्तुत किया है। नाथपंथ की यह सर्वोच्च धर्मपीठ नाथपंथ के वैचारिकी, भारतीय सनातन संस्कृति के मूलतत्त्व एवं 'हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयता' के वैचारिक अधिष्ठान का संगम है।

### गोरखबानी में समाज-दर्शन के महत्त्वपूर्ण समाजोपयोगी अंश-

मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि उसका अधिक से अधिक सदुपयोग हो। यह जीवन व्यर्थ और निष्फल न चला जाए। राग-रंग एवं आनन्दोत्सव के साथ घर-परिवार-समाज में रमण करते हुए हँसते-हँसते परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। संसारी जीव अनासक्त रहते हुए परब्रह्म परमात्मा का निरन्तर ध्यान-चिन्तन-स्मरण करता हुआ उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हँसते-खेलते हुए जो मानव मन को वश में रखता है वह निश्चिन्त होकर सदैव 'नाथ' अर्थात् परमात्मा के साथ रहता है। यथा -

हसिबा षेलिबा धरिबा ध्यान। अहनिंसि कथिबा ब्रह्म गियान।  
हसै लै न करै मन भंग। ते निहचल सदा नाथ के संग॥

सबदी-8

बाल्यावस्था और युवावस्था में जो मनुष्य संयमित जीवन व्यतीत करते हैं, मन को वश में रखते हैं, इन्द्रिय पर नियन्त्रण रखते हैं, समय-असमय की दोनो परिस्थितियों में सदाचरण का आश्रय लेते हैं, शीघ्र भोजन प्राप्त करने वाले अल्पाहारी होते हैं, उनका शरीर 'नाथ' अर्थात् परमात्मा का हो जाता है। यथा -

बालै जोबनि जे नर जती, काल दुकाला ते नर सती।  
फुरीं भोजन अलप अहारी, नाथ कहै सो काया हमारी॥

सबदी-20

नाथपंथ में शब्द-साधना अर्थात् वाणी का अत्यन्त महत्त्व है। गोरखनाथ कहते हैं कि शब्द ही ताला है, शब्द ही वह कूची अथवा ब्रश है जो प्रतिमा का निर्माण करता है अथवा शब्द ही वह कुंजी है जो अपने (व्यक्तित्व) को खोलता है। शब्द के द्वारा ही सभी को जाग्रत किया जाता है अर्थात् शब्द या वाणी के द्वारा ही उपदेश किया जा सकता है। शब्द के द्वारा ही सूक्ष्म शब्द से परिचय हो जाता है। तब स्थूल शब्द सूक्ष्म मूल शब्द में समा जाता है। वस्तुतः नाथपंथ में शब्द अर्थात् वाणी का महत्त्व

प्रतिपादित किया और बताया कि शब्द या वाणी का प्रयोग दूसरों को सुख पहुँचाने, मार्ग दिखाने एवं आत्मसाक्षात्कार करने के लिए है। यथा -

सबदहि ताला सबदलह कूँची, सबदलह सबद जगाया।  
सबदलह सबद सूँ परचा हुआ, सबदलह सबद समाया।

सबद-27

नाथपंथ में संयमित जीवन का सबसे बड़ा सूत्र शब्द-अन्न संयम है। महायोगी गोरखनाथ का कहना था 'मितभाषी और अल्पाहारी के शरीर में ही प्राण वायु का नियमित प्रवेश होता है।' यथा -

थोड़ा बोलै थोड़ा घाइ तिस घटि पवनां रहै समाइ।

सबदी-32

स्वस्थ शरीर का मंत्र देते हुए नाथपंथ के योगी कहते हैं कि 'युक्त आहार एवं आवश्यक नींद से निरोगी काया पाई जा सकती है।' यथा -

अवधू आहार तौड़ौ निद्रा मोड़ो कबहुँ न होइगा रोगी।

सबदी-33

नाथपंथ ज्ञान के साथ कर्म का, कथनी के साथ करनी का, दर्शन के साथ व्यवहार का और शास्त्र के साथ स्वरूप का समर्थक है। महायोगी गोरखनाथ कहते हैं - 'हे पंडित! जिसको तुमने पढ़कर देखा है, उस सार-ज्ञान में रहकर (जीकर) भी देखा। भवसागर से पार उतरने के लिए कोरे ज्ञान से अधिक अपना कर्म महत्त्वपूर्ण है। घर-घर में ब्रह्म की ज्योति जगमगा रही है। इस प्रकाश के अपने ही भीतर जलते होने भी यह मार्ग पशु को दिखाई नहीं पड़ता।' यथा -

पढ़ि देखि पौडत रहि देशिसारं। अपणी करणों उतरिवा पार।

बदंत गोरखनाथ धू साशी। धरि धरि दीपक (बलै) शणि पसू न (पेशे) आंधी।।

सबदी-59

सदाचरण एवं मन की पवित्रता पर नाथपंथ के योगियों का अत्यधिक बल है। उनके अनुसार मन के शुद्ध, संयमित और पवित्र विचारों से घर में कठवत का जल भी गंगाजल है क्योंकि गंगा-स्नान एवं गंगा जल के उपयोग से जो फल बताये गये हैं वे मन की शुद्धता से स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। माया के बन्धन में पड़े हुए मन को मुक्त करने वालों का संसार अनुयायी होता है। यथा -

अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा। बांध्या मेल्ला तो जगन्न चेला। सबदी-153

शाकाहार के पक्षधर नाथपंथ के योगी मांसाहार को समाज-हित के प्रतिकूल मानते हैं। उनका कहना कि मांसाहार हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इससे मनुष्य में दया-भाव, धर्म अर्थात् सद्-व्यवहार अथवा सदाचार-सत्कर्तव्य का नाश होता है। इसी प्रकार जो प्राणी मदिरा का सेवन करता है उसकी प्राणशक्ति क्षीण होती है, शरीर विकारग्रस्त होता है। जो प्राणी भाँग का सेवन करता है, वह ज्ञान और ध्यान दोनों से वंचित हो जाता है। मांसाहारी तथा मदिरा एवं भाँग का सेवन करने वाले मनुष्य की बुद्धि विकृत होती है, वह अपने पापकर्म के कारण नरकगामी होकर यमराज के सम्मुख रोता है।

यथा -

अवधू मांस भशत दया धरम का नास। मद पीवत तहां प्राण निरास।  
भागि भशत ग्यानं ध्यानं पोवंत। जम दरबारी ते प्राणी रोवंत।।

सबदी-165

इस प्रकार अंत में गुरु श्रीगोरखनाथ कहते हैं जीव और ब्रह्म का एक ही साथ निवास है। इसलिए जीव-हत्या कर रक्त-मांस का सेवन मत करो। प्राण-घात मत करो। सबको अपने ही गोत्र या कुल का समझो। सभी प्राणियों को अपने पुत्रों के समान देखो।

जीव सीव संगे बासा। बधि न पाइबा रूध्र मासा।  
हंसघात न करिबा गोतं। कथंत गोरश निहारि पोत।

सबदी-227

### सन्दर्भ-ग्रन्थ

1. **अमनस्क योग** : महायोगी गोरक्षनाथ प्रणीत, संपादक - रामलाल श्रीवास्तव, गोरखनाथ-मंदिर, गोरखपुर, वर्ष-2037 वि. संस्करण-1।
2. **कठोपनिषद्** : शाङ्कर भाष्य सहित, गीता प्रेस गोरखपुर, संस्करण-17।
3. **केनोपनिषद्** : गीता प्रेस गोरखपुर, संस्करण-वि.सं. 2036, 1979 ई.।
4. **गोरक्ष पद्धति** : अनुवादक-महीधर शर्मा, प्रकाशक एवं मुद्रक-खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष-श्री वेंकटेश्वर, स्टीम प्रेस, 7वीं. खेतावड़ी, बंबई समय संवत् 2024 तथा गोरखनाथ मंदिर का प्रथम संस्करण, 2041 वि.।
5. **गोरक्ष शतक** : गोरक्षनाथ प्रणीत, प्रकाशक-गोरखनाथ-मंदिर, गोरखपुर, संस्करण-1, सं. 2038।



6. **गोरक्ष संहिता** : गोरक्षनाथ, प्रथमों भाग : द्वितीयों भाग: प्रधान संपादक- डॉ. भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश: शास्त्री', प्रकाशक-संपूर्णानंद विश्वविद्यालय (प्रकाशन विभाग) वाराणसी-221002, उ.प्र., प्रथम संस्करण-1976 ई. विक्रमी-2033।
7. **गोरक्ष सिद्धांत संग्रह** : श्री जनार्दन शास्त्री पांडेय (संपादक) प्रकाशक : गवेषणालयस्य, वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालये, प्रथमं संस्करणम्, 2029 विं।
8. **घेरंड-संहिता** : घेरंड ऋषि, संपादक-डॉ. चमन लाल गौतम, प्रकाशक-संस्कृति संस्थान-बरेली संस्करण-1, वर्ष-175 ई.।
9. **योग बीज** : प्रणेता-शिव गोरक्ष महायोगी गोरक्षनाथ टीकाकरण तथा संपादक-श्रीरामलाल श्रीवास्तव, प्रकाशक-गोरखनाथ-मंदिर, गोरखपुर, संस्करण-1, वर्ष-2039 विं।
10. **विवेक मार्तंड** : प्रणेता-श्री शिवगोरक्ष महायोगी गोरखनाथ, टीकाकार तथा संपादक-रामलाल श्रीवास्तव, प्रकाशक-गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, संस्करण-1, वर्ष-2040।
11. **श्वेताश्वतरोपनिषद्** : शाङ्कर भाष्य, गीता प्रेस गोरखपुर, संस्करण-10।
12. **शिव संहिता** : शिव संहिता विशेषांक योगवाणी, गोरखपुर मंदिर, गोरखपुर वर्ष-10, अंक-1 जनवरी-1985 ई.।
13. **सिद्धसिद्धांतपद्धति** : प्रणेता-शिवगोरक्ष महायोगी गोरखनाथ टीकाकार तथा संपादक-रामलाल श्रीवास्तव, प्रकाशक-गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर संस्करण-1, संवत् 2038 विं।
14. **हठयोगप्रदीपिका** : हठयोग विशेषांक योगवाणी, वर्ष-6, जनवरी-1981, अंक-1, में प्रकाशित, गोरखपुर-मंदिर, गोरखपुर।
15. **आदर्श-योगी** : श्री श्री योगिराज गंभीराज चरितामृत लेखक-अक्षयकुमार बंधोपाध्याय, अनुलेखक-अध्यापक श्री रघुनाथ शुक्ल, प्रकाशक-दिग्विजयनाथ ट्रस्ट गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, वि.सं. 2017।
16. **उत्तरी भारत की संत परंपरा** : आचार्य परशुराम चतुर्वेदी प्रकाशक-भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, संस्करण-3, वर्ष-1972 ई.।
17. **गोरख-दर्शन** : (श्री अक्षयकुमार बनर्जी कृत फिलास्की ऑव गोरखनाथ का हिंदी अनुवादक-श्याम बिहारी स्वरूप प्रकाशक-महंत अवेद्यनाथ, दिग्विजयनाथ न्यास, गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, संस्करण-2038 विं।)
18. **गोरखबानी** : गोरखनाथ, संपादक एवं टीकाकार-डॉ. पितांबर दत्त बड़धवाल, प्रकाशक-हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम संस्करण, वर्ष-1999 विं।
19. **गोरखनाथ और उनका युग** : डॉ. रांगेय राघव, प्रकाशक-आत्मा राम ऐंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6, वर्ष-1963, संस्करण-1।

20. गोरखनाथ (नाथ संप्रदाय के परिप्रेक्ष्य में) डॉ. नागेंद्रनाथ उपाध्याय, प्रकाशक-नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रथम सं. 2033।
21. गोरक्षनाथ एवम् उनकी परंपरा का साहित्य : डॉ. दिवाकर पांडेय, प्रकाशक- शोध संस्थान-गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, संस्करण-1, वर्ष-1981 ई।
22. नव नाथ चौरासी सि) : योगी नरहरि नाथ, योगप्रचारिणी महासभा, शिवनाथ बगीचा, श्रीनगर गोंदिया, महाराष्ट्र संस्करण-1968 ई।
23. नाथ और संत साहित्य (तुलनात्मक अध्ययन) डॉ. नागेंद्रनाथ उपाध्याय काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन, संस्करण-1, वर्ष-1968 ई।
24. नाथ पंथ और निर्गुण संत काव्य : डॉ. कोमल सिंह सोलंकी, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा संस्करण-1, वर्ष- 1966 ई।
25. नाथ-योग : मूल लेखक-अक्षयकुमार बनर्जी, अनुवादक-डॉ. रामचंद्र तिवारी, दिग्विजयनाथ-ट्रस्ट गोरखनाथ-मंदिर, गोरखपुर, संस्करण-2, वर्ष-1968 ई।
26. नाथ संप्रदाय : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोकभारती प्रकाशन, 15-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, संस्करण-3, वर्ष-1981 ई।
27. नाथसिद्धों की बानियाँ : प्रधान संपादक-रुद्रकाशिकेय, संपादक- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, संस्करण-2, वि.सं. 2035।
28. बौद्ध धर्म दर्शन : आचार्य नरेंद्रदेव, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना-4, द्वितीय संस्करण, वि.सं. 2028, सन् 1971।
29. भारतीय दर्शन : आचार्य बलदेव उपाध्याय, संस्करण-7, शारदा-मंदिर, काशी।
30. भारतीय साधना की धारा : म.पं. गोपीनाथ कविराज, अनुवादक-पं. हंसकुमार तिवारी, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्-पटना-800004 संस्करण-1।
31. श्री शंकराचार्य : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण-2, वर्ष 1963 ई।



# भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा

डॉ. कृष्ण कुमार\*

**सार-संक्षेप :** प्राकृतिक अनुराग और प्रकृति संरक्षण की चिरन्तन शाश्वत धारा है भारतीय संस्कृति। प्रकृति अनुराग हमारी पुरातन संस्कृति में इस प्रकार रचा-बसा हुआ है, इस प्रकार समाया हुआ है कि हम प्रकृति से अपने अलग अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे ऋषियों ने सरिताओं को दूषित करने और वृक्षों को काटने के लिए वर्जनाएँ कीं, जिसका मूल मन्तव्य मात्र प्राकृतिक सम्पदाओं को अपने और भावी पीढ़ियों के लिए अक्षुण्ण रखना था। आधुनिक सतत विकास की अवधारणा की खोज भारतीय वाङ्मय में की जा सकती है। यही हमारे ऋषियों की धाती है, जो आज भी प्रासंगिक और समीचीन है। परन्तु आज मूल्य बदल गये हैं। हम अपनी सांस्कृतिक वाणी सुन पाने में असमर्थ हैं और आज इसी का कुफल है कि प्रकृति के भरपूर दोहन की होड़ मची है। प्राकृतिक शक्तियों में दैवीय स्वरूप की अवधारणा, मात्र इंगित करती है कि हम इसकी रक्षा करें, इनसे अनुराग रखें और स्वस्थ, सन्तुलित जीवनयापन करें।

**बीज शब्द :** संस्कृति, पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख, वाङ्मय, संसाधान, अन्ध-धार्मिकता, नैसर्गिक-चक्र, वर्जनाएँ, अभिशप्त।

प्राकृतिक अनुराग और प्रकृति संरक्षण की चिरन्तन, शाश्वत धारा है भारतीय संस्कृति। प्रकृति अनुराग हमारी पुरातन संस्कृति में इस प्रकार रचा-बसा हुआ है, इस प्रकार समाया हुआ है कि हम प्रकृति से अपने अलग अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सच यह है कि हम प्रकृति के अनिवार्य और अविभाज्य अंग हैं। हम प्रकृति से और प्रकृति हमसे अलग रह-सह नहीं सकते।

भारतीय मनीषियों ने समूची प्रकृति ही क्या, सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना। ऊर्जा के अपरिमित स्रोत को देवता माना- 'सूर्य देवो भव'। वस्तुतः सूर्य हमारे इस ग्रह का जीवनदाता है। बिना उसके वनस्पतियों का और परोक्ष रूप से अन्य जीवों का अस्तित्व असम्भव है तभी तो वैदिक ऋषि कल्पना करता है कि सूर्य से कभी हमारा वियोग न हो-

**‘नः सूर्यस्य संदृशे मा युयोधाः।’<sup>1</sup>**

सूर्य को स्थावर-जंगम की आत्मा कहा गया है। यथा-

\*असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय डिग्री कॉलेज, सुकरौली, कुशीनगर

**‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’<sup>2</sup>**

उपनिषदों में सूर्य को प्राण की संज्ञा दी गयी है-

**‘अदिव्य ह वै प्राणः’<sup>3</sup>**

वस्तुतः सूर्य सभी प्राणियों में, वनस्पतियों में जीवन का संचार करता है। सागरों की गोद में आज से अरबों वर्ष पूर्व जीवन का जो आदि रूप पनपा, उसमें सूर्य-रश्मियों ने ही जीवन का संचार किया तब से निरन्तर यह प्रक्रिया जारी है। वनस्पतियाँ सूर्य-रश्मियों से ऊर्जा लेकर अपना आहार तैयार करती हैं और उन्हीं से अन्य पराश्रयी जीव-जन्तु अपना भरण-पोषण करते हैं। ऐसे जीवनदाता के रूप में किसी दैवी शक्ति के प्रतीक रूप की कल्पना भारतीय मनीषियों ने की तो यह सर्वथा समीचीन थी। हमारे शाश्वत मूल्यों के संवाहक आज भी यही प्रयास करते हैं कि घर का द्वार पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो ताकि सूर्य का प्रकाश सम्पूर्ण रूप में वहाँ पहुँच सके। यथा-

**‘प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वाऽभिमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्’<sup>4</sup>**

और

**‘प्राग्द्वारमुदग्द्वारं वा सूतिकागारं कारयेत्’<sup>5</sup>**

उपनिषदों में वायु में दैवीय शक्ति की अवधारणा निहित है। वायु ही प्राण बनकर शरीर में वास करता है। यथा- ‘वायु है वै प्राणो भूत्वा शरीरमाविशत्’। वेदों में वायु को भेषज गुणों से युक्त माना गया है-

**‘आ वात वाहि भेषज विवात वाहि यद्रपः।**

**त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे॥’<sup>6</sup>**

अर्थात्, हे वायु! अपनी औषधि ले आओ और यहाँ से सब दोष दूर करो, क्योंकि तुम ही सब औषधियों से युक्त हो।

भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना गया है। सरिताओं को जीवनदायिनी कहा गया है। कदाचित् इसी लिए आदि संस्कृतियाँ सरिताओं के किनारे उपजीं, बसीं और वहीं से विस्तार पाती गयीं। वर्जनाहीन समाज और निरन्तर पतनोन्मुखी जीवन-शैली में भले ही मूल्य बदल गये हों पर हमारी पुरातन संस्कृति में सरिताओं, तालाबों, पोखरों में मल-मूत्र के विसर्जन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

**‘नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्टोवनं समुत्सृजेत्।**

**अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा॥’<sup>7</sup>**

अर्थात् पानी में मल-मूत्र, थूक या अन्य दूषित पदार्थ, रक्त या विष का विसर्जन न करें।



इतना ही नहीं, वैदिक ऋषि पवित्र जल की उपलब्धाता की कामना करता है। यथा- ‘शुद्धा न आपस्तत्वे क्षरन्तु....।’<sup>8</sup> अर्थात् हमारे शरीर के लिए शुद्ध जल प्रवाहित होते रहें। सरोवरों में नहाने से पूर्व परम्परा यह थी कि एक कंकड़ी मारकर गंगा को जगाया जाता था, मानो गंगा सो रही हों (ऋषि गौतम का आख्यान), फिर उनका चरण स्पर्श करके जलस्रोत में शारीरिक आचमन किया जाता था। भारतीय मनीषा का एक अपूर्व, कल्पनातीत आख्यान।

गंगा हमारे लिए आम नदी नहीं है, अपितु भारतीय संस्कृति की संवाहिनी भी है। गंगा अन्तःसलिला है, उसका वास हमारे हृदय में है। वह पुण्यतोया है, अतः इसीलिए पापहारिणी भी। ऐसा शास्त्रेक्त मत है।

भारतीय मनीषा में अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जिनमें जल की महत्ता, उपादेयता और संरक्षण की चेतना विद्यमान है। यथा-

‘आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणो वा आपः पशव आपोऽब्रह्मापोऽमशतमापः सम्राडापो विराडापोः स्वराडापश्छन्दास्यापो ज्योतीर्ज्यापो यजूष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः सुवराप ओऽम्।’<sup>9</sup>

अर्थात् ‘जल ही विश्व में सर्वभूत है, जल ही प्राण है, जल ही पशु है, जल ही ब्रह्मा है, जल ही अमशत है, जल ही स्वराज्य है, जल ही वेद है, जल ही आकाश है, लोक है।’

यजुर्वेद में निर्देश है- ‘माऽपो हिंसी मा ओषधी हिंसी।’<sup>10</sup>

और भी-

‘अपः पिन्व ओषधीर्जिन्व’<sup>11</sup>

अर्थात् ‘हमें जल को दूषित नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष वनस्पतियों को क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए एवं इसी प्रकार जल को शुद्ध रखने, पौष्टिक गुणों से युक्त करने तथा औषधियों को जल से सींचकर सुरक्षित रखना चाहिए।’

पर आज मूल्यविहीन जीवन-शैली में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया है कि राजा भगीरथ के पुरखों का कलुष ढोने वाली, मुक्तिदायिनी गंगा शहरों का मल-जल और फैक्टरियों की गंदगी ढोते-ढोते स्वयं इस प्रकार दूषित हो गयी है कि आज वह पीने योग्य नहीं रही, नाना बीमारियों का घर बन चुकी है। विकास की यह कैसी धारा है, कैसा अभिशाप है, जिसने हमारी जीवनदायिनी सरिताओं की पवित्रता की अक्षुण्णता भंग कर दी है?

हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को भी देवता माना गया है। हमारे महान आयुर्विज्ञानियों की धारणा है कि संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो अभेषज्य है अर्थात् उसमें ओषधीय तत्त्व न हों। सम्भवतः इसी नाते वृक्षों को वन्दनीय कहा गया है। यथा-

**‘धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनां धर्मव्यथां वहति शीत भवा रुजश्च।  
यो देहमर्पयति चान्य सुरवस्य हेतोस्तस्मै वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु॥’<sup>12</sup>**

अर्थात् जो वृक्ष फूल-पत्ते और फलों के बोझ को उठाये हुए, धूप की तपन और शीत की पीड़ा सहन करता है, उस वन्दनीय श्रेष्ठ तरु को नमस्कार है। कैसी उदात्त भावना है वृक्षों के प्रति अप्रतिम अनुराग की। इतना ही नहीं, मत्स्य पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है-

**‘दश कूप समावापी दशवापी समोहदः।  
दश हृद-समः पुत्रे, दश-पुत्र समोद्गमः॥’**

अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी है, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र है और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है।

भारतीय वाङ्मय में तरुवन्दना की उदात्त भावना का उत्कर्ष तो अत्यन्त विरल है।

**‘मूले ब्रह्मा त्वचे विष्णुः शाखा मध्ये महेश्वरः।  
पत्रे-पत्रे देवानां वशक्षराज नमोऽस्तुते॥’**

वृक्षों के प्रति ऐसे अप्रतिम अनुराग की छाया भी किसी अन्य देश की संस्कृति में सर्वथा दुर्लभ है जहाँ वृक्षों को पुत्र से उच्च स्थान प्राप्त है, जहाँ वृक्षों की पूजा की जाती हो, वहाँ उनको काटे जाने की बात तो अकल्पनीय है।

मनुष्य ईश्वर भीरू है और धर्मभीरू भी। कदाचित् इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सामाजिक वर्जनाओं को अनिवार्य बनाने के लिए उन्हें धर्म से सम्बद्ध कर दिया, ताकि ठीक से उनका अनुपालन हो सके। कृष्ण ने गीता में भाष्य किया है- ‘अश्वत्थः वशक्षणाम्’ अर्थात् ‘वृक्षों में मैं पीपल हूँ।’

कुछ कथित प्रगतिशील लोग इसे हमारी जड़ता और अन्ध-धार्मिकता कहते हैं। अन्ध-धार्मिकता ही सही लेकिन इसी के कारण हमारे पीपल और बरगद कटने से बच गए। पर्यावरण शोधन के साथ ही बादल-वर्षा-वृक्ष और वनस्पतियों का एक नैसर्गिक चक्र है। इसी नैरन्तर्य को बनाये रखने के लिए हमारे ऋषियों ने सरिताओं को दूषित करने और वृक्षों को काटने के लिए वर्जनाएँ कीं, जिसका मूल मन्तव्य मात्र प्राकृतिक सम्पदाओं को अपने और भावी पीढ़ियों के लिए अक्षुण्ण रखना था। आधुनिक सतत विकास की अवधारणा की खोज भारतीय वाङ्मय में की जा सकती है। यही हमारे ऋषियों की थाती है, जो आज भी प्रासंगिक और समीचीन है। परन्तु आज मूल्य बदल गये हैं। हम अपनी सांस्कृतिक वाणी सुन पाने में असमर्थ हैं और आज इसी का कुफल है कि प्रकृति के भरपूर दोहन की होड़ मची है। हमारी प्राचीन संस्कृति प्रकृति में दैवी स्वरूप का दर्शन पाती थी और उसकी अर्चना करती थी। हमारे यहाँ प्रकृति को माता की संज्ञा दी गयी है, पर आज की मूल्यविहीन जीवन-शैली में हम अपनी पहचान भूल गये हैं। मूल्यों की रक्षा का तो प्रश्न ही नहीं और इसी का दुष्परिणाम है कि

आज मानव और प्रकृति के रिश्ते नापाक हो गये हैं। अपने ही कृत्यों से हमने अपने पर्यावरण को बिगाड़ लिया है, जो आज जीने लायक नहीं रह गया है।

प्राकृतिक शक्तियों में दैवीय स्वरूप की अवधारणा, मात्र इंगित करती है कि हम इसकी रक्षा करें, इनसे अनुराग रखें और स्वस्थ, सन्तुलित जीवनयापन करें। लेकिन आज के इस वर्जनाहीन समाज में न तो जल शुद्ध रह गया है, न हवा। हवा में जहर, पानी में जहर, यहाँ तक कि नदियों, घाटियों में भी घुल गया है जहर।

भारतीय संस्कृति में निहित इन बिन्दुओं को यदि नैतिकता-अनैतिकता की सीमा-रेखा में न बाँधें तो भी ये प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संवाहक प्रतीत होते हैं और भारतीय चिन्तनधारा की यही प्रमुख विशेषता रही है। हमारी संस्कृति में धरती और सभी प्राकृतिक संसाधन यथा-जल और वनस्पतियाँ नैवेद्य की वस्तुएँ समझी जाती रही हैं, उनके नियामक निस्सन्देह अत्यन्त दूरदर्शी थे। उन्हें इस बात का भान था कि ये संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैं, अपव्यय करने पर शीघ्र ही चुक जायेंगे। पर हमने इनका भरपूर दोहन किया और आज प्राकृतिक संसाधनों के चुक जाने का आसन्न संकट हमारे सामने है।

भारतीय चिन्तकों की मान्यता थी कि संसाधन हमारी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपादान हैं, केवल दोहन करते रहने के लिए नहीं। वस्तुतः यही शाश्वत सत्य है, पर हमारी भोगवादी प्रवृत्ति ने पर्यावरण में भयानक रूप से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ कर दी हैं कि वे आज हमारी अस्तित्व रक्षा के लिए घातक बन बैठी हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रकृति से निरन्तर कटते चले गये और हमारी रगों में प्रकृति-अनुराग की धड़कन ठप-सी हो गयी।

प्रकृति को वश में करने की प्रवृत्ति और उसके निरन्तर दोहन करते रहने का दुष्प्रभाव यह पड़ा है कि आज ऊर्जा के प्राकृतिक भण्डार जवाब दे रहे हैं। वे हमारे औद्योगिक युग की बढ़ती माँगों को पूरा कर पाने में असमर्थ हो चुके हैं। निश्चय ही हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पुरातन गौरवशाली मूल्यों, स्थापनाओं की विरोधी धारा में जी रही होगी। ऐसी स्थिति में हमें प्रकृति को बचाये रखने के लिए अपनी पुरातन संस्कृति की विरासत और वैदिक ऋषियों की वाणी की रक्षा का शुभ संकल्प लेना ही श्रेयस्कर होगा।

**‘माता भूमिः पुत्रेऽहमं पृथिव्यां।  
नमो मात्रे पृथिव्यै। नमो मात्रे पृथिव्यैः॥’**

अर्थात् धरती हमारी माँ है और हम धरती के पुत्र।

इस प्रकार की पवित्र अवधारणा से ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सम्भव है। अतः इस शुभ संकल्प के साथ ही हमें निरन्तर आगे बढ़ना होगा ताकि जीवन के साथ-साथ प्रकृति भी बची रहे।

**संदर्भ-सूची**

1. ऋक 2/33/1
2. ऋक, 1/155/1
3. प्रश्नोपनिषद्, 1/15
4. चरक : सु.अ. 14/16
5. चरक : शा.अ. 8/33
6. ऋक, 137/3
7. मनुस्मृति, 4-56
8. अथर्व. भूमि-सूक्त, 12/1/30
9. श्रीमहानारायणोपनिषदि त्रयोदशः खण्डः
10. यजुर्वेद, 6/22
11. यजुर्वेद, 14/8
12. भामिनीविलासः



# संत रविदास का सामाजिक सरोकार

डॉ. आरती सिंह\*

**सार-संक्षेप :** निर्गुण भक्ति परंपरा में संत रविदास का अपना एक दर्शन है, जो समाज का जीवन दर्शन है। जब वे समाज से सरोकार कर रहे थे तो अपने समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों, आडम्बरो, पाखंड और दंभ के कारण समाज के बहुसंख्यकों की जो स्थिति बन गई उसके कारण से उनके मन में घोर अशांति दिखती है। रविदास ऐसे संत हैं जो केवल इन पाखंडों को बंद करने और समाज को बेहतर बनाने की बात नहीं करते बल्कि खुलेआम निर्भीकता के साथ अपनी बात रखते हैं। मनुष्य द्वारा मनुष्य को गुलाम बनाए रखने की साजिश और शोषण पर कई बार विद्रोह हुआ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास हुआ, इस कड़ी में एक बड़ा क्रांतिकारी और युगांतकारी कार्य चौदहवीं शताब्दी में संत रविदास जी द्वारा किया गया। संत रविदास जी निम्न जाति समाज में आते थे। जूता बनाने के अपने पारंपरिक कार्य के साथ ही वह नितांत चिंतनशील और तार्किक थे। रविदास जी अपनी समझ, विवेक, तार्किक एवं विज्ञान सम्मत चिंतन के कारण एक बड़े सामाजिक विचारक के रूप में स्थापित होते हैं।

बीज शब्द : जनश्रुति, किवदंती, भ्रमण, तीर्थाटन, प्रवचन, कर्मण्य, गृहस्थ, उद्वेलित, सौम्यता, सरोकार, आत्मविश्वास, कुरीतियों, बहुसंख्यकों, निर्भीकता विरोधात्मक, युगांतकारी रूढिग्रस्त, चिंतनशील, तार्किक, विघटनकारी, अंधविश्वास, बाह्याडम्बर, अनुभूति, प्रतिबिंब।

संत रविदास (रैदास) के सामाजिक सरोकार पर प्रकाश डालने से पूर्व संक्षिप्त जीवन परिचय का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। संत रविदास का पूरा जीवनवृत्त ही जनश्रुतियों पर आधरित है। किंतु जनश्रुतियों एवं उनके खुद के लेखन से हम खोज कर इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि उनका जन्म काल सन 1398 के माघ पूर्णिमा रविवार के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम रघुराम एवं माता रघुरानी थी। चमड़े का काम उनका पैतृक पेशा था और इसी को ही अपनाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। इनका जन्म स्थान वाराणसी के पास गोबर्धनपुर था। ये स्थानीय भाषा उर्दू और फारसी के अच्छे जानकार थे। इनके घर में धार्मिक वातावरण था, इसलिए इनकी धार्मिक शिक्षा-दीक्षा रेवत प्रज्ञ के विचारों से हुई। इनका विवाह लोनी नाम एक कन्या से हुआ था।

संत रविदास के जीवन संघर्ष में कई किवदंतियाँ प्रचलित हैं। जैसे इनकी आर्थिक समस्या दूर करने के लिए भगवान ने स्वयं आकर उन्हें पारस पत्थर देना चाहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

\*अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

इस प्रकार यह भी कहा जाता है कि उनकी पूजा के पिटारी में प्रतिदिन पाँच मुहरें आ जाती थी पर उन्होंने अपने निजी जीवन में उसका उपयोग नहीं किया। वह वाराणसी में रहते थे परंतु उनका भ्रमण देश भर में होता था। उनका भ्रमण केवल तीर्थाटन न होकर दलित जातियों के उत्थान हेतु वेद जन जागरूकता के लिए किए जाने वाले प्रवचन और शिक्षा का होता था। संत रविदास जी सन 1518 में चिर निद्रा में चले गए।

रैदास एक सामान्य चर्मकार के घर में जन्म लेकर कर्मण्य, सामान्य गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महान मानवीय गुणों से मंडित होते रहे हैं। इसी से उनका आंतरिक मानव जागृत होता गया और वह अनायास ही जनमानस को आलोकित करते रहे। इतना होने पर भी उनका अहंकार कभी उद्वेलित नहीं हुआ, अपितु उनकी विनयिता, सौम्यता एवं शालीनता ने उन्हें जन-जन का कंठ हार बना दिया यही उनके जीवन और व्यक्तित्व की महिमा एवं गरिमा के पद-चिन्ह है।

निर्गुण भक्ति परंपरा में संत रविदास का अपना एक दर्शन है जो समाज का ही जीवन दर्शन है। जब वे समाज का सरोकार कर रहे थे, तो दलितों के जीवन विचार करते हुए पाते हैं कि अपनी जाति के कारण समाज का एक बड़ा समूह उपेक्षित है। जातिभेद के कारण वह अपने को अपराधी या पापी जैसा समझ रहे थे उनके धूल-धूसरित आत्मविश्वास को जगाने के लिए ही वे अपने पद में बार-बार 'कह रैदास खलास चमार' का जिक्र करते हैं। जातिभेद के संबंध में रैदास जी कहते हैं-

**“ रविदास जाति मत पूछिए का जात का पात।  
ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शूद्र सभन की एक जात।”<sup>12</sup>**

संत रविदास अपने समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों आडंबर, पाखंड और दंभ के कारण समाज के बहुसंख्यकों की जो स्थिति बन गई थी उसके कारण से उनके मन में घोर अशान्ति दिखती है। रविदास ऐसे संत हैं जो केवल पाखंडों को बंद करने और समाज को बेहतर बनाने की ही बात नहीं करते बल्कि खुलेआम निर्भीकता के साथ अपनी बात रखते हैं आडंबर का निषेधा करते हुए विरोध आत्मक स्वर सुनने लायक है-

**“ ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण हीन।  
पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण।”<sup>13</sup>**

इनका साहित्य पूरे समाज को प्रेरणा और चेतना देता रहेगा। तमाम विशेषताओं के साथ भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जितनी असमानता एवं अमानवीयता देखने को मिलती है उतना विश्व के किसी भी अन्य देश एवं समाज में घायद नहीं। मनुष्य द्वारा मनुष्य को गुलाम बनाए रखने की साजिश और शोषण पर कई बार विद्रोह हुआ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का प्रयास हुआ इस कड़ी



में एक बड़ा क्रांतिकारी और युगांतकारी चौदहवीं शताब्दी में संत रविदास जी द्वारा किया गया। भारतीय समाज पूर्णतः रुढ़िग्रत था। छुआछूत ऊंच-नीच अमानवीयता का व्यवहार अपने चरम पर था। सामाजिक जाति व्यवस्था में तथाकथित निम्न जातियों का जीवन ही नहीं है जिसकी बानगी देखिए-

**“ जाति- पात में जाति है जो के तन के पात।  
रैदास मनुष् ना जुड़ सके, जब तक जाति न पात।”<sup>44</sup>**

संत रविदास जी भी निम्न जाति समाज से आते थे। जूता बनाने के अपने पारंपरिक कार्य के साथ ही वह चिंतनशील और तार्किक थे। रविदास जी अपनी समझ, विवेक, तार्किक विज्ञान सम्मत चिंतन से एक बड़े विचारक के रूप में स्थापित होते हैं। उनकी प्रसिद्धि और महात्म इतना बढ़ गया कि उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में हो गयी और इनमें क्या आम क्या खास, राजा तक इनके अनुवाई हो गए। राजस्थान के कई राज घराने और मीराबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रैदास के सामाजिक विचारधारा से प्रभावित होकर ही मीरा ने उनकी शिक्षा ग्रहण की।

संत रविदास की कीर्ति सुनकर चित्तौड़ की रानी जिनका नाम झाला था, दर्शन करने काशी आयीं और प्रभावित होकर उनकी शिष्या बन गईं। इनके अनुयायियों और शिष्यों में सिकंदर लोदी, राजा पीपा, राजा नगरमल आदि रहे हैं। संत रविदास अपने समय के बड़े क्रांतिकारी और दार्शनिक व्यक्तित्व थे। सत्य के साथ निर्भीकता से खड़े होकर उस समय के समाज को चुनौती दे रहे थे। बेहतर समाज विकसित करने की दिशा में अग्रसर रविदास एक धर्म को मानते धार्मिक थे। वह मनुष्यता का धर्म है-

**“रविदास मनुष्य का धर्म है करम करलह दिन रात।  
करमह फल पावना नहि काहूँ के हाथ।”<sup>45</sup>**

संत रविदास के अनुसार धर्म मानवता और मनुष्यता के उन्नयन का पोषक होता है। जब निरंकुश लोग धर्म संचालन करने लगते हैं तो पूरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती है। विघटनकारी और विनाशकारी संस्कारों को पोषण मिलने लगता है और बाहयाडम्बर, अंधविश्वास, कटुता, द्वेष व्यभिचार, असमानता का प्रसार होने लगता है।

सैकड़ों वर्ष पूर्व भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ, हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने धर्म को आडंबरों से भरकर भोले-भाले मेहनतकश लोगों का शोषण किया और उनके साथ जानवरों जैसा अमानवीय व्यवहार कर उनका जीवन नारकीय बना दिया। उसी दौर में मानवता और मनुष्यता का पोषक संत उभरकर सामने आया जो हिंदू धर्म के अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ धीरे-धीरे अपने विचारों से समाज में एक नई चेतना जागृत की।

रविदास पंथ की कोई विशिष्ट पूजा पद्धति नहीं है। वे स्वयं बाह्याडम्बरो से लड़ते रहे हैं। कबीर की ही भांति संत रविदास भी पूजा पाठ बाह्याडम्बरो का विरोध करते हुए कहते हैं-

“ माथे तिलक हाथ जपु माला जग ठगने को स्वांग बनाया।  
मारग छाँ कूमारग डहकै सांची प्रीत बिन हरि नहीं पाया॥”<sup>6</sup>

वर्तमान समय की बुराइयों के संदर्भ में रविदास जी कहते हैं-

“जीव हिंसा न करो, मत मदिरा कर पान।  
रविदास कहे हरी सर्व में निश्चय कर जान॥”<sup>7</sup>

संत रविदास लोक भाषा अवधी में सरल सहज ढंग से अपनी सामाजिक अनुभूतियों को व्यक्त किए हैं। उनकी कविता काव्य प्रेमियों को आनंद के साथ आध्यात्मिक आनंद दिया है। उनका सामाजिक सरोकार दीन- दलित जनता को ऊपर उठाया। इनकी कविता विचारों की क्रांति में भी युग को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करती है। वह एक सहृदय कवि थे तथा विचारों की गंभीरता उनको सामाजिक चिंतन तथा सफल दार्शनिक बनाती है उनकी जीवन दृष्टि पूर्णता सामाजिक एवं मानवतावादी है।

#### सन्दर्भ:

1. पाण्डेय और तिवारी, डॉ. सूर्यनाथ पाण्डेय और डॉ. प्रेमवत तिवारी, सन् 2013, प्राचीन एवं मध्य कालीन कविता, नीलकमल प्रकाशन गोरखपुर, पृ. 121
2. भारती, सूरज कुमार भारती और पूर्णमासी, सन- 2019, संत शिरोमणि गुरु रविदास परम्परा एवं विचार, जिला रविदास महासभा गोरखपुर, पृ. 94
3. वही पृ. 15
4. वही पृ. 94
5. वही पृ. 95
6. वही पृ. 96
7. वही पृ. 98



# भारतीय हिन्दू परिवार

मनीष कुमार त्रिपाठी\* नेहा शुक्ला\*\*

**सार-संक्षेप :** पाश्चात्य संस्कृति की दृष्टि में परिवार एक समझौता मात्रा है किन्तु भारतीय संस्कृति के लिए यह एक आध्यात्मिक संरचना है जिसे हम भारतीय जन कुटुम्ब कहते हैं। जहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का पारस्परिक उत्थान करते हुए अमरत्व को प्राप्त कर सभी परिवारजनों के जीवन का सृजन करता है। वर्तमान में परिवार ऐसे तो व्यक्तियों का एक समूह है जो मुख्य रूप से एक दूसरे से रक्त सम्बन्ध रखते हैं किन्तु यह सोच भारतीय नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय दृष्टि वसुधैव कुटुम्बकम् को आत्मसात् करती है। इसी भाव को इस लेख के माध्यम से उद्घृत करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है।

**बीज शब्द :** आध्यात्म, सनातन धर्म, परिवार, संस्कृति, और अमरत्व ।

हिन्दू धर्म में परिवार एक पवित्र और विशुद्ध घटक के रूप में समाज में परस्पर सामंजस्य, वंशवृद्धि, अमरता, संस्कार संवर्धन एवं आत्म संरक्षण स्थापित करने का एक सार्वभौमिक इकाई है। जिसके माध्यम से हम सभी अपने-अपने वंश हेतु अमरता को प्राप्त करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हम सब मनुष्य तो इस धरा पर उत्पन्न होते हैं किन्तु उसी क्षण से इस मानव शरीर का भी क्षरण प्रारम्भ हो जाता है जिसका अंत हम अपने बचपन, यौवन एवं वृद्धावस्था को व्यतीत कर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात् करते हैं। परन्तु उस मनुष्य की वंश परम्परा उसके द्वारा उत्पन्न की हुई संतान के माध्यम से विच्छिन्न रूप से युगों-युगों तक इस पृथ्वी लोक में अपने वंश की उपस्थिति का एहसास कराता रहता है जो केवल और केवल परिवार जैसी एक उत्कृष्ट संस्था के ही माध्यम से संभव है, जिस की पुष्टि ऋग्वेद के एक श्लोक में गयी है-

## प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमरयाम्

अर्थात् हे अग्नि, मैं सन्तानों द्वारा अमृतत्व का उपभोग करूँ।

मानव इस सृष्टि की सबसे उत्कृष्ट कृति है जिसको स्वयं देव गण भी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं ऐसा हमारे धर्मग्रंथ हमें बताते हैं जिसका एक मात्र कारण अमरता प्राप्त करना हो सकता है जो सिर्फ भू-लोक में परिवार जैसी संस्था के द्वारा ही संभव है क्योंकि इस भू-लोक में अमरत्व की प्राप्ति हेतु मानव एवं देव गण दोनों ने ही बहुत सारे यत्न किये किन्तु किसी को भी

\*शोध छात्र, रसायनशास्त्र विभाग, आई.आई.टी. (बी.एच.यू.), वाराणसी \*\*स्वतंत्र शोध अध्येता

फलता हाथ नहीं लगी। अतः अमरता एवं मृत्यु ये दोनों ही शब्द आपस में विपरीत अर्थ रखते हैं परन्तु इनके बीच केवल परिवार ही समन्वय स्थापित कर सका। हमारे वैदिक ग्रंथ में बच्चों के लिये सन्तति, तनय, सन्तान जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अपने पूर्वजों के अंश होने का प्रमाण देते हैं।

परिवार के मुख्य घटक स्त्री और पुरुष दोनों ही विवाह के उपरांत दो जीव एक आत्मा तंत्र को प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष दोनों ही अपने स्व को आपस में मिलते हैं जिसका उत्कृष्ट उदाहरण रामचरितमानस है जो एक हिन्दू परिवार का रूप है रामायण स्वार्थपरता के ऊपर सेवाधर्म की विजय पताका लहराता है। हिन्दू परिवार मुख्यतः श्रद्धा, यज्ञ, तप, ज्ञान, प्रेम, व्रत, नियम और सत्य जैसे दृढ स्तम्भों में स्थापित है जिसके ऊपर परमात्मा का वरदहस्त सदैव विद्यमान है।

समाजशास्त्रियों ने भी परिवार की विविध प्रकार से विवेचना की है जिसमें वे मानते हैं कि वे सभी लोग जो एक घर में और एक के ही व्यक्ति के संरक्षण में रहते हैं उनको परिवार का हिस्सा कह सकते हैं जो मुख्यतः विवाह और रक्तसम्बन्धों से आपस में संगठित होते हैं। अंग्रेजी में परिवार के लिये “फैमिली” शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ “सेवक” है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वंश संस्था नैतिकता, संस्कृति एवं शुद्ध विचारों के प्रकाश को चहुँ ओर फैलाता है वही वास्तविक रूप में परिवार है।

अतः उपयुक्त तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस भू-लोक में अमरता प्राप्त करने का माध्यम विवाह ही है जिसके माध्यम से मनुष्य परिवार का निर्माण कर प्राप्त करता है जिसके द्वारा मनुष्य बौद्धिक, तार्किक, भावात्मक एवं कर्तव्य परायणता का रस पान करता है। इस लेख के माध्यम से हम आप को परिवार की उत्पत्ति एवं विविध तथ्यों का विश्लेषण प्राचीनतम तथ्यों के साथ साथ इसके आधुनिक तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। परन्तु इसका उद्गम प्राचीनकाल से ही अनिश्चित और घने बादलों से ढँका है अर्थात् यदि हम नदियों के उद्गम का पता लगाते हैं तो अन्त में वह स्थान प्राप्त होता है जहाँ पर जल पर्वतों में से या भू-गर्भ से बाहर आता दिखता है। ठीक उसी प्रकार परिवार की परिकल्पना को स्पष्ट रूप से बता पाना संभव नहीं है क्योंकि ये काले बादलों की वजह से काला प्रतीत होता है और वो उसी में समाहित है। किन्तु फिर भी परिवार के विविध आयामों पर प्रकाश डालने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। इस पाठ में मुख्यतः परिवार की उत्पत्ति, अवधारणायें, विशेषताएं, प्रकार, कार्य पर ध्यानाकर्षित किया गया।

## परिवार की उत्पत्ति

परिवार की उत्पत्ति एवं इसके विकास के बारे में जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवियों ने चाहे जो भी इनके बारे में तर्क या व्याख्यान दिया हो किन्तु इतने लम्बे समय अन्तराल के पश्चात् कुछ भी

स्पष्ट रूप से कह पाना उतना ही कठिन है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने का कार्य किया जाये। अतः स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना बुद्धिजीवियों के लिए संभव नहीं है। किन्तु कुछ सिद्धांत की विवेचना इनकी उत्पत्ति हेतु यहाँ किया जा रहा है जिस पर कुछ हद तक विद्वानों की सहमति है। हिन्दू समाज में परिवार की उत्पत्ति को हम निम्न सिद्धांतों के आधार पे समझ सकते हैं -

1. कामाचार
2. जीवनशास्त्र

**1. कामाचार:-** हिन्दू परिवार के मूल के सम्बन्ध में अनेक प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों की यह कल्पना है कि अन्य देशों की भाँति ही भारत में भी विवाह संस्कार/संस्था का उदय कामाचार से ही हुआ है तथा यह भी कहा जाता है कि कामाचार से बाद में नियमबद्ध वर्तमान विवाहों का उद्भव हुआ किन्तु केवल कोरी कल्पना के आधार पर हिन्दू परिवार की उत्पत्ति पर तर्क देना सरासर गलत और अप्रासंगिक है क्योंकि कि जिस राष्ट्र की मेरुदण्ड धर्म हो वहाँ इस तरह की तथ्यविहीन कल्पना से प्रमाणिकता स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिन्दू परिवार की उत्पत्ति ऐसे आधारहीन कपोल कल्पनाओं से नहीं हुई बल्कि परिवार की परिकल्पनाएँ हिन्दू धर्म में कितनी पवित्रता के साथ सर्वमान्य है।

**अर्धो हवाऽएस आत्मनो यज्जाया तस्माद् यावज्जायां न  
विन्दते नैव तावत् प्रजायते असर्वो हि तावद् भवति।  
अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तार्हि हि सर्वो भवति॥**

अर्थात् पत्नी निश्चय से पति का आधा अंश है, अतः जब तक पुरुष पत्नी नहीं प्राप्त करता, सन्तान नहीं उत्पन्न करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। किन्तु जब पुरुष, पत्नी व सन्तति को प्राप्त कर लेता है, तब जाके पुरुष पूर्णता को प्राप्त करता है। अतः हम लोग इस खण्डित, अपवित्र कल्पना के आधार पर हिन्दू परिवार की आदिम अवस्था को हम कामाचार आधारित नहीं मान सकते। ऐसी परिकल्पनाएँ केवल हमारे धर्म को दूषित करने के लिए हमारे सामने अपने ही लोगों के द्वारा उनके रचनाओं में संकलित करवाया गया है जो केवल मिथ्या है।

**2. जीवनशास्त्र:-** यदि कामाचार हिन्दू परिवार के उद्गम का मुख्य आधार नहीं है तो फिर इसका वास्तविक आधार क्या है इस प्रश्न का उत्तर हमें जीवनशास्त्र में प्राप्त होता है। समूल मानव जाति तथा परिवार का स्थायित्व, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में विद्यमान है तथा इसका संवर्धन भी स्त्री-पुरुष के ही हाथों में हैं। । जीवनशास्त्र सिद्धान्त के अनुसार, परिवार के उद्भव का मूल कारण जाति की सुरक्षा, गर्भावस्था में स्त्री तथा प्रसव के पश्चात् बच्चे का एक लम्बे अंतराल तक पोषण तथा देख-रेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता को माना गया है। इस सिद्धांत को अपना समर्थन देते हुए वेस्ट

मार्क अपने मत को व्यक्त करते हैं जिसके अनुसार, हर परिवार के उद्भव का मूल कारण जाति की सुरक्षा की चिंता है। गर्भावस्था में स्त्री का पोषण तथा प्रसव के बाद बच्चों का भी लम्बे काल तक पोषण करना होता है। इस कार्य में पुरुष शिथिल हो सकता है किन्तु स्त्री के लिए यह कार्य तत्परता से किया जाता है जो सुचारु रूप से शिशु का लालन पालन कर परिवार को उसका उत्तराधिकारी प्रदान करती है।

परिवार की मुख्य अभिधारणा स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को स्थायित्व प्रदान कर अपनी वंश परम्परा को संवर्धित करना है क्योंकि यदि पुरुष पत्नी से गर्भधारण के पश्चात अलग हो जाता है तो सन्तान की उचित देखभाल कर पाना स्त्री के लिए संभव नहीं है जिससे वंशानुक्रम की वृद्धि को वर्षों तक आगे सतत रूप से जीवित रख पाना असंभव है। अतः स्त्री और पुरुष दोनों ही परिवार के मुख्य आधार हैं ठीक वैसे ही जैसे नदी के दो तट होते हैं जिनके बीच नदी की अमृतधारा सतत प्रवाहित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष दो जान एक दिल है या दो जीव एक जान है जिसकी प्रामाणिकता हिन्दू धर्म में विवाह संस्कार है। वैदिक साहित्यों में स्त्री-पुरुष के सम्मिलन को पृथिवी और भू-लोक के सम्मिलन के समान बताया है। सीप की दो दलों के बीच जैसे मोती होता है ठीक उसी प्रकार स्त्री और पुरुष के बीच सन्तति होता है। पृथ्वी पर वनस्पतियां तभी उत्पन्न होती हैं जब आकाशचारी मेघ पृथ्वी पर वर्षा करते हैं जिसके उपरान्त पृथ्वी गर्भधारण करती है और जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर बहुत सारी वनस्पतियां उगती हैं अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री वृत्त के उस व्यास जैसी है जिसकी परिधि पुरुष होता है। वृत्त का व्यास तिगुना होने पर वृत्त की परिधि के ही बराबर हो जाता है वैसे ही स्त्री के जीवन से ही पुरुष का निर्माण होता है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्रों को निमित्त बनाकर साम के मधुर गीतों में रूपांतरित किया गया है। श्रीमान् जायसी ने इसी भाव को अपने काव्य में व्यक्त किया-

होते बिरवा भए दुड़ पाता। पिता सरग और धरती माता॥

**परिवार की विशेषताएँ :**

प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है जो पूर्णता की प्राप्ति के लिए सतत जीवन यात्रा कर रहा है। इस दशा में यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि हमारे परिवार के सब सदस्य स्वर्ग के देवता हैं एवं मेरे पूर्ण आज्ञानुवर्ती होंगे। मनुष्य इस भू-लोक पर अपने साथ जन्म जन्मांतरों के संचित किये हुए संस्कारों को अपने साथ लेकर आता है। ये संस्कार धीरे-धीरे बड़े प्रयत्न पूर्वक बदले जाते हैं। एक दिन में उन सबका परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः यह आशा रखना ठीक नहीं है कि परिवार के सभी सदस्य



पूर्णतया हमारे आज्ञानुवर्ती ही होंगे। उनकी त्रुटियों को सुधारने में, उन्हें आगे बढ़ाने में उन्हें सुखी बनाने में संतोष प्राप्त करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अतः अपनी इच्छाओं की पूर्ति से सुखी होने का आशा करना इस संसार में एक असंभव मांग करने जैसा है। दूसरे यदि यही हमारे लिए करे, परिवार के सदस्य इस प्रकार का व्यवहार हमारे प्रति करें, इस बात के ऊपर अपनी प्रसन्नता को केंद्रित करना एक बड़ी भूल है। अतः जो यह भूल करता है वह गृहस्थ के आनंद से विमुख ही रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि गृहस्थ का पालन करना एक प्रकार की योग साधना करने जैसा है।

भारतीय परिवारों में मुख्यतः कर्तव्यपरायणता, समर्पण, सदाचार, सहानुभूति, भाईचारा आदि जैसे विशिष्ट गुणों को समाहित किये हुए एक प्रकार का जैविक इकाई है जिसमें उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे गुणों का समावेश है। जो इसे अन्य परिवारों से भिन्न बनाता है। कुछ विशिष्ट विशेषताएं निम्नवत हैं-

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 1. आर्थिक नियोजन    | 2. सर्वहित-समभाव |
| 3. आत्मीयता         | 4. कर्तव्यबोधन   |
| 5. सामाजिक उपयोगिता |                  |

### गृहस्थाश्रम की महत्ता

वैदिक काल से ही हिन्दू परिवार को समाज विज्ञान एवं जीवशास्त्र की दृष्टि में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया। हिन्दू धर्म में मूलतः आश्रम व्यवस्था का सोपान उत्तर वैदिक काल से ही प्राप्त होता है जिस प्रकार चारों आश्रम व्यवस्था को अंगीकार किया गया उस समय के शास्त्रकारों ने इन चार आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम की उपयोगिता को अधिकाधिक महत्त्व दिया एवं इसे सब आश्रमों का मूल माना। जिसका प्रमाण हमें हमारे शास्त्रों से प्राप्त होता है। हिन्दू धर्म के लगभग सभी स्मृतिकारों ने एक स्वर में गृहस्थ आश्रम को अन्य सभी आश्रमों के लिए आधार माना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रमों का भरण पोषण करता है। मनुस्मृति के अनुसार, गृहस्थ आश्रम से सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सभी जीव वायु से जीवित रहते हैं (3/77)। इसी क्रम में वे पुनः कहते हैं कि जैसे समस्त नदियाँ समुद्र में जा कर स्थिर होती हैं, वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ में ही स्थिति प्राप्त करते हैं तथा उसी की सहायता से जीवित हैं (मनु. 6/90) विष्णु स्मृति के अनुसार, गृहस्थ आश्रमों का भरण पोषण करता है अतः यह सब आश्रमों में ज्येष्ठ एवं उच्च्यमान है। अन्य सभी स्मृतियों जैसे वशिष्ठ (8/15), शंख (5/5-6), दक्ष (2/45-48) आदि में भी इसी तरह के विविध विवेचना प्राप्त होते हैं। व्यास स्मृति (4/2-4, 13-14) में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है कि जितेन्द्रिय होकर गृहस्थ धर्म का पालन करने वालों को घर में ही कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार एवं केदार तीर्थ मिल जाते, जिनकी यात्रा कर सब पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत में गृहस्थाश्रम का गौरवगाथा अन्य शास्त्रों की तुलना में अधिक किया गया है।

**परिवार के प्रयोजन:** विवाह एवं परिवार ये दोनों हिन्दू समाज में एक प्रकार का धार्मिक बंधन माना गया है। जिसके द्वारा समाज के विभिन्न प्रयोजनों की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के मतानुसार मुख्यतः तीन प्रकार के प्रयोजन की परिकल्पना की गयी है-


**1. पुत्र प्राप्ति:** पुत्र प्राप्ति: परिवार के पहले प्रयोजन अर्थात् पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा को ऋग्वेद में बहुत ही स्थायित्व के साथ विभिन्न श्लोकों के माध्यम से रेखांकित किया है (1/91/20, 1/91/13, 3/1/123)। पुत्र प्राप्ति का उल्लेख हम पहले ही ऋग्वेद में देख चुके हैं। जहाँ संतान के द्वारा अमरत्व प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त मिलता है (5/4/10)। विवाह संस्कार के दौरान पाणिग्रहण के मन्त्रों में वर वधु से कहता है कि मैं तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ ताकि हमें उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके (ऋ.10/85/36)। तदुपरांत वर वधु को आशीर्वाद देते हुए दस पुत्र उत्पन्न करने का आदेश प्रकट करते हैं (ऋ.10/85/45)। स्मृतिकारों ने भी इस तथ्य पर बहुत बल दिया है। मनु महाराज ने विवाह के प्रयोजनों में सन्तानोत्पादन को सबसे पहले स्मरण करते हैं।

**2. धर्मकार्य:** विवाह संस्कार के उपरान्त पारिवारिक बन्धनों में वर वधु धार्मिक तौर पर बँध जाता है जिसकी छाया में रह कर दम्पति परिवार के माध्यम से धर्म पालन हेतु विभिन्न दायित्वों को पूर्ण करने का अधिकारी हो जाता है। आज के परिदृश्य में यज्ञ अनिवार्य नहीं किन्तु वैदिक युग में यज्ञ की अनिवार्यता थी जो पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता था। अतः वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह संस्कार अनिवार्य था। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि यज्ञ में पुरुष के साथ बैठने वाली स्त्री ही पुरुष की पत्नी है। रामचरितमानस में अश्वमेध यज्ञ हेतु माता सीता की प्रतिमा को रामचंद्र जी के यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने हेतु किया गया माता सीता की अनुपस्थिति में। वैदिक युग में नव दम्पति को आमरण गृहस्थाश्रम का सुख भोगने का उपदेश दिया जाता था। ऋग्वेद यज्ञ में पत्नी की महत्ता इसलिए भी है कि पुरुष पत्नी के ही द्वारा पूर्णता प्राप्त करता है। शतपथ ब्राह्मण के पहले उद्धृत एक वचन में कहा गया है कि पत्नी निश्चयपूर्वक पति का आधा हिस्सा है, जब तक वह पत्नी नहीं प्राप्त करता, उस समय तक वह संतान नहीं उत्पन्न करता और अपूर्ण रहता है, जब स्त्री को प्राप्त करता है, सन्तान पैदा करता है, तभी वह पूर्ण होता है।

**3. रति:** हमारे शास्त्रों ने परिवार के तीसरे प्रयोजनों में रति को स्वीकार्य करता है जिसे उपनिषद भी परम आनंद के रूप में स्थापित करता है जहाँ ब्रह्मा के साथ सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले आनन्द को यौन सुख की उपमा से समझाया गया है। जैसे कोई अपनी प्रिय पत्नी से मिलता हुआ बाहर के जगत् को कुछ भी नहीं जानता और न आंतरिक जगत् को जानता है, इस तरह यह पुरुष प्राज्ञ आत्मा से जुड़ा हुआ न बाहर की किसी वस्तु को जानता है, न अन्दर की वस्तु को जानता है (बृह. उ. 4/3/21)। शास्त्रकारों काम की शक्ति से भलीभाँति परिचित थे जिस कारण उन्होंने इसका उचित सेवन अनिवार्य बताया जिसका प्रमाण हम श्रीमद्भगवद्गीता में भी पाते हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपने

को धर्मानुकूल काम बताया है (7/11)। मनुस्मृति में मनु महाराज ने परिवार का एक प्रयोजन रति सुख की प्राप्ति को भी स्वीकार्य किया है (9/28)।

**परिवार का वर्गीकरण:** एक अच्छे परिवार की नींव उसमें रह रहे सभी सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है जहां बच्चे के चरित्र निर्माण के साथ साथ उसकी सफलता के हर पायदान को सुलभ बनाते हुए परस्पर सामंजस्य को बनाये रखता है। इस जगत् में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो किसी परिवार से अपना सम्बन्ध न रखता हो अतः परिवार एक शत मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य इस भूलोक में जीवन प्राप्त करता है जो समस्त चराचर जीव के संसार में होने का एक निमित्त उद्गम मार्ग है। इस प्रकार हम देखते हैं मानव समाज की परिकल्पना बिना परिवार के मूर्तरूप में विकसित ही नहीं हो सकता। भारतीय परिवार वास्तव में सदस्यों के बीच आपसी सौहार्द का एक विलक्षण प्रतिमान स्वरूप एक खम्भे की तरह है जहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का भरसक प्रयास करता है। जहाँ माता पिता अपने स्नेह की वर्षा सदैव करते हैं जिससे उनके अंदर संस्कारों का लेपारोपण कर उनको उनके आने वाले जीवन की विषम परिस्थितियों के तैयार करते हैं एवं अनुज अपने अग्रजों के श्रद्धा एवं भक्ति भाव रखते हुए एक एक कर समस्त संस्कारों एवं अनुभवों को करता है। इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण परिवार का सदस्य स्वतः ही त्याग भावना के विकास का अनुभव



अपने अंदर महसूस करता है। इस प्रकार परिवार के द्वारा मनुष्य की उत्पत्ति अर्थात् जन्म, विकास एवं उसका संस्कृतिकरण का पहला सोपान का कार्य परिवार ही करता है।

आज के आधुनिक युग में समाज में विभिन्न प्रकार की कुरतियाँ विभिन्न स्वरूप में आकर जकड़ लिया है जिसके कारण हमें समाज में परिवार का वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त होता है बल्कि हमें इसका बहुत सारा स्वरूप मिलता है। इस भूलोक में मनुष्य विभिन्न भौगोलिक परिदृश्यों

में अपना जीवन यापन करता है जिसके कारण इसका प्रभाव हमे परिवार के ऊपर भी देखने को मिलता है। परिवार के ऊपर प्रांतों, बोलियों, संस्कृतियों, कलाओं, एवं भौगोलिक पृष्ठ का विशेष प्रभाव रह है जिस कारण हमे समाज में इस के अनगिनत प्रकार रूप के दर्शन बड़ी ही सुलभता से मिलते है। परिणाम स्वरूप हमें हमारे समाज में परिवार के विविध प्रकार /भेद पाए जाते है जिनका आधार एक दूसरे से भिन्न हैं।

यूं तो परिवार के विविध भाग है किन्तु इस लेख के माध्यम से केवल संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के ऊपर प्रकाश डालने का ही प्रयास किया गया है जिसको जानना आज के परिप्रेक्ष में बहुत ही अनिवार्य है। अतः मानव शरीर एक कर्म का केवल साधन है जिसके यथार्थ प्रयोग से जीवन में सारे कर्म किये जा सकते है ठीक उसी प्रकार परिवार साधन का भी उचित और समुचित प्रयोग के द्वारा हर्षोल्लास से आत्म उथान किया जा सकता है।

**संयुक्त परिवार:** संयुक्त परिवार मूलतः एकल परिवारों का ही एक सम्मिलित रूप है जहाँ पति-पत्नी, माता-पिता, भाई बहन एवं बच्चे आदि सभी संयुक्त रूप से आपस में मिल कर एक सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह के परिवार की व्यवस्था वैदिक युग में बहुतायत रूप में हिन्दू समाज में विद्यमान थे किन्तु समय के साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन रहा और तमाम तरह के आक्षेप लगा कर संयुक्त परिवार की नींव को हिला दिया गया जिसका परिणाम हुआ कि मनुष्य के अंदर बैमनस्य की भावना जागृत हुई। वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त परिवार यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। हमारे इस आधुनिक समाज में आज परिवार के स्वामी के रूप में अनुभव हीन व्यक्ति होता है जो अपनी बैमनस्य भावना के साथ परिवार को चलने की जुगत में लगा रहता है ऐसे माहौल में त्याग भावना का होना कठिन कार्य है। किन्तु संयुक्त परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही परिवार की डोरी होती जो अपने अनुभवों का उपयोग कर आपसी सामंजस्य के साथ सभी को साथ ले कर चलते थे तथा अन्य परिवार के सदस्य उन अनुभवों का उपयोग कर जीवन में आनेवाले विभिन्न परेशानियों का सामना करने की कला अपने अंदर विकसित करते हुए सफल होते हैं। संयुक्त परिवार में संयुक्त पूंजी, संयुक्त निवास एवं संयुक्त उत्तरदायित्व होते हैं जो उस परिवार के हर सदस्य के लिए होता है।

वर्तमान परिवेश में संयुक्त परिवार के ताने बाने को एकाकी जीवन शैली के द्वारा सबसे अधिक क्षति पहुंचायी गयी है जिसका परिणाम हमे पारिवारिक सुख की कमी के रूप में देखने को मिलता है। पारिवारिक सुख की असली अनुभूति हमें संयुक्त परिवार के ही माध्यम से प्राप्त हो सकता है जिसका अनुभव हमें आज के परिदृश्य में प्रायः कठिन व दुःख की घड़ियों में ही होता है। किन्तु इन सब को ताक पे रख कर आज के नव विवाहित युगलों को अपने बड़े बुजुर्गों को साथ रखना गवारा नहीं होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनकी स्वतंत्रता का हनन महसूस होता है। हमें हमारे दैनिक जीवन के दौरान विभिन्न गलतियों का ऐहसास होता है जिस पर

हमें हमारे अपने बुजुर्गों ने फटकार लगायी थी परन्तु इस तरह के अनुभव केवल और केवल हमें संयुक्त परिवार में ही मिल सकते हैं जहां पर हर व्यक्ति अपनी आत्मीयता के द्वारा एक दूसरे पर आने वाले बड़े से बड़े दुःखद परिस्थितियों को भी आसान बना देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार में मनुष्य का सुखी संसार का निवास है जिसके सुख का अनुभव आज के समय में किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार वटवृक्ष की छाव के सामान है जो समस्त जीवधारियों को अपने विराट् छाव में सुकून के कुछ पल है तपती दुपहरी में एवं जिसकी छाव में कइयों छोटे बड़े पेड़-पौधे एवं जीव आश्रय प्राप्त करते हैं।

**एकाकी परिवार:** जिस परिवार में लेने की प्रवृत्ति का हास है वह ही परिवार आज के समय में संयुक्त परिवार के समस्त सुखों का उपभोग करता है किन्तु जहाँ ऐसा ही नहीं वहाँ इसके विपरीत परिणाम देखे जाते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि वे सभी सदस्यों के भावनाओं का सम्मान कर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए तथा संयुक्त परिवार में किसी विषय को व्यक्तिगत विषय के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए अन्यथा परिवार की सुख शांति का विनाश हो जाता है। संयुक्त परिवार को आज के युग में चलाने के लिए परिवार के सदस्यों के अन्दर गम खाने की भावना एवं त्याग की भावना का होना नितांत आवश्यक है जिस के द्वारा संयुक्त परिवार चलाया जा सकता है। आज के परिवेश में छोटा भाई बड़े से राम बनने की अपेक्षा रखता है किन्तु वो स्वयं भरत बनने को तैयार नहीं है ठीक इसी प्रकार बड़ा भाई या परिवार के अन्य सदस्य अपने लिए अपेक्षा करते हैं किन्तु वे स्वयं उस अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यह विरोधाभास ही आज के समय में परिवारों के भीतर कलह का मुख्य कारण है जिसका परिणाम हुआ कि आज चहुँ ओर हमें अधिकाधिक रूप में एकाकी परिवार ही हमारे हमें बीच फलफूल रहा है।

एकाकी परिवार की उत्पत्ति बदलते समय में अत्यंत तीक्ष्ण औद्योगीकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण व उदारीकरण का ही परिणाम है जिस के द्वारा हमारी सनातन परिवार परम्परा का विध्वंस हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि आज मनुष्य बहुत सारे व्यसनों का शिकार है। पारिवारिक सुख की अनुभूत तो गुजरे जमाने की बात जैसी है हर परिवार में आज मानसिक तनाव, आपसी मतभेद, आर्थिक द्वेष जैसी समस्या का अधिकाधिक बास है या हम सीधे कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का बिखराव होने लगा जैसे-जैसे हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ता गया वैसे वैसे हमारे समाज में बुजुर्गों और अभिभावकों के प्रति आदर भाव में कमी होती गयी। अतः इसका परिणाम हुआ की बृद्धावस्था में शरीर क्षीण होने की वजह से हमारे माता पिता स्वास्थ्य में परस्पर कमी रहती है जिस कारण वे अधिकतर बीमार रहते हैं जिस का परिणाम होता है कि उनको परिवार में बोझ समझा जाने लगता है और वे अपने ही परिवार में उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं तथा उनके पाल्य अपने संस्कारों और दायित्वों को दरकिनार कर एकाकी जीवन को ही अपनी खुशी का आदर्श रूप मान कर संयुक्त

परिवार को विघटित कर एकाकी जीवन शैली निर्माण कर करते हैं।

वर्तमान परिदृश्य में परिवार के विघटन का मुख्य कारण परिवार में रहे लोगों की वाणी है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं की हमारे अंदर का भाव ही वाणी के रूप में व्यक्त होता है। परिवार का वातावरण शुद्ध बनाने के लिये वाणी का शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। अतः परिवार के परिवेश में कटु शब्दों का प्रयोग दूषित बनाने का कार्य करता है जिससे केवल कटुता का ही भाव बलवती होगा क्योंकि आध्यात्म के सिद्धान्त के अनुसार, जो देगा वही प्राप्त करेगा अर्थात् जैसी क्रिया हम करेंगे वैसी ही प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होगी, कटुता से कटुता, क्रोध से क्रोध, स्नेह से स्नेह, आत्मीयता से आत्मीयता की ही प्राप्ति की जा सकती है। वाणी के प्रभाव को हम महाभारत में भलीभाँति अनुभव कर सकते हैं कि कैसे एक कटु वचन सर्वनाश का सूत्रपात किया। अतः हमें परिवार में शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देने के जरूरत होते हैं जिससे परिवार के मौलिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके। ऐसा कहा भी गया है कि- “ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होये॥”

### परिवार के कार्य

परिवार जीवनशास्त्री प्रयोजन के अतिरिक्त मानव समाज के विभिन्न संस्थाओं हेतु महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी सहभागिता कर सामाजिक परम्पराओं के संवर्धन का कार्य किया है। इसके माध्यम से न केवल वंश वृद्धि और सन्तान पोषण के उद्देश्यों की पूर्ति हुई बल्कि संतानों का बौद्धिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संरक्षण एवं निर्माण परिवार जैसे उत्कृष्ट जीवन पद्धति से संभव होता है। एक नन्हा बालक अपनी प्रारम्भिक शिक्षा माँ के गर्भ से प्रारम्भ कर माँ के गोद से सीखते हुए परिवार रूपी आँगन में बोल-चाल, खान-पान, साफ-सफाई एवं कपड़ों के पहनने के ढंग आदि की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता है। साथ ही साथ वह परिवार चले आ रहे आचार, व्यवहार, धार्मिक संस्कार एवं पुरानी परम्पराओं को भी ग्रहण करता है परिवार के ही माध्यम से। हिन्दू धर्म अपने विविध त्योहारों एवं परम्पराओं हेतु सर्व विदित है। जो परिवार के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रम के समान हस्तान्तरित होता है। परिवार के माध्यम से ही संताने कर्तव्य परायणता ज्ञान प्राप्त करते हैं जहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य एक निश्चित कर्तव्य ऋण के माध्यम से आपस में पिरोये हुए है। सामान्यतः जहाँ कर्तव्य होता है वहाँ सर्वसम्मति की स्थिति सदैव बानी रहती है किन्तु जहाँ कर्तव्य नहीं है वहाँ प्रायः विरोध ही व्याप्त होता है। अतः कर्तव्य व्यक्ति को कर्म और मानसिक तनाव से ऊपर उठा देता है जिसके द्वारा व्यक्ति सेवा भावना ग्रहण करता है। दूसरों के सेवा के लिये समर्पण का भाव प्राप्त करता है। हिन्दू परिवार की व्यवहारिकता भी इसी सेवा भाव पर ही आधारित है। इस तरह के प्रेमपूर्ण वातावरण में परिवार के सदस्य स्वतः ही अपने कर्तव्यों को पहचान कर उसके प्रति सब प्रकार से अथक प्रयास कर पूर्ण करने लगा रहता है। पारिवारिक जीवन का रस छीना झपटी में नहीं है अपितु वास्तविक रस इस

कर्तव्य परायणता और समर्पण में विद्यमान है। इस स्थिति को ही भू लोक में स्वर्ग जैसा मानते हैं जहाँ हर व्यक्ति समाज के धार्मिक अन्तःकरण में भाईचारा का भाव प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कूट कूट कर विद्यमान है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिवार में कर्तव्य का बोध माता-पिता, भाई-बहन, आदि सम्बन्धियों द्वारा ही होता है। जहाँ वह समाज के धार्मिक और नैतिक आदर्शों से परिचित होता है। परिवार का वातावरण व्यक्ति को समाज के अनुरूप और उपयोगी साँचे में ढाल देता है इसी में वह दूसरों के लिये जीना सिखाता है, संयम, सदाचार और स्वार्थ-त्याग की शिक्षा ग्रहण करता है।

परिवार का मुख्य कार्य उत्तम समाज का निर्माण करते हुए आपस में मेल-जोल बढ़ाना, उत्कृष्ट संस्कारों वाले व्यक्ति, स्वतंत्र समाज का निर्माण करना, समस्त जीवधारियों में आत्मीयता का विकास करना एवं अहं जैसी काल्पनिक कपोल भावना का करते हुए वयं जैसी विराट भावना को स्थापित करना है। हिन्दू परिवारों की नीवें औद्योगिकरण, नगरीकरण, आदि के द्वारा कमजोर की जा रही है जिसकी वजह से हिन्दू परिवार के खम्भे टूट रहे हैं, छत गिर रहे हैं जिसके मरम्मत की अब नितान्त आवश्यकता है। किन्तु इसकी मरम्मत एक नये सिरे से कर पाना संभव नहीं है इस लिए नई इमारतों को बनाना अनिवार्य है परन्तु इमारत को बनाते समय हमें पुराने इमारत के ईंट, मिट्टी, चुने आदि का प्रयोग करना होगा जिससे हमारी इमारत की मजबूती बनी रहे काम खर्च में ही। इसके लिए परिवार में रह रहे व्यक्ति को संस्कारवान होना आवश्यक ही नहीं अपितु नितान्त रूप से जरूरी है।

### परिवार में व्यक्तिगत संस्कार

परिवार, समाज, समष्टि या राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है जहाँ एक ओर परिवार अपने एकत्रित उपलब्ध संसाधनों के द्वारा व्यक्ति की रक्षा और पोषण करते हैं वहीं दूसरी ओर व्यक्ति अपने गुणों से परिवार, समाज, समष्टि के साथ साथ राष्ट्र को अधिकाधिक समृद्ध और क्षमतावान बनाता है। इस प्रकार व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र तथा विश्व को अभ्युदय की दिशा में ले चलता है। लेकिन परिवार को आगे ले जा सके इसके लिए व्यक्ति में कुछ गुणों को सतर्कता पूर्वक स्थापित करना और सम्मानित करना, यह समाज धूरिणों का प्रथम कर्तव्य है। यहाँ हम उन आवश्यक गुणोंकी चर्चा करेंगे।

**1. सत्यनिष्ठा** - यदि एक शब्द में भारतीय दर्शन का परिचय देना हो तो मेरे विचार से वह शब्द है सत्यनिष्ठा। सत्य के बिना जीवन नहीं है, सृष्टि नहीं है, सृजन नहीं है और ज्ञान नहीं है। हमारे वेदों का मूलमंत्र है-**सत्यमेव जयते नानृतम**। इससे अधिक विज्ञान वाक्य कोई नहीं है। सत्यनिष्ठा संपूर्णता वैज्ञानिक अवधारणा है।

सत्यनिष्ठा जीवन में दो प्रकार से कार्य करती है। मनुष्य के मन में जो विचार हैं वही वाणी से प्रकट हों और वही कर्म को भी निर्देशित करते हों तो ऊर्जा की बचत होती है। यदि



विचार-वाणी-कर्मों में एक वाक्य तीन हो तो मस्तिष्क को वही काम तीन बार करना पड़ेगा और इसमें तीन गुनी ऊर्जा व्यर्थ ही खपत होगी। ऊर्जा का अपव्यय मृत्यु की ओर ले जाता है और उसका सही व्यय जीवन देता है।

दूसरी ओर सत्यनिष्ठा से ही ज्ञान का उदय, प्रसार या वृद्धि हो सकती है। इसलिए सत्यनिष्ठा को एक व्रत के रूप में स्वीकार कर लेने से वाणी की शक्ति बढ़ती है और ऐसा मनुष्य वाचा सिद्ध हो जाता है उस में आशीर्वाद की शक्ति आती है। हमारे राष्ट्र का बोध वाक्य भी है सत्यमेव जयते।

**2. श्रम जीविका अर्थात् मेहनत की कमाई-** मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करने हेतु परिश्रम करना पड़ता है। यही परिश्रम उसे विविध अनुभव तथा अनुभूतियां दे जाता है जो ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण हैं। हमारी संस्कृति कहती है- परिश्रम से कमाओ और उपभोग करो परंतु दूसरे के परिश्रम की कमाई को मत छुओ। चोरी मत करो अर्थात् मैं अपने परिश्रम से जो धन अर्जित करूँ वही मैं सुयोग्य मानूँ परन्तु कभी भी दूसरे के अर्जित और संचित धन के लिये मोह ना करूँ। अतः वैयक्तिक जीवन में यह अचौर्य या अस्तेय का व्रत बनाए रखना आवश्यक है। इसी कारण हमारा प्रथम उपनिषद ईशावास्य कहता है -

### मा गृधः क स्यस्विद्धनम।

**3. नियम बद्धता-** अभ्यास के गुण से व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। किसी भी कार्य को नियमपूर्वक, निरंतरता से और प्रसन्नता से करते रहना ही अभ्यास है। मन की चंचलता को दूर करने के लिए, एकाग्रता के लिए और संकल्पित कार्य को पूरा करने के लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह नियमबद्धता से आती है। इसी कारण हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपने लिए कोई एक छोटा सा नियम स्वीकार कर लो और प्रतिदिन उसका स्मरण पूर्वक निर्वाह करो तो उससे लाभकारी परिणाम अवश्य मिलते हैं। आजकल हमारे समाज में एक दोष आ गया है कि हम किसी काम को निरंतरता से करने के स्थान पर उसे एक ही बार भव्यता से उत्सव का रूप देकर करते हैं और फिर इस कार्य को और उसके उद्देश्य को भी भूल जाते हैं। यह ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करने बैठे और अधीर होकर पूरे घड़े का जल एक ही बार शिव पर उंडेल दें। निरंतरता के गुण को आत्मसात करने हेतु हमें पूर्वजों ने कुछ युक्तियां बताई हैं जैसे प्रतिदिन किसी पेड़ को पानी देना या प्रातः जल्दी उठना, नियमित समय पर पढ़ाई करना, इत्यादि। इस प्रकार से नियमपूर्वक कार्य करने को ही व्रत की संज्ञा दी गई है

**4. राष्ट्रप्रेम -** अपने नजदीकी परिवेश या समाज के चिंतन का विराट रूप है राष्ट्रप्रेम। राष्ट्र शब्द में ही राष्ट्र अर्थात् विस्तृत स्तर पर एकमान्यता होने का भाव समाहित है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर रहा है उसके साथ उसे अपनी विरासत का बोध हो, आत्मगौरव हो और उसकी सुरक्षा हेतु

वह विचारशील व प्रयत्नशील हो। वह दूर तक सोच सके, सुदूर भविष्य को देख सके और एक विस्तृत प्रदेश के निवासियों के प्रति साझा विचार कर सके। तब उसे राष्ट्र विचारक कहा जाएगा। हमारे यज्ञों में जो विश्वदेव के प्रति चिंता व हन करने का भाव है वही विचार एक प्रकार से आज की शताब्दी में भारत राष्ट्र के प्रति राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है। राष्ट्रचिंतन ना करने से हमारी पूरी विरासत, संस्कृति तथा भविष्य भी संकट में हो सकते हैं। उस संकट के प्रति सजग होकर कार्य करना यह गुण भी आज के युवाओं में अत्यावश्यक हो जाता है।

**5. शुचिता** - हमारे जीवन में शुचिता का बड़ा ही महत्व है क्योंकि इसके बिना हम जीवन के नहीं वरन मृत्यु के मार्ग पर घसीटे जाते हैं। शरीर की शुद्धि और अन्न की शुद्धि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य हेतु अत्यावश्यक है। इसी प्रकार मन की शुद्धि मानसिक स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है। एक शुद्ध मन क्रोध एवं हिंसा से रहित होता है। विचारों की शुद्धि से हम ईर्ष्या मत्सर द्वेष इत्यादि से बचते हैं एवं, हमारे आहार-विहार तथा आचार-विचार में शुचिता का अति महत्व है।

**6. शौर्य और सौहार्द** - यह गुण-युग्म प्रत्येक व्यक्ति में होना आवश्यक है। संकट की घड़ियों का सामना करने के लिए शौर्य चाहिए और समाज में बंधु भाव, समरसता तथा शांति बनाए रखने के लिए सौहार्द चाहिए। सुरक्षा व सृजन हेतु शौर्य तथा सौहार्द ये दो गुण अनन्य रूप से महत्व के हैं।

**7. ज्ञान साधना**- ज्ञान साधना का अर्थ है कि जिसे मनुष्य जीवन मिला है, समझो कि वह उसके पुण्य प्रताप से ही मिला है क्योंकि इस योनि में जीव अपनी साधना से सतत अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकता है और आकाश की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। साधना के बिना ज्ञान की अभिवृद्धि नहीं होती और ज्ञान के बिना साधना करने की बुद्धि नहीं होती। ज्ञान साधना के बिना मनुष्य निरापशू ही रह जाएगा। गीता का वचन है कि ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है।

यदि परिवार में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर इन सात संस्कारों का बचपन से अभ्यास करवाया या किया जाये तो परिवार की पवित्रता और उसका प्रयोजन दोनों को बनाया जा सकता है क्योंकि संस्कार पूर्ण व्यक्ति परिवार, राष्ट्र, या समाज के लिए मेरु दण्ड के समान है। ऐसा कहा भी जाता है कि संस्कार से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है अर्थात् परिवार या राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः हमें वैदिक परिवार के विशेषताओं एवं गुणों को अपने नये परिवार में आत्मसात् करना चाहिए जिससे परिवार की अस्मिता बनी रहे क्योंकि किसी भी सशक्त देश के आत्मोत्थान में परिवार एक आधारभूत संस्था की तरह होता है जिसके द्वारा राष्ट्र की उन्नति को दिन प्रतिदिन जाग्रति किया है। ऐसे तो जीव जगत में परिवार एक छोटी सी इकाई है परन्तु इसकी मजबूती हर बड़े से बड़े मुसीबत से रक्षा करने में सक्षम है। अतः परिवार को बिना अस्तित्व के कभी सोचा नहीं जा सकता है। क्योंकि

लोगों से परिवार बनता है और परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से संसार बनता है इसीलिए हमारे सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का भाव सिरमौर है।

### उपसंहार

अतः उपयुक्त अध्ययन से यह निश्चित है कि भारतीय हिन्दू परिवार का मूल आधार आध्यात्म है एवं समस्त कुटुम्बीजन इसी पवित्र जैविक संस्था के अभिन्न अंग है जिनका वास्तविक सरोकार परिवारजनों का उत्थान करना है क्योंकि समर्थ परिवार ही समर्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। परन्तु कालान्तर के चक्र में इसका भाव भी कही ना कही दूषित हुआ है जिसका प्रभाव वर्तमान में देखा जा सकता है। अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि परिवार के मूल भाव की रक्षा की जाये, जिससे सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रसस्त किया जा सके। क्योंकि भारतीय दृष्टि केवल आध्यात्मिक समग्रता का ही भाव रखता है, रखता था और रखता रहेगा। अतः एक मनुष्य का निर्माण करना ही हमारे कुटुम्ब का नैतिक कर्तव्य है ताकि हमारा राष्ट्र सबल हो सके और राष्ट्र सबल तभी हो सकता है जब उस राष्ट्र का हर कुटुम्बीजन एक मनुष्य हो।

**धर्म है आधार जिसका है वही परिवार अपना**

**वन बाग उपवन वाटिका सा करता हरित सब जीव को जो है वही परिवार अपना**

**त्याग आदर सेवाभाव भरता है जो हर जीव में है वही परिवार अपना**

**करता है जो अनुसंधान हरदम जीव के उत्थान हेतु है वही परिवार अपना**

**रहा ना कोई विरक्त जिससे है वही परिवार अपना**

**पाया है जिससे शील जीव कर्म के मैदान में है वही परिवार अपना**

**समाज का निर्माण कर जिसने दिया है राष्ट्र को है वही परिवार अपना**

**करता है उज्ज्वल राष्ट्र को जो है वही परिवार अपना**

**चहुँ ओर करता जागरण मातृभूमि के लिए जो है वही परिवार अपना**

**धर्म है आधार जिसका है वही परिवार अपना**

**सन्दर्भ ग्रंथ :**

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. शंख स्मृति                         | 2. वशिष्ठ स्मृति        |
| 3. दक्ष स्मृति                        | 4. मनुस्मृति            |
| 5. व्यास स्मृति                       | 6. बृहदारण्यक उपनिषद्   |
| 7. ऋग्वेद                             | 8. श्रीमद्भगवद्गीता     |
| 9. Complete work of swami Vivekananda | 10. श्रीरामकृष्ण वचनमृत |



## बौद्धकालीन चातुर्वर्ण्य व्यवस्था

डॉ. मनीषा शरण\*

---

**सार-संक्षेप :** बौद्ध धर्म का उद्भव उस धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ जो ब्राह्मणों द्वारा कर्मकाण्ड प्रधान पक्ष के फलस्वरूप हुआ था। इस काल का भारतीय समाज पूर्व की ही भाँति वर्ण और जाति पर अवलम्बित था। बौद्ध धर्म ने केवल वर्ण और जाति में व्याप्त बुराइयों की आलोचना की पर उन्हें जड़ से दूर करने के लिए कोई भी चेष्टा नहीं की। इस काल में वर्णों की गिनती ब्राह्मण से न प्रारम्भ होकर क्षत्रिय से प्रारम्भ होता है क्योंकि भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय कुल के थे। इसलिए बौद्ध लेखक वर्ण की गिनती क्षत्रिय से प्रारम्भ करते हैं। इससे वर्णगत या जातिगत अभियान अथवा अहंकार दूर नहीं हुआ। इस काल में चार वर्णों के अतिरिक्त बहुत सी व्यावसायिक जातियाँ समाज में आ गईं। प्रस्तुत लेख में इनका विशद वर्णन हम देखते हैं।

---

**बीज शब्द :** चातुर्वर्ण्य, बड़ई प्रस्तरकार, लुहार, बुनकर, कुम्भकार, रंगरेज, जौहरी, महुए कसाई, बहेलिया, नाई, मालीख नाविक, चित्रकार

भगवान बुद्ध के आविर्भाव काल की सामाजिक परिस्थिति का परिचय प्राप्त करने के पूर्व हमें यह जानलेना आवश्यक है कि इस समय उत्तरी भारत में किस प्रकार के लोग निवास करते थे। बौद्धों के जातक एवं अवदान ग्रन्थों तथा अन्य प्रकार के प्रासंगिक उल्लेखों से भी पता चलता है कि गौतम बुद्ध का पितृ कुल शाक्य वंशीय था। अतः वे शाक्यमुनि अथवा शाक्य सिंह के नामों से भी संबोधि त होते थे। गौतम शब्द उनके गोत्र का द्योतक था। शाक्यों का उन दिनों एक अपना छोटा सा जनपद था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु के निकट ही कोलियों तथा मल्लों के राज्य थे और उनके आगे वृज्जियों, लिच्छवियों, मागधों, विदिशों तथा अंग वालों के अपने-अपने राज्य थे। इसी प्रकार शाक्यों एवं मल्लों के पश्चिम काशी और कोसल राज्य थे जिनके दक्षिण चेदि लोग थे। इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश भी कहा जाता था। मध्य देश के पश्चिम कुरुवंशियों, मत्स्यों, पांचालों एवं शूरसेनों के प्रदेश थे जिनके क्षेत्र को मनु ने ब्रह्मरुषि देश का नाम दिया है।

---

\*103, श्री बैद्यनाथ अपार्टमेंट, शुक्ला कॉलोनी, चर्च रोड, हिन्, राँची, झारखण्ड

बुद्ध के समय केवल ब्रह्मर्षि देश वालों की ही विशुद्ध आर्य परम्परा के अनुगामी कहा गया है। इसके पूरब अथवा वाह्य प्रदेश वालों को कभी-कभी व्रात्य तक कह दिया जाता था जिसका अभिप्राय यह था कि इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था, विचार धारा तथा आचार व्यवहार आर्य धर्म के ठीक अनुकूल नहीं पड़ते थे। परन्तु फिर भी ये लोग अपने को क्षत्रिय मानते थे। मल्ल एवं शाक्य अपने को ओक्काकु (इक्ष्वाकु) का वंशज भी कहा करते थे। इनमें कुलाभिमान की भावना कूट-कूट कर भरी रहती थी तथा ये लोग अपनी कन्याओं का विवाह दूसरे कुलों में करना पसन्द नहीं करते थे। डॉ. विमला चरण लॉ ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि शाक्यों के पूर्वजों में कभी इसी कारण अपनी सभी बहन तक के साथ विवाह कर लेना अस्वीकृत नहीं था।<sup>1</sup> इस प्रकार ये लोग अपने को दूसरों से केवल पृथक् ही नहीं समझते थे अपितु अधिक उच्च कोटि का भी मानते थे। ये वस्तुतः किसी ऐसे आदर्श वर्ग का प्रतिनिधित्व करते समझ पड़ते थे जो किसी कुटुम्ब या जाति से कहीं ऊँचा है। डॉ. फिक का ऐसा मानना है कि उनके लिए प्रयुक्त होने वाले पालि शब्द 'खत्तिय' को हम साधारण क्षत्रिय शब्द का ठीक-ठीक पर्याय नहीं कह सकते। इसमें संभवतः उस राजन्य शब्द की भी भावना निहित है जो वैदिक युग के उन विजयी आर्य वीरों अथवा उनके वंशजों के लिए व्यवहृत होता था जिनके नेतृत्व में आर्यों ने गंगा नदी के तटवर्ती मैदानों में सर्वप्रथम अपना झण्डा फहराया था और शासन किया था।<sup>2</sup>

निस्सन्देह गौतम बुद्ध के जन्म काल में आर्यों के चातुर्वर्ण्य की भावना प्रबल रूप में प्रतिष्ठित थी। यह उनके जीवन काल में बनी रही और इसका प्रभाव उनके द्वारा प्रचलित किये गये सिद्धान्तों के रहते हुए भी बहुत कम नहीं किया जा सकता। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से केवल इतना ही पता चलता है कि इसके प्रति उनके अनुयायियों की दृष्टि ठीक वही न थी जो दूसरे लोगों की थी। उदाहरणार्थ 'वर्ण' शब्द से जो आशय पहले 'जाति' का लिया जाता था वह प्रायः 'कुल' का लिया जाने लगा। इस प्रकार शाक्यों के समाज में जो विशेष महत्व 'खत्तिय' कहे जाने वालों को दिया जाता था वह साधारणतः क्षत्रियों के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। इसी कारण 'खत्तिय कुलम' को 'ब्राह्मण कुलम' की अपेक्षा अधिक गौरव प्रदान किया जाने लगा। इस काल में वर्णों की गिनती ब्राह्मण से न प्रारंभ करते हैं। पर इससे वर्णगत या जातिगत अभिमान अथवा अहंकार दूर नहीं हुआ।<sup>3</sup> इसी तथ्य को ललित विस्तर जैसे बौद्ध ग्रन्थों ने इस प्रकार भी कहा है कि बोधिसत्व का जन्म केवल ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय कुल जाता था उसमें वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुये थे, अन्यथा वे क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते आये। उन दिनों क्षत्रिय कुल के लोगों को न केवल शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी वरन् उन्हें शास्त्रों में भी पूर्ण निष्णात् होना पड़ता था। एक ओर जहाँ वे शासन-कार्य में अभ्यस्त होना आवश्यक समझते थे वहाँ दूसरी ओर वे अध्यात्म चिन्तन में भी समय देते थे। प्रसिद्धि तो यहाँ तक है कि उपनिषदों के रचना काल से लेकर बहुत पीछे तक ब्रह्मर्षि देश के ब्राह्मण इन क्षत्रियों के साथ आध्यात्मिक विद्या की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए आया करते थे और यहाँ से प्रायः संतुष्ट होकर वापस होते थे।

बौद्धों के प्राचीन ग्रन्थों में सभी ब्राह्मणों को एक ही कोटि में नहीं समझा गया है। इन्हें दो कोटियों में वर्गीकृत किया गया है- 'आदर्श ब्राह्मण' और 'संसारी ब्राह्मण'। 'आदर्श ब्राह्मण' की श्रेणी

में जैसे ब्राह्मण को माना जाता था जो शास्त्रीय ढंग से शिक्षित और सदाचारी होते थे। पर जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म तक ही लिये रहते थे किन्तु जो सर्वसाधारण से अधिक भिन्न भी नहीं थे-संसारि ब्राह्मण की श्रेणी में आते थे। 'आदर्श ब्राह्मणों' की प्रतिष्ठा नरेशों के यहाँ उनके धार्मिक कृत्यों के अवसरों पर हुआ करती थीं तथा वे पुरोहित पद को भी सुशोभित करते थे।

गौतम बुद्ध के समय यज्ञ आदि के अनुष्ठानों की कमी नहीं थी और ऐसे समय लोग उनका सदा नेतृत्व किया करते थे। इस काल में धर्म अब बाहयाडम्बर की वस्तु रह गया था। यज्ञ बहुत महँगा हो गया था। ज्योतिषियों के रूप में शुभाशुभ कथन किया करते थे। मंत्र जाल के प्रयोग करते थे, टेष्टकों एवं विविध प्रकार के उपचारों में कुशल समझे जाते थे तथा कई बातों में परामर्श भी देते रहते थे। पर 'संसारि' समझे जाने वाले ब्राह्मण अपनी व्यक्तिगत जीविकाओं में लगे रहते थे और उन्हें कभी कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे ब्राह्मण प्रायः कृषि एवं पशुपालन में निरत रहते थे जो कुछ अंशों तक ब्रह्मर्षि देश की ओर भी स्वीकृत था। पर इधर के लोग अपने हाथ से हल भी चला लेते थे तथा अपने आप बाजारों में जाकर अन्न आदि का क्रय-विक्रय किया करते थे। इन लोगों के विषय में यह भी जानकारी मिलती है कि वे लोग कभी-कभी बढई का काम करते थे और बहेलियों तक की जीविका को स्वीकार कर लिया करते थे। इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों की अपने समान में अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी और इन लोगों के ही कारण सारे ब्राह्मण वर्ग की भी निंदा कर दी जाती थी। अतएव ब्राह्मणों को कभी-कभी अपने आपको आदर्श सिद्ध करने में बताना पड़ता था कि हम यहाँ के न लेकर मूलतः पश्चिमोत्तर प्रदेशों के निवासी हैं और इस दृष्टि से इनका एक उदीच्य ब्राह्मणों का पृथक उपवर्ग ही बन गया था।

ब्राह्मण की प्रतिष्ठा और सम्मान को बौद्ध काल में बड़ा आघात लगा था। जन्म के आधार को अस्वीकार कर कर्म को आधार माना गया था। आचारबान तथा आचार हीन ब्राह्मणों की प्रशंसा तथा भर्त्सना भी देखने को हमें मिलता है। बुद्ध ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मात्र उच्च कुल में जन्म लेने से ही कोई उच्च नहीं होता वरन् अपने सत्कर्म, सदाचार और सच्चरित्रता से ही वह उच्च हो सकता था। मज्झिम निकाय से यह स्पष्ट होता है कि केवल ब्राह्मण ही स्वर्ग में सुख भोग के सुयोग्य मात्र नहीं होते वरन् पुण्य कर्मों द्वारा 'क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र भी स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं।'<sup>4</sup> जन्म से न कोई चाण्डाल होता है न ब्राह्मण-ऐसा बुद्ध ने स्वीकार किया है।<sup>5</sup> तत्कालीन समाज में विद्वान एवं शिक्षित ब्राह्मण थे तो दूसरी ओर अविद्वान एवं अशिक्षित ब्राह्मण भी थे। जैसा कि ऊपर वर्णित है कि इस युग में ऐसे भी ब्राह्मण थे जो शास्त्रानुसार अपना कर्म करते थे। अध्ययन, अध्यापन एवं प साधना उनका प्रधान कार्य था। जातकों से यह पता चलता है कि सच्चा ब्राह्मण वही कहा जाता था जो तीनों वेदों का जाता और इतिहास, व्याकरण, लोकायत आदि का ज्ञाता होता था।<sup>6</sup> मज्झिम निकाय एवं सुत्त निपात एवं अनेक जातकों से यह स्पष्ट होता है कि दूसरी श्रेणी के वे ब्राह्मण थे जो शास्त्र-सम्मत कर्तव्यों से च्युत हो गये थे और अपनी जीविकोपार्जन के लिए अन्य कार्यों को अपना किया था।<sup>7</sup>

भारतीय वाङ्मय में वैदिक काल से ही क्षत्रिय वर्ग का स्थान समाज में दूसरा रहा है पर बौद्ध काल में उसने अपना प्रमुख स्थान बना लिया, अन्य वर्णों के साथ उसका उल्लेख सर्वप्रथम है<sup>8</sup> दीर्घनिकाय से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि स्वयं बुद्ध ने ब्राह्मण अम्बष्ठ से यह कहा था- क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही न<sup>9</sup> यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि क्षत्रिय अपने को उत्कृष्ट समझता था तथा प्रशासन और रचनात्मक कार्यों से अपने को सम्बद्ध करके समाज में उसने अपने आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान बना लिया था। बुद्ध ने क्षत्रिय को कभी भी निम्न नहीं माना है। सर्वत्र उन्होंने क्षत्रिय को उच्चस्थ पद प्रदान किया है। मार्ज्जम निकाय में भगवान बुद्ध का कथन है- हे राजन्, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र-ये चार वर्ण हैं। इनमें दो वर्ण (क्षत्रिय तथा ब्राह्मण) अभिवादन, प्रणामांजलि, अग्रासन तथा सेवा के अधिकारी हैं<sup>10</sup> इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन समाज में क्षत्रियों और ब्राह्मण के बल को वर्ण से प्रतिष्ठित थे तब इन दोनों वर्णों में भी क्षत्रिय वर्ज ही श्रेष्ठ और अग्रणी था। बौद्ध युग में क्षत्रियों की स्थिति सर्वोच्च हो गयी थी। उस युग में क्षत्रिय की प्रशंसा की गयी थी। सोनक जातक से यह पता चलता है कि राजा अरिन्दम ने अपनी जन्मना श्रेष्ठता घोषित करते हुए कहा था कि पुरोहितपुरम सोनक ब्राह्मण ही जन्मा था और मैं पवित्र क्षत्रिय वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। राज्य का शासन तथा शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करने के लिए समाज और देश में क्षत्रिय का स्थान श्रेष्ठ था।<sup>11</sup>

चातुर्वर्ण्य के तीसरे वर्ग को अधिकतर वैश्य का नाम दिया जाता है तथ बौद्ध ग्रन्थों में इसे वैश्य, 'गहपति', 'सेट्टि', 'कुटुम्बक' आदि नामों से जाना जाता था।<sup>12</sup> गहपति शब्द गृहपति के लिए आया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ग के लोगों की प्रमुख पहचान उनके अपने गृहों में रहकर प्रबन्ध करने, जीविका चलाने अथवा दूसरे शब्दों में व्यवहार निरत रहने में ही पाई जा सकती थी। इस काल में वैश्यों ने अपने धन वैभव से समाज में एक विशिष्ट स्थान बना लिया था और इस युग का अत्यन्त समृद्धिशाली और सम्पन्न वर्ग था। महावग्ग से हमें यह जानकारी मिलती है कि राजगृह के एक सेट्टि ने राजा और व्यापार निगमों का बड़ा भला किया था।<sup>13</sup> एक दूसरे जातक में ऐसा कथन है कि मगध निवासी एक सेठ ने एक भिक्षु संघ को अस्सी करोड़ कार्षापण का दान दिया<sup>14</sup> था। सेहि अथवा सेठ (बड़े व्यापारी) के साथ-साथ वह बैंक पति और सार्थवाह भी था। सार्थवाह दूरस्थ प्रदेशों की यात्रा कर व्यापार करता था। श्रावस्ती का रहने वाला अनाथपिण्डक नाम श्रेष्ठि अपनी व्यापारिक सामग्री के साथ राजगृह आता-जाता रहता था। कुटुम्बक गृहपति का घोटक था जो नगर में निवास कर क्रय-विक्रय करते थे।<sup>15</sup> सेहि अथवा श्रेष्ठि वैश्य वर्ग का घनी व्यक्ति होता था जो अपने व्यापार के लिए प्रमुख होता था। वह समय-समय पर राजा और श्रेणियों की सहायता भी करता था।<sup>16</sup> समाज में इस वर्ग की प्रतिष्ठा काफी महत्व की थी। इसी कारण ये भी अपने को प्रायः उसी प्रकार कुलीन मानने का दम भरते जिस प्रकार खत्तियों अथवा ब्राह्मणों के यहाँ चलन थी। ये लोग अपना वैवाहिक सम्बन्ध अपने वर्ण वालों में ही करना चाहते थे, रक्त-शुद्धि को सुरक्षित रखने की ओर प्रयत्नशील रहते तथा अपने कुल क्रमागत आचार-व्यवहार के विपरीत जाना पसन्द नहीं करते जिस प्रकार खत्तियों एवं ब्राह्मण किया करते थे।



चातुर्वर्ण्य के चौथे वर्ग में शूद्रों की अवस्था बड़ी ही दयनीय थी। वे हेय दृष्टि से देखे जाते थे। समाज का वह निम्नतम श्रेणी का सदस्य समझा जाता था। इसका प्रधान कर्म सेवा करना था। वे पूर्णरूप से अधिकार विहीन और सम्मानहीन थे। इन पर समाज द्वारा अनेक प्रकार के अंकुश लगाये गये थे ताकि वे सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार का ताल मेल न कर सकें। इनकी न तो खत्तियों की जैसी कोई कुल परम्परा थी जिसके कारण इन्हें समाज में विशेष महत्त्व दिया जाता, न इनका कोई सम्बन्ध उन धार्मिक कृत्यों के साथ रहा करता जिसके विशेषज्ञ होने की वजह से ब्राह्मण वर्ग प्रतिष्ठा का पात्र था और न इनके पास कोई वैसा संपत्तिजन्य साधन ही रहा करता था जिसके बल पर इन्हें कोई प्रधानता दी जाती। इसके अतिरिक्त उनमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके कार्य को प्रायः निन्दनीय ठहराया जाता और जो इसी कारण कभी-कभी अस्पृश्य तक मान लिये जाते। ऐसे लोगों में चाण्डाल, पुक्कुसों, निषादों आदि की गणना की जाती थी और ये ग्रामों के बाहर बसाये जाते थे। शूद्र तथा चाण्डाल आदि कहे जाने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत जीविका भी कर लेते थे पर इनका कोई सामाजिक महत्त्व नहीं था। बौद्ध जातकों एवं अन्य बौद्ध ग्रन्थों में भी ऐसे लोगों की चर्चा प्रचुर मात्र में की गयी मिलती है जिससे पता चलता है कि यद्यपि बौद्ध धर्म के अनुसार किसी प्राकर के वर्ग वैषम्य को प्रोत्साहन देना उचित नहीं समझा जाता था। फिर भी उसे समय की सामाजिक परिस्थिति पर ध्यान रखते हुये इसके प्रत्यक्ष अस्तित्व को भुलाया नहीं जा सकता।

शूद्रों का शिल्पी वर्ग बौद्ध युग में भी था जो विभिन्न शिल्पों से सम्बद्ध होकर समाज में प्रतिष्ठित था। उनके पेशे और शिल्प बाद में चलकर आनुवंशिक हो गये। उस काल में ऐसे शिल्प प्रधान न अनेक जातियों बन गयी थी। तन्तुकम (बुनकर), तच्चक (बढ़ई), कम्मर (कर्मार था लोहार), दन्तसार, कुम्भकार (कुम्हार) आदि विभिन्न व्यवसाय के अनुसार अनेक वर्ग बन गये थे।

**उपसंहार** - जातकों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इनकी रचना काल वाले युग में वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण प्राधान्य रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के पृथक-पृथक वर्ग भगवान बुद्ध के आविर्भाण होने के पूर्व से ही विद्यमान थे। भगवान बुद्ध के बाद भी इनका अस्तित्व बना रहा - कुछ परिवर्तन के साथ। इन चारों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग-चाण्डालों, पुक्कुसों आदि का भी था जो इनके सीधे सम्पर्क से सदा दूर ही रहता आयावर इनका अपना कुछ महत्त्व था। इन सभी वर्गों को उन दिनों अधिकतर 'जाति' की संज्ञा दी जाती थी तथा कभी-कभी इन्हें 'वर्ण' अथवा 'कुल' भी कह दिया जाता था। इनमें सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण साधारणतः इस आधार पर किया जाता था कि किस वंश में उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। परन्तु ऐसा करते समय सदा उनकी जीविका के प्रति भी ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं समझा जाता था। जातकों को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि उनके रचना-काल तक चातुर्वर्ण्य का गुण कर्म के अनुसार किया गया प्रारंभिक विभाजन बहुत कुछ पुराना पड़ चुका था। प्रत्येक जाति की कुछ न कुछ अपनी विशेषताएँ अवश्य रह गयी थीं किन्तु वह उनकी रक्षा के प्रति उतनी दृढ़ नहीं रहा करती थी, उसका विशेष ध्यान अपनी रक्त शुद्धि की ही ओर रहता था।

इस प्रकार गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल में सामाजिक परिस्थिति एवं क्षमता की आर्थिक परिस्थिति में भी रूढ़िवादिता कम नहीं थी। वर्ण-व्यवस्था का पूरा प्रचार था पर कुलाभिमान की मात्र अधिक हो जाने के कारण 'खत्तिय' वर्ग के लोग अपने को स्तर विशेष का माना करते थे। यह प्रवृत्ति प्रायः सेट्टियों में भी पायी जाती थी और कुल क्रमागत बातों को विशेष महत्व बहुत से व्यवसायों तथा जीविकाओं में भी दिया जाता था। गौतम बुद्ध ने ऐसी बातों की व्यर्थता की ओर लोगों का ध्यान अवश्य दिलाया और इस ओर न्यूनाधिक सुधार भी हुए<sup>17</sup> पर उनका उद्देश्य आध्यात्मिक होने के कारण, ऐसी बातों में यथेष्ट परिवर्तन नहीं लाया जा सका। उनकी कर्मवाद एवं जन्मान्तर सम्बन्धी धारणाओं का आश्रय पाकर इनके बहुत से अंगों के स्वामित्व विकास में ही सहायता मिली।

**सन्दर्भ:**

1. Law, Bimala Charan, Tribes in Ancient India, Poona, 1943, p. 245
2. Flick, Richard – The Social Organisation in North-East India in Buddha's Time, Calcutta, 1920,p.79
3. शरण, महेश कुमार – प्राचीन भारत, प्रथम खण्ड, वाराणसी, 1979, पृ. 307
4. मज्झिम निकाय -2, पृ.150
5. सुत्त निपात - 1.7.21,3.9.57
6. जातक ८, पृ.333,361
7. जातक ८, पृ.165
8. चुल्लवग्ग - 9,1.4
9. दीघनिकाय - 2, पृ.194
10. मज्झिम निकाय - 2, पृ.128
11. सोनल जातक - 5, पृ.257
12. महावग्ग - 6,28.4
13. महावग्ग - 8,1.16
14. जातक 1, पृ.349
15. जातक 2, पृ.388
16. महावग्ग - 8,1.16
17. दीघनिकाय - 1, पृ.51



# शोर से संगीत की ओर

वेद प्रकाश मिश्र\*

**सार-संक्षेप :** संक्षेप में इस विषय को यह कहना उचित होगा के क्रमशः सहज से कठिन और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। संगीत सर्वाधिक प्रभावी ललित कला है। संगीत के माध्यम से समाज पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। बदलते दौर में संगीत ही नहीं अपितु अन्य कला क्षेत्रों में भी अन्य विषयों के हो रहे प्रभाव के कारण एक तरफ जहाँ तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है वहीं दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व आध्यात्मिक उद्देश्य इत्यादि पक्षों में उतनी ही तेजी से संगीत की मौलिक गुणवत्ता का हास होता जा रहा है। संगीत के अत्यंत सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा को यथावत बरकरार रखना और सही दिशा में संगीत का संरक्षण-संवर्धन मानव समाज की प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। ऐसे में हमें इस ललित कला के लिए और अधिक संवेदनशील तथा सजग होने की आवश्यकता है। यह लेख मुख्यतः संगीत कला के अंतर्गत हो रहे इन नकारात्मक परिवर्तनों पर केंद्रित है।

**बीज शब्द :** लोक संस्कृति, संगीत भूत-वर्तमान व भविष्य, संगीत व दर्शन, विचार-विमर्श, संगीत के सार्थक उद्देश्य, संगीत, व आध्यात्म, मनोरंजन, चिंतन।

गीतं वाद्यं तथा नष्टं त्रयं संगीत मुच्यते।  
मार्गो देशीति तद् द्वेधाः, तत्र मार्गः स उच्यते॥  
यो मार्गितो वीरिञ्च्याद्यैः प्रयुक्तो भरतादिभिः॥  
देवस्य पुरतः शम्भोर्नियताभ्युदयप्रदः॥

(संगीत रत्नाकर, 1/1 21-22)<sup>1</sup>

संगीत के लक्षण ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि पूर्व प्राचीन काल से चल कर संगीत मध्य प्राचीन काल तक आते-आते प्रमुख दो धाराओं में विभक्त हो गया। एक मार्गी संगीत और दूसरा देशी संगीत। मार्गी को मुख्य रूप से मोक्ष का मार्ग कहा गया तथा देशी को मनोरंजन हेतु प्रयोग किया गया। संगीत के इतिहास में मध्यकाल से लेकर अब तक संगीत के अनेक स्वरूप प्राप्त होते हैं किन्तु उद्देश्य के आधार पर संगीत के मुख्यतः ये दो रूप ही प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में शास्त्रीय संगीत को मार्गी संगीत के समकक्ष तथा लोक संगीत इत्यादि को देशी संगीत के समकक्ष रख

\*शोधार्थी, संगीत एवं मंच कला संकाय (वाद्य विभाग), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

कर अध्ययन किया जा सकता है। यद्यपि प्राचीन संगीत की तुलना में वर्तमान संगीत बहुत बदल चुका है किन्तु आज भी दोनों अर्थात् शास्त्रीय संगीत और देशी संगीत का स्वरूप और उद्देश्य आपस में एक दूसरे से भिन्न ही प्राप्त होता है। अतः एक बात तो उचित मालूम होती है कि शास्त्रीय संगीत में आदि काल से निरंतर परिष्कृत हो रहे तत्वों का वास आज भी मोक्ष दायी है। किन्तु संगीत के मूल उद्देश्य से भटकता हुआ मानव समाज निरंतर और अधिक शिथिल, उदासीन होता जा रहा है।

“लोक जीवन की परिधि है। मनुष्य के प्रारम्भिक जीवन के संघर्षों की जीवन्त धारा इसी लोक से निकालकर आज तक बह रही है। प्रथम मानव का जन्म हुआ और फिर लोक की नींव पड़ी। गीत मानव समाज के साथ ही पुष्पित पल्लवित हुआ है। विचारों के प्रारम्भिक स्तर पर मानव समाज की मूलभूत तीन आवश्यकताओं अन्न, वस्त्र, विश्राम स्थल के पूर्ण होने के पश्चात् चौथी और एक तरह से अंतिम आवश्यकता है मनोरंजन तथा विचारों के और विकसित स्तर पर पहुँच कर अध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि संगीत या कोई भी ललित कला मनोरंजन और अध्यात्म दोनों के लिए एक समान उचित माध्यम हैं किन्तु सर्वविदित है कि मनोरंजन और अध्यात्म एक दूसरे से दिन और रात की तरह अलग हैं। मनोरंजन हमारे शरीर व दिमाग से सम्बन्धित है जबकी अध्यात्म शब्द में ही आत्मा है, स्वाभाविक है की अध्यात्म हमारे आत्मा की आवश्यकता है और मनोरंजन हमारे मन-मस्तिष्क की। मनोरंजन के लिए कुछ अस्वाभाविक और आकर्षक घटित होना उसकी पहली दशा है अतः कलाओं में ललित कला तथा उसमें भी संगीत कला सर्वाधिक आकर्षक व तीव्र प्रभावी साधन है मनोरंजन के लिए भी साथ ही अध्यात्म के लिए भी संगीत ही सर्वाधिक सरल और उचित माध्यम है। स्वभाव से इंसान प्रायः संगीत से आनंद प्राप्त करता है और अंततः आनंद के चरम पर पहुँच कर उसको यह आभास होता है कि जीवन में सबकुछ प्राप्त नहीं हुआ और जो हुआ वह बहुत स्थूल और नस्वर है। अतः ऐसी असन्तुष्ट अवस्था में उसके मन में यह प्रश्न आता है कि जीवन में अब इसके बाद क्या? फलस्वरूप वह अंतर्मुखी होने लग जाता है और यहीं से आत्मा जागृत होती है। अंततः अमरत्व और मोक्ष ही आत्मा के लिए सर्वाधिक वांछित उद्देश्य है।

संगीत तो संगीत है और इसमें शोर किसे कहें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि शोर क्या है? प्रश्न एक है किन्तु उत्तर अनेक हो सकते हैं। सबके सुनने और समझने के ऊपर यह निर्भर करता है। जिन बच्चों के लिए शोर उनके जागृत अवस्था में होता ही नहीं उन्हीं सोये हुए बच्चों को जगाने के लिए हल्की आहट भी पर्याप्त है। एक ही व्यक्ति जो खुश होकर ढोल बजा कर नाचना चाहता है वही जब उदास या दुखी होता है तो ढोल की आवाज से परेशान हो जाता है। लोक संगीत के कनसुरे स्वर शास्त्रीय संगीत के स्वर साधक को कभी नहीं भाएगा। अत्यंत सुंदर राग एक बैरागी को कृत्रिम लगेगा। अनेक मानसिक दशाओं के लिए शोर अलग-अलग परिभाषित होगा। संगीत में समान भाषा बोली के लोगों को साहित्य सबसे पहले व सहजता से समझ आता है और फिर ताल पर थिरकना दूसरी सहज दशा है तत्पश्चात् धुन और अंत में स्वर और फिर श्रुति और नाद के समझने के पश्चात् अनहद नाद पर आकार यह प्रक्रिया अपने अंतिम सोपान को प्राप्त होती है अतः यहाँ प्रश्न उस सूक्ष्म अनहद नाद

पर केंद्रित है और अंततः एक परिपक्व मस्तिष्क के लिए (जो निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसर है) इस प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में यह होगा के भविष्य के समक्ष वर्तमान शोर है। प्रायः मानव मस्तिष्क स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्राएं करता है। यदि कोई व्यक्ति देशी संगीत या मनोरंजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले संगीत की ओर से शास्त्रीय संगीत की ओर अग्रसर हो तो यह सकारात्मक और सार्थक यात्रा होगी किन्तु आजकल इसका उलट होता अधिकाधिक देखा जा रहा है।

प्रायः लोग संगीत की सूक्ष्मता की ओर न जाकर शोर का आनंद ले रहे हैं और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि प्रारम्भिक स्थिति यही हो सकती है। किन्तु इसका लाभ लेने के लिए लोग (जिन्हें संगीत का प्रारम्भिक ज्ञान है) अच्छे संगीत को भी विकृत कर के परोस रहे हैं। समस्या यह है कि जिन्हें कुछ भी बोध नहीं है संगीत का वह शोर में भी आनंदित हो रहे हैं। हर तरफ संगीत के कृत्रिम रूप को सराहा जा रहा है, मोक्षदायी संगीत को धीरे-धीरे शोर में तब्दील किया जा रहा है। संगीत से शोर की यात्रा में मनुष्य ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और यह क्रम आज से शुरू नहीं हुआ है इसके अनेक कारण और कारक हैं जो एक शोध का विषय है। संक्षिप्त में यह कहना उचित होगा के लोगों के वैज्ञानिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं के कारण उनमें भोग-विलासिता की वृद्धि हुई है जीवन को सरल बनाकर इंसान ने इंसानियत को ही दाव पर लगा दिया है। समय का एक वृहत हिस्सा लोगों का अनावश्यक के कार्यों में लगता है या दूसरी तरफ आजीविका चलाने में, उनके पास योग, संगीत, ध्यान के लिए समय नहीं है और है भी तो पर्याप्त नहीं है। यद्यपि आज भी अपवाद स्वरूप योगी संगीत साधक अपना शत-प्रतिशत देने में सफल हो रहे हैं। किन्तु एक बहुत ही वृहत जनसंख्या संगीत की इस पहलू से सम्पूर्ण जीवन अपरिचित रह जाती है। जिस संगीत के माध्यम से इंसान परम सत्ता को समझ सकता है उसी संगीत के सहारे वह मनोरंजन मात्र भर करता रहता। तीन प्रमुख आवश्यकताओं रोटी कपड़ा और मकान के लिए इंसान हमेशा बेहतर से बेहतरीन अपेक्षाएं रखता है व साथ ही उसकी आपूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत भी रहता है। परंतु चौथे और महत्वपूर्ण आवश्यकता के लिए क्रमशः लापरवाह होता है और यही कारण है कि एक विशेष समुदाय या समाज में मनोरंजन के साधनों व उसकी गुणवत्ता के स्तर में तो हास होता ही जाता है उसके आध्यात्मिक उद्देश्यों का भी अस्तित्व समाप्त होता चला जाता है।

संगीत के भविष्य के रूप में आ रहे नए प्रतिभाओं व साधकों के सर पर संगीत का समग्र उद्देश्यपरक विकास और संरक्षण निर्भर है। अतः आवश्यक हो जाता है की संगीत की परम्परिक ज्ञान का सुव्यवस्थित हस्तांतरण हो। संगीत को ललित कला होने के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों में एक प्रायोगिक विषय के रूप में भी स्थान प्राप्त हो चुका है जो एक सकारात्मक और सर्वसुलभ व्यवस्था है। किन्तु इस गुरुमुखी विद्या के लिए गुरु व शिष्य दोनों का ही निःस्वार्थ भाव सर्वदा अपेक्षित है। हमारे लक्षण ग्रंथों में विद्वान शास्त्रकारों ने संगीत के संदर्भ में हर सम्बन्धित बिन्दु पर सूक्ष्मता से विधिवत वर्णन किया है जिससे संगीत को समझना और सीखना असहज एवं कम से कम असंभव तो प्रतीत नहीं ही होता है।

राग की परिभाषा 'ध्वनि की ऐसी रचना जो स्वर वर्ण के साथ जाति के ग्रह अंश आदि त्रयोदश लक्षणों से लक्षित हो, तथा जो लोगों के चित्त का अनुरंजन करती हो, वह राग है।'<sup>3</sup> राग से पहले भी संगीत था, राग गायन की जिस स्वरूप से हम परिचित हैं, वह नया है और परिवर्तनशील भी। अतः वर्तमान समय की संगीत के उद्देश्य को यथा स्थिति बनाए रखना और प्राथमिकता देना अधिक आवश्यक है तथा चुनौती भी। यद्यपि परीक्षा और प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति में विद्यार्थी से संगीत का मूल उद्देश्य छूट जाता है। किन्तु विद्यार्थी को सीमित शब्दों में लिखी गई किताबी परिभाषाओं के आगे कल्पना करना होगा और यही इन परिभाषाओं की सार्थकता है न कि परीक्षा मात्र में उत्तीर्ण होने के लिए कंठस्थ कर लेना। राग का किस तरह प्रकृति, पहर, आध्यात्म, रस-भाव इत्यादि से सूक्ष्म सम्बन्ध है, इसे स्वयं चिंतन-मनन कर के समझना व संतुष्ट होना होगा। जीवन पर्यंत चलने वाली साधना यदि किसी भी तुच्छ कारणों से बाधित हो तो यह सर्वथा अनुचित है। इसी सन्दर्भ में कुमार जी की कही एक बात है के 'मैं तृप्त हो जाऊंगा, तब मेरा गाना खत्म हो जाएगा। ऐसा कहने वाले कुमार जी आखिर तक अतृप्त रहे।' इससे अधिक प्रेरणादायी और सुंदर बात किसी भी संगीत साधक के लिए और क्या होगी।

लक्षण को लक्ष्य मानने का भ्रम स्वाभाविक है किन्तु इस भ्रम का समाधान अत्यंत आवश्यक है जो एक गुरु ही कर सकता है। संगीत को गुरुमुखी विद्या इसी लिए कहा गया क्योंकि संगीत, किसी की नकल भर कर लेना नहीं है। गुरु के सिखाए राग को उनकी तरह गा लेना प्रस्तुति के लिए पर्याप्त हो सकता है किन्तु वही राग एक समय में जाकर भयानक असंतोष उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए पण्डित कुमार गंधर्व के जीवनी का अध्ययन करने पर प्राप्त होता है कि बचपन से ही किसी भी बड़े उस्ताद की हूबहू नकल कर सकने वाले कुमार गंधर्व जी 'देवधर जी की चर्चाएं सुनकर मन ही मन प्रतिज्ञा कर बैठे थे कि न तो किसी की तरह गाऊंगा, न अब तमाम उम्र किसी की नकल उतारूंगा और इधर हालत यह कि स्वर ठीक लग रहा है या नहीं। संदेह और असमंजस की इस अवस्था में कई बार मन की व्यथा तीव्र हो जाती और एक बार तो यह व्यथा कुछ इस कदर नुकीली हो गई कि निराशा, निरुत्साह तथा स्वयं को पराभूत अनुभव करने पर रास्ता चलते-चलते ही (पवेल कम्पनी के वहाँ) कुमार जी रो पड़े।'<sup>5</sup> पूर्वजन्म के गुणों के साथ जन्में कुमार जी ने स्वयं अनुकरणात्मक संगीत का खण्डन कर के समूचे संगीत साधकों के लिए उचित मार्ग प्रसस्त किया। अतः अनुकरण और खोज में अंतर समझ कर लक्ष्य का उचित निर्धारण और फिर लक्षण की सहायता से लक्ष्य को प्राप्त करना ही संगीत की सार्थकता है। प्रायः संगीतकार अनुकरण करने की एक सीमा के बाद भली भाँति परिचित हो ही जाता है संगीत की सूक्ष्मता और गूढ़ता से परिचित होकर भी अपरिचित होने का अभिनय करना उसकी विवशता ही सिद्ध होती है अतः इसका समाधान संगीतकार और संगीत प्रेमी श्रोताओं को सम्मिलित रूप से करना होगा।

एक श्रोता व संगीत साधक दोनों के लिए नाद की उत्पत्ति आत्मा से प्रारंभ होती है। मन से होकर तत्पश्चात् देह में स्थित अग्नि पर आघात होता है फिर अग्नि के द्वारा प्राणवायु को प्रेरित करने के बाद ब्रह्म ग्रन्थि से वायु क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा से होकर अंततः मुख तक पहुँचती है और इस

सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात ध्वनि का आविर्भाव होता है। सर्वप्रथम इस क्रम को समझ कर नाद की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रयोग से सिद्ध करना तत्पश्चात नाद के क्रमशः कृत्रिम, अनुपुष्ट, पुष्ट, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म प्रकारों को साधन के द्वारा सिद्ध अंततः अनहद नाद की यात्रा तक पहुँच पाना ही शोर से संगीत की यात्रा है। संक्षेप में निष्कर्ष यही है कि संगीत कला उचित मायने में सार्थक सिद्ध तब होगी जब वह व्यक्तिगत रूप से आंतरिक व आत्मीय हो एवं उसका उद्देश्य परम सत्ता को समर्पित हो। यद्यपि लोक रंजन संगीत की एक विशेषता है किन्तु मानव जाति के लिए संगीत को आध्यात्मिक साधना हेतु अपनाया जाना सर्वाधिक हितकर सिद्ध होगा। “संगीत मुख्यतः प्रयोगात्मक ललित कला है, जिसका मूल उद्देश्य आत्मसंस्कृति है।”<sup>6</sup> इस विचार से सहमत होने हेतु योग्यता व बोध प्राथमिक आवश्यकता है। तत्पश्चात शोर से संगीत की यात्रा प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहने वाली इस यात्रा में जो अनुभूति हमें प्राप्त होगी वह किसी भी भौतिक संसार के क्षणिक आनंद से कहीं अधिक सुखकर होगी।

कहा जाता है की मनुष्य संगीत के बिना पूँछ विहीन पशु के समान है किन्तु आज के युग में इस कहावत में एक संशोधन की आवश्यकता का आभास होता है। संगीत के विकृत रूप और शोरगुल जिसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है और ऐसे संगीत से क्षणिक आनंद प्राप्त करने वाले मनुष्य आधे पशु हैं और उन्हें शोर से संगीत की यात्रा प्रारम्भ कर के पूर्णता की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसके लिए उन्हें तन-मन की थकान को कम करने वाला संगीत सुनना या गाना चाहिए न की शरीर को और थका देने वाला शोर। शोर से संगीत तक की अंतर्मुखी यात्रा में शामिल होना प्रत्येक मनुष्य की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है, इसका बोध होना व ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना जो इस बोध के लिए हमारा उचित मार्गदर्शन करे यह प्रत्येक मनुष्य के लिए सौभाग्य की बात है है।

#### सन्दर्भ:

1. देशपाण्डेय, वामन हरी (1991), रसास्वाद, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, अनुवाद डॉ. विजय बापट,।
2. निरगुणे, वसंत (2012), लोक संस्कृति, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बयान गंगा भोपाल।
3. पाठक, डॉ. सुनंदा (2016), हिन्दुस्तानी संगीत में राग की उत्पत्ति और विकास, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. पोतदार, वसंत (2006), कुमार गंधर्व, मेधा बुक्स नवीन शहादरा, दिल्ली, 110031।
5. शर्मा, डॉ. पंकजमाला (1996) सामगान उद्भव व्यवहार और सिद्धांत, कात्यायन वैदिक साहित्य प्रकाशन, होशियारपुर।
6. शर्मा, डॉ. मनोरमा (2013), संगीत की अनुसंधान प्रक्रिया, हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकूला।



## स्थानीय स्वशासन : प्राचीन भारतीय विरासत

डॉ. ब्रजेश कुमार मिश्र\*

**सार-संक्षेप :** भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। समकालीन विश्व में इसी इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखने के निमित्त भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारी सनातन परम्परा को स्वीकार किया। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन के विषय को नीति निर्देशक तत्व में रखकर इसे राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया तथापि समय के सापेक्ष इसे संवैधानिक स्थिति मिली और वर्ष 1993 में यह पंचायती राजव्यवस्था के रूप में मूर्त रूप में आया। स्थानीय स्वशासन की प्रेरणा वैदिक संस्कृति से मिली है। प्राचीन भारत में विभिन्न काल-खण्डों में स्थानीय प्रशासन की सफलता के प्रमाण मिलते हैं। 10वीं शताब्दी ई० में स्थानीय स्वशासन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। सल्तनत और मुगलिया शासन में इसे वह स्थान नहीं मिला जो चोल साम्राज्य में था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन के बाद इस सन्दर्भ में प्रयास किये गए। सन् 1935 के अधिनियम में इससे स्वायत्तता मिल चुकी थी। स्वतन्त्रता के बाद इस दिशा में प्रयास जारी रहे बलवन्त राय मेहता 1957 से लेकर थुंगन समिति 1988 तक अनेक समितियों के जरिए इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने का यत्न किया गया अन्ततः 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे वर्तमान स्वरूप मिल सका। प्रस्तुत शोध-पत्र में पंचायती राज व्यवस्था के विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

**बीज शब्द :** स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, बलवन्त राय मेहता समिति और 73 वाँ संवैधानिक संशोधन।

1992 में संविधान में 73वाँ संवैधानिक संशोधन हुआ। यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किये जाने पर आधारित था। यह संशोधन पंचायती राजव्यवस्था के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस संशोधन ने भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू कर नये युग का सूत्रपात किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग, भाग-9 और एक नयी अनुसूची (11) जोड़ी गयी। अनुच्छेद 243 में 243 से लेकर 243 'O' तक कुल 16 नए अनुच्छेदों को

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, अखिल भाग्य, महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर



जोड़ा गया।<sup>1</sup> लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 22 तथा 23 दिसम्बर 1992 को पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के पश्चात् 26 अप्रैल 1993 को राजपत्र में प्रकाशित होकर यह अधिनियम अपनी पूर्णता को प्राप्त किया।<sup>2</sup>

यद्यपि 26 अप्रैल 1993 को पंचायतीराज व्यवस्था भारत में संवैधानिक रूप से स्थापित हुई तथापि इसके बीज वैदिक काल के पूर्व विद्यमान थे। अपने पराभव के समय सैन्धव संस्कृति ग्रामीण हो चली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों तथा सिंधु घाटी के सभ्यता के पतनोपरान्त सरस्वती नदी के तट पर वैदिक ग्रन्थों की रचना हुई। वैदिक मन्त्रों में गाँवों की समृद्धि की प्रार्थना की गयी है।<sup>3</sup> जातक कथाओं में गाँवों को किसी प्रदेश की समृद्धि का प्रतीक माना गया है। डॉ० अल्टेकर ने लिखा है कि चूँकि वैदिक काल के राज्य छोटे होते थे, इस कारण गाँवों का महत्व बढ़ गया राज्यों के विस्तार के बाद भी गाँवों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।<sup>4</sup> महावग्ग में आया है कि बिम्बिसार शासन सम्बन्धी विषयों पर बात करने के लिए गाँव के मुखियों को बुलाते थे।<sup>5</sup> इन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय राज्यों की समृद्धि इन्हीं गाँवों पर आधारित थी।

ग्रामीण शासन का प्रमुख 'ग्रामणी' था। इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। पहली शताब्दी ईसवी के प्रारम्भिक वर्षों में उत्तर भारत में इसे 'ग्रामीक' या 'ग्रामयक' के नाम से जाना जाता था। तैलंगदेश में 'मुनुन्द' शब्द का प्रयोग ग्राम के शासन व्यवस्था को देखने वाले के लिए किया जाता था।<sup>6</sup> इसी प्रकार 600 ईसवी से लेकर 1200 ईसवी के बीच महाराष्ट्र में 'ग्रामकूट' या 'पट्टकील', कर्नाटक में 'गावुन्द' शब्दों का प्रयोग गाँव के प्रशासन देखने वालों के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक काल की स्थानीय शासन व्यवस्था के सन्दर्भ में इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि "स्थानीयशासन साधारण था और इसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उसका चयन राजा के द्वारा किया जाता था और कुछ समय पश्चात् यह पद आनुवांशिक हो गया।"<sup>7</sup>

ग्रामीण को वैदिक काल में रत्नियों में स्थान मिला था। जातक कथाओं में उसे गाँवों का राजा बताया गया। राजपूत काल में राजा किसी गाँव में भूमिदान करने से पहले उसके मुखिया से बहुधा राय लेता था।

गाँव के प्रमुख का मुख्य कर्तव्य गाँव की रक्षा करना था। सांख्य तत्व कौमुदी में आया है "स्वसैन्येन सह ग्रामाध्यक्षादिसैन्यं सर्वाध्यक्षस्य भवति।"<sup>8</sup> अर्थात् वह गाँव के स्वयंमसेवकदल और पहरेदारों का नायक था। इसके अतिरिक्त उसका कार्य सरकारी करों को उगाहना था। साथ ही वह राज्य का कर भी वसूलता था। उसके महत्व को देखते हुए मुखिया को ग्रामवासियों का माता-पिता के रूप में व्यक्त किया गया है।<sup>9</sup>

गांवों के देख-रेख के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारणी-समिति या परिषद काम करती रही होगी। वैदिक युग में सभा ग्राम पंचायत या परिषद के साथ सामाजिक गोष्ठी का कार्य करती थी। इसमें ग्राम-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य तो होते ही थे, साथ ही सदस्यगण सामाजिक चर्चा और खेल इत्यादि भी खेलते थे। मौर्ययुग में ग्राम संस्था सार्वजनिक प्रमोदजनक और उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करती थी। इस काल तक गांवों में समिति या उपसमिति का उल्लेख नहीं मिलता है। किन्तु अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्धों का वर्णन मिलता है।<sup>10</sup> ग्राम समितियों का विकास गुप्तकाल में हुआ। मध्यकाल में इन्हें 'पंचमण्डली' कहा जाता था। पल्लव और वकाटक राज्य में यद्यपि ग्राम वृद्ध गांव का शासन करते थे, तथापि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गुप्तकाल के समान कोई समिति विकसित हुई हो। राजपूत काल से प्राप्त कुछ लेख इस तरु संकेत करते हैं कि अब तक ग्रामीण शासन में कार्यकारणी समितियाँ अस्तित्व में आ चुकी थी परन्तु यदि इसी युग के गहड़वाल लेखों को देखा जाय तो विदित होता है कि कोई नियमित समिति संगठित नहीं हुई थी।<sup>11</sup>

प्राचीन भारत में सर्वाधिक सशक्त, सुस्पष्ट और विस्तृत स्थानीय शासन-व्यवस्था का प्रमाण चोल राजवंश के लेखों में मिलता है। तमिल देश में ग्रामसभा और उसकी समितियाँ ठीक ढंग से कार्य कर रही थी।<sup>12</sup> तमिल साहित्य में (जो चोल साम्राज्य पर विस्तृत प्रकाश डालती है) गांवों की सभा के लिए 'उर' शब्द और अग्रहार ग्रामों के लिए 'सभा' शब्द का प्रयोग किया जाता था। कभी-कभी दोनों तरह की संस्थाएँ एक ही गांव में पायी जाती थीं, इसका एक प्रधान कार्यकारणी समिति या पंचायत चुना जाता था, 'उर' में एकत्र सभी ग्रामवासी अपने मत से चुनाव करते थे। अग्रहार ग्रामों में ग्रामसभा और उसकी कार्यकारणी का सबसे अच्छा और विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके निवासी ब्राह्मण होते थे, जो समाज के सबसे सुसंस्कृत और शिक्षित वर्ग थे। यही से हमें पंचायतों के विधान का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। नीलकण्ठ शास्त्री ने उत्तर मेरूर ग्राम में प्रसिद्ध लेखों के आधार पर यह विवरण प्रस्तुत किया है। इन गाँवों का साक्ष्य बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में 'उत्तर मल्लूर' नाम से चिंगलीपत जिले में मिला है। इन गाँवों का शासन कार्य ग्रामसभा की पाँच उप-समितियों द्वारा होता था। सभी सदस्य अवैतनिक कार्य करते थे और इनका कार्यकाल एक वर्ष का होता था।

इस प्रकार से प्राचीन भारत में ग्रामीण शासन पद्धति वैदिक काल में ही आरम्भ हो गयी थी तथापि इसे विस्तृत और व्यवस्थित स्वरूप चोलकाल में ही आकर मिल सका। चोल शासन काल में ग्राम-सभा एवम उसकी समितियों का कार्य बढ़ गया था। इस काल तक आते-आते समुदायों का शक्तिशाली संगठन स्थापित हो गया था। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली बहुत हद तक जनतन्त्रात्मक हो चली थी। कुल मिलाकर वर्तमान व्यवस्था की तरह ही इस समय भी ग्राम पंचायतें अपनी अनेक समितियों एवं उपसमितियों के द्वारा स्थानीय प्रशासन तन्त्र को नियन्त्रित करती थीं।<sup>13</sup>

चोल साम्राज्य में जिस समय स्थानीय शासन पर जोर दिया जा रहा था, उसी समय उत्तर भारत वाह्य आक्रमणकारियों से जूझ रहा था। 1000 ईसवी से लेकर 1026 ईसवी तक महमूद गजनवी ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों ने उत्तर भारत के शासन व्यवस्था को अस्थिर कर दिया। महमूद गजनवी के लगभग दो सौ वर्षों बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। 1192 ईसवी के ताराईन युद्ध ने भारत में इस्लामी राज्य की पटकथा लिख दी। सन् 1206 ईसवी में गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मम्लूक वंश अथवा गुलाम वंश की नींव रखी। इसके पहले गजनवी और गोरी ने भारत में लूट को प्राथमिकता दी न की शासन को इन लूटेरे आक्रमणकारियों ने भारत के ग्रामीण समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। लेकिन गोरी के उत्तराधिकारियों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उसका प्रभाव ग्रामीण प्रशासन पर पड़ा।<sup>14</sup>

सल्तनत काल में राजस्व संग्रह व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। बड़े पैमाने पर ग्रामीण समुदाय ने अपने स्थानीय मामलों का प्रबन्ध अपने पास रखा। पहली बार शेरशाह सूरी के समय से सामान्य व कर प्रशासन में सुधार किया गया।<sup>15</sup> यह सुधार मुगल काल में और भी अधिक किए गए। इस युग में गाँव एक प्रशासनिक इकाई थी। मुगल शासकों ने ग्राम प्रशासन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने जमींदारों को गाँव से राजस्व प्राप्त करने का एक एजेण्ट बना दिया। इससे पुरातन ग्राम स्वशासन व्यवस्था कमजोर हो गयी।<sup>16</sup> सन् 1764 के बक्सर युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन जब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी तब ग्रामीण संस्थाओं का स्वरूप विनष्ट हो गया और प्रशासन का स्वरूप एकीकृत हो गया। सन् 1857 के क्रांति के पश्चात् 1858 ई0 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और भारत का प्रशासन कम्पनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। सन् 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया। इसने वैधानिक एवं वित्तीय विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाने पर जोर दिया फलतः नगरपालिका तथा जिला परिषदों के रूप में स्थानीय स्वशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ।<sup>17</sup>

वस्तुतः पहली बार लार्ड मेयो के शासन काल में 1870 ई0 में बंगाल चौकीदारी अधिनियम पारित किया गया जिसमें परम्परागत ग्राम पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया। इस अधिनियम ने जिला मजिस्ट्रेटों को गाँवों में नामांकित सदस्यों वाली ग्राम पंचायतें गठित करने का अधिकार प्रदान किया। ये कर लगा सकती थी, ताकि अपने द्वारा नियुक्त चौकीदारी को वेतन दे सकें।<sup>18</sup> सन् 1881-82 में लार्ड रिपन के शासनकाल में एक नया अधिनियम आया, जिससे स्थानीय स्वशासन के नियम का विस्तार हुआ। कदाचित इसीलिए लार्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के लिए निम्नांकित प्रमुख प्रावधान किए गए थे।<sup>19</sup>

1. स्थानीय स्वशासन हेतु गठित समितियों एवं बोर्डों के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि ही होंगे।
2. समितियों एवं बोर्डों के गैर सरकारी सदस्य स्थानीय जनता के द्वारा चुने जायेंगे।

3. प्रत्येक प्रान्त अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव को लागू करेंगे।

यद्यपि लार्ड रिपन का यह प्रतिवेदन लागू तो किया गया किन्तु वह मूर्त रूप न ले सका। स्थानीय संस्थाओं के विकास के क्रम में सन् 1908 में हाब हाउस की अध्यक्षता में एक पुनर्गठन आयोग द्वारा यह निश्चित किया गया कि जिला बोर्ड, अधीनस्थ जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों का भी विकास किया जाए। सन् 1908-09 की मान्टेग्यू चेम्फोर्ड रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि “यथा सम्भव स्थानीय निकायों में पूर्ण लोकप्रिय नियन्त्रण होना चाहिए तथा बाध्य नियन्त्रण से उन्हें अधिकाधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए।”<sup>20</sup> सन् 1909 ई० में पारित भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई तथा स्थानीय स्वशासन पूर्ण रूप से प्रान्तीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। प्रत्येक प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित कई अधिनियम पारित किये गये। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को यहाँ से मूर्तरूप मिलना शुरू हो गया। निर्वाचित मंत्रियों के अधीन स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित विषय रहने के कारण विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों ने इसमें काफी रूचि दिखलाई।<sup>21</sup> सन् 1935 ई० के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय स्वायत्तता का आरम्भ और विकास हुआ। स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए बम्बई, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के राज्य सरकारों ने कुछ ठोस कदम उठाये तथा सुधार एवं सुझाव हेतु कई समितियों का गठन किया। 1939 ई० में द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ हो जाने से इस पर विराम लग गया और 1946 ई० तक स्थानीय स्वशासन पर संकट के बादल मड़राते रहे।

### स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन के सन्दर्भ में प्रयास

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रणेता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज तथा पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। महात्मा गांधी गांवों को एक संगठित आत्मनिर्भर इकाई बनाना चाहते थे, जो जीवन के प्रत्येक जरूरतों को स्वयं पूरा कर सकें। स्थानीय मामलों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का हस्तक्षेप न्यूनतम हो तथा गांवों को विशेष अधिकार प्राप्त हो, जिससे वह ग्रामीण प्रशासन एवं न्यायिक कार्य स्वयं कर सकें। गांधी जी का विचार था कि सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए बीस लोगों द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। गांव के प्रत्येक नागरिक एवं सदस्यों के द्वारा ही इसे मूर्तरूप दिया जा सकता है। पंचायत जन सेवा के लिए होती हैं यदि एक गांव भी पंचायती राज चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता।<sup>22</sup> स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ, तब गांधी जी के विचारों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया किन्तु बाद में गांधी जी के विरोध के बाद राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय में अनुच्छेद 40 में राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह गांवों में पंचायतों की स्थापना करने तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ देने के लिए उचित कदम उठायेगा जो स्थानीय स्वशासन के लिए आवश्यक हो।<sup>23</sup>

ग्राम स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए सन् 1952 ई0 में सामुदायिक विकास योजना लागू की गयी, जिससे ग्रामीण जनता सहभागी बन सके। इस सम्बन्ध में सन् 1956 ई0 भारत सरकार द्वारा एक नियमित सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गयी। सामुदायिक विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अध्ययन एवं मूल्यांकन के लिए योजना आयोग ने जनवरी 1957 ई0 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक “प्लान प्रोजेक्ट्स कमेटी” की स्थापना की, जिसे ‘बलवंत राय मेहता समिति’ के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य इस बात का पता लगाना था कि सामुदायिक विकास योजना तथा कार्यक्रम किस सीमा तक लोगों में स्थानीय विषयों में रूचि पैदा करने तथा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में निरन्तरता बनाए रखने के लिए संस्थाओं का निर्माण करने में सफल रही है? साथ ही किस तरह से इन योजनाओं के प्रति लोगों की रूचि और सहभागिता को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है? यह समिति ने अपनी जाँच में इस निष्कर्ष पर पहुँची कि तदर्थ सलाहकारी संस्थाएँ सामुदायिक विकास योजनाओं में लोगों की रूचि और जन सहभागिता बढ़ाने में किल रही है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया कि ग्रामीण विकास के लिए तदर्थ सलाहकार समितियाँ के स्थान पर नये लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया जाए और कानून बनाकर व्यापक अधिकार और कर्तव्य दिये जाएँ। उन्हें महत्वपूर्ण दायित्वों के पालन के लिए प्रशासकीय सहायता तथा पर्याप्त साधनों से सम्पन्न किया जाये।<sup>24</sup>

बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज की विस्तृत रूपरेखा की संस्तुति की। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायती समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने इन तीनों स्तरों की संस्थाओं को आंशिक रूप से सम्बद्ध करते हुए उनके संगठनात्मक और क्रियात्मक सम्बन्धों की रूप-रेखा प्रस्तुत की। इस समिति के प्रतिवेदन के अनुरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। इसके बाद धीरे-धीरे पूरे भारत में इसे लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए पाँच मौलिक सिद्धान्तों को रेखांकित किया जो निम्नलिखित है।<sup>25</sup>

1. ग्राम से लेकर जिले स्तर पर त्रिस्तरीय आपस में सम्बद्ध स्थानीय स्वशासन निकाय होना चाहिए।
2. इन निकायों को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने योग्य बनाने के लिए शक्ति एवं उत्तरदायित्व का यथार्थ हस्तान्तरण होना चाहिए।
3. इन निकायों को उत्तरदायित्व पूरा करने योग्य बनाने के लिए पर्याप्त आवश्यक संसाधनों का हस्तान्तरण होना चाहिए।

4. ग्राम, खण्ड एवं जिला स्तर पर सभी कल्याणकारी और विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों को केवल इन निकायों के माध्यम से ही जनता तक पहुँचाया जाना चाहिए।
5. त्रिस्तरीय व्यवस्था को शक्ति एवं उत्तरदायित्व का अन्तरण तथा प्रकीर्णन भविष्य से और आगे बढ़ाना चाहिए।

बलवन्त राय मेहता समिति के पश्चात स्थानीय शासन को प्रभावी बनाने, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा उसे व्यवहार के धरातल पर लाने के निमित्त क्रमशः अशोक मेहता समिति, जी०बी०के० राव समिति, एल०एम० सिंधवी समिति का गठन किया गया। इन समितियों के प्रतिवेदनों का व्यापक प्रभाव पड़ा। सन् 1985 से 1992 का दौर स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक स्वर्णिम दौर था। एल०एम० सिंधवी समिति में जहाँ संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी वहीं 1988 ई० में पी०के० थुंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक हैसियत देने के अलावा इन इकाइयों को तीन स्तरीय ढाँचा प्रदान करने और समितियों की सहायता से कार्य करने की सलाह दी। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से 24 अप्रैल, 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में नियत समय में चुनाव कराने, सभी वर्गों की भागीदारी देने और बेहतर वित्तीय आवंटन कर पंचायतों को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं -

संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अध्याय-9 जोड़ा गया। इस अध्याय में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची (ग्यारहवीं अनुसूची) जोड़ी गई। इस अधिनियम के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

1. **ग्राम सभा** - प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी और वह राज्य विधान मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकारों का उपयोग और कार्यों का निष्पादन करेगी।
2. **पंचायतों का गठन** - अनुच्छेद 243 (ख) में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा, किन्तु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जायेगा, जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक नहीं है।
3. **पंचायतों की संरचना** - ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जायेगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे न होकर निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेगा, लेकिन ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चयन करने का निर्णय राज्य विधान मण्डल को दिया गया है।

4. **पंचायतों में आरक्षण** - (1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तरों पर स्थान आरक्षित रहेंगे। आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। (2) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, और चक्रानुसार से पंचायत के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।
5. **पंचायतों का कार्यकाल** - प्रत्येक राज्य की पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल सामान्य रूप से पाँच वर्ष निश्चित किया गया है, किन्तु अगर कोई पंचायत विघटित कर दी जाती है तो नयी पंचायत का गठन शेष अवधि के लिये किया जायेगा।
6. **सदस्यों की योग्यता** - पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिये - (i) व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, (ii) वह व्यक्ति प्रवृत्ति विधि के अधीन राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता (आयु के अतिरिक्त अन्य योग्यताएँ) रखता हो, (iii) वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
7. **पंचायतों के निर्वाचन** - पंचायत के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। इसके लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसे केवल उसी रीति और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
8. **पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व** - संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ग्यारहवीं अनुसूची ऐसी विषयों के सम्बन्ध में हैं जो राज्य सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सौंपना चाहे। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के लिए निर्धारित कार्य निम्नवत् हैं-
  - (1) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है, (2) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण, (3) लघु लसचाई, जल प्रबन्ध और जल आच्छादन विकास, (4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, (5) मात्स्यकी, (6) सामाजिक वनोद्योग

और फार्म वनोद्योग, (7) लघुवन उत्पादन, (8) लघु उद्योग जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, (9) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, (10) ग्रामीण आवासन, (11) पेयजल, (12) एफ0ई0 धन और चारा, (13) सड़क, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन, (14) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है, (15) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, (16) गरीबी उपशमन कार्यक्रम, (17) शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, (18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, (19) पीढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, (20) पुस्तकालय, (21) सांस्कृतिक क्रियाकलाप, (22) बाजार और मेले, (23) स्वास्थ्य और स्वचाता जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं, (24) परिवार कल्याण, (25) स्त्री और बाल विकास, (26) समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है, (27) दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, (28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (29) सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण।

इस प्रकार इस संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने से भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है।

#### सन्दर्भ:

1. अनुच्छेद-243, 'भारत का संविधान', सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2001
2. अवस्थी एवं अवस्थी, 'भारतीय प्रशासन', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ0 633
3. ऋग्वेद, 1.114-111-44-10
4. ए0एस0 अल्लेकर, 'प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति', विश्वविद्यालय प्रकाशन : वाराणसी, 2001, पृ0 171
5. महावग्ग, पंचम
6. ए0एस0 अल्लेकर, 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति', विश्वविद्यालय प्रकाशन : वाराणसी, 2001, पृ0 171
7. ईश्वरी प्रसाद, 'ए न्यू हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया', द इण्डियन प्रेस प्रा0 लि0, इलाहाबाद, 1972, पृ0 21
8. सांख्यतत्व कौमुदी, पृ0 54
9. शुक्रनीति, 2, 234
10. अर्थशास्त्र, 12, 3
11. ए0एस0 अल्लेकर, 'प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति', विश्वविद्यालय प्रकाशन : वाराणसी, 2001, पृ0 175
12. नीलकण्ठ शास्त्री, 'स्टडीज इन चोल हिस्ट्री एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन', यूनिवर्सिटी ऑफ़ मद्रास, 1932, पृ0 73
13. हरिनारायण दुबे, 'दक्षिण भारत का इतिहास', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण, 1993, पृ0 226
14. चन्द्रशेखर प्राण, 'पंचायत और गाँव समाज : पुनर्जागरण की राह', पंचपरमेश्वर प्रकाशन, लखनऊ, 2001, पृ0 37
15. एस0पी0 शर्मा, 'मध्यकालीन भारत', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृ0 49



16. एस0पी0 शर्मा, 'मध्यकालीन भारत', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृ0 49
17. बी0एल0 ग्रोवर, 'आधुनिक भारत का इतिहास : एक नवीन मूल्यांकन', यशचन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 2005, पृ0 199
18. जार्ज मैथ्यू, 'भारत में पंचायती राज : परिप्रेक्ष्य और अनुभव', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ0 13
19. श्रीराम माहेश्वरी, 'भारत में स्थानीय शासन' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 1974, पृ0 88
20. बी0एल0 ग्रोवर, 'आधुनिक भारत का इतिहास : एक नवीन मूल्यांकन', यशचन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 2005, पृ0 2002
21. श्रीराम महेश्वरी, 'लोकल गर्वमेन्ट इन इण्डिया', ओरियन्ट लौंग मैन, दिल्ली, 1971, पृ0 17-18
22. मोहनदास करमचन्द्र गाँधी, 'पंचायतराज' नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, नई दिल्ली, 1961, पृ0 19
23. ए0एस0 नारग, 'भारतीय शासन एवं राजनीति', गीतांजली पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2005, पृ0 196
24. 'सामुदायिक विकास एवं नेशनल एक्सटेंशन अध्ययन दल का प्रतिवेदन' (अध्यक्ष बलवन्त राय मेहता), भाग-1, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0 5-6
25. श्रीराम महेश्वरी, 'भारत में स्थानीय शासन' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 1974, पृ0 88

# भूमण्डलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति

डॉ. सुचेता कुमारी\*

**सार-संक्षेप :** भूमण्डलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसे शीतयुद्धोत्तरकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है। इसकी चर्चा आज विश्व के प्रत्येक राज्य में किसी-न-किसी रूप में की जाती है। भूमण्डलीकरण का तथा आर्थिक उदारीकरण भारत की विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा इस आलेख में की जाएगी। इस क्रम में यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि भारत की विदेश नीति किस रूप में तथा किन-किन क्षेत्रों में इससे प्रभावित हुआ है। इस प्रकार इस आलेख का मुख्य उद्देश्य भूमण्डलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के सन्दर्भ में भारत की विदेश नीति की समझदारी विकसित करना है ताकि इनका उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार के रूप में किया जा सके। भारत पर भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा है। आज भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है।

**बीज शब्द :** भूमण्डलीकरण, आर्थिक उदारीकरण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत की विदेश नीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, विश्व व्यापार संगठन, नव उदारवाद, पूँजी निवेश, नीवन आर्थिक नीति

## प्रस्तावना

20वीं शताब्दी के समापन के दौर में देश के आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक क्षेत्र में ऐसे अनेक परिवर्तन आए हैं, जिनसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्धों के बीच विश्व की महाशक्ति समझा जानेवाला ब्रिटेन आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यूरोप में ही हाथ-पांव मार रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की महाशक्ति बनकर भी आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली देश जापान और सैन्य दृष्टि से लगातार शक्तिशाली हो रहे चीन की चुनौतियों से परेशान है। 1990 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक परिवर्तन जैसे शीतयुद्ध राजनीति के समाप्त होने, पूर्वी यूरोपीय देशों की पुनर्संरचना तथा विश्व में साम्यवाद के कमजोर पड़ने से जिस नई विश्व व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ है। उससे भूमण्डलीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 1990 के बाद से इस शब्द का प्रचलन विस्तृत ढंग से हुआ है।

विश्व के निकट आने का श्रेय सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं संचार के अन्य साधनों को

\* असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार

दिया जा सकता है, जिन्होंने अपनी चमत्कारिक उपलब्धियों से समस्त भूमंडल को एक गांव के रूप में बदल दिया है। इसके साथ ही आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक आदि पारस्परिक क्रियाओं के लिए नीतिगत ढांचे के रूप में भूमंडलीकरण का उदय पश्चिमी उदारवादी पूंजीवादी देशों द्वारा पूरे विश्व को बाजार पर आधारित आर्थिक व्यवस्था में लाने की एक सोची-समझी चाल है। यह भी कहा जाता है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी सरकारों पर यह दबाव बनाती रही है कि वे इन कृत्रिम बाधाओं को हटवावें तथा पूंजी और सामान संबंधी स्वतंत्र आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध करावें। उनके प्रयासों को समाजवाद के टूटने, संचार तकनीक में क्रांति आने तथा विकासशील देशों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति में कमी बल मिला है।

### ‘भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं उदारीकरण’

उदारीकरण का व्यावहारिक रूप यह होता है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप हो तथा बाजार तत्वों को अधिक सक्रिय होने का अवसर मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने आर्थिक विकास की जो नीति अपनाई उसका स्वरूप समाजवादी आधार की मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला था। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को विश्व में भागीदार बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था जबकि निजी क्षेत्र को देशहित में विकास कार्यों के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था की सोच अपने आप में एक मौलिक एवं जटिल अवधारणा थी जिसमें लोकल्याण, सामाजिक समानता की स्थापना और ऐसे ही अन्य राजनीति अर्थव्यवस्था के तत्व विद्यमान थे।

1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में अधःसंरचना समस्याएं महसूस की जाने लगी, जब भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति तथा ऐसे ही अन्य समस्याओं का अनुपात बहुत अधिक बढ़ने लगा। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्रांतियों तथा क्रमशः संकुचित होती जा रही विश्व व्यवस्था ने भी अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तनों की अपेक्षाएं बढ़ा दीं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधारों के सांकेतिक प्रयास 1985 में राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही प्रारंभ हो गए लेकिन उन सुधारों को विविध कारणों से जारी नहीं रखा जा सका। आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक प्रयासों की शुरुआत 1991 में हुई जब हमारी अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व संकट की गिरफ्त में आ गई और हमारे सामने अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं उसमें खुलापन लाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की सक्रियता से भारत में विकास प्रक्रिया और भुगतान संतुलन में सुधार होना प्रारंभ हुआ। इन दोनों संगठनों ने भारत के कुछ मूलभूत कार्यक्रमों में विश्व बैंक संरचनात्मक संतुलन कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्देशित सशर्त कार्यक्रम के अधीन भाग लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों को मानने से देश के भुगतान संतुलन में सुधार हुआ है। तृतीय घाटे में कमी आई है बाजार आधारित विश्व बैंक के सहायता से संरचनात्मक कार्यक्रम में तेजी आई है और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियोगिता की भावना का विकास हुआ है। इसके अलावा विश्व बैंक के

दिशा-निर्देश से बजटीय घाटे में कमी हुई ही है सब्सिडी में भी कमी आई है और नई लाइसेंसिंग प्रणाली प्रारंभ की गई।<sup>4</sup>

1991 के विदेशी ऋण अदायगी के संकट के चलते भारत उदारीकरण के तहत वैश्वीकरण में शामिल हुआ। आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में भारत सरकार ने उन सभी क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा बनाने की कोशिश की जहाँ अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार था। बाजार स्पर्धा के लिए बीमा क्षेत्र को भी खोल दिया गया, विनिवेश के लिए कुछ निश्चित निर्देश देने का भी प्रयास किया गया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सहमति के अनुरूप बहुत सी वस्तुओं पर से कर हटा दिया। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की सुरक्षा के लिए व्यापार वार्ताओं सब्सिडी तथा विभिन्न देशों के अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में अनेक स्थानों पर पहल की है। अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलकर अनेक विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ कार्य करने की अनुमति दे दी है।

### ‘विश्व व्यापार संगठन एवं भारत’

1999 के विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक में आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर-तरीकों के अपनाने के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को अनसुना किया जाता है तब उदारवादी भूमंडलीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच ‘वर्ल्ड सोशल फोरम’ है जिसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर युवा और महिला कार्यकर्ता अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए नव उदारवादी भूमंडलीकरण का विरोध करते हैं। इस मंच की प्रथम बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अलगेरे में और सातवीं बैठक नैरोबी (केन्या) में 2007 में सम्पन्न हुई। भारत में भी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों खेमों द्वारा वैश्वीकरण का विरोध हुआ है। भूमंडलीकरण के आलोचक इसे विकसित पूंजीवादी देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रभुता की दृष्टि से देखते हैं अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से विकासशील देशों पर यह दबाव डालने में सहायता मिली है कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ें।

आलोचकों का विचार है कि उदारीकरण की प्रक्रियाओं और नीतियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आय और सम्पत्ति को गरीब से अमीर की ओर पुरर्वितरण को बढ़ावा दिया है। इसके चलते विकसित देशों के आपस में तथा विकासशील देशों के बीच निरंतर अन्तर बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत जहाँ भूमंडलीकरण और पूंजी प्रवाहित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, वही मजदूरी संबंधी मानक तथा गरीबी हटाने पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इससे मानव अधिकारों की बड़े पैमाने पर अवहेलना हो रही है। इसके अंतर्गत संस्कृति को थोपने और प्रभुत्व स्थापना की क्रिया निरंतर बढ़ रही है। सिर्फ दूरदर्शन के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उपभोगवाद तथा पाश्चात्य मूल्यों को बढ़ावा दे रही हैं। पश्चिमी ब्रांडों के कपड़ों और प्रसाधनों के प्रति पागलपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही उपज है।<sup>5</sup>

### ‘नवीन आर्थिक नीति के संदर्भ में भारत की विदेशी नीति’

मई 2007 तक भारत में नीवन आर्थिक नीति के फलस्वरूप 10 प्रतिशत अभिजन वर्ग इससे लाभान्वित हुए थे। जबकि लगभग 90 प्रतिशत लोग इसके लाभ से वंचित थे। यही आंकड़ा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। आम जनता को इसके लाभ से जोड़ने में सफलता नहीं मिली है। एक तरफ भारत में पूंजी निर्माण की गति तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों विभिन्न पहलुओं का उत्पादन कर अधिक लाभ अर्जित कर रही है जबकि आम लोगो की क्रय शक्ति में कमी आयी है। परिणामस्वरूप गरीबी, भूखमरी की समस्या भी बढ़ रही है।

व्यापारिक भुगतान संतुलन के क्षेत्र में तथा आयात निर्यात में भी काफी सुधार हुआ है लेकिन उसका भी लाभ आम जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है। पूँजी निवेश में विशुद्धी के बावजूद आधारभूत संरचनाओं का विकास पूर्णतः संभव नहीं हो पाया है। सरकार की लोककल्याणकारी नीतियों का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। क्योंकि, आर्थिक उदारवाद की नीति के फलस्वरूप बड़ी कंपनियों के मध्य ऐसी गलाकट प्रतियोगिता का बीज बोया गया है कि इसका लाभ सिर्फ समाज के अभिजन अथवा साधन सम्पन्न वर्ग निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। लेकिन आम जनता इस विकास की प्रक्रिया से वंचित होती जा रही है। गरीबी उन्मूलन की सरकारी नीति भ्रष्टाचार और नौकरशाही की आम प्रवृत्ति के भेंट चढ़ती जा रही है।

### वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू

इस प्रकार वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया से लाभ एवं हानि दोनों हुआ है। एक तरफ तो पूँजीवादी व्यवस्था के निर्माण होने के कारण विदेशी मुद्रा भारत में काफी मात्रा में जमा हो रही है। लेकिन इसका लाभ सिर्फ अभिजन वर्ग तक सीमित होता जा रहा है। कृषि एवं लघु उद्योगों के क्षेत्र में इसका अत्याधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत नई बुलंदियों छुने लगा है लेकिन आम लोगो पर इसका समुचित लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। इसके नकारात्मक प्रभावों के कारण ही कतिपय भारतीय राजनीतिक दलों तथा स्वतः विचार रखने वाले आलोचकों द्वारा इसकी कटु ओलाचना की गयी है।

### सन्दर्भ-ग्रन्थ

1. वोहरा, वंदना, वैश्वीकरण में नागरिकता, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2007
2. दुबे, अभय कुमार, (सं.), भारत का भूमंडलीकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010 पृ. 75
3. काबरा, कमल नयन, भूमंडलीकरण के भँवर में भारत, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2012, पृ. 48
4. काबरा, कमल नयन, बजट आम आदमी और उदारीकरण, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2011
5. कुमार, शैलेन्द्र, विश्व व्यापार संगठन भारत के परिप्रेक्ष्य में, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली 2011, पृ. 86

# मूल्य शिक्षा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. हनुमान प्रसाद उपाध्याय\*

---

**सार-संक्षेप :** किसी भी सभ्य समाज के लिए शिक्षा प्राण है तथा जीवन मूल्य उसकी आस्था है। यदि मूल्यों को जीवन कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है, जो व्यक्ति को मूल्यों के लिए प्रति प्रशिक्षित करती है। वास्तव में इसका तात्पर्य व्यवहारिकता से है। यह वह शिक्षा है जो विद्यालय प्रांगण व उसके बाहर अनौपचारिक रूप से बालक को विकास व व्यवहार की उचित दिशा प्रदान करती है। यह धार्मिक शिक्षा कदापि नहीं है। छात्रों को मूल्य सिखा पाना अत्यन्त कठिन काम है। अतः इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाय, जिससे स्वतः ही समाज के अन्दर उचित मूल्य का विकास हो सके।

---

**बीज शब्द :** मूल्य, समाज, जीवन, व्यवहार, मूल्य विहीनता, अलगाव, नैतिक, शिक्षा प्रक्रिया आदि।

जीवन की सफलता का आधार वास्तव में शिक्षा में निहित हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा को सामाजीकरण का सशक्त साधन मानते हुए इसके द्वारा वैयक्तिकता व नागरिकता के गुणों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। आजकल हम शिक्षा को व्यवसायोन्मुख करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी शिक्षा वास्तव में मूल्य निर्धारण की ही प्रक्रिया है। मूल्य किसी वस्तु या स्थिति का वह गुण है जो समालोचना व वरीयता प्रकट करता है। यह एक आदर्श या इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जीता है तथा आजीवन प्रयास करता है।

सामाजिक मूल्य, समाज के प्रमुख तत्व होते हैं, जो समाज को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं साथ ही साथ समाज के अन्दर एक प्रकार का संतुलन बनाने का कार्य भी करते हैं क्योंकि संतुलित तथा स्थिर समाज विकास के पथ पर सुगमता से अग्रसर हो सकता है। मूल्य के द्वारा ही मनुष्य यह निर्धारित करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है?

---

\*अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूसड़, गोरखपुर

**मूल्य:-** समाज के अन्दर स्थापित नियम तथा आदर्श मूल्य कहलाते हैं जिनके आधार पर किसी समाज के सभ्य, प्रगतिशील व अनुशासित होने की कल्पना की जाती है। **मूल्य को राधा कुमुद मुखर्जी** ने इस प्रकार से बताया कि “मूल्य समाज के द्वारा स्थापित उद्देश्य तथा इच्छाएं होती हैं, जिनका अन्तःकरण समाज की प्रक्रिया के तहत होता है।<sup>1</sup> ये इच्छाएं तथा उद्देश्य व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, मापदण्ड तथा आकांक्षाओं का स्वरूप ले लेती हैं।” वहीं पर **बुड्स** की मान्यता है कि “मूल्यों की सहायता से मनुष्य अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित में अन्तर करना सीखता है।” इसके आधार पर मनुष्य के लिए यह निर्धारित किया जाता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए?

**मूल्य परक शिक्षा:-** इसमें सभी विषयों को मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके उक्त मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता है। जैसे नागरिकशास्त्र विषय द्वारा छात्रों में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों का विकास, भाषा शिक्षण द्वारा आपसी सहयोग, नैतिक शिक्षा द्वारा चारित्रिक विकास, पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, दया, परोपकार जैसे मूल्यों का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक उत्सवों एवं सामाजिक उत्सवों के माध्यम से अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य परस्पर अन्तःक्रियाओं को विकसित किया जा सकता है। **आक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्द कोश** में मूल्य को महत्ता, उपयोगिता, वांछनीयता उन गुणों, जिन पर ये निर्भर हैं, के रूप में परिभाषित किया गया है।<sup>2</sup>

**मूल्य शिक्षा की आवश्यकता:-** भारत अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक सम्पदा के कारण अत्यन्त प्राचीन काल से ही विश्वगुरु की मान्यता से जाना जाता रहा है, किन्तु वर्तमान में फैशनपरस्त, भौतिकवादी, अस्तित्वादी विचारों के प्रभाव में आकर यहाँ का जनमानस भारतीय आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं को विस्मृत कर पाश्चात्य जीवन शैली को आत्मसात करके उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। भारत ने ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में उत्साहजनक प्रगति की है। हमारे साहित्यकारों की कृतियां, वैज्ञानिकों के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, कला और चिकित्सा के विद्वानों की उपलब्धियाँ, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यन्त ही सराहनीय रही है। हमें अपनी सफलता पर गर्व है, लेकिन जिस तीव्र गति से हम अपने शाश्वत मूल्यों में अपनी आस्था खोते जा रहे हैं तथा तात्कालिक जीवन को सुखी बनाने हेतु जी-तोड़ मेहनत व प्रयत्न कर रहे हैं; वह एक असुरक्षित भविष्य का द्योतक है।<sup>3</sup> हमारे शिक्षक, अभिभावक, राजनीतिक दलों के सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी सभी मूल्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सभी लोग मूल्य अन्तर्द्वन्द में फंसे नजर आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि आधुनिक जीवन को मूल्य आधारित बनाया जाय।

**भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट:-** पिछले कुछ वर्षों में वैश्वीकरण के कारण भोगवादी संस्कृति का व्यापक प्रचलन हुआ है। आज का भारतीय युवा उसी पश्चिमी संस्कृति के पीछे भाग रहा है। उस संस्कृति के दुष्परिणाम के चलते आज समाज में सामाजिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आई है। भारत में अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, अतार्किकता और इन सबसे पैदा हुआ मनोविकार सामाजिक व्याधि का भयंकर रूप ले रहे है, और दूसरी ओर उन्मुक्तता की बयार के तहत नारी स्वतंत्रता से उद्धृत तर्क यहां तक आ गए हैं कि कम कपड़े पहनने से अगर कामुकता बढ़ती है तो वह देखने वाले का दोष है।<sup>1</sup> **जावेद अख्तर** ने संसद में पश्चिम देशों की संस्कृति हवाला देते हुए सवाल दागा कि वहां के खुलेपन से दुष्कर्म की घटनाएं क्यों नहीं बढ़ती है।

**रोजगार परक शिक्षा मूल्य विहीनता का कलंक:-** चरित्र व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता तथा धन है एवं यही उसका रक्षक है। जब तक आर्थिक जीवन का प्रवेश द्वार मानी जाने वाली शिक्षा को मूल्यों का सम्बल नहीं मिलेगा, तब तक सम्पूर्ण औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया, विशेष रूप से उच्च शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा ढोंग साबित होंगी। हमें यह शंका नहीं करनी चाहिए कि रोजगार परक व्यवस्था में मूल्य कोई मायने नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि रोजगारपरक शिक्षा पाने के बाद व्यक्ति तिकड़मों का जाल बनकर वैयक्तिक हितों का पोषण करने के बजाय अपनी विकसित क्षमताओं के सहारे रोजगार के नये-नये आयाम खोजे तथा शुद्ध प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्य विहीन रोजगार परक शिक्षा एक कलंक के सिवाय कुछ नहीं हो सकती है। औद्योगिक क्षेत्र में शुद्ध प्रतिस्पर्धा का अभाव अहितकर होगा। इस कारण मूल्यों में आस्था रखने वाले कुशल कर्मकारों को तैयार करने के लिए मूल्यपरक रोजगारोन्मुख शिक्षा की अति आवश्यकता है।

**सामाजिक अलगाव से मुक्ति:-** प्रतिदिन टूट रहे वर्तमान समाज में भौतिक सम्पदा तो बढ़ रही है लेकिन आदर्श मनुष्यों की कमी होती जा रही है। सभी लोग वर्तमान से असंतुष्ट हैं, तथा परेशान नजर आते है। हमारा समाज किसी दृष्टि से सजग नहीं है। व्यक्ति स्वकेन्द्रित हो गया है तथा उच्च मानवीय गुणों व संस्कारों से वह दूर हो गया है। शहरी जीवन खोखला, भीड़युक्त, प्रेमविहीन, एकाकी व आत्मीयता विहीन हो गया है। सभी लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। **श्रीकांत वर्मा** ने ठीक ही कहा है कि-

इतने मकान पास-पास सटे  
मगर प्रेम नहीं,  
सुबह इन मादों का खुलना  
शाम को धीरे-धीरे बन्द होना,  
दिन भर आँय-आँय  
अर्थ नहीं भाँय-भाँय



सहमति नहीं विश्वास नहीं  
एक दूसरे से मिलने की ललक नहीं।

यह कैसी विडम्बना है? उच्चतम शिक्षा पाने व धार्मिक संस्कारों के बावजूद भी व्यक्ति सभ्यता के बजाय विविध प्रकार से डसने की कलाएँ सीख रहा है। अनेक लोग हमेशा इसी चक्कर में रहते हैं कि कब दूसरों को मात दी जाय, अपने लाभ के लिए दूसरों के हित की बलि चढ़ाई जाये या उसके बनते काम बिगाड़े जायें।<sup>9</sup>

**मूल्य शिक्षा के विकास में समाज का योगदान:-** व्यक्ति व समाज का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। ओटावे के अनुसार किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय-समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है।<sup>10</sup> मूल्य शिक्षा का वास्तविक सम्बन्ध उच्च शिक्षा से है अर्थात् व्यक्ति की अंतिम शिक्षा का मूल्य उसके भावी जीवन में किसी प्रकार प्रभावी होता है। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में उसका संख्यात्मक विकास उत्पन्न तीव्र गति से हुआ है साथ ही दूसरी विशेष बात यह है कि उसका विकास आदि से अन्त तक अनियोजित रहा है परिणामस्वरूप शिक्षा का स्तर गिर गया है, छात्रों में ज्ञानार्जन की अभिलाषा नष्ट हो गई है। शिक्षित व्यक्तियों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उपस्थित हो गई है और सर्वोपरि यह शिक्षा देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो गई है।

हमारी उच्च शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक सर्वविदित तथ्य है। जमाना बदल गया है, देश की परिस्थितियाँ बदल गई हैं पर खेद का विषय है कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासकों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्धारित किया था वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपने पुरातन रूप में उच्च शिक्षा पर अपना अखण्ड साम्राज्य स्थापित किये हुए है। परतंत्र भारत में इस उद्देश्य के वास्तविक स्वरूप का वर्णन **गुन्नार मिरडल** ने किया है-विश्व विद्यालय की उपाधियाँ, सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी।<sup>11</sup> शिक्षा विद्यार्थियों को नौकरी के लिए न कि जीवन के लिए तैयार करने के सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती थी। यह भी निर्विवाद रूप से सही है कि शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरूप को भी प्रभावित व निर्धारित करता है।<sup>12</sup>

आज समाज में विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, फिल्मों, वाचनालय, रेडियों कार्यक्रमों, दूरदर्शन कार्यक्रमों, नाटकों के मंचन, कठपुतली शो प्रदर्शनी व मेला, भाषण आदि की व्यवस्था की जाती है तथा सौन्दर्यानुभूति के विकास के लिए कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, भ्रमण, प्रकृति निरीक्षण, अल्पना प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता व नृत्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। अपने समाज में मूल्य विमुखता की दशा उत्पन्न हो चुकी है और इसे समाप्त किये बिना किसी प्रकार की सार्थक व उपयोगी मूल्य शिक्षा नहीं दी जा सकती है।<sup>13</sup> इसके लिए हमें स्वस्थ चरित्र वाले राजनीतिज्ञों, प्रशासकों, अध्यापकों एवं समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आना

होगा। तब हमारे सम्पूर्ण समाज में मूल्य व्याप्त हो जायेंगे तब बच्चे समाज का अनुकरण कर अपने मूल्यों का विकास कर सकेंगे।

वर्तमान जगत में मूल्यों के निरन्तर गिरावटों के कारणों में मुख्यतः आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, अभिभावकों की कार्य के प्रति उदासीनता व दूषित शैक्षिक प्रणाली आदि हैं, साथ ही शिक्षक जिनके ऊपर मूल्यों को गतिमान बनाये रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वह अपने निजी स्वार्थों के कारण भटकने लगे हैं।<sup>10</sup>

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मूल्यों शिक्षा के विकास में समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय, परिवार और समाज इन तीनों सामाजिक अभिकरणों को मूल्यों की शिक्षा में रुचि लेना चाहिए, जिससे स्वस्थ, सभ्य, सुन्दर एवं सशक्त समाज का निर्माण हो सकें।

**सन्दर्भ:**

1. मुखर्जी आर.के., दी सोसल स्ट्रक्चर आफ वैल्यूज, राधा प्रकाशन नई दिल्ली 2005 पृ. 112
2. राबर्ट.एम.रिटर, आक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोज, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2014- पृ. 105
3. बीरस्टीड. राबर्ट, दी सोशल आर्डर, मैकग्रा हिल एजुकेशन 1974 पृ. 15
4. आहूजा, राम, भारतीय सामाजिक समस्यायें, रावत पब्लिकेशन जयपुर 1992 पृ. 101
5. शर्मा.आर.के., सामाजिक विघटन, एटलांटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली 1998 पृ. 76
6. मोदी, ईश्वर, मानव मूल्य एवं सामाजिक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2000 पृ. 65
7. मिर्डल, गुन्नार, एशियन ड्रामा-3, कल्याणी पब्लिशर्स, 2008 पृ. 164
8. मुखर्जी आर.एन., समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन 2018 पृ. 113
9. जनरल एजुकेशन रिपोर्ट 2018 पृ. 42
10. मुखर्जी एस.एन., भारत में शिक्षा : आज और कल के आचार्य, बुक डिपार्टमेंट बड़ोदरा 1964, पृ.-162



# विपिन चन्द्र पाल का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

महेन्द्र प्रताप सिंह\*

19 वीं शताब्दी के प्रथम दशक से प्रखर उग्रवादी आन्दोलन के क्रम में प्रखर राष्ट्रवादी नेता "विपिन चन्द्र पाल" भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर, एवं उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। उन्होंने अपने गरम एवं राष्ट्रवादी विचारों के कारण स्वदेशी आन्दोलन को बढ़ावा देने, विदेशी कपड़ों से परहेज करने एवं औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि हथियारों से ब्रिटिश हुकुमत की नींद उड़ा दी।

विपिन चन्द्र पाल ने देश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया। अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। वास्तव में उन्होंने ही भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन की बुनियाद रखी।

**बीज शब्द**— स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद, स्वदेशी, गरमदल, आन्दोलन, उदारवाद।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से नवीन प्रवृत्तियाँ देखने को मिलीं, जिसके अन्तर्गत तीन तरह के आन्दोलन देखने को मिले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन उग्रवादी आन्दोलन था। उदारवादियों के आन्दोलन में असफलता के परिणामस्वरूप उग्रवादी आन्दोलन की उत्पत्ति हुई। आम तौर पर ब्रिटिश सरकार ने जब उदारवादियों के आन्दोलनों की उपेक्षा की तभी उसके प्रत्युत्तर में उग्रवादी आन्दोलन का जन्म हुआ।

इसी उग्रवादी आन्दोलन के फलस्वरूप "लाल-बाल-पाल" के नेतृत्व का आगमन हुआ। इन तीनों नेताओं ने जनजागृति को महत्व दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषणों को लोकप्रिय नारों और आत्म त्याग से युवकों को ब्रिटिश सरकार का विरोधी बना दिया। लाला लाजपतराय ने बताया कि अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं भी सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र हैं। अतः हमें सिद्ध करना है कि हम भिखारी नहीं हैं। **विपिन चन्द्र पाल** ने बंगाल की जनता में नरमदल की नीतियों के विरोध में प्रचार किया। वस्तुतः उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण "लाल-बाल-पाल" का साहसिक नेतृत्व ही था।

विपिन चन्द्र पाल का जन्म **7 नवम्बर 1858 ई०** को आसाम के सिलहट जिले में हुआ था, जो आज वर्तमान में बंगलादेश के हबीबगंज जिले के पोईल गाँव में स्थित है। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् ये अध्यापक नियुक्त हुए और ब्रह्म समाज के सदस्य बनकर इन्होंने अपना सार्वजनिक

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर

जीवन प्रारम्भ किया। जीवन-यापन हेतु इन्होंने पत्रकारिता का रास्ता भी अपनाया। इस लाल-बाल-पाल की तिगड़ी अपने तीखे प्रहार से ब्रिटिश हुकुमत की चूलेँ हिला दी थी। 'विपिन चन्द्र पाल' उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभायी। इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है।

विपिन चन्द्र पाल ने भारत में 1905 ई0 में प्रारम्भ हुए उग्रवादी आन्दोलन का बंगाल में नेतृत्व किया और बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा जिसे बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला। लाल-बाल-पाल की इस तिगड़ी ने यह महसूस किया कि विदेशी उत्पादों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और लोगों का काम भी छिन रहा है। अपने गरम विचारों के लिए मशहूर विपिन चन्द्र पाल ने स्वदेशी आन्दोलन को बढ़ावा दिया। ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार मेनेचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज तथा औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि हथियारों से ब्रिटिश हुकुमत की नींद उड़ा दी।

विपिनचन्द्र पाल घोर राष्ट्रवादी थे तथा राष्ट्रसेवा को सर्वोपरि मानते थे। इसी कारण उन्होंने अपने देश-सेवियों से आह्वान किया कि वे भारत के लिए अपना तन-मन-धन न्यौछावर करें। विपिन चन्द्र पाल ने राष्ट्रवाद के लिए अनुशासन को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना था कि संयम और अनुशासन के अभाव में राष्ट्रवाद की सेवा नहीं की जा सकती। उन्होंने वन्दे मातरम द्वारा भारतवासियों तक राष्ट्रवाद तथा स्वराज का संदेश पहुंचाया। उन्होंने न्यू इंडिया के सम्पादक के रूप में भी कार्य किया तथा स्वराज के महत्व को जनता को समझाया। उनकी प्रतिभा बंगाल के विभाजन के उपरान्त उभरी। 1906 ई0 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने उग्रवादियों के पक्ष में बोलकर स्वयं को भारत के प्रमुख नेताओं के पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया।

कलकत्ता अधिवेशन उन्होंने स्वदेशी प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को आवश्यक बताया। तत्पश्चात् मद्रास जाकर वहां भी उन्होंने राष्ट्रीयता की ज्योति को सशक्त किया। 1907 ई0 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने उग्रवादियों का समर्थन किया। अतः उन्हें मद्रास से निष्कासित कर दिया गया। 1907 ई0 में ही उन्हें अरविन्द घोष के विरुद्ध गवाही देने के लिए कहा गया, किन्तु ऐसा न करने पर उन्हें छः माह की सजा दी गई। 1908 ई0 में उन्हें तीन वर्षों तक इंग्लैण्ड में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया गया। इंग्लैण्ड से लौटने पर उन्होंने पुनः सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया किन्तु असहयोग आन्दोलन वापस लेने के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गये क्योंकि वे उसके पक्ष में नहीं थे।

विपिन चन्द्र पाल ने देश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किये। अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के बुनियाद की नींव रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में बहुत से प्रभावशाली नेताओं

के साथ काम किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान लोगों में नई चेतना का संचार किया और इसके लिए आमजन को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। दरअसल विपिन चन्द्रपाल जी का मानना था कि 'नरमदल के हथियार' व प्रेयर पिटिशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है बल्कि स्वराज पार्टी के लिए विदेशी हुकुमत पर करारा प्रहार करना पड़ेगा। यहीं कारण है कि उनकी उसी विचारधारा के कारण उन्हें स्वाधीनता आन्दोलन में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है।<sup>6</sup>

विपिन चन्द्र पाल कम उम्र में ही ब्राह्मण समाज में शामिल हो गये थे और 1876 ई० में शिवनाथ शास्त्री ने ही विपिनचन्द्र पाल को ब्राह्मण समाज की दीक्षा दी थी। समाज के अन्य सदस्यों की तरह वे भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परम्पराओं का विरोध करने लगे। वे बचपन से ही जातिगत भेदभाव के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने बेहद कम उम्र में ही जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव पर अपनी आवाज बुलन्द की। यही नहीं उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया, उस समय विधवा स्त्री से विवाह करना भारतीय परंपरा के खिलाफ था और यह भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं किया जाता था। विधवा स्त्री से शादी की वजह से उन्हें अपने परिवार वालों के साथ भी अपने रिश्ते तोड़ने पड़े थे। विपिनचन्द्र पाल शुरू से ही अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले थे इसलिए उन्होंने पारिवारिक व सामाजिक दबाओं के बावजूद भी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। महान स्वतंत्रता सेनानी विपिनचन्द्र पाल ने कलकत्ता में अपनी शिक्षा प्रेसीडेन्सी कालेज में ग्रहण की लेकिन पढाई-लिखाई में इनका मन नहीं लगा। अतः इनका झुकाव अब राजनीति की तरफ होने लगा और इनकी मुलाकात शिवनाथ शास्त्री, एस.एन. बनर्जी और बी. के. गोस्वामी, जैसे कई राजनीतिक नेताओं से हुई। विपिनचन्द्र पाल की मुलाकात जब बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय व अरविन्द घोष से हुई तो इनकी उग्रवादी राष्ट्रवादी भक्ति से वे लोग काफी प्रभावित हुए।<sup>7</sup>

ब्रिटिश शासन द्वारा बंगाल के विभाजन की योजना प्रकाशित किये जाने के साथ ही विपिन चन्द्र पाल ने ब्रिटिश सरकार का तीव्र विरोध प्रारम्भ कर दिया। विपिनचन्द्र पाल ने सुरेन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा विभाजन की योजना का विरोध करने के लिए 7 अगस्त 1945 को कलकत्ता के टॉउनहाल में एक सार्वजनिक सभा की गयी और सभा में बहिष्कार तथा स्वदेशी माल के प्रचार का प्रस्ताव किया गया। विपिनचन्द्र पाल को 'साम्राज्य के भीतर स्वराज्य' की मांग जो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, वह पसंद नहीं आयी। इसे वे अव्यवहारिक समझते थे। 1907 ई० में अपनी पत्रिका 'वन्दे मातरम' के माध्यम से अंग्रेजी विरोध जनमत तैयार किया, जिसके कारण उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल जाना पड़ा। रिहा होने के बाद आन्दोलन को और तेज कर दिया। सरकार के दमन के समय विपिनचन्द्र पाल इंग्लैण्ड चले गये जहाँ उन्होंने 1908 ई० में 'स्वराज पत्रिका' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके माध्यम से उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर प्रतिबन्धा लगने पर वह भारत लौट आये। यहां पर उन्होंने 'हिन्दू रिव्यू पत्र' की शुरूआत की।<sup>7</sup>

विपिनचन्द्र पाल द्वारा गांधीजी की आलोचना की शुरुआत गाँधी जी के भारत आगमन से हो गई थी। इसलिए स्वराज का मुद्दा उठाने वाले विपिनचन्द्र पाल जी “महात्मा गांधी” या “गाँधी पंथ” की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी वजह से उन्होंने असहयोग आन्दोलन का भी विरोध किया और 1920 ई० में राजनीति से सन्यास ले लिया था। विपिनचन्द्र पाल सिर्फ एक महान क्रांतिकारी और एक अच्छे लेखक ही नहीं थे, बल्कि वे एक अच्छे सम्पादक भी थे। उन्होंने कई रचनाएँ भी की एवं कई पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया, जिनमें : इण्डियन नेस्नालिज्म नेस्नल्टी एण्ड एंपायर’, ‘द सोल ऑफ इण्डिया’, ‘द बेसिस आफ रिफार्म’, ‘द न्यू स्पिरिट’, ‘क्वीन विक्टोरिया’-बायोग्राफी, ‘स्टडीज इन हिन्दुज्म’, ‘स्वराज एण्ड द प्रेजेन्ट सिचुएशन’ ‘द न्यू इंडिया 1892’, ‘वन्दे मातरम्’ 1906, 1907, स्वराज ( 1908-1911 ), द हिन्दू रिव्यू ( 1913 ) आदि प्रमुख हैं।<sup>8</sup>

उग्रवादी आन्दोलन का इस महान नेता देश की सेवा करते हुए 20 मई 1932 ई० को स्वर्ग सिधार गया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में विपिनचन्द्र पाल का विशिष्ट स्थान है। विपिन चन्द्र पाल ने स्वराज्य, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा को अपना उद्देश्य बनाया। जिस एकता को लार्ड कर्जन समाप्त करना चाहा उसे इस उग्रवादी नेता ने बंगभंग-विरोध आन्दोलन से बचाया। बंगभंग विरोधी आन्दोलन ने स्वदेशी आन्दोलन का रूप धारण कर लिया और सब बिखरी हुई शक्तियाँ इकट्ठी हो गयी। पूरे देश में होने वाली घटनाओं ने उग्रवादी आन्दोलन के अधिकतर नेताओं को अंग्रेजी शासन में विश्वास को हिला दिया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियाँ तीव्र हुईं और अंततः भारत 15 अगस्त 1947 ई. को स्वतंत्र हो गया। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में विपिनचन्द्र पाल का योगदान भारत सदैव स्मरण करता रहेगा।

#### संदर्भ-सूची

1. जैन, डा० पुखराज : “भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास” संस्करण वर्ष-1993 साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ सं०-95-96
2. पाण्डे, एस० के० : “आधुनिक भारत” संस्करण वर्ष -2014, “ प्रयाग एकेडमी इलाहाबाद, पृष्ठ सं०-315
3. शुक्ल, रामलखन : “आधुनिक भारत का इतिहास” संस्करण वर्ष -1995, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ०सं० 17-18
4. मित्तल, डा० ए०के० : “आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास” संस्करण वर्ष- 2014, पृ०सं० 517-18
5. सरकार, सुमित : “आधुनिक भारत संस्करण वर्ष-1996, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पटना, पृ०सं० 139
6. जैन, डा० पुखराज : “भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास” संस्करण वर्ष-1993 साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ सं०-96-97
7. महाजन, विद्याधर : “आधुनिक भारत का इतिहास” संस्करण वर्ष 1992, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड रामनगर, नई दिल्ली, पृ०सं० 540
8. शर्मा. एल० पी० : आधुनिक भारत, संस्करण वर्ष 2004, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल : आगरा’ पृ०सं० 442



## मानव-प्रकृति संबंध : बदलते प्रतिरूप

डॉ. अरविन्द कुमार मौर्य\*

**सार-संक्षेप :** मानव का सृजन ही प्रकृति की गोद में हुआ है। मानव अपने आरंभिक काल से ही सभी आवश्यक वस्तुओं को प्रकृति से प्राप्त करता रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव की चिर सहचरी रही है। आज स्वार्थवश मानव प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है जो भावी पीढ़ी के लिए घातक है। पर्यावरण की सजीवता को भूल मानव आज आर्थिक विकास के अंधानुकरण में कालिदास बन जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास, भू ताप वृद्धि, हरित गृह प्रभाव, बाढ़, महामारी जैसी भयावह समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। वैदिक काल से बनाए गए मानव प्रकृति की पूजनीय संबंधों का वर्तमान समय में गला घोटा जा रहा है। प्रकृति ने पग-पग पर मानव के लिए संभावनाएं दी हैं। जिससे वह संसाधनों का सदुपयोग कर सविकास की अवधारणा को सुचारु रूप देकर विकास कर सके। देश को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए प्राकृतिक संरक्षण के साथ प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक रूप से एक आभामई संरचना का निर्माण करना होगा जिसमें वसुधैव कुटुंबकम् की झलक स्पष्ट रूप से दिख रही हो।

**बीज शब्द :** सजीवता, चिर सहचरी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास, भू ताप वृद्धि, हरित गृह प्रभाव, ज्ञान पुंज, संसाधन, वसुधैव कुटुंबकम्, भगवान, आर्थिक मानव, संस्कृति

प्रकृति यदि विज्ञान की परिधि से बाहर निकल कर देखा जाए तो प्रकृति का अर्थ एक जीवंत इकाई से है। ऐसी जीवंत इकाई जो मानव एवं जीवों को जन्म देकर पालन पोषण करने की क्षमता रखती है। यह इतनी बलवती है कि इसकी तुलना मानव से नहीं की जा सकती। इसकी दयालुता इतनी है कि यह मनुष्य के लिए पग-पग पर उपयोगी संसाधनों को बिखेरे हुई है।

गंभीरता से विचार किया जाए तो मानव एवं प्रकृति एक वाक्यांश ना होकर एक विस्तृत ज्ञान पुंज है। यह शब्द अलग-अलग महत्वहीन है क्योंकि बिना प्रकृति के मनुष्य व जैव समुदाय की कल्पना भी व्यर्थ है, और मानव विहीन प्रकृति भी अनुपयोगी है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव की चिर सहचरी रही है। मनुष्य आज स्वार्थवश उसके संतुलन को बिगाड़ रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफी नुकसानदेह है।

\*सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धुसड, गोरखपुर

मानव का संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर है। हम अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुओं को प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व जब मानव का ज्ञान एक पशु से अधिक नहीं था, तब भी मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं प्रकृति से ही प्राप्त करता था। आज जब हम विज्ञान की नई-नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तब भी हमारी सभी आवश्यकताएं प्रकृति से ही पूर्ण हो रही हैं। बावजूद इसके मानव अपनी लालच वह विलासिता के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। मानव की भांति प्रकृति भी एक सजीव व क्रियाशील इकाई है। यह सर्व ज्ञात है कि पर्यावरण ने मनुष्य को विकसित किया है। आज मानव क्रियाकलाप का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, जो प्रकृति से प्रभावित ना हो। आज का यांत्रिक मानव अपनी सुख-सुविधाओं में तीव्र विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है। आज का मानव कालिदास बन जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा है। जिससे विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि आदि ज्वलंत समस्याएं पनप रही हैं।

मानव विकास के प्रथम सोपान पर मानव अपने आप को पर्यावरण पुत्र समझता था एवं उसके साथ माधुर्य संबंध रखता था। जिससे वह प्रकृति के भयावह रूपों से बच जाता था। मानव पर्यावरण के पांच मौलिक तत्वों की पूजा करता था उसे ही भगवान (अर्थात् भ=भूमि, ग=गगन, व=वायु, अ=अग्नि एवं न=नीर) मानता था। वैदिक काल में ऋषि मुनियों द्वारा पर्यावरण व मानव के मध्य पूजनीय संबंध स्थापित थे। उस समय वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा, नदियों व भूमि की पूजा प्रचलित थी तथा इन्हें क्षति पहुंचाना पाप समझा जाता था।

युवा हृदय सम्राट् स्वामी विवेकानंद जी इन्हीं तथ्यों में भगवान को ढूंढने का प्रयास करते थे। वे कहते थे भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उन्हें अपने हृदय और एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते ऐसा ही कथन पैट वकले का है कि 'मैं भगवान को प्रकृति में, जानवरों में, पक्षियों में, और पर्यावरण में खोजता हूँ।' स्पष्ट है कि स्वामी जी का लगाव पर्यावरण एवं समस्त जीवित प्राणियों से रहा है।

अति प्राचीन काल से ही मानव एवं पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही प्रभावित भी हो रहे हैं। किंतु वर्तमान समय में इसकी प्रभाविता बढ़ी है। प्राकृतिक पर्यावरण का मानव पर अमिट प्रभाव पड़ता है जो उसके भोजन प्राप्त करने के तरीकों, रहन-सहन, पहनावा, व्यवहार, संस्कृति व शिक्षा में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। प्रकृति बहुत ही विचित्र है। जहां एक तरफ ऐसे देश हैं जहां सूखा पड़ रहा है तो कहीं ऐसे देश हैं जहां प्रतिदिन बरसात होती है। कहीं हिमाच्छादित, कहीं रेगिस्तान, कहीं पर्वत तो कहीं खाईयां हैं।

हमारी भारतीय संस्कृति पर्यावरण पोषक, प्रकृति-प्रेमी व विश्वव्यापी रही है जिसकी महानता की गुणगान धर्म ग्रंथ, पुराण, व उपनिषदों में सहज ही देखने को मिलता है। इन्हीं संस्कृति, ज्ञान व पराक्रम के बल पर हमारा देश विश्वगुरु बना था। पर दुर्भाग्यवश भारत भी उन्हीं देशों की ओर अग्रसर



हो रहा है, जो प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले प्रकृति मानव का निर्माण करती थी आज मानव प्रकृति का निर्माण कर रहा है।<sup>6</sup>

मानव प्रकृति के मध्य सामंजस्यता घटती जा रही है जिसके चलते पूरा विश्व सँविकास की अवधारणा को लागू करने के लिए बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। उसमें इनसे बचने के उपाय सुझाए जा रहे हैं। परंतु करोड़ों खर्च करने के बाद भी इसका परिणाम खोदा पहाड़ निकली चुहिया का आ रहा है।

इस आशा से कि प्रकृति की ओर वापसी पूरी मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित होने वाली है, का पालन करते हुए, हम पुनः प्राकृतिक तत्व की गुणवत्ता को समझते हुए, उसका उपयोग एवं संरक्षण करें। अगर भारत व्यावहारिक रूप से विश्व गुरु नहीं बना तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सैद्धांतिक रूप से विश्वगुरु नहीं बन सकता। अतः भारत को वास्तविक विश्वगुरु बनाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रकृति की गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करना चाहिए तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए संकल्पित होना चाहिए।

#### संदर्भ-सूची

1. दीक्षित, श्रीकांत, सांस्कृतिक भूगोल, गोरखपुर
2. श्रीमद्भगवतगीता , अध्याय सात, श्लोकसंख्या चार
3. शुक्ल, पंडित विद्याभास्कर “स्वामी विवेकानन्द का जीवन परिचय”
4. ऋग्वेद (10:146:6)
5. सिंह, जगदीश, पर्यावरण एवं सँविकास, पृष्ठ सं 75-78, गोरखपुर
6. <http://m.jagaran.com> 20 Ape2016



## हमारी सांगीतिक विरासत- 'लोकसंगीत' एवं 'शास्त्रीयसंगीत'

दीप्ती गुप्ता\*

**सार-संक्षेप :** संगीत अन्तः करण की अनुभूति है जो मनुष्य को अलौकिक सुख की ओर उन्मुख करता है अर्थात् मानव जीवन में आए हुए कष्टों का उन्मूलन कर उसके जीवन को आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। संगीत में एक ऐसी दिव्य एवं आकर्षकशक्ति है जो मानव जीवन को संसार की भौतिक वस्तुओं के मोह से परे ले जाती है, जहाँ उसे असीम आनन्द की प्राप्ति होती है। संगीत सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक अथवा समाज का दर्पण है जिसका मानव जीवन में अमूल्य एवं अद्वितीय स्थान है।

**बीज शब्द :** संगीत, लोकसंगीत, शास्त्रीय, सभ्यता, संस्कृति, सात्विक, रंजक, समृद्धि, आध्यात्म, अनुभूति, आनन्द, भावाभिव्यक्ति

संगीत सर्वव्यापी कला है जो समस्त जगत में विद्यमान है अर्थात् प्रकृति के कण-कण में समाहित है। चिड़ियों की चहचहाहट, नदियों का कल-कल करता जल, झरनों की झर-झर, हवा की सांय-सांय और बारिश की बूँदों की टिप-टिप सभी में संगीत का विशिष्ट महत्व है। यह मानव जाति की भाषा होने के साथ-साथ भावनाओं के आदान-प्रदान, मानव जीवन के परिष्कार अलंकार एवं उत्कृष्ट का सशक्त माध्यम है। संगीत अतःकरण की अनुभूति है जो मनुष्य को अलौकिक सुख की ओर उन्मुख करता है। अर्थात् मानव जीवन में आए हुए कष्टों का उन्मूलन कर उसके जीवन को आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। अतः संगीत में एक ऐसी दिव्य एवं आकर्षक शक्ति है जो मानव को संसार की भौतिक वस्तुओं के मोह से परे ले जाती है। जहाँ उसे असीम आनन्द की प्राप्ति होती है। संगीत, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक अथवा समाज का दर्पण है जिसका मानव जीवन में अमूल्य एवं अद्वितीय स्थान है।

जीवन पथ के हर मोड़ पर संगीत ने अपना प्रभाव छोड़ा है। विभिन्न देशों-प्रदेशों में संगीत का रूप चाहे भिन्न-भिन्न हो किन्तु उनके गुणों व प्रभाव में कोई भिन्नता नहीं होती क्योंकि संगीत का मौलिक तथा उसमें अंतर्निहित सृजनात्मक तत्व एक ही है।

भारतीय संगीत अति प्राचीन है। संगीत का मुख्य आधार नाद है, जो प्रणव वाचक है। प्राचीन समय से ही संगीत का अंग माना गया है। वैदिक समय में संगीत ऋग्वेद की ऋचाओं के आधार पर किया जाता था। भारतीय संगीत उस समय से दो धाराओं में प्रवाहित था। एक वह जो धार्मिक अवसरों के उपलक्ष्य में किया जाता था, दूसरा वह जिसका प्रयोग लौकिक अवसरों पर जन रंजन के लिए किया

\*असि. प्रोफेसर, बी.एड. विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल धूसड़, गोरखपुर

जाता था। दोनों धाराओं के लिए दो संज्ञाएँ दी गईं—मार्गी संगीत एवं देशी संगीत। मार्गी संगीत वह है जो शास्त्र पर आधारित था तथा विद्वानों, गुणों एवं कलाकारों के अध्ययन तथा साधना का विषय बना, जिसे हम आधुनिक समय में 'शास्त्रीय संगीत' कहते हैं। देशी संगीत उसे कहा जाता है जो जन रंजन के लिए किया जाता था तथा जो काल और देश के अनुरूप प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में स्वाभाविक रूप से पलता हुआ विकसित होता रहा, तथा जिसे आज हम 'लोकसंगीत' कहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि मार्गी संगीत में परिवर्तन करके देशी संगीत की उत्पत्ति हुई है।

'लोकसंगीत' में लोकशब्द संस्कृत में 'लोक दर्शन' धातु में 'धञ' प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है। इस धातु का अर्थ देखना होता है। 'लोक' शब्द की व्याख्या विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है - किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति जिनका भौगोलिक वातावरण रहन सहन, खान-पान, विचारधारा एवं बोलचाल की भाषा एक सी होती है वह 'लोक' कहलाने के अधिकारी है। लोकसंगीत 'लोक' एवं 'संगीत' दो शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ लोक के गीत अथवा लोगों में प्रचलित गीत एवं 'संगीत' का अर्थ गायन-बादन तथा नृत्य तीनों के सम्मिश्रण का संगम। उसी प्रकार 'लोकसंगीत' के अन्तर्गत लोकगीत, लोकवाद्य एवं लोक नृत्य का समावेश होता है। विभिन्न प्रान्तों में प्रादेशिक संस्कृति के अनुसार विभिन्न अवसरों पर गायन, वादन एवं नृत्य के प्रस्तुतिकरण को 'लोकसंगीत' कहते हैं।

लोकसंगीत सामान्य जन का संगीत एवं भावाभिव्यक्ति का सशक्त एवं प्रबल माध्यम है। लोकगीतों का क्षेत्र वर्ण्य-विषय अत्यंत व्यापक है। जन्म से मृत्यु तक सोलह-संस्कारों के अतिरिक्त विभिन्न ऋतुओं, व्रतों, पर्वों से सम्बन्धित गीत इसमें वर्णित रहते हैं तथा यह भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विराट रूप का चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जनमानस की सभी प्रकार की अभिव्यक्ति चाहे वह प्रसन्नता का अवसर हो अथवा विषाद का, कटु अनुभव हो अथवा वह जन आवेग हो, लोकगीतों के माध्यम से होती है। यही लोकगीत, लोकवाद्य और लोकनृत्य के साथ मिलकर एक अद्भूत लोकसंगीत' को जन्म देते हैं जिनके प्रदर्शन विभिन्न संस्कारों, पर्वों, ऋतुओं तथा उत्सवों के अवसर पर दिखाई देते हैं लोकगीतों में जनजीवन का वास्तविक प्रतिबिम्ब नजर आता है। किसी भी समाज का वास्तविक प्रतिबिम्ब देखने के लिए उसमें प्रचलित लोकगीतों का अध्ययन करना आवश्यक है। लोकसंगीत' किसी भी देश-प्रदेश का सामाजिक स्थिति का दर्पण होता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह संगीत' लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए ही है।

**भरतमुनि** के 'नाट्यशास्त्र' के अनुसार जो संगीत' देशकाल और जाति आदि के अनुसार स्वयं बनता अथवा फलता-फूलता है वह लोकसंगीत' है।

**पं. शारंगदेव** ने अपने ग्रंथसंगीत रत्नाकर में लोकसंगीत को देशी संगीत के रूप में पारिभाषित करते हुए कहा है कि 'जो संगीत भिन्न-भिन्न देशों (राज्यों एवं प्रान्तों) के लोगों की रूचि के अनुरूप

विकसित होता है' कठोर नियमों से युक्त तथा जनसाधारण को मनोरंजन करता है, वह देशी संगीत' कहलाता है।

**एन्साइकलोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका** के अनुसार- "लोकसंगीत का संकुचित अर्थ केवल उन्हीं लोगों के हर्ष-विषाद का भान करवाता है जो नागरिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से मुख्यतः परे है। निरक्षर अथवा मामूली अक्षर ज्ञान वाले ग्रामीण है।<sup>१</sup>

**पं० ओंकारनाथ ठाकुर के अनुसार** - देशी संगीत की पृष्ठभूमि ही लोकसंगीत है।

**हजारी प्रसाद द्विवेदी** ने लोकगीतों के सम्बन्ध में कहा है कि-लोक में गाये जाने वाले ऐसे गीत जिनके रचनाकारों का कोई पता नहीं होता और जो मौखिक परम्परा में चलते हैं, वे 'लोकसंगीत' कहलाते हैं।

लोकगीतों के सम्बन्ध में **श्री सूर्यकरण पारीक** का यह कहना है कि 'आदिम मनुष्य-हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। मानव-जीवन की उसके उल्लास की, उसके उमंगों की, उसकी करुणा की, उसके रूदम की, उसके समस्त सुख-दुख की कहानी इसमें चित्रित है।

**पं० जवाहरलाल नेहरु** जी कहते हैं कि - लोकसंगीत से उल्लास मिलता है और शिक्षा मिलती है कि जीवन का आनन्द केवल भौतिक पदार्थों की उपलब्धि में ही नहीं है। लोकसंगीत भिन्न-भिन्न प्रान्तबद्धों का होते हुए भी सुनने वालों के मन का मोह कर अपनी ओर आकर्षित करता है।

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों के मतानुसार लोकसंगीत क्या है यह स्पष्ट हो जाता है।

शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जो शास्त्रों में बद्ध है अर्थात् सात्विक विचारशीलता तथा विकसित शास्त्रीय तत्व की नियमबद्धता का आधिक्य होता है। शास्त्रीय संगीत का स्वर भण्डार सागर के समान समृद्ध एवं विशाल है। इसके अन्तर्गत ख्याल, ध्रुपद, धमार, तुमरी आदिशैलियों का समावेश अतर्निहित है। शास्त्रीय संगीत की मुख्य विशेषता 'राग नियम' है। शास्त्रीय संगीत समस्त संगीतों में सर्वोपरि स्थान रखता है। इस संगीत' में स्वर, ताल एवं लय की साधाना के लिए सतत् परिश्रम अपेक्षित है।<sup>२</sup>

लोकसंगीत व शास्त्रीय संगीत के पारस्परिक सम्बन्धों पर दृष्टिगत करें तो ज्ञात होता है कि लोकसंगीत जब समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तब उसमें से कुछ सामान्य सिद्धान्तों का संचयन करके उस संगीत के शास्त्र का निर्माण किया जाता है और तब लोकसंगीत ही शास्त्र की ऊँगली पकड़कर शास्त्रीय संगीत कहलाने लगता है। ऐसा मानना अनुचित नहीं होगा कि लोकसंगीत तथा शास्त्रीय संगीत, एक वृक्ष की दो शाखाएँ हैं। दोनों का स्वरूप एक साथ अंकुरित एवं विकसित होता है तथा दोनों ही एक दूसरे के प्रेरणा स्रोत हैं। अतः लोकसंगीत, संगीत का लोकपथ है और

शास्त्रीय संगीत उसका वह पक्ष है जो व्यक्ति विशेष की प्रतिभा के अनुसार विशिष्ट शास्त्र में बँधा हुआ है। शास्त्रीय संगीत के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति एवं शास्त्र है और शास्त्र नियमों में बँधा हुआ शास्त्रीय संगीत स्वतंत्रापूर्वक विचारने का अधिकारी नहीं है। उसके विपरीत लोकसंगीत का प्रेरणा स्रोत क्षेत्र विस्तृत है। शास्त्रीय संगीत में कला पक्ष तथा लोकसंगीत में भाव पक्ष की प्रधानता मानी जाती है। “शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत किसी राग में प्रस्तुतिकरण हेतु उसमें लगने वाले वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी स्वर, लय, ताल तथा समय सम्बन्धी नियमों का पालन अनिवार्य रहता है। जबकि लोकसंगीत में शास्त्रीय संगीत की भाँति नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। यह जन-मन-रंजन का साधन है। शास्त्रीय संगीत वैयक्तिक साधन का प्रतीक है तथा लोकसंगीत सामुदायिक साधन का।”<sup>4</sup>

शास्त्रीय संगीत के कुछ राग हैं जैसे भूपाली, सांरग, देस, पील, काफी, मॉड, पहाड़ी आदि जो पहले मूल रूप से लोक धुने थीं। लोकगीतों के कुछ प्रकार जैसे बनारस की कजरी आदिशास्त्रीय संगीत के बहुत करीब है। इसके अतिरिक्त चैती, बारहमासा, मॉड, होरी, भटियाली आदि का समावेश इसके अन्तर्गत होता है। लोकसंगीत में अनेक ताल जैसे कहरवा, दादरा, खेमटा, रूपक आदि का विकास होने के उपरान्त इसका प्रयोगशास्त्रीय संगीत में होने लगा।

विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित विभिन्न प्रकार के लोकगीतों में से कुछ में कई रागों के सम्मिश्रण है। सामाजिक और दैनिक जीवन के प्रत्येक अवसर पर स्त्री-पुरुष के द्वारा मिलकर या अलग-अलग गाए जाने वाले लोक गीतों का भी प्रचलन है। बंगाल में बाउल, भटियाली, प्रभाती, गाजन, गंभीरा आदि हरियाणा में झूला-गीत, राजस्थान में ‘धूमर’, ‘गणगौर’, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, बिदेसिया, खिलौना, चैती और ‘कजरी’ महाराष्ट्र में ‘लखनी’ आदि प्रधान रूप में प्रचलित है।<sup>5</sup>

साहित्यिक दृष्टि से लोकसंगीत का क्षेत्र शास्त्रीय संगीत से कहीं अधिक विस्तृत है। ‘लोकगीतों’ में किसी एक भाषा-विशेष के प्रयोग को नहीं गिनाया जा सकता। प्रत्येक प्रदेश की जनपदीय भाषाओं से लोकगीतों का कलेवर बना है। भाषा की सीमा के कारण शास्त्रीय संगीत का क्षेत्र सम्भवतः उतना विस्तीर्ण नहीं हो सकता, जितना कि लोकसंगीत का। लोकसंगीत के अन्तर्गत शब्द भंडार बहुत सीमित रहता है भाव अधिक रहते हैं, जिनको व्यक्त करने के प्रयास में ऐसे अनेक निरर्थक शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है, जोशास्त्रीय संगीत में नहीं मिलता। लोकगीतों की अपनी सार्वभौमिक विशेषताएँ हैं जैसे पुनरावृत्ति, प्रश्नोत्तर, प्रधाली, टेक आदि, जिनसे गीत को ‘कंठस्थ’ करने में भावाभिव्यंजना तथा गीत विस्तार में सुविधा होती है। अतः लोकगीतों में लोक जीवन की अनंतता के दर्शन भी होते हैं। लोकगीतों में तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव जैसे साहित्य की दृष्टि से परिलक्षित होता है। वैसे ही संगीत की दृष्टि से भी होता है अर्थात् उनकी धुन या स्वर योजना पर भी निर्भर करता है। संगीत’ की दोनों विधाओं का अपना एक अहम स्थान है। ‘शास्त्रीय संगीत’ कलापक्ष से परिपूर्ण है तो दूसरी ओर लोकसंगीत भाव पक्ष से अभिहित है।

नियमों में बँधकर रंजकता प्रदान करने का सामर्थ्य, कठोर साधना के पश्चात् ही गायक को प्राप्त है, इसलिए शास्त्रीय संगीत सर्वग्य नहीं है।<sup>6</sup> शास्त्रीय संगीत के कलाकारों में कहीं-कहीं रूढ़िवादिता के दर्शन होते हैं जो किसी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं समझते किन्तु लोकसंगीत किसी भी सरल एवं सुमधुर धुन को आत्मसात करने से पीछे नहीं रहता। फिल्मों के अन्तर्गत संगीत निर्देशक धुन को बुद्धिगम्य बनाने के लिए जहाँ शास्त्रीय संगीत का पुट देते हैं वहीं से सुंदर, रंजक, मोहक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए लोकधुनों का सहारा भी लेते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकसंगीत का अपना विशिष्ट स्थान है जिसको शास्त्रीय संगीत की जननी और अविर्भाव का मूल माना गया है। शास्त्रीय संगीत धर्मोचार्यों एवं राज-दरबारों के संरक्षण में तीव्र गहन से समाज के विशिष्ट वर्ग के बीच विकसित होते हुए नवीन विधाओं का सृजन कर रहा है परन्तु लोकसंगीत आज भी प्राचीन विरासत को अपने-अपने आप में समेटे हुए अपनी परम्परागत गीतशैली और क्षेत्र के नाम से पहचाना जाता है। अतएव ऐसा कहना अनुचित न होगा कि लोकसंगीत हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। स्वर, लय, ताल, छंद के बंधन से बँधी रचना जो स्थायी अंतरा के बर्ताव में नियमबद्ध जिससे काव्य का विशेष स्थान है, शास्त्रीय संगीत कहलाती है। ठीक उसके विपरीत सहज क्षेत्रीय ग्रामीण भाष, स्वच्छन्द स्वर से युक्त, ताल लयबद्ध गीत लोकसंगीत कहलाता है।<sup>7</sup>

किसी भी प्रकार का संगीत हो यदि उसमें आनन्द की अनुभूति होती है और जो मानस के मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ती है वही संगीत मोक्ष प्राप्ति एवं जनहितकारी होता है किन्तु यह मनुष्य की रुचि पर निर्भर करता है, कि उसे शास्त्रीय संगीत पसंद है या लोकसंगीत। दोनों ही संगीत शैलियाँ हमारी सांगीतिक विरासत एवं संस्कृति की संवाहक हैं। अतः आवश्यकता है कि हम दोनों शास्त्रीय व लोकसंगीत को सुरक्षित व संरक्षित रखने का प्रयास करें।

#### संदर्भ-सूची

1. श्रीवास्तव, डा0 वीणा, भारतीय लोकसंगीत (संरक्षण, संवर्धन एवं सम्भावनाएँ), पृ0सं0 37, 38, राधा पब्लिकेजन्स, दिल्ली।
2. वर्मा, पुष्पा, लोकगीतों में नाद सौन्दर्य, पृ0सं0 46, नई दिल्ली।
3. चौधरी, डा0 सुभद्रा, संगीत रत्नाकर, प्रथम अध्याय, पृ0सं0-12, दिल्ली।
4. गर्ग, डा0 लक्ष्मीनारायण (2003), निबन्ध संगीत, पृ0सं0-70-71, संगीत कार्यालय, हाथरस, (उ0प्र0)
5. उपाध्याय, डा0 रविशंकर (2006), भोजपुरी लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, कला प्रकाशन, वाराणसी।
6. मिश्र, लालमणि, भारतीय संगीत वाद्य, पृ0सं0-164
7. शोध प्रबन्ध (नीलम अधिकारी, लोकसंगीत एवं शास्त्रीय संगीत, संगीत एवं ललित कला, संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय)



## ज्ञाननाथ मंदिर की ऐतिहासिकता

डा.दीपंकर लामा\*

**सार-संक्षेप :** नालंदा महाविहार के भग्नावशेष से 3 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम दिशा में जगदीशपुर नामक गाँव के पास पुराने टीले पर एक मंदिर स्थित है, जिसमें पाल कालीन भूमि स्पर्श मुद्रा में विशाल बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। फ्रांसिस बुकानन के अनुसार यह स्थान भोज देवता 'यज्ञनेस' के नाम पर यज्ञनेसपुर था। किन्तु प्रो. सी. एस. उपासक ने इस मंदिर को ज्ञाननाथ का मंदिर बताया है। "बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामिन" पुस्तक के अनुसार जब बख्तियार खिल्जी ने नालन्दा महाविहार पर आक्रमण किया था तो उससे बचने के लिये धर्मस्वामिन ने 90 वर्षीय आचार्य राहुल श्रीभद्र के साथ इसी मंदिर में छिपे थे। प्रो. उपासक ने उपरोक्त वर्णित स्थान को ही ज्ञाननाथ का मंदिर होना बताया है।

**बीज शब्द :** जगदीशपुर, रुक्मणी स्थान, धर्मस्वामिन, राहुलश्रीभद्र, बुद्धसेन, जयदेव, ओदन्तपुरी, एलेक्जेंडर कनिंघम, फ्रांसिस बुकानन, यज्ञनेसपुर, सी. एस. उपासक, वोटिव स्तूप, बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामिन।

नालन्दा एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विश्वविख्यात रहा है। भगवान महावीर ने चौदह चातुर्मास यहाँ बिताए हैं।<sup>1</sup> यह स्थल उनके गणधारों की जन्मस्थली भी रही है। गौतम बुद्ध की साधना स्थली एवं इनके शिष्यों सारिपुत्र एवं मोग्गल्लान का जन्म स्थान आदि से यह स्थान अनुप्राणित है। नालन्दा महाविहार के भग्नावशेष के आसपास ऐसे चार टीले हैं यथा- बेगमपुर, दामन खंधा, जुआफर डीह एवं रुक्मणी स्थान। इन सभी टीलों का उत्खनन हो चुका है। इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों द्वारा इनकी ऐतिहासिकता को जानने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान नालन्दा महाविहार के भग्नावशेष का उत्खनन मात्र 10 प्रतिशत ही हुआ है। शेष 90 प्रतिशत आज भी पृथ्वी के गर्भस्थल में छुपा हुआ है।

नालंदा महाविहार के भग्नावशेष से 3 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम दिशा में जगदीशपुर नामक गाँव है।<sup>2</sup> इस गाँव के दक्षिणी दिशा में कुछ ही दूरी पर पुराने टीले के ऊपर एक मंदिर स्थित है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में विशाल बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। पाल कालीन इस मूर्ति के चारों ओर गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की जीवनी चित्रित है और नीचे इसके पैडस्टल पर मार तथा उसकी सेना का आक्रमण एवं मार की पराजय आदि दृश्य प्रदर्शित हैं।<sup>3</sup>

\*एसोसिएट प्रोफेसर-सह-अध्यक्ष, तिब्बती अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नालंदा (बिहार)

द एंटिक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार में उल्लिखित एलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार जगदीशपुर नालन्दा भग्नावशेष से लगभग एक मील पर स्थित है। इस ऐतिहासिक टीले की उँचाई 200 स्क्वायर फीट है। दक्षिण-पूर्व की तरफ का हिस्सा शेष टीले से कुछ ऊँचा है। यह मूर्ति 15 फीट ऊँचा और 9 फीट चौड़ा एक बहुत ही सुन्दर कलाकारी का नमूना है। कनिंघम कहते हैं कि यह तांत्रिक बुद्ध की मूर्ति है जो बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है और चारों ओर से भयंकर राक्षसों से घिरे हैं और उन्हें रिझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनकी ध्यानस्थ मुद्रा टूट जाए।<sup>4</sup>

सन् 1811-12 में फ्रांसिस बुकानन ने भी इस स्थल का परिभ्रमण किया था। इस टीले को देखकर उन्होंने लिखा है कि यह स्थान भोज देवता 'यज्ञनेस' के नाम पर यज्ञनेसपुर था। यह स्थान पूजा-पाठ के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने ऐसा गौर किया कि यह मूर्ति जगदम्बा देवी के रूप में पूजा जाता है।<sup>5</sup>

अब मैं किंवदन्तियों की बात करता हूँ तो स्थानीय ग्रामीण प्रारम्भ से ही इस मूर्ति को रूक्मिणी की मूर्ति बताते हैं। ग्रामीणों से पूछे जाने पर वे कहते हैं कि बुद्ध की मूर्ति के चारों तरफ जो दृश्य देख रहे हैं वह रूक्मिणी की शादी, बारात, ढोल-बाजे आदि का ही दृश्य है। वर्षों पूर्व मैंने जब स्थानीय गाँव के लोगों से इस संदर्भ में पूछताछ की थी, तो लोगों ने यह बताया कि मोहनपुर ग्राम स्थित एक विशाल तालाब था, जिसे मोहन कुण्ड कहते थे। उसी कुण्ड के पास श्री कृष्ण रूक्मिणी का हरण करने आए थे।

वर्तमान समय में जगदीशपुर के टीले पर जो मंदिर अवस्थित है वह रूक्मिणी स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि भारतीय पुरातत्त्व विभाग के अनुसार यह महामाया देवी स्थल है। शादी-विवाह के मौके पर स्थानीय लोग यहाँ आकर इनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसी परिसर में एक संत भगवान दास द्वारा कुटिया का निर्माण भी किया गया है। जहाँ तक ये किंवदन्तियाँ हैं और इस स्थल के प्रति लोगों की श्रद्धा का भाव है, सामान्य व्यक्ति होने के नाते मेरा भी इस स्थल के प्रति श्रद्धा भाव ही है। किन्तु एक प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी होने से साहित्यिक, ऐतिहासिक अथवा पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव में किसी नतीजे पर आना सही नहीं होगा।<sup>6</sup>

अब यहाँ मैं एक दूसरा पक्ष रखने जा रहा हूँ। नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के पूर्व निदेशक एवं विख्यात इतिहासकार प्रो. सी. एस. उपासक ने इस मंदिर को ज्ञाननाथ का मंदिर बताया है। बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामिन पुस्तक के अनुसार जब बख्तियार खिल्जी ने नालन्दा महाविहार पर आक्रमण किया था तो उससे बचने के लिये धर्मस्वामिन ने अपने वृद्ध आचार्य राहुल श्रीभद्र को कंधे पर बिठाकर भागा था और ज्ञाननाथ के मंदिर में छिपे थे। प्रो. उपासक ने उपरोक्त वर्णित स्थान को ही ज्ञाननाथ का मंदिर होना बताया है।<sup>7</sup>



बायोग्राफी ऑफ धर्मस्वामिन में वर्णित उस घटना को मैं यहाँ संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा। जून 1235 ई. में नालंदा महाविहार पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ओदन्तपुरी के जयदेव नामक ब्राह्मण को कारागार में बंद कर दिया था। जयदेव को जब यह जानकारी मिली कि नालंदा पर पुनः हमला होने वाला है तो उसने किसी प्रकार यह सूचना नालन्दा महाविहार के आचार्य राहुल श्रीभद्र को पहुँचाई जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष की थी। उस समय उनके अधीन 70 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। उनके भरण-पोषण के लिए बोधगया के राजा बुद्धसेन तथा ओदन्तपुरी (वर्तमान बिहार शरीफ) के जयदेव नामक धनी ब्राह्मण के द्वारा सहायता दी जाती थी।

इस सूचना के प्राप्त होते ही सारे विद्यार्थी अपने वृद्ध गुरु राहुल श्रीभद्र एवं तिब्बती शिष्य धर्मस्वामिन को छोड़कर वहाँ से भाग गए। राहुल श्रीभद्र काफी वृद्ध हो चुके थे और संभवतः अपने पद पर रहते हुए वहीं अंतिम सांस लेना चाहते थे। अतः उन्होंने धर्मस्वामिन से सुरक्षित स्थान में भाग जाने के लिए कहा। किन्तु धर्मस्वामिन अपने गुरु को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अंततः दोनों ने यह तय किया कि महाविहार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर छिप जाया जाए। उस तिब्बती शिष्य ने अपने कंधों पर गुरु को बिठाया तथा साथ में चावल, गुड़ एवं कुछ पुस्तकों को लेकर वहाँ से चल दिया। वे दोनों किसी प्रकार ज्ञाननाथ के मंदिर में आकर छिप गए। जब वे दोनों उस मंदिर में थे कि अचानक तीन सौ सैनिक प्रकट हुए। उन लोगों ने उन्हें काफी खोजा किन्तु असफल रहने पर अंततः वे वापस लौट गए। इन आक्रमणकारियों के लौटने के पश्चात् राहुल श्रीभद्र एवं धर्मस्वामिन पुनः वापस नालंदा महाविहार में आकर अध्ययन हेतु रहने लगे।

नव नालन्दा महाविहार ने मगध क्षेत्र के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु बिहार सरकार के सहयोग से एक अभियान चलाया था। इसी क्रम में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में इस टीले का उत्खनन 2014 से 2016 तक श्री के.सी. श्रीवास्तव के निर्देशन में किया गया। यद्यपि यह टीला 1923 में ही केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित पुरातत्त्व स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है।

इस उत्खनन के पश्चात् यहाँ से कई महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं जैसे - धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति, नाग प्रणल जो हाथ में लिए घट है, वैशाली के चमत्कार को दर्शाती मूर्ति है। इसमें बुद्ध को एक कटोरी शहद भेंट करने को दर्शाया गया है। सारनाथ प्रतीक को दर्शाती मठ की मुहर आदि और कई मृण मूर्तियाँ, बीड्स, टेराकोटा निर्मित अनेक बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये सभी गुप्त-पोस्ट-गुप्ता और पाल काल की हैं। इसके अलावा यहाँ कई छोटे पत्थर की मूर्तियाँ भी इस स्थल से प्राप्त हुई हैं। इनमें जो पहचाने जा सकते हैं, वे हैं- चार हाथ वाले विष्णु की मूर्ति जो ध्यान मुद्रा में है, गले में सर्प लपेटे हुए तथा गणेश आदि।

मुख्य मंदिर का प्लेटफॉर्म दक्षिण-पूर्व दिशा में है। इसके चारों ओर ईंटों का ढांचा है। इसके चारों ओर कई वोटिव स्तूप हैं। एक छोटा-सा छह रिंग वाला रिंगवेल भी मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर अवश्य ही कोई विहार रहा होगा।

यह ऐतिहासिक स्थल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यद्यपि इस स्थल पर वाह्य पर्यटकों का नहीं के बराबर आना होता है, तथापि पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण जान पड़ता है। इस स्थल के सम्बन्ध में अभी भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ धरती के गर्भ में समाहित हैं, जिस पर अभी शोध होना बाकी है। पुरातत्त्ववेत्ता एवं इतिहासकार तथा प्राचीन धरोहर में रुचि रखने वाले इस स्थल के ऊपर शोध कर सकते हैं, ताकि कई नए तथ्यों से हम अवगत हो सकें।

#### संदर्भ-सूची

1. घोष, ए., नालन्दा, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नयी दिल्ली, 2006, पृ. 2
2. सहृदय, श्रीहवलदार, त्रिपाठी बौद्धधर्म और बिहार, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, पृ. 297
3. वही, पृ. 36
4. पाटिल, डी. आर., ऐंटिक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार, के. पी. जायसवाल. शोध संस्थान, पटना, पृ. 330
5. पाटिल, डी. आर., वही
6. रोरिक, जी०, बायोग्राफी ऑफ ध्रुवस्वामिनी, के. पी. जायसवाल. शोध संस्थान, पटना, 1959, पृ. गग
7. रोरिक, जी., वही
8. विवरणिका, रुक्मीणिस्थान, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, उत्खनन शाखा, पटना
9. वही



# इतिहास में शोध-प्रविधि

डॉ. पद्मजा सिंह\*

मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी पहचान को लेकर अत्यन्त संवेदनशील होता है। व्यक्ति अथवा समाज बिना अपने इस पहचानात्मक अस्तित्व के जिन्दा नहीं रह सकता। अपनी इसी पहचान की खोज में हर व्यक्ति अथवा समाज अपने अतीत को खंगालता है। अपना उत्स (उद्भव) खोजता है और उसकी यही चाहत उसे इतिहास अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। इतिहास अध्ययन का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इतिहास का अध्ययन दुनिया के विकसित समाजों ने अपने वर्तमान के निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने या निश्चित करने हेतु किया है।

मनुष्य ने अपने अतीत की उपलब्धियों से गौरवान्वित होने तथा अतीत की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में भी इतिहास का उपयोग किया है। वस्तुतः इतिहास मनुष्य और समाज को अपनी पहचान देता है, उसे एक परम्परा प्रदान करता है, उसके पूर्वजों की एक शृंखला प्रस्तुत करता है और एक क्रमिक विकास का पथ प्रदान करता है।

मानव अपने अभ्युदयकाल से ज्ञान की खोज में निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। नित नये अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया ने ही मनुष्य को आदिमानव के यायावरी जीवन से आज सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को खोज लेने का दावा करने की सीमा तक पहुँचाया। इस प्रकार मनुष्य द्वारा निरन्तर ज्ञान की वर्तमान सीमा से आगे की ज्ञान की खोज की यात्रा में अनुसन्धान अथवा रिसर्च एक महत्वपूर्ण आयाम है। मुख्यतः सामाजिक मानविकी विषयों में शोध का उद्देश्य किसी तथ्य का विश्लेषण करना तथा उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजना है।

## इतिहास में शोध समस्या:

इतिहास सामाजिक मानविकी विषय है। ऐतिहासिक स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के हैं। इतिहास की रचना स्रोतों के आधार पर इतिहासकार द्वारा किया जाता है। ऐसे में इतिहास विषय के शोध में निम्न समस्याएँ आती हैं-

- I विषय का चयन।
- II ऐतिहासिक स्रोत की प्रामाणिकता।
- III ऐतिहासिक स्रोतों की व्याख्या और निर्णय की प्रामाणिकता।

\*असि. प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

- IV घटनाओं की जटिलता।
- V वस्तुनिष्ठता।
- VI अवधारणाओं की अस्पष्टता।
- VII प्रयोगशालाओं का अभाव।
- VIII मापन की समस्या।
- IX काल-निर्धारण।

अनुसन्धान किसी अर्थपूर्ण व मौलिक समस्या का समाधान खोजने का ऐसा व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, सोदेश्य एवं तर्कसंगत प्रयास है जो वैज्ञानिक विधि से आच्छादित होता है। निस्सन्देह यह प्रक्रिया स्वसंशोधनीय, पुनरावृत्ति तथा सार्वभौमिक प्रकृति की होती है। स्पष्ट है कि शोध अथवा अनुसन्धान नवीन ज्ञान-प्राप्ति का वैज्ञानिक आधार है।

अनुसन्धान की प्रक्रिया एक तार्किक तथ्याधारित तथा विज्ञानसम्मत प्रक्रिया है। अतः वस्तुनिष्ठता, सत्यापन, सार्वभौमिकता तथा पूर्वकथन शोध के महत्त्वपूर्ण आधार हैं।

शोध-प्रक्रिया अथवा रिसर्च मेथडोलॉजी इन्हीं आधारों पर आगे बढ़ती है। शोध में प्रश्नों या जिज्ञासाओं का उत्तर अनुभव, परीक्षण, तार्किक विश्लेषण पर आधारित होता है। इसी क्रम में शोध अवलोकन परिकल्पना (अनुमान पर आधारित विचार है न कि वस्तुतः प्रमाणित प्राक्कल्पना) एवं परीक्षण के आधार पर आगे बढ़ता है और परिणाम तक पहुँचता है।

सामाजिक-मानविकी विषयों को हम प्रमुख सोपानों में पूरा करते हैं जिनमें अनुसन्धान समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, अनुसन्धान अभिकल्प, प्रतिदर्श का चयन, प्रदत्त का चयन एवं परिणामों का सामान्यीकरण हैं।

उपर्युक्त सोपानों के अतिरिक्त सामाजिक-मानविकी शोध के दौरान सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा भी अनुसन्धान प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग होता है।

### स्रोत

प्राचीन इतिहास के अनुसन्धान में तथ्य अथवा ऐतिहासिक स्रोतों का विशेष महत्त्व है। प्राचीन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उस युग का है जब मानव निरक्षर था। निरक्षर मानव के युग की इतिहास रचना अथवा ऐतिहासिक शोध के लिए हमें विशुद्ध रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है और पुरातत्त्व ही इस युग की इतिहास-रचना के एकमात्र आधार होते हैं। ऐसे में इतिहासकार और उसकी दृष्टि तथा उसकी व्याख्याएँ, कई बार इतिहास की दृष्टि से गढ़ा जाने लगता है।

इन परिस्थितियों में ऐतिहासिक शोध प्रविधि में वैज्ञानिकता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार ऐतिहासिक शोधों की प्रक्रिया में जहाँ इतिहासकार स्वयं महत्त्वपूर्ण हो जाता है वहीं दूसरी तरफ

ऐतिहासिक स्रोत भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं।

जैसा कि विदित है, इतिहासकार अतीत की घटनाओं का स्वयं साक्षी नहीं होता अतः पुरावशेषों से ज्ञात तथ्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के सन्दर्भ में शाब्दी और पदार्थी परम्परा के अवशेष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। शाब्दी परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्य में सुरक्षित है जबकि पदार्थी परम्परा में पुरातात्विक साक्ष्य हैं अभिलेख मुद्राएँ, स्मारक तथा खुदाई से प्राप्त सामग्री आदि।

पुरातात्विक साक्ष्य अपने मूल रूप में प्राप्त होने के कारण अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अन्तर्गत मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है, उदाहरण के लिए पश्चिमोत्तर भारत में शासन करने वाले इण्डो-ग्रीक, उत्तर भारत में प्राक् गुप्तयुग में शासन करने वाले अनेक स्थानीय और जनजातीय राज्यों- यौधेय, मालव, अयोध्या, मथुरा, पांचाल तथा कोशाम्बी आदि का इतिहास मुद्राओं से ही ज्ञात है।

**मुद्राएँ** समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुद्राओं से समकालीन भाषा, लिपि, साहित्य पर भी प्रकाश पड़ता है।

मनुष्य के उस युग का इतिहास जब वह लेखन-कला से परिचित नहीं था, पुरातात्विक साक्ष्य अपरिहार्य है। छठीं शताब्दी ई.पू. के पूर्व का इतिहास जानने का मुख्य आधार पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। उल्लेखनीय है कि मनुष्य यदि सुनना चाहे तो हर पदार्थ उसे बोलता हुआ सुनाई देगा। मनुष्य ने अपनी इसी क्षमता के आधार पर पुरातात्विक साक्ष्यों से मनुष्य के उद्भव से लेकर सभ्यताओं के विकास तक का इतिहास प्रकाशित किया है। दुनिया में नदी-घाटियों में विकसित प्रारम्भिक सभी सभ्यताओं का इतिहास इन पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही प्रकाश में आया। भारत की प्राचीनतम सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता अथवा सिन्धुघाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, के ज्ञान का एकमात्र स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है।

**अभिलेख** इतिहास के ऐसा प्रामाणिक स्रोत है जो एक साथ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है।

पाषाण एवं धातुखण्डों पर उत्कीर्ण लेख सुरक्षित प्राप्त होते हैं और जिस युग के इतिहास के वे स्रोत होते हैं, उसी युग के मनुष्यों द्वारा लिखे गये ये प्रमाण होते हैं।

सामान्यतः अभिलेख इतिहास लेखन में अत्यन्त प्रामाणिक स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन अभिलेखों ने इतिहास को प्रामाणिक, तथ्यपरक एवं सच के अत्यन्त निकट प्रस्तुत करने में महती भूमिका निभायी है। अभिलेखों ने इतिहास में अनेक नवीन अध्याय प्रकाशित किये हैं इतिहास की अनेक उलझी गुत्थियों को सुलझाया है।

आभिलेखिक स्रोतों के आधार पर प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत हुआ है।

### साहित्यिक स्रोत

भारतीय इतिहास अपने साहित्यिक स्रोतों की दृष्टि से दुनिया का अत्यन्त समृद्ध इतिहास है। सभ्यता के अभ्युदय युग से लेकर समग्र प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रभूत मात्र में साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं। वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं जो भारत के वैदिकयुगीन इतिहास के अत्यन्त प्रामाणिक साहित्यिक स्रोत हैं। वैदिक ग्रन्थों के अतिरिक्त आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य-रामायण, महाभारत जैसे साहित्यिक स्रोत भारतीय इतिहास के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर भारतीय मनीषियों द्वारा लिखे गये ग्रन्थ भी भारतीय इतिहास के शोध एवं रचना में साहित्यिक स्रोत के रूप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास की रचनाएँ, बाणभट्ट की रचनाएँ, कल्हण, विल्हण की रचनाएँ महत्त्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं।

भारतीय इतिहास की रचना एवं शोध में बड़ी भूमिका बौद्ध एवं जैन साहित्य की भी है। विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा-वृत्तान्त भी भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अभिलेख एवं मुद्राओं का उपयोग भी एक प्रकार से साहित्यिक स्रोतों के रूप में किया जा सकता है।

### इतिहास में परिकल्पना

परिकल्पना का अर्थ है- प्राक्-पूर्व, कल्पना से यहाँ तात्पर्य है विचार या सिद्धान्त यानी एक ऐसा विचार या सिद्धान्त, जिसे अनुसन्धानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है तथा उसकी जाँच करता है और अध्ययन के निष्कर्ष में प्राक्कल्पना को सत्य सिद्ध होने पर एक सिद्धान्त के रूप में स्थापित करता है। असत्य सिद्ध होने पर त्याग देता है। इस प्रकार प्राक्कल्पना एक कच्चा सिद्धान्त है जिसे अनुसन्धान में परीक्षण के लिए रखा जाता है।

इतिहास में विज्ञान की तरह परिकल्पना शोध का मुख्य आधार नहीं होता। अधिकांशतः इतिहास में पहले तथ्य एवं प्रमाण प्राप्त होते हैं और फिर उस पर इतिहास की रचना होती है तथापि प्राप्त तथ्यों अथवा ऐतिहासिक स्रोतों के पश्चात् परिकल्पनाएँ इतिहास रचना का आधार बनती हैं। कभी-कभी परिकल्पना के आधार पर भी इतिहास के स्रोत खोजे जाते हैं। ऐसे में परिकल्पना की निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए-

- I स्पष्टता।
- II विशिष्टता।

III आनुभाविक सन्दर्भ।

IV उपलब्ध प्रविविध्यों से सम्बन्ध।

V शोध विषय से उसकी सम्बद्धता एवं सरलता।

वस्तुतः शोध की गुणवत्ता उसका प्रभाव एवं परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि शोध प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक एवं तथ्याधारित है। विशेषकर इतिहास में इतिहासकार का स्वयं का मानस और उसकी दृष्टि तथा विचारधारा को शोध प्रक्रिया जितना रोक पायेगी, इतिहास उतना ही निष्पक्ष और सत्य के निकट होगा। अतः शोध प्रक्रिया का वैज्ञानिक और तथ्यपरक होना आवश्यक है।

#### संदर्भ-सूची

1. ऋक 2/33/1
2. ऋक, 1/155/1
3. प्रश्नोपनिषद्, 1/15
4. चरक : सु.अ. 14/16
5. चरक : शा.अ. 8/33
6. ऋक, 137/3
7. मनुस्मृति, 4-56
8. अथर्व. भूमि-सूक्त, 12/1/30
9. श्रीमहानारायणोपनिषदि त्रयोदशः खण्डः
10. यजुर्वेद, 6/22
11. यजुर्वेद, 14/8
12. भामिनीविलासः



## अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में सन्निवेश

हनुमान प्रसाद\*

**सार-संक्षेप :** प्राचीन धर्मशास्त्रों में तो आवास को समाज के साथ जोड़ कर देखा गया। लेकिन 'अर्थशास्त्र' ने इसे अर्थव्यवस्था का भी एक पहलू के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। इसमें न केवल आर्थिक विकास अपितु समग्र विकास की अवधारणा भी निहित थी। जिसमें राज्य तथा शासक वर्ग भी रूचि लेता था। इस प्रकार से उसमें रूचि लेने से न केवल लोग-बाग का कल्याण हुआ अपितु राजकोष को भी इसमें समृद्धि प्रदान की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 'वार्ता विद्या' से जोड़कर सामाजिक न्याय के उद्देश्य को भी पूरा करने का उल्लेख किया। इससे न केवल गतिविधि अपितु सैन्य क्षेत्र में भी निम्नस्थ को भी जीवकोपार्जन हेतु अनुमति प्राप्त हो सकी। शायद विचारक की यह सोच ही थी कि राज्य भी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेतु कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था के साथ ही अग्रिम ऋण की भी व्यवस्था करें।

**बीज शब्द :** सन्निवेश, आब्रजन-प्रवजन नीति, परदेशापवाहन और स्वदेशामिष्यन्द, विजिगीषु, कुलशतावरम, अपव्यूढे, शूद्रकर्षकप्रायम्, अदेवमातृक, भूमिछिद्राविधानम्, सस्योत्पादन, विबीताध्यक्ष, कुत्याध्यक्ष, कर्मान्त, पण्यस्थल।

अर्थशास्त्र में जनपद निवेश के अन्तर्गत आवास-स्थल सृजित करने का विस्तृत विवेचन है, जो आब्रजन-प्रवजन नीति पर आधारित है।<sup>1</sup> वैसे तो उजड़ने-बसने की स्वाभाविक गति ज्ञात है, लेकिन वहाँ इसका परिचालन राज्यहित में संचालित दृष्टिगत है। आवासन नीति समाज और देश हित में कारगर प्रतीत होती है। स्थापन-विस्थापन की नीति भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व रचित है। योजनाबद्ध रूप में संचालित इस नीति के साथ परदेशापवाहन और स्वदेशामिष्यन्द के सन्दर्भ में भी संलग्न है। वास्तव में इसका स्पष्टीकरण यह है कि जहाँ पर जन संकुल अधिक होता था, वहाँ की जनसंख्या अन्यत्र स्थानान्तरित की जा सकती थी। इस प्रक्रिया में सीमा स्थित लोगों का भी विस्थापना संभावित था। विजिगीषु शासक भी विजित राज्य के लोगों को कुछ ऐसे ही नियोजित आवास-स्थल पुरातन एवं नवीन दो कथित हैं।<sup>2</sup>

नवीन निवास हेतु उस स्थान का चयन किया जाता था, जो जनशून्य पड़ा होता।<sup>3</sup> पुरातन तो पूर्वआवासित ग्राम आदि होते थे तथा वे जगहे भी हो सकती थी। जहाँ से किसी कारण वश लोगों

\*शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर।



का पलायन हो गया था। किसी विशेष उद्देश्य से आवासित लोग-बाग भी इतस्ततः किए जा सकते थे। निवेश की लघु इकाई कुल था और ग्राम एक सौ कुलों, कुलशतावरम् से लेकर पाँच सौ कुलों (पंचशतावरम्) तक के हो सकते थे।<sup>5</sup> ऐसे ग्रामों में शूद्रों कृषकों का बाहुल्य होता था। जनशून्य अंचल को मुख्यधारा में लाने का यह प्रयास प्रशंस्य है। यह उस युग की आवश्यकता भी थी, ऐसा प्रतीत होता है, विशेषकर नवीन-आवास-क्षेत्र विकसित करते समय। आवास-स्थल विकसित करने की पृष्ठभूमि में क्या जनसंख्या वृद्धि भी कोई कारक भी यह प्रश्न अब विचारणीय है। राजनेय में विजिगीषु का प्रधान्य<sup>6</sup>, मण्डल सिद्धान्त का प्रतिपादन<sup>7</sup> एवं कलिंग अभिलेख के अपव्यूढे<sup>8</sup> के सन्दर्भों में इस आशय की आशंका बलवती होती दिखाई देती है कि जन-नियोजन की समस्या अवश्यमेव कौटिल्य के समक्ष थी। राजनीतिक सक्रियता के साथ वह कालखण्ड एक अति विकासमान अर्थव्यवस्था का था जिसमें लोग-बाग यहाँ से वहाँ स्थान परिवर्तन करते रहते थे।<sup>9</sup> ऐसे में वहाँ सन्निवेश विकसित करना आवश्यक था। कर्मशील वर्ग को विकसित करके कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के पीछे भी ऐसे आगत जन-समूह का दबाव विचारणीय है।

अर्थशास्त्र में वैसे तो विजय जनित सन्दर्भ अनेकशः विवेचित हैं। एक स्थल पर विजयोपरान्त के सीमा-क्षेत्र के शासकीय प्रबंधन में जन-समूह को इधर-उधर करना आवश्यक बताया गया है।<sup>10</sup> चौरकृति के जन, म्लेच्छ जातीय लोग और यहाँ तक कि दुर्ग, देश एवं सेना के प्रभावों को अपने स्थान से उखाड़ कर अन्यत्र प्रेषित किया जाता था।<sup>11</sup> ऐसे विस्थापित स्थानों पर स्वदेशवासियों को आवासित कर तद्स्थान को विजेता अपने राज्य का स्थायी प्रखण्ड बनाने का प्रयास करता था।<sup>12</sup> विजित प्रदेश के रिक्त कराए गए स्थलों पर उन्हें भी बसाने की सहमति दी गई है, जो तद्स्थान के जनो से द्वेष रखते थे।<sup>13</sup> ऐसा करके विजिगीषु अन्य प्रयास से कार्यसिद्ध कर सकता था। ऐसे तो विजित राजपरिवार के किसी सदस्य अथवा वहाँ के प्रभावकारी व्यक्ति को निष्प्रयोज्य भूमि पर ला पटकना एक नीतिगत निर्णय था।

इस गतिशीलता में जो तथ्य सघः हमारा ध्यान आकृष्ट करता हैं, वह शूद्रकर्षकप्रायम् का है।<sup>14</sup>, जिसको आवास नीति में वरीयता दी गई है। यहाँ शूद्र के साथ कृषक का विश्लेषण रेखांकित करने योग्य है। उल्लेख है कि कृषि-सेवा में श्रम की भागीदारी पूर्व काल से ही ऐसे लोगों के हाथों में चली आ रही थी जो समाज के चतुर्थ पायदान पर प्रायः साधनविहीन लोग हुआ करते थे।<sup>15</sup> इसका आधार युगल पक्ष का परस्पर का हित-साधन था। इस वैशिष्ट्य से परिचित कौटिल्य निमस्थ जनो के साथ सामाजिक न्याय करते हुए वार्ताकारक कुशीलन के उद्घोष के साथ उन्हें वार्ता के विद्या का अभ्यासी बनाता है।<sup>16</sup>, तो उस महान राजनायिक का धन्यवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्णोत्कर्ष के जरिए शूद्रों को प्रोन्नत करने वाला वह अपनी तरह का एकाकी समाज विज्ञानी है। यह निर्णय अनुभव जन्य था, न कि किसी आदर्श से प्रभावित। कौटिल्य की योजना की अगली कड़ी आवास नीति में उनको लाभार्थी बनाना उल्लेख्य है। जीविकोपार्जन हेतु उनके लिए भूमि का आवंटन उसी

सुविचारित योजना का अंग है, जिसमें उस काल का गम्भीर राजन्य निहित है। इसे एक प्रभावकारी नीति के रूप में देखा जा सकता है, हालाँकि आगे शायद ही किसी के द्वारा इसका अनुपालन किया गया।

इसमें संदेह नहीं कि अर्थशास्त्र की आवास नीति कृषि उत्पादन के श्रेष्ठतर भविष्य को ध्यानस्थ कर परिचालित थी। समस्या आर्थिक दृष्टि से राज्य को विकसित एक सबल बनाना भी था। कृषि-उत्पादन वृद्धि जनित सुदृढ़ आर्थिक ढाँचा खड़ा किए बिना उस लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव न थी। ऐसी परिस्थिति में निम्नस्थ सामाजिक वर्ग का पक्ष लिया गया जो वास्तव में श्रम करके राज्य की अपेक्षापूर्ण कर सकता था। लक्ष्य सिद्धि हेतु राज्य की तरु से उनको दूसरी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई जो बीज, हल, अन्न एवं नकद धन की थी।<sup>17</sup> राज्य ने कृषि-विकास के लिए जल-परियोजनाएँ भी प्रारम्भ कीं। निजी तौर पर सेतु-बंध में लगे लोगों की सहायता भी राज्य करने लगा।<sup>18</sup> तत्कालीन जल-प्रबंधन को अदेवमातृक<sup>19</sup> के साथ भूमिछिद्राविधानम<sup>20</sup> के प्रकाश में देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि जनपद निवेश योजना कृष्य क्षेत्र के विस्तार के साथ उत्पादन वृद्धि के मामले में किस सीमा तक सटीक एवं सफल थी। इसमें जहाँ एक ओर कृष्य भूमि का विस्तार हुआ, वहीं सिंचन सुविधा के कारण इच्छानुसार सस्योत्पादन संभव होने लगा था। कृषकों को राजकीय देय, यानि बलि शुल्क, भाग इत्यादि छूट प्रदान कर उनको आगे ओर प्रोत्साहित करना<sup>21</sup> इसका संकेत है कि राज-काज सही एवं सुविचारित दिशा में गतिशील था। तभी तो कृषकों को प्रदत्त अनुग्रह-अनुदान की वापसी के लिए 'सुखेन दद्युः' का विधान किया गया।<sup>22</sup> यानि किसान ऋण की वापसी अपनी सुविधा से करें उनको किसी प्रकार का दबाव न डाला जाये।

कृषि क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से भूमिछिद्रन्याय रेखांकित करने योग्य है। वास्तव में जनशून्य निवेश का गन्तव्य तब तक अपूर्ण रहता जब तक कि अकृष्ट भूमि को कृष्य बनाने का प्रयास नहीं किया जाता। निर्जन प्रखण्ड में निवेश विकसित करना निकटस्थ की अप्रयुक्त जमीन की दृष्टि में लाना और वहाँ शूद्र-कर्षक वर्ग को वरीयता देना यह सब विचारणीय हैं। निश्चय ही इसके वाँछित और आशातीत लाभ राज्य को प्राप्त हुए। क्योंकि उत्पादन के मामले में राज्य किसी प्रकार से शिथिलता का पक्षधर कत्तई नहीं लगता। जो भूखण्ड कृष्य नहीं बन जाता उसे गोचर-विवीत में विकसित किया जाता और जहाँ वह भी संभव दिखाई नहीं देता, उसे वन्य क्षेत्र का स्वरूप प्रदान किया जाता। वन्य क्षेत्र का भी पर्याप्त आर्थिक महत्व था जो कि विविताध्यक्ष<sup>23</sup> और कुध्याध्यक्ष<sup>24</sup> सन्दर्भ में परिपुष्ट होता है। वनोपजीवन के सन्दर्भ में अन्यत्र भी दृश्य है जिनसे इसकी पुष्टि होती है कि समाज के एक वर्ग के जीवन के मुख्य आधार अरण्य ही थे। उल्लेख्य यह भी है कि वनोत्पादन ऐसी पण्य सामग्री थी जिसका उपभोग ग्राम-नगर सभी जगह होता था।?

तब भू-नीति का एक अन्य आयाम भी दृष्टिगत हैं कृतक्षेत्र यानि कर्षण-वपन के लिए उपयुक्त भूमि को उन्हें उपलब्ध कराना जो करदेभ्यः अर्थात् राजस्व प्रदान करने में सक्षम थे<sup>25</sup> इस

वर्ग में वे लोग भी सम्मिलित थे जिनके पास आय का अन्य स्रोत होता था। द्रष्टव्य है कि वह कृषि के प्रति किंचित उदासीन भी रहता तो भी अन्य स्रोत से शुल्क यदाकर जमीन का स्वामी बने रह सकता था। ऐसे में उत्पादन के प्रति निःचेष्ट रहते हुए भी कृषक अपने भूखण्ड का स्वामित्व सुरक्षित रख पाते थे।<sup>26</sup> अन्यथा कृष्य भूमि को विवीत बनाने वाले की भूमि बलात् उससे लेकर अन्यों में वितरीत कर दी जाती थी जो उत्पादन करने में समर्थ थे।<sup>27</sup>

ऐसे भू-लाभार्थियों में ग्राम के निवासी, श्रमिक, सेवक एवं यहाँ तक कि सामान्य पण्य विक्रेता भी होते थे।<sup>28</sup> संभव है ऐसे हस्तांतरण राजकीय भूमि तक सीमित हों, परन्तु इससे राज्य की उत्पादन परक नीति तो स्पष्ट होती ही है। 'वैदेहका वा कृषेयुः' से स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि ग्रामों में आज की तरह अल्प पूँजी वाले विक्रेता हुआ करते थे जो ग्रामजनों के उपयोग की आवश्यकता वस्तुओं की बिक्री करने वाले भी वह होंगे, जैसा कि साहित्यिक साक्ष्यों में दृष्टिगत है।<sup>29</sup>

प्रायः तो ग्राम अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता नागर संस्कृति के उत्कर्ष को त्वरित करती है, जो कि शास्त्रों में है ही। उससे भी किंचित आगे ग्रन्थों की संस्तुतियाँ नगरीकरण की दशा-दिशा सुनिश्चित करती सी प्रतीत होती हैं। ऊपर कुलशतावरम् एवं पंचकुलशतावरम् ग्रामों के सन्दर्भ दिए हैं। ग्राम 800 घर-परिवार के भी निर्दिष्ट है।<sup>30</sup> मनोरंजक तो यह है कि ऐसे ग्राम संकुल से परिवेष्टित नगर-उपनगर के रूप में वाणिज्यिकी प्रतिष्ठान भी विकसित किए गए कथित उल्लेख्य हैं। कर्मान्त आज के कल-कारखानों से अभिन्न रह होंगे, उनमें संचालित होते थे। शिल्पशाला, पण्यस्थल आपण एवं पन्तन के संचालन के संकेत अर्थशास्त्र में दृष्टिगत भी है।<sup>31</sup> वहीं प्रशासनिक कार्यालयों की स्थिति तक संभावित है, जहाँ से राजस्व आदि का संकलन होता था। विशेषतया उल्लेख यह है कि उत्पादन स्थल चाहे कृषक का हो अथवा कर्मान्त का वहाँ पर खेल-तमाशे करने वाले लोगों का प्रवेश वर्धित था, क्योंकि उद्यमियों के अन्तपत्र ध्यानाकर्षण से उत्पादन के दुष्प्रभावित होने की आशंका रहती थी।<sup>32</sup> उत्पादन का कार्य निर्बाध गति से चलता रहे, इसके लिए व्यवस्था थी कि कृषक भले ही ऋणी हों उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि वह स्वयं कार्य कर रहे हो।<sup>33</sup>

अन्त में सांकेतिक संदर्भ उन अनेकानेक विभाग-अनुभाग के अध्यक्षों से सम्बन्धित हैं, जिनके कर्तव्य-अधिकार अर्थशास्त्र में सुविस्तार विवेचित हैं। अध्यक्षों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने विभाग की आद्योपान्त क्रिया-प्रक्रिया की समुचित जानकारी रखें और विपणन की ऐसी नीति लागू करें कि राजकोष का संवर्द्धन हो सके। अध्यक्षों से अपेक्षित यह भी था कि अपने अर्जित ज्ञान-विज्ञान से येन-केन सम्बद्ध विभागों को लाभान्वित करते हुए राजकीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हों।

**सन्दर्भ:**

1. कांगले, आ०पी०, दि कौटिल्या अर्थशास्त्र, खण्ड-1, पृ० 2.1.1-39
2. वही, 2.1.1, भूतपूर्वमभूतपूर्व वा जनपदं पर देशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्दवमनेन वा निवेशयेत्।
3. कांगले, आर०पी०, दि कौटिल्य अर्थशास्त्र, खण्ड-2, पृ० 55
4. अर्थशास्त्र, 2.1.1 कांगले वही, खेर एन०एन० पृ० 15, गोयल, एस०आर० कौटिल्य एण्ड मेगास्थनीज, पृ० 43
5. कांगले, आर०पी०, खण्ड-2.1.2
6. वही, 6.2.13 - 39 तक
7. वही, 1.1.9 मण्डलचरितम्
8. वही,
9. वही, 13.4.5
10. वही, 13.5.15 चोर प्रकृतीनां म्लेच्छ जातीनां च स्थानविपर्यासमनेकस्थं कारयेत्, दुर्ग राष्ट्र दण्ड मुख्यानां च। 15।
11. वही, 13.5.16 परस्प प्रत्यन्तेब्वनेकस्थं वासं कारयेत् (16)
12. वही, 13.5.18 स्वदेशीयान् वा परेण वाऽपरूद्धानपवाहितस्थानेषु स्थापयेत्।
13. वही, 13.5.19 तस्मै विगुणां भूमिं प्रबच्छेत्
14. वही, 2.1.2 शूद्रकर्षकप्रायं
15. गौतम धर्मसूत्र, 1.5.7, 10.60, 10.57-9 परिचर्या चौत्तरेषाम्। जातक-3, पृ० 326, शर्मा, आर०एस० शूद्राज इन इंजियेंट इण्डिया, पृ० 69-70
16. कांगले, आर०पी० दि कौटिल्या अर्थशास्त्र, खण्ड-1, 1.3.8 शूद्रास्य द्विजातिशुश्रूषा वार्ता कारूकुशीलवकर्म च (8)
17. वही, 2.1.13 धान्य पशु हिरण्यैश्चैताननुगृह्णीयात्
18. वही, 2.1.22-3
19. खेर, वही, पृ० 165
20. कांगले, वही, 1.1.4, 2.2 खेर, वही, पृ० 23.4
21. कांगले, वही 2.1.15 अनुग्रहपरिहारौ.....। खेर, वही, पृ० 121
22. कांगले, वही, 2.1.14
23. वही, 2.34.6-12
24. वही, 2.17
25. वही, 2.1.8
26. वही, 2.1.12
27. वही, 2.1.10
28. वही, 2.1.11 ग्रामभूतकवैदेहका वा कृषेयुः। (11)
29. जातको में इस आशय के अनेक वर्णन उनके लिए शूद्रविक्रयो का उल्लेख है
30. कांगले, वही, 2.1.19 आकरमान्तद्रव्यहस्तिवनव्रजवणिक्पथप्रचारान.....।
31. वही, 2.1.4 अष्टशतग्राम्या.....।
32. वही, 2.1.34-5 नटनर्तक गायन वादक वाग्सीवन कुशीलवा न कर्म विद्यां कर्तुः
33. वही, 3.11.22 अग्राह्याः कर्मकालेषु कृषका राजपुरुषाश्च।



# LITERATURE, FILM & SOCIETY

**Kavita Mandhyan\***

---

**Abstract:** The article is devoted to understanding the impact of literature on film and society. In the present era literature is looking for new ways of unfolding the plot, building the text space, cinematography – new ways of interpreting the stories and developing a verbal layer of cine - text. On the other hand the relationship between movies and culture involves a complicated dynamic. Besides, the visual powers and narratives of the film necessarily tell us something about aspects of life in society. Watching a movie becomes a significant event when based on literary text as its experience affects us emotionally, psychologically and pedagogically. Based on this, paper aims to discuss relationship between literature film and society.

**Keywords:** Pedagogically, Prophets, Imitation, Videocacy, Stringent, Unfathomable, Jittery, Proliferation, Whims, Ransom, Muddle, Micawber, Porographic, Circumvent.

---

## Introduction

Literature is a social institution using as its medium language, a social creation. Such traditional literary device as symbolism and metre are social in their very nature. Literature represents life and life is in large measure, a social reality, even though the natural world and the inner or subjective world of the individual have also been objects of literary imitation. The writer himself is a member of society, possessed of a specific social status: he receives some degree of social recognition and reward; he addresses an audience however hypothetical. Literature has also a social function, or use, which cannot be purely individual. Writer tell us not only what were and are social relations and implications of an author's work but what they should have been or ought to be. They are not only students of literature and society but prophets of future, monitors, propagandists they have difficulty in keeping these two functions separate.

---

\*Assistant Professor, Department of English, Maharana Pratap PG College, Jungle Dhoosar, Gorakhpur

“The writer is not only influenced by society he influence it too.”<sup>1</sup> Art not merely reproduces life but also shapes it. People may model their lives upon the patterns of fictional heroes and heroines.

Literature is a powerful storytelling technology which unites the society across space and time, it reflects our lives and adds our voices to the exploration of timeless human things. “Literature is the mere imitation of life”<sup>2</sup>, but we undermined the impact of literature by keeping it within the classroom and doling its treasures to a privileged few.

“Literature has had a major impact on the development of society. It has developed and shared civilisations, changed political systems and exposed injustice.”<sup>3</sup>

Literature is thought-provoking; it allows us to raise questions and gives us a deeper understanding of issues and situations. In the present era of modern media, such as television and movies, people are misled into thinking that every question or problem has its quick answer or solution, whereas literature confirms the real complexity of human thought. Literature provides insight into the mind of author and the minds of the character he or she brings to life. It provides one with the opportunity to further one’s education to continuously learn new things and be exposed to plethora of ideas. Literature teaches us to analyse a character, allows us to reach inside his or her mind so we see what drives a character, what shapes his or her believes and how one relates to others.

Today’s youth realises the true depth of human emotion and behaviour. They understand that there is more to a person than what they display on the exterior. They see the intricacy of human experience, giving them an open mind and an open heart. However today’s youth can only reach this point of enlightenment through seeking knowledge – by being well read and cultured individuals. But now we are at an age of videoacy rather than literacy. It does not matter how writer deliver their messages, people need different channels to express themselves. You can watch a film or an alternative form of literature.

Nevertheless the impact of technology on youth is unquestionable. These new forms of expression give students a quick and convenient method of both expressing themselves and seeking information. Youth are definitely more familiar with films, with access to movies and information on the computer, they have the convenience of acquiring information at the click of a button.

Both a book and film made on it have different merits but the former an as over the later so far the value of art is concerned. The value itself is a set of feelings,

emotions, and understanding also goes off individual reactions to the forces of the outside world. The writer is the real creator because he has to produce by undergoing stringent conflict with the surrounding world. The value which is a personal feeling is projected after having felt and undergone its pangs. The film-maker is a seller of the value like a film or the emotion for making money out of its marketing. A book is like a herb, a medicine which is converted in the process of manufacture into a capsule for a certain sickness. Literature in a book is superior in view of its process as well as the happening of its creation. It is made in solitude by settling the observations and recasting it in the form of the experience. The readers as part of the society universalise such an experience that the set of emotions or feelings or the experiences from the book by the author but the universalization is replaced by generalisation. The writer in his experience describes what of humanity, always free of the constants of place, time, race, people and country, such an experience is also free of all kinds of religious or the national constants. The film on the other hand is confined to constants of market because it has to look to the returns both financial and artistic. A writer is selfless and so the best kind of literature immense in the early period of one's writings.

A book is original and so each and every word of it stands like a brick in the castle wall, these were like a meaning to give structure to a certain entity, the film on it of course contains the value of the book, but the rest of the things are demolished and rebuilt in the best apprehension of the director or the producer. A film is thrice removed from the reality if literature is replaced twice. The structure, the presentation and also the aids used by producers are so heavily dominant that the real experience of the author seems to have been changed such a thing happens because the film-maker has to work for the relishment of the people of a particular time of a particular place. If he does not work like that the film would be flop at its premiere. On account of such a problem the presence of the film maker is proportionally greater than that of the author. At times the dialogues, the backdrops, the surrounding and the choice of characters is so different that the original book seems to be an alien matter to it.

The only vital aspect with writer is the creation of the character or characters on which the book grows to its ultimate finish. The greater is the art in which a greater intensity is seen in the presentation of the person presented as a character. The immediate difference between a book and film is in the question what the character is? Character is a unit of the composite and organic wholesomeness of a person, a living being a creator with its varied moral traits and the complexities of behaviour the writer of a book goes deeper and deeper the character as a projection of a living mood or a set of behaviour most interestingly such that the unfathomable death make the character superior and intense to all human possibilities. The limit of why does

one do like this or like that is in accessible to all kinds of analysis. The element on the matter in a book is at death where no one can die other than the writer or the unit which he imitates. The phenomena of characterisation in a film are reciprocal and so the leap of the producer is the form of bottom to the surface. The filmmaker takes the theme from a book just as the mood of a character and its perfection in his real life. It is not always necessary that the film-maker reaches the mood of the character in real acqcoscient sense. Very often the maker of the film takes the character from the book and adds new moods to eat from contemporary make it practical and tasteful to the people. Either the film goes hit or a flop because everything depends upon the relishment of the reader and theatre goer (Filmmaker tries to goes upward). Writer always have tendency of shivering away with all his conditions.

The aids utilised by the writer are the images perfectly arranged in the form of symbols down a common language. Again the artistic communication appears a difficult job as the images again are conditional to impressions. Impressions are individualistic and not general. The experience presented through imagery in a book is often uncommon which a writer tries to make common although it depends upon chance whether he succeeded or not. The film-maker is superior in one way only it is that he makes the uncommon experience common with the help of living representation (heroes and heroines) and the different aids of a developed stage . Any spectator or the cinema goer finds it easy to understand the uncommon experience with the visual as well as audio facility.

Since the film has more communicative powers and also saves time the message attached to it in comparison to good notwithstanding the fact that originality of book is distorted it to the greatest extent. The film industry at its inception at the close of the last century absorbs without hesitation the literature prevailing at the time. This practice prevailed all over the world whether it was a movie or talkie that was shown on the screen. Incidents from classics epics, religious stories such as (Ramayana, Mahabharata, Bible), historical romances we are the first to be filmed. For example, in England, France, Germany and other countries of Europe, the authorial legends, the historical romances of Lord Lytton and Walter Scott preferred. Most of those stories were reduced to incidents and scripts written afresh to project the action fast moving and effective. However in certain cases like the tragedies and comedies of Shakespeare or the plays of Shaw etc. scripts were not written afresh but were adopted as they were , of course after deleting unnecessary dialogues etc. In the case of Shakespeare, Shaw and a few other playwrights the deletation were not much. They made the presentation very effective. For example, the tragedy of Hamlet or that of Macbeth does not find much of the dialogues deleted or even abridged. In this way



classical literature and tragedies and comedies of Shakespeare found a place in the film world.

The close of the Second World War witnessed a drastic change in the film world. The change was cited by the development of new techniques in training, acting and projecting the film with proper adjustments in photography, sounding and Recording. Various innovations, developed by the American film industry demanded a better setting and better concentration on everyday life. The American motto of making a film 'a box office hit', created a series of 'box office hits' based on the stories and adventures relating to American wild west. Such pictures projection daredevil action, like tight rope – walking, fences motorcycle jumps, pouncing on the speeding can by falling from the topmost story of a skyscraper etc. were demanded by the public. Simultaneously by this demand the quantity of pulp literature also increased. Tales of mystery, horror and crime most of them making young men and women jittery found their way in the crowded book stalls of a big cities, railway platform and public libraries. As if this proliferation in literature was not enough, the industry of setting to music several poems or original music also developed fast covering almost all languages and people who spoke them. The activity was facilitated by the development of computers, tape recordings and fashioning of different kinds of dance. This progress continued till the beginning of the Second World War, which with its entire ramification let to a new out look towards literature as also towards the film industry.

This transformation began when Hitler, the Nazi leader of Germany began unleashing his highly sophisticated propagand machinery right from the time Germany occupied France at the beginning of the war. In order to counter the German propagand as also to inculcated the allied army with the requisite courage and confidence to fight the war, various books extolling the allied action and the heroic self-sacrifice of the soldiers 'fighting to the end all wars ', several books were written by several authors all over the world to highlight the crime committed by the Nazis in Germany and the fascists in Italy. In many such books some actions were exaggerated and condemn while many others were extenuated according to the whims and fancies of the writers. Many such books were greedily accepted in film industry and filmed in USA, Canada, Australia, England and France – most of them as the war was drawing to close. The actions described in the films mainly centred round Europe, Africa, the Middle East and the Far East. In the case of all such novels and adventurous scripts have to re-written to provide the necessary excitement, patriotism and hatred against the enemy. Some of these adventures and narratives are even now available though the films based on them might have been destroyed long ago. The most important and

much sort -after were the Sword of Fate, Escape or Die, Dare to be Free, The Longest Day, The Dark History, Three Bamboos, Bridge on the River Kwai etc., to maintain only a few these some related to war crimes and spying, while others make clear that they are devil action and the self-sacrifice of the soldiers who had taken part in war.

With the close of the second world war and the filming of ‘Spengler’s Decline of the West’, literature and the film industry took a new direction. The Russian revolution had ended and the new and the largest state of USSR have emerged. For a time there was a hard back to the classical pattern which witnessed the filming of such novels as ‘Ben Her’, ‘Solomon and Sheba’, ‘Ten Commandants’, ‘Dr Shivango’ etc. however that was not to last long. Film industry all over the world began demanding romance adventure, thrill, wonder etc. to satisfy the audience. To synchronise with it book relating to detection and mystery and horror found their way in market. Detective novels mainly those of Canon Doyle, Agatha Christie, Peter Sheyney and a number of other began to be filmed to cater to the needs of a world thirsting for thrilling sensation. For instance, most of Canon Doyle’s detective stories featuring Sherlock Holmes have been filmed and can be viewed on the television sets even so are some of famous detective stories of Agatha Christie – the Queen of detective novels.

There have been several filmmakers who have adapted novels, plays, even poetry into films like J.K. Rowling’s Harry Potter Series, Jane Austen’s Pride and Prejudice and Sense and Sensibility, Sarat Chandra Chatterjee’s Devdas, Homer’s Iliad and Odyssey (On which films like Troy and Oh Brother, Where Art Thou? are based). A Bengali filmmaker, Chidananda Dasgupta, explains about the adaptations of films from literature that certain characters and incidents from the literature may undergo changes, *”but the very composition of the elements, the molecular structure if you like, would undergo a transmutation.”*<sup>4</sup>

The modern trend that literature and the film world have joined hands to follow in mainly that of love, sex, crime, corruption and all those social and anti-social activities of our everyday life. It follows that literature in general has to take this trend in order to cater to the demand of the film world which in its turn provides the public what it demands. In that sense it is also the modern television which with its different channels that also make a demand on literature. There is another aspect of television also that has to be taken into consideration. A television network, properly build up and organise caters not only as a information channel but also provides entertainment to the public apart from acting to voice the trade and commerce that flourish in every part of the world, as has already been brought out the relation between

the film and the television on the one hand and that of literature is symbiotic and therefore mutually sustaining in other words each demands of the other what each wants. It goes without saying therefore that literature as a whole functions on the basis of public demand; at least the film world and the television have made it appear so.

Keeping this in mind it is easy for us to conclude that the modern urge for thrill, romance, crime, sex and corruption have provided the extremely demanding, but not highly refined public with a flood of pulp literature mainly to the mafia or porographic literature with the extensible purpose of exciting the younger generation that is bound to spend the money on such useless non-essentials. In the same way television serials etc. that adopt the themes from such literature with suitable addition and alterations also provide sufficient thrill and excitement with suitable dance, music and interlude, thus contributing to the deterioration in literary tastes. In a way literature has today built for itself a highly commercialised venture, where the fittest alone can survive. It may be added here that the term 'fittest' conveys the conditions – ability to indulge in a cut through competition to get the better of the other in terms of paper currency. Needless to add literature had turned itself towards materialism. Hence we have given away our heart a sordid boom. The beauty behind nature no longer enchants us. Even so is a poem or a piece of music. We find no meaning in any of these. Films based on detection, crime, corruption, smuggling, dacoit may provide us with the thrill as they expose the darker side of life. They also provide us of the ways of evil man thirsting to advance themselves in the imperfect world. Such information may be useful to young and old alike. But we have to keep in mind how they may often prove counter-productive. For instance, a few years ago it was reported in the National Daily how an educated man having watched the American film 'To steal a Million' managed to find his way into the museum and steal away certain precious and antique art objects. If that is so the immense possibility of young men and women adopting to anti-social habits or committing such crimes as to hold society to ransom can better be imagined. In point, a report, submitted to government by one of our most reputed woman police officer clearly states that many inmates of the largest prison of the country, she was in charge of had exhibited the symptoms of nervous prostration on account of her putting a strict restriction on the prisoners watching the television continuously. There was a strong opposition to the restriction imposed by her. This is undoubtably enough as an example to highlight the possible harm that such commercialisation of literature or the media is bound to cause.

The purpose of the film should not be a mere copy of the literature, rather it must have its own characteristics and techniques that are motivational enough for the

audience to enjoy. Though in its literary form many can say that it is in the form of a screenplay of the film but it may not be right to look at a literary piece in such a way. It has an impression of reality even in the written form and once it comes on the silver screen it enhances its qualities to a greater extent than it does in the written form.

Language is another component that differs from a book and a film. Though there may be a similarity in the use of language in both the platforms, there are certain distinct disparities between the usage of language in literature and that in cinema. The relationship between time and space is also quite different from literature to cinema. While in literature an event is described as it has happened, films show as it is happening.

A film must not play the role of the literal visual representation of the book on which it is based. It must be a proper production that has been transformed from the words on paper to the dialogues on the celluloid.

The way both the medium expresses their meaning is where the similarity and the difference lie. Words are the only way to express but while a book has written words on it a film has audio speech which is somehow more powerful and life-like. In a film, a single scene is like a complete sentence or a series of sentences in a book. The power of audio and visual experience has a long lasting effort on the audience over the power of written words.

The obvious conclusion that one gathers from the foregoing discussion is that our taste for literature has deteriorated during the past half -a -century or so and that there cannot be any stoppage of it even as we enter the next millennium. The problem is no longer a moral or an ethical one, it is a practical and urgent problem of the day, for the literary world it is in a hopeless muddle and some way out must be found. We cannot wait micawber like for something, to turn up nor we can live by negation alone. Criticising the evil aspects of literature, television or any other type of our activity. We have to push forward for truth, justice and fair play or we must perish. For that matter recrimination against one another will not also be of any use.

The question is what is the remedy? The task is not obviously so easy As we may suppose. However it can be made easy and practical, if we develop a taste for literature refine and more. Once we stop accepting unrefined and immoral literature, writers of such stuff will stop flooding the market with them. The television authority will stop projecting such network transmissions and channels will collapse when they will lose their profit, says no organisation can function without a reasonable gain.

Most of our films must have sincere purpose of filming the instructive and intelligent aspect of life. In a word, we must be more serious to life in general which we sure should not consider as a mockery of our short span of existence but a drama to be played with seriousness and discipline.

There are certain other aspects of the task proposed also in which government also can play a dignified part for instance concerning of unwonted and porographic books, should be stopped forthwith. Even so showed such films which cater to the narrow and vulgar taste of the public. In spite of all these there is bound to be some sort of vulgar presentation in literature as also in the media. But they are bound to be few and far between. In course of time they can also be illuminated by an intelligent public following high moral standards. Let us keep in mind the thumb rule that while a rotten mango may spoil the good mangoes, its reversal of the good making and rotten good will not be possible in nature. Fortunately, for us people all over the world have now grown busy with multifarious duties that life has placed on them. Books have become costly and therefore beyond the reach of ordinary mortals. That may be circumvent will and the problem passed by such cheap literature. But let us remember that without a strong will, the evil cannot be eradicated for the good and evil are always at war.

**References:**

1. Wellek Rene and Warren Austin (1980), Theory of Literature P.P.97, New York.
2. Jowett B. (1982), The Republic, In the Works of Plato P.P. 378, New York.
3. Wellek Rene and Warren Austin (1980), Theory of Literature P.P.98, New York.
4. Warren Bukland (2000), The Cognitive Semiotics of Film P.P. 178, California.



# Environmental protection regime under Nepal's constitutional renaissance: A revisit to the salient features of the Environment Protection Act, 2019

Alok Kumar Yadav\* & Jivesh Jha\*\*

---

**Abstract:** The author, in this article, delves to study the legal provisions relating to right to clean and green environment guaranteed to citizens. Unequivocally, there is an inseparable nexus between climate change and human rights. The Constitution of Nepal hosts a plethora of fundamental rights that supplement and supplant right to clean and green environment to citizens. The Environment Protection Act, 2019, which is enacted to enforce right to clean environment, embodies environmental principles like sustainable development, Environment Impact Assessment (EIA), or Polluter Pays Principle (PPP) to foster purposive and progressive environmentalism. These green laws mandate that there should be developments but that development should be in closest possible harmony with environment, otherwise, there would be development at the cost of environment which would ultimately result total devastation. In this light, the author discusses the compliance mechanisms, rights of the Centre and Provinces and among other legal mandates (embodied under the Act, 2019) provisioned to control and abate the acts and omissions that tend to degrade the quality of environment.

**Keywords:** Environment, Law, Constitution, Environmental law, green democracy

---

## 1. Introduction

*“One of the first conditions of happiness is that the link between man and nature shall not be broken.”*

-Leo Tolstoy

As environment protection constitutes an integral part of development process and it cannot be considered in isolation, there appears a close relationship between a healthy environment and economic condition of the community members. Hence, the protection of environment is a global issue and it is not the private problem of a country. In order to protect Nepal's ecological interest, the Himalayan Republic adopted and enacted the Environment Protection Act, 2019 to enforce the fundamental

---

\*Assistant Professor, Department of Law, HNB Garhwal Central University, SRTCampus, Uttarakhand

\*\*Judicial Officer, Dhanusha District Court, Janakpur, Nepal

right of citizens to have a clean and healthy environment. This green law puts the duty on the state as well as citizens to protect and improve the natural environment.

The Act hosts plethora of welcome provisions to upkeep the concept of environmentalism. As per the Act, a victim of environmental pollution is entitled to file an application at the concerned authority demanding compensation from the person or organized involved in causing the pollution. This goes in line with polluter pays principle, as provisioned under Article 30(2) of the Constitution of Nepal. As opposed to erstwhile 1997 Environment Protection Act, this Act redefines the term “pollution” so as to include waste, chemical, heat, sound, electronic magenta or radiations that have potential to degrade the quality of the natural environment. In addition to this, the expression “harmful substances” has been defined in line with Basel Convention (1989) in an inclusive form that includes harmful wastes incidentally transported from one national boundary to the other.

Interestingly, the Act, 2019 prohibits carrying out of any developmental work in non-compliance of Environment Study Report, Environmental Management Plan, Environment Assessment Report and Supplementary Environment Impact Assessment. However, the 1997 environment law had only provision for Initial Environment Examination and Environment Impact Assessment (EIA). This way, the present Act goes beyond these parameters and places more restrictions so as to strike a balance between development and environment.

Moreover, the government has been empowered to declare any place with natural heritage, rare wildlife, plants or places with biodiversity and places of historical and cultural significances as protected area. The government has also been conferred with the power to classify any area as green zone. Similarly, the government has the power to restrict the movement of people in and around a place which has been declared a “polluted area” where harmful materials or wastes have been stored or disposed off. The Act, 2019 also allows the government to take part in carbon trading in line with international treaties and agreements with foreign governments or organizations.

A home to 47 Sections, the current environment protection law of Nepal hosts measures for protecting the fundamental rights of citizens to live in a clean and

healthy environment. It seeks to guarantee compensation against pollution. On the top, the law directs the private as well governmental institutions to refrain from undertaking any developmental activities at the cost of environment.

## **II. Premise of the Act**

As a signatory to Stockholm Declaration (1972) on Environment, Nepal enacted laws to control pollutions. The preamble of the Environment Protection Act, 2019 clarifies that the legal arrangements are made to guarantee citizen's right to live in a healthy environment. In order to implement Article 30 of constitution, which provides right to environment as a fundamental right to every citizen of Nepal, the present Act encompasses a plethora of provisions that seek to maintain a proper balance between environment and development and to protect the national ecology and biodiversity.

## **III. Toward constitutional frameworks**

The Constitution of Nepal, which entered into force on September 20, 2015, is perhaps one of the exceptional highest laws of the land in world which embodies specific fundamental rights provisions relating to the protection and promotion of environment. It casts a solemn duty on the state instruments as well as the private persons to protect and improve the natural environment.

There is plethora of green laws incorporated under the national charter for advancing the cause of green Republic. To mention a few, an individuals' right to live in a clean environment (Article 30); right to clean water and hygiene (Article 35); right to food sovereignty (Article 36); the right of state to carry out the land reforms for bringing reformation in agriculture or environment protection (Article 25); or right of consumer to have quality foodstuffs and services (Article 44) are put in place to control or prevent any act or omission polluting or likely to pollute the environment. Moreover, the High Courts (Article 144) and Supreme Court (Article 133) are empowered to issue any directions, orders, determinations, or writs for the protection and promotion of environment. This way, the Constitution itself has made the right to live in a healthy environment as *sanctum sanctorium* of human rights.

While invoking writ jurisdictions, the Supreme Court of Nepal has authored scores of welcome judgement to accelerate the cause of green democracy. The apex



Court in the case of *Surya Prasad Sharma Dhungel v Godavari Marble Industries Pvt Ltd* was of the opinion that human life would be in danger in a polluted environment. This way, the Court pronounced that the protection of environment leads to protection of human life.

In the leading case of *Pro Public v His Majesty Government of Nepal*, the apex Court observed that the priority should be given for lessening the impact of pollution emanating from such brick kilns that are operating in the vicinity of densely populated areas, schools, cultural and touristic zones. The immediate measures should be taken to lessen adverse impacts in such areas. The Court directed the government to form a team comprising representatives from various Ministries. The task of this team was to determine the number of industries that have polluted the environment, and those that have installed pollution-protection device and other those that have not.

The top Court in the case of *Kedar Bhaktra Shrestha v Department of Transport and Ors, His Majesty Government of Nepal* held that the policy prohibiting the new diesel Tempo registration even outside Kathmandu was not bad. The highest Court of appeal was of the view that every person in Nepal is entitled to avail a clean and healthy environment in order to cash the right to life and liberty, a sacrosanct fundamental right.

The case of *Bharatmani Gautam v His Majesty Government of Nepal* (2059 BS) is a writ regarding the pollution of *Bishnumati* river, whose significance is linked not only with religion but also with history and culture. ‘Bishnumati’ river which originates from Shivapuri flows from Budhanilantha, Narayanthan, Basbari, Balaju, Shova Bhagvati, Teku, and get mixed with Bagmati River. The river had become the victim of solid wastes’ dumping and untreated drainage waters. The court was of the view that the instruments of the state was under an obligation to preserve the national ecology; maintain cleanliness of rivers; ensure portable drinking water and manage the waste of the Kathmandu Valley in an environment friendly manner. Also, in *Tulak Man Lama v. Government of Nepal* (2061 BS), the ban of 2-stroke three-wheeler Vikram Tampo was held to be valid. The Court wrote 12 to 14 seats Micro-bus could be allowed to ply on the roads of Kathmandu—instead of huge smoke emitting Vikram tempo.

As Nepal goes fully federal, the constitution empowers the instruments of the Centre as well as provinces to adopt and enact laws on protection and promotion of environment. The Central government under Schedule-V, entry 27, State governments under Schedule-VI entry 19, and both governments under Schedule-VII entries 12, 18 & 23 have mandates to act on national ecology and of course, on sanitation, clean and healthy water, wildlife conservation or forestation. Similarly, the Directive Principles, contained under Part-4 of the constitution, directs the provincial governments to adopt policies for the protection and promotion of ecology. Nevertheless, there are ways that they could partner with private citizens as well as NGOs for realizing the goals of environmentalism.

#### **IV. Objectives**

The objectives of the Environment Protection Act, 2019 could be outlined as:

- To protect and improve environment and mitigate the pollution;
- To implement the citizen's fundamental right to clean environment;
- To grant compensation to the victims of environmental pollution;
- To ensure the compliance of Environmental Study Report, Environment Impact Assessment, Initial Environment Examination and among other compliance mechanisms;
- To take strict action and impose fine against all those who violate the provisions or compliances envisaged under the Act;
- To enforce laws on environment protection in the areas that were not included under existing legislations;
- To give powers on the central, provincial and local governments to inspect (through Environmental Inspectors) whether or not the provisions of the Act are complied by proponent and among others;
- To establish environmental fund for restoration and protection of environment;
- To give powers to central government to adopt measures to control or abate climate change;

- To give powers on the Centre to engage in carbon trading;
- To give powers to central and provincial government to establish laboratories for testing the samples collected to test or identify the level of pollution;
- To give powers to central and provincial government to grant pollution control certificates;
- To confer power on the central government to declare any area as environment protection area, green zone or polluted area and prohibit the carrying out of any activities in those areas.

#### **V. Scope and applicability**

As the Environment Protection Act, 2019 is a parliamentary enactment; it confers a wide range of powers to the instrument of central government. For instance, the Act, 2019 under Section 15(1) casts an obligation on the government to set standards to reduce and regulate the emissions, hazardous wastes, and pollution emitted by vehicles, equipments, industries, hotels, restaurants or among other activities like that. The succeeding clause, i.e., Section 15(2) outlaws carrying out of any activities that could adversely affect humans and environment or have potential to contravene the standards set by the government (under Section 15(1)).

In contrast to Act 1997, the Act 2019 provides arrangement for dealing with climate change and control or abatement of greenhouse gases. The Part-4 of the Act lays down provisions relating to climate change. Under Sections 23-26, the central, provincial and local governments have been conferred with collective responsibility to adopt measures or enact policies for reducing emissions, pollutions and to curb an act and omission that adversely affect biodiversity and ecology. Still, the central government has an exclusive jurisdiction over identifying areas emitting green-house gases and determine their national reference level. In doing so, the legislation clarifies that central government has an occupied filed over identifying areas emitting green-house gases and the provincial and local governments are there to just act in furtherance of the directions of the Government of Nepal. The provincial and local governments have mandates to act in the fields for reduction of green-house gases emissions. In contrast to erstwhile 1997 Act, the present Act of 2019 envisages that

the government of Nepal may participate in carbon trading with foreign governments or organizations.

Moreover, the central government has been conferred with an exclusive power to adopt measures and lay down the policies, strategies and actions plans to be implemented by the government of Nepal, provincial governments and local bodies for the mitigation of adverse impacts of climate change. The Act directs the central government to specify an area as an open or green area. Conversely, the government at the centre may declare an area as a polluted area and prohibit the movement of people or carrying out of any activities within that premise. These legal arrangements clarify that the provincial governments would have to compose their functions (for the protection of environment) in line with the policies of the Centre.

On the contrary, the current environment protection law borrows the provisions for the protection of natural heritage from the preceding 1997 Act. As per the Act, it's the solemn duty of the every agency of the government to protect the national heritage.

## **VI. Compliance mechanism**

Unlike the previous 1997 Act, which only required a developer to comply with Initial Environment Examination and Environment Impact Assessment (IEIA), the current Act of 2019 obliges the developer to comply with following compliances:

1. Environment Study Report undertakes the following examinations:
  - a. Brief Environment Study (a brief environmental study of a proposal)
  - b. Initial Environmental Examination
  - c. Environment Impact Assessment (EIA)

Adopting a strict regulatory regime, Section 6(2) of the Act, 2019 provides that if a developer carries out developmental activity in non-compliance of the Environment Study Report, then in such case, the developer shall not be allowed to submit the report up to a maximum time period of five years. Similarly, if a proposal is implemented without a summary (brief) environment study report, or any act in

defiance of it, then in such case, a fine of up to 500,000/- (five Lakh) shall be levied upon the defaulting party. If a proposal is implemented without an Initial Environment Examination report, or any act in defiance of it, then in such case, a fine of up to 10,00,000/- (ten Lakh) shall be levied upon the defaulting party. However, in case of non-compliance of EIA, the stipulated fine is up to 50 Lakh (i.e., five million).

## **2. Environment Management Plan**

The proponent is required to state the probable measures or safeguards to be adopted during the developmental activities so as to mitigate the adverse impacts on environment. However, if the concerned agency has a reason to believe that the environment management plan set out by the proponent may not be able to mitigate the adverse environmental impacts, then in such case, the government may direct the proponent to adopt other effective measure and the concerned proponent has to bear the expenses incurred in implementation of the direction so given.

## **3. Environment Impact Assessment Report**

This report has to be submitted by the proponent at the completion of two years (from the date of initiation of proposal) of the project. In case of any defiance or inconsistent activities pursuant to the mandates of EIA, the proponent has to bear the fine of up to five million.

## **4. Supplementary EIA**

The Section 11 of the Act, 2019 envisages that a supplementary EIA is required to be done in a proposal, whose EIA has already been done, where there is need of modification, alteration or addition of forest in design for further enhancement of development project.

## **VII. Powers of Central Government to take measures to protect and improve environment**

The Environment Protection Act, 2019 has been enacted by the competent Parliament of Nepal with an object to mitigate the adverse environmental impacts and compensate the victims of the pollution. As the legislation is the outcome of the

Centre, it confers ample powers upon the Government of Nepal.

As a matter of fact, Section 3(2)(a) of the 2019 Act prescribes that the Government of Nepal shall oversee Environmental Study Report, or Initial Environmental Examination or EIA or any in case where the project is of national importance or under the jurisdiction of federation or the inter-provincial development project.

In an exception to Environmental Study Report (ESR), Section 3(3) of the Act, 2019, beginning with a *non-obstinate* clause, provisions that the proponent is exempted from ESR compliances if the development project relates to the reconstruction of such heritage considered an ancient monument. However, the proponent is duty bound to prepare ESR in line with the standards and quality determined by the Government of Nepal.

Moreover, the central government or provincial government may map out any area or place and make the environmental study of that area. The government of Nepal is under an obligation to determine necessary standards for the mitigation of pollution from any motor vehicle, device, equipment, industrial enterprise, hotel, restaurant, or other place or activities. This way, the central government has a wider jurisdiction over adopting policy frameworks required for the mitigation of pollution.

Under Section 16, the central government has an ample power to regulate the import and export of hazardous substances that don't cause significant adverse impacts on the human health and environment. In order to ensure of the compliance of ESR and standards relating to pollution control, the central government may designate any officer as Environmental Inspector to inspect over the compliances prescribed by the Act. Interestingly, Section 22 prescribes a list of powers of the Environmental Inspector (so appointed by central or provincial or local government). He is empowered to inflict fine upon any person or institution or proponent at the instance of violation of the provisions contained under the Act, 2019. However, an aggrieved party, who is not satisfied by the decision of the Environmental Inspector, may make complaint before the Director General not later than 15 days of the date receipt of the information of that punishment.

As the rising sea levels, heat waves, melting glaciers, intense drought, storms,

and warming oceans are some of the well known consequences of climate changes, it can directly harm animals, destroy the places humans and animals live and wreak havoc on people's livelihood and communities. In this context, Chapter-4 of the Environment Protection Act, 2019 is devoted to deal with the uncertainties and upheavals of the climate change. The central government's Ministry of Environment has been conferred with the power to make a periodic study about the impacts of climate change on local communities, eco-system and bio-diversity. Section 23(2) envisages that the government of Nepal, provincial governments and local governments would collectively take steps to execute the plans and policies formulated by the Ministry of Environment to tackle with the climate change.

In order to avoid the adverse impacts of climate change, the governments at centre, province or local governments would make and implement adaptation plan at the national, provincial and local levels, respectively. Likewise, the central government, that is Ministry of Environment, has jurisdiction over identifying areas emitting green-house gas and determining their national reference level. In this job, the central, provincial and local governments could launch necessary programs. So, the Act, 2019 directs all the levels of governments to jointly or independently adopt measures to mitigate the adverse impacts of climate change. Under Section 26, the government of Nepal is empowered to issue necessary orders for mitigating the adverse impacts of climate change and the agencies of the central government, provincial and local governments are obliged to give effect to those orders or policies. Similarly, the central government, under Section 27, is empowered to determine and enforce the technical standards against climate change.

Along with this, the central government at the helm has an exclusive mandate to determine and enforce necessary standards (on priority basis) for urban and rural areas for mitigating the adverse impacts and risks of climate change. Also, the Central government is conferred with the power to develop technologies required for curbing adverse impacts of climate change. It may be noted here that the Kyoto Protocol of 1997 is to be credited for evolving the concept of carbon trading. The Protocol puts a ceiling on the amount of carbon a country is allowed to emit. Nepal ratified this protocol on December 14, 2005. Interestingly, the Kyoto Protocol provides that the

countries that emit high carbon, i.e., above the ceiling so fixed, can purchase the right to release more carbon from the countries that have lower carbon emissions.

According to available data, Nepal's global share of Fossil Carbon Dioxide (Co<sub>2</sub>) stands at 0.02%, while the Himalayan Republic's neighbouring countries China is the largest emitter of Carbon Dioxide gas (almost 30 percent of the world's total Co<sub>2</sub> emissions in 2019) and India stands as the third third-largest emitter (it produced about 2.65 billion metric tons of Co<sub>2</sub> in 2018). These data show that Nepal could become the victim of the pollution that originally generated in her neighbouring countries.

Rationally thinking, Nepal has all the right to claim compensation from the two neighbour-states—China and India—two of the world's biggest polluters—which causing pollution or whose irresponsible disposal of pollutants in the form of air or water caused immense harm to Nepal's ecology and environment. Importantly, Principle 14 of the Rio Declaration, 1992 states that the states are obliged to discourage or prevent the relocation and transfer to the other states of any activities and substances that cause adverse effect on natural environment. Similarly, Principle 16 of the Convention talks about Polluter Pays Principle, which enables the state to charge the cost of ratifying environmental damage from the relevant polluter. Thus, according to the Principle, the responsibility to repair the environmental damage is that of the polluter.

As Nepal is one of the least developed countries and lags behind in term of industrial development, it could not be blamed for contributing much in the emission of fossil Carbon dioxide. The Rio Declaration under Principle 19 also obligates the states to provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected states on activities that may have significant adverse trans-boundary environmental effect and shall consult those states at an early stage and in good faith. However, this provision, like many other international obligations, also remains like a dead letter as the countries, which have considerable share in carbon emissions, are yet to inform their neighbours about any of their activities that could contribute in trans-boundary pollution. Moreover, the 1972 Stockholm Declaration under Principle 6 envisages that the release of toxic substances should be halted. The



Environment Protection Act, 2019 defines the term 'pollution' but does not include 'trans-boundary' environmental effects as one of the means of pollution. This could be taken as a limitation of the Act.

While widening the scope of the environmental regulatory regime, the government of Nepal has been conferred with the power to specify any specific areas as an open or green area in a bid to protect the environment of such area. Also, the government of Nepal may declare any area as polluted area and prevent the movement of the people in that specified area. The government may prohibit the carrying out of any activities under the premise of green zone so declared. Ensuring a say of the local government, the Section 30 (4) provides that the government of Nepal may, in consultation with local level, issue any appropriate order for curbing the adverse impacts of environmental pollution occurring in any specific area.

As per Section 31 of the Act, 2019, there shall be a fund comprising of the amount received from the Government of Nepal, Provincial Governments or local bodies; amount received from any native person or organization and amount to be received from any foreign government or international organization and the fund so established is to be invested in protection of environment, prevention and control of pollution, management of climate change and for protection of the national heritages.

Over and above all this, the Act, 2019 envisages for an Environment Protection and Climate Change Management National Council chaired by the Prime Minister. The Council sees Prime Minister as the Chairperson, while the following persons as members: Minister for Forest and Environment, three Ministers of government of Nepal designated by the PM, Chief Ministers of all seven provinces, member of National Planning Commission who looks after environment, two professors, including one woman, of environmental science, three persons, including two women, nominated by the Chairperson and Secretary of Ministry of Environment as *ipso-facto* Secretary. The members of the Council serve the office at the satisfaction of the Chairperson, i.e., Prime Minister. However, the tenure of members so appointed is three years unless removed from the office. So far the meeting is concerned; the Act mandates that Council shall meet at least once a year at such venue prescribed by the Chairperson.

Section 34 provisions for the functions of the Council. As per Section 34, the Council is at competence to direct the Ministry of Environment to adopt such policies required for mitigating the climate change and pollution. It may give guidelines to provincial and local governments with regard to environmental protection and climate change. Also, the Council is shouldered with the responsibility of managing economic resources for environmental protection and climate change. The Council could direct the Ministry of Environment to adopt policies for the protection of natural, cultural and physical resources and heritages.

To put it simply, the Act, 2019 grants a wide range of powers to central government. In the areas like climate change, or carbon trading, the central government has been conferred with exclusive jurisdiction.

#### **VIII. Powers of the Provincial governments**

As environment protection is the collective responsibility of the governments, the Act, 2019 provides ample powers to the second and third tiers of government to adopt plans and polices for the conservation of environment. For instance, Section 3(2)(b) of 2019 Act envisages that the Environment Study Report shall be submitted to the provincial government in case where the development project falls under the jurisdiction of provincial law. In addition to this, Section 3(2)(C) directs the local governments to oversee Environmental Study Report and Initial Environmental Examination in case of proposal relating to development falling under the jurisdiction of local levels. Still, the law mandates that the EIA will be regulated by the provincial government even if the developmental project falls under the local jurisdiction. Nevertheless, the proponent is duty bound to prepare ESR in line with the standards and quality determined by the Government of Nepal. The concerned agency—central government, provincial or local governments—may immediately prevent the project to be implemented if a proponent executes a project without having ESR.

In order to ensure of the compliance of ESR and standards relating to pollution control, the provincial government may designate any officer as Environmental Inspector to inspect over the compliances prescribed by the Act. Interestingly, the local governments have also been empowered to employ its “any employee” as

Environmental Inspector to monitor whether or not the acts to be performed in pursuant to ESR have been performed effectively.

Under Section 18, the central and provincial governments, both, have power to establish laboratories to study, test or examine the samples so collected to analyze pollution. Similarly, the central or provincial governments can issue pollution control certificate to any industrial enterprise. Along with this, the provincial government is under an obligation to make public necessary information required to combat pollution, and climate change. The Act envisages that the provincial governments would give priority to the issues of biodiversity, climate change, or strategies to mitigate pollution in developing plans and policies for the province. In order to avoid adverse impacts of environmental risks or climate change, the provincial, local or central government may adopt adaptation plans in their respective jurisdiction. Under Section 30, the central government has power to declare environment protection area in consultation with provincial or local government. On the top of all, the legislation foresees Environment Protection and Climate Change Management National Council under the chairmanship of Prime Minister where the Chief Ministers of provinces are *Ipsa facto* members. Understandably, the Chief Ministers could press and pass their agendas from the meetings of the Council which would ultimately help the second tier governments to adopt measures to mitigate pollution and climate change under their respective jurisdiction.

In India, the Environment Protection Act, 1986 does not confer power on the state governments (but on central governments) to adopt plans and policies or establish laboratories or inspect any plant.

In this way, the provincial and local governments are empowered to adopt measures to fight against climate change and pollution. They can establish laboratories to test the samples so collected to analyze the quality of air or water or natural environment. Still, the Act does not confer power on the provincial governments on the matters of national importance, climate change, carbon trading and among others. It appears that the role of provincial government is rather secondary, not primary. In order to give effect to this Act, the provincial and local governments are obliged to act in furtherance of the direction and policies issued by the Centre.

## **IX. Penalties**

Saint Augustine, a philosopher of Natural Law, has rightly said, punishment is justice for the unjust. The 2019 Act hosts stringent provisions to curb the acts and omissions that tend to violate the provisions enshrined therein. Section 35(1) provisions for a fine of up to 500,000/- for non-compliance of ESR; a fine of 10,00,000/- at the instance of non-compliance of Initial Environmental Examination and 50,00,000/- in case of non-compliance of EIA. Similarly, the government has been conferred with the power to blacklist such person or body for a period of one to five years who disobeys the order of the government made under this Act. Moreover, the Act gives currency to polluter pays principle and in doing so, it bilges the government to seek the cost of compensation from the polluter to restore the environment and compensate the victim of pollution. In addition to this, the Director General may impose a fine of up to 100,000/- on a person or body that violate the order issued by the government to enforce this Act.

## **X. Conclusion**

The Environment Protection Act, 2019 is a comprehensive piece of legislation adopted and enacted for the purpose of implementing Article 30 of the Constitution of Nepal which guarantees every citizen a breath of fresh air and clean environment.

As Nepal goes fully federal, the instrumentalities of the Centre as well as States should not shy away from investing and taking steps for the protection and promotion of environment. The Act, 2019 has been brought into force to consolidate and amend the environment protection laws in order to provide compensation to the victim of pollution from the polluter. The legislative will is reflected under preamble of the Act which obliges the state to guarantee every citizen the right to clean and green environment and a right to seek compensation from polluter on the account of being victim of pollution. It also obligates the state to maintain a proper balance between environment and development and mitigate adverse environmental impacts and climate change.

In order to ensure the compliances of the mandatory provisions of the Act, the concerned government has been conferred with the power to stop any proposal from

execution that goes in contravention to the ESR, Initial Environment Examination or EIA and impose fine under Section 35. The government has a duty to prepare annual report on a subject including change in quality of air and water. Likewise, the government has been empowered to prohibit any activities that degrade the quality of mountains, national heritages and places of scenic importance. It places restriction on export and import of harmful substances.

Along these lines, the Act, 2019, a central legislation, has been enacted by the government to confer ample powers on the central government to draft policies for the protection and promotion of environment. From the above discussion, its evident the Environment Protection Act is very important piece of legislation. This law is a general legislation that covers many aspects of pollution, including that of climate change. However, there is room for improvement and reformation in this Act as well. For instance, the Act, 2019 prescribes maximum fine for non-compliance of ESR, EIA or any mechanism, but no minimum fine has been envisaged. The government may impose only a minimum fine and not the maximum. Ultimately, the deterrent effect of the legislation would be diluted. Furthermore, the legislation does not incorporate any incentive (or, provision for reward and regard) for the private citizens for taking steps in conservation of ecology or for bringing the outliers in the notice of the government. The provincial governments are mandated to act in pursuance of the directions, plans and polices of the central government. The Act does not expressly provide that the central government would give grants to the provincial governments in a certain ratio for implementing the provisions. Despite of this, it is a positive piece of legislation that aims to implement the right to environment guaranteed to every citizen of Nepal.

Still, its high time the state acknowledged the celebrated concept of 'Public Trust Doctrine' which states that the state has fiduciary duty of stewardship to environmental entity of public. The resources are held in trust for the benefit and use of general public of present and future generations. We have ample constitutional provisions relating to environment which empowers the state to implement the message of this doctrine. Now, its time to enforce the green laws contained under the Constitution and other environmental laws for the cause of green democracy. After all, Nepal deserves a green democracy too.

## References

1. NKP (2062 BS) Decision Number 758, available at: [http://nkp.gov.np/full\\_detail/2059?keywords=%E0%A4%AA%E0%A5%D%E%A4%B0%E0%A5%8B%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%BF%E0%A4%94](http://nkp.gov.np/full_detail/2059?keywords=%E0%A4%AA%E0%A5%D%E%A4%B0%E0%A5%8B%20%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%BF%E0%A4%94)(Accessed on May 11, 2021)
2. Supreme Court bulletin year, 10, no. 13, vol. 222 (1997) p.7
3. National and international environment management, national parks, wildlife reserves and wetlands, national forest policies, carbon services
4. Use of forests and waters and management of environment within the state
5. Ayurvedic medicine, veterinary, Amchi and other professions
6. Tourism, water supply and sanitation
7. Utilization of forests, mountains, forest conservation areas and waters stretching in inter-state form
8. Section 25(1) of Environment Protection Act, 2019: “The Government of Nepal may identify areas emitting green-house gas and determine their national reference level.”
9. Section 25(3) of Environment Protection Act, 2019: “The Ministry, provincial government and local level may launch necessary programs.”
10. Section 28(1) of Environment Protection Act, 2019: The Government of Nepal may participate in carbon trade with the mechanism established by the international treaty, any foreign government or organization, business entity or private sectors for the mitigation and conservation of carbon emissions.
11. Section 26(1) of Environment Protection Act, 2019: “The Government of Nepal, for the purpose of managing adverse impacts and risks of climate change, issue necessary orders, by a notification in Nepal Gazette, as to such measures as to be adopted for the mitigation of adverse impacts and risks of climate change, in the sectoral policies, strategies and action plans, to be executed by the government of Nepal, provincial government, local level and other public bodies as well as the private sectors.”
12. Section 2(u) of Environment Protection Act, 2019 defines Environment Study Report as “a report prepared with respect to the brief environmental study, initial environmental examination or environmental impact assessment.”

13. Section 2(y) of Environment Protection Act, 2019: Brief Environmental Study means a study to be made briefly as to measures to be adopted for avoiding or mitigating the adverse effects on the environment as a result of implementation of any proposal.
14. Section 2(m) of Environment Protection Act, 2019: Initial Environmental Examination means an analytical study or evaluation to be conducted to ascertain as to whether, in implementing a proposal, the proposal does have significant adverse impacts on the environment or not, and with respect to the measures to be adopted for avoiding or mitigating such impacts by any means.
15. Section 2(v) of Environment Protection Act, 2019: Environment Impact Assessment means detailed study and evaluation to be made to ascertain as to whether, in implementing a proposal, the proposal does have significant adverse impacts on the environment or not, and as to the measures to be adopted for avoiding or mitigating such impacts.
16. Section 35(1)(a) of Environment Protection Act, 2019: A fine not exceeding five hundred thousand rupees if, in case of a proposal of which the brief environmental study report has to be approved, the proposal is executed without having it approved or if any proposal is executed in a manner inconsistent with the approved report.
17. Section 35(1)(b) of Environment Protection Act, 2019: A fine not exceeding one million rupees shall be levied if any proposal is executed without having the initial environment examination approved or in a manner inconsistent with the approved report.
18. Section 35(1)(c) of Environment Protection Act, 2019: A fine not exceeding five million rupees, if in the case of a proposal of which the environmental impact assessment report, has to be approved, the proposal is executed without having it approved or if any proposal is executed in a manner inconsistent with the approved report.
19. Section 2(l) of Environment Protection Act, 2019: Proponent means a person or governmental, semi-governmental or non-governmental agency or institution that makes application for the approval of a proposal or that has got approval for the implementation of the proposal.
20. Section 10(2) of Environment Protection Act, 2019: In preparing the environmental management plan, the proponent shall set out, inter alia, which of the measures to mitigate environmental adverse impacts will be adopted in the course of building the project and which of such measures will be adopted after the completion, or in the course of implementation, of the project.
21. Section 10(3) of Environment Protection Act, 2019.

22. Section 2 (n) of Environment Protection Act, 2019 defines Supplementary Environment Impact Assessment as an environmental impact assessment to be made again *vis-a-vis* a proposal submitted in order to make revision partly in physical infrastructure, design, or form, transfer or alter a structure, add a forest area or increase the project capacity on the environmental impact assessment proposal which has been already accepted.
23. Section 6 (1) of Environment Protection Act, 2019: In preparing an environmental study report pursuant to this Act, the proponent shall so prepare it in the form as prescribed that the standards and quality determined by the Government of Nepal are maintained.
24. Section 14(1) of Environment Protection Act, 2019.
25. Section 15(1) of Environment Protection Act, 2019.
26. Section 3(2)(a) of Environment Protection Act, 2019.
27. Section 23(1) of Environment Protection Act, 2019.
28. Section 2(a) of the Act, 2019 defines “Adaptation” as the prevention or mitigation of further loss and damage upon projecting potential impacts and risks of climate change.
29. Section 24(1) of Environment Protection Act, 2019.
30. Section 25
31. Section 27(1) of Environment Protection Act, 2019: “The Government of Nepal may determine and enforce necessary standard for the setting of priority of matters to be implemented in urban and rural areas as to the mitigation of adverse impacts and risks of climate change.”
32. Section 27(2) of Environment Protection Act, 2019: “The Government of Nepal may determine necessary policy and technical standard for the development of such technology as may be necessary in the prescribed subject areas for the mitigation of adverse impacts and risks of climate change.
33. Kathmandu’s deteriorating air quality: Nepal should seek compensation from China, India”, (April 1, 2021), *South Asia Monitor* , available at:<https://www.southasiamonitor.org/spotlight/kathmandus-deteriorating-air-quality-nepal-should-seek-compensation-china-india> (Accessed on May 11, 2021).
34. *Ibid.*



35. Section 2(J): Pollution means the activities that significantly degrade, damage the environment or harm the beneficial or useful purpose of the environment, by changing the environment directly or indirectly as a result of wastes, chemical, heat, noise, electric, electro-magnetic wave or radioactive ray.
36. Section 30(1) of the Environment Protection Act, 2019: The Government of Nepal may, in consultation with the provincial government and concerned local level and by a notification in Nepal Gazette, maintain as an environment protection area any place containing a natural heritage or aesthetic place which is considered extremely significant from the point of view of environmental protection or any place of historical or cultural importance.” Similarly, Section 30(2) states that “In making any road, building, river management or other physical infrastructure, the government of Nepal may, in coordination with the concerned body and by a notification in the Nepal Gazette, specify any specific area as an open or green area with a view to protecting the environment of such area.”
37. Section 30(5) of Environment Protection Act, 2019:: The Government of Nepal may specify any place in which any injurious or hazardous substances or wastes are stored or disposed or there is excessive pollution for other reason as a polluted area and prevent the movement of public there.
38. Section 30(4) of Environment Protection Act, 2019: In cases where it appears that adverse impacts have been caused, or likely to be cause, on public health or environment of any specific area or place as a result of excessive environmental pollution, soil erosion, excessive exploitation of natural heritages or occurrence of a natural calamity in such area or place, the Government of Nepal, may, in consultation with the concerned Local Level, issue any appropriate order for the balance, management or restoration of the environment, upon specifying such an area or place as a sensitive area from the environmental viewpoint.
39. Section 13(1) of Environment Protection Act, 2019: If any person executes a project without having the environmental study report approved pursuant to this Act or contrary to the approved environmental study report, the concerned body may immediately prevent the project from being executed.
40. Section 21(2)(b) of Environment Protection Act, 2019
41. Section 20(1) of Environment Protection Act, 2019: The Ministry or Provincial Ministry may provide a pollution control certificate, as prescribed, to any industry that makes a significant contribution to the control of pollution.



# Cooperative Fiscal Federalism in Covid-19

**Chandan Kumar Thakur\***

---

**Abstract:** On 11 March, 2020, World Health Organisation (WHO) declared Novel Coronavirus Disease (Covid-19) outbreak as a pandemic and reiterated the call for countries to take immediate action and scale of response to treat, detect and reduce transmission to save people's life. On 11 March, 2020, World Health Organisation (WHO) declared Novel Coronavirus Disease (Covid-19) outbreak as a pandemic and reiterated the call for countries to take immediate action and scale of response to treat, detect and reduce transmission to save people's life. On 24 March, 2020, the Government of India ordered a nationwide lockdown which have brought economic life to a standstill. The infection has not only become a public health crisis but also affected the global economy. This paper takes a look at cooperative fiscal federalism by Centre despite dwindling resources during Covid-19. In view of the spread of Covid-19 the Government of India treated Covid-19 as a notified disaster which would enable it to provide assistance and spend more funds to fight the pandemic. Through a slew of measures, the Centre made sufficient resources available to the States to fight the contagion, spur economic activity and maintain the standards of public Service delivery. Some additional source of resources are also made available to States by Centre.

**Keywords:** Fiscal Federalism, finance, tax, duty, economy, borrowing, devolution

---

## Introduction

Coronavirus disease (Covid-19) which is an infectious disease caused by newly discovered coronavirus begun in Wuhan, China in November 2019. In beginning the rate of infectivity was very high. Within a few months many people got affected from covid-19. WHO declared a Public Health Emergency of International concern on January 30, 2020 and a pandemic on March 11, 2020. It spreads primarily through droplets of saliva or discharged from the nose when an infected person coughs or sneezes. It is found that most people infected with covid-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recovered without requiring special treatment.

---

\*Research Scholar, Department of Commerce, DDU Gorakhpur University, Gorakhpur

The catastrophe has caused casualties of unprecedented magnitude .When comes to the number the global number of confirmed cases had gone up to 19,06,71,330 by July 20, 2021 including 40,75,672 deaths. To contain the spread of this Pathogen WHO is working with world's scientists and global health professionals together.

The current NDA government led by Mr Narendra Modi has adopted the mantra of “Cooperative Federalism”, and has fought a battle against covid-19. The centre and the states have acted together to mitigate the impact of the pandemic on economy and human.

### **Fiscal Federalism**

The word ‘Fiscal’ is related to government revenue and ‘Federalism’ tells a system with two or more tiers of governments where power distributed among them separately. Fiscal federalism refers to the financial relation between the country's Central government and other units of government. It basically represents how expenditure and revenue are allocated across different layers of government administration. Fiscal federalism is a result of historical evolution which originated in pre- independence India.

The evolution of physical federalism in India has its roots from 1858, when the British government assumed direct sovereignty over the Indian territory.

### **Federalism in Indian Public Finance**

The Indian constitution was adopted in 1950 defines India as ‘Secular, Federal, Socialist Union of States’. Both centre and States consist legislative, executive and judicial wings separately. (Though the word ‘Centre’ does not figure in the Constitution the word ‘Union’ and ‘Centre’ are used interchangeably in the literature on Indian fiscal federalism in common parlance). Under the seventh schedule of Constitution mention the power and functions of Union and States . Including the various power the Constitution also specifies taxation powers of both Centre and States and principles governing the sharing of revenue and certain other resources. The abolition of Planning Commission, the creation of NITI Aayog the Constitutional amendment to introduce

Goods and Services Tax (GST) Council and the historically high tax devolution to the states based on the fourteenth Finance Commission have changed the Union-State fiscal relation fundamentally. After the implementation of Goods and Service tax (GST) which is shared between Centre and States, Central government retains the exclusive right for income tax.

### **Centre Support**

The outbreak of covid-19 lead to near halt in economic activities in the initial stage. The influx of migrant workers into their home states like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh which already face severe financial and medical deficits was not good sign for economy.

A successful approach to tackle the crisis has been made through Centre's intervention and guidance in a facilitative manner. Centre has communicated extensively to address the financial need effectively, and leverage national expertise for scalable solutions.

### **Notified Disaster Declaration**

The State Disaster Response Fund (SDRF) has been constituted under Section 48 (1) (a) of the Disaster Management Act, 2005. This is the primary fund available to State Governments for responses to notified disasters.

Keeping in the view of the spread of Covid-19 in India and the declaration of it as a pandemic by World Health Organisation (WHO) , the Central Government has decided to treat it as a notified disaster and announced to provide assistance under the State Disaster Response Fund.

### **Aatma Nirbhar Bharat Package**

On May 12, 2020 Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi announced the special economic and comprehensive package of rupees 20 lakh crore equivalent to 10% of India's GDP to fight Covid-19 pandemic in India. He also outlined five pillars of Aatma Nirbhar Bharat – Economy ,Infrastructure System, Vibrant Democracy and Demand.

The Ministries of Finance and Corporate affairs have immediately started implementation of the announcements related to the Economic Package (ANBP). Regular reviews and monitoring of the implementation of economic package is being overseen by the Finance Minister personally.

Due to the economic slowdown a shortfall of rupees 1.10 lakh crore was estimated in the GST compensation fund in 2020-21. On request of the States the Central Government decided to set up a special window to borrow the estimated amount of shortfall on behalf of the States and passed it to them as a back -to- back loan to be repaid from future accruals in the Compensation fund.

### **RBI Increased Ways and Means Advances**

Ways and Means Advances (WMA) is provided by Reserve Bank of India (RBI) to the States banking with it. This help States tide over temporary mismatches in cash flow of their receipts and payments until March 31, 2020, the aggregate WMA limit of the States was rupees 33,225 crore. On the request of Centre and States RBI on April 17, 2020 increased the WMA limit of States by 60%. This this made an additional amount of Rs.19,335 crore to the States. Increased WMA limit give immediate liquidity to States to borrow soft -term funds from RBI at a lower rate of interest.

### **Increased in Borrowing Limit**

Article 293 of the Constitution of India governs the provision of borrowing by States. The Union government permitted the State Government to borrow within the Net Borrowing Ceiling of 3% of their GSDP in a financial year. This helps States to maintain fiscal prudence. The Government of India on May 17, 2020, enhanced the borrowing limit of States for fiscal 2020-21 by 2% of GSDP. This provided extra headroom of Rs.4.28 lakh crore to States.

### **Maintaining Tax Devolution**

The Finance Commission constituted under article 280 of the Constitution of India recommends the percentage of the net proceeds of tax and duty to be distributed

among States. After reorganizing of Jammu & Kashmir and Ladakh into Union Territories the 15<sup>th</sup> Finance Commission recommended 41% tax devolution.

Despite sharp decline in Central revenue collection, the Centre devoted an additional amount of Rs. 45,000 crore to the States.

### **Financial Assistance to States**

Despite the adverse financial position of Central Government the Finance Ministry announced the scheme of Financial Assistance to States for Capital Expenditure in October 2020 with an amount of Rs. 12,000 crore for the scheme.

### **Concluding Remarks**

Despite decreasing in resources due to the pandemic, the Centre empowered the States fiscally to fight the Pandemic and stimulate economic recovery during the financial year 2020-21. Additional resources also made available to States by Centre that are stated above. India's epic fight against Covid-19 pandemic has received immense appreciation globally.

Notwithstanding a series of blanket measures and many centralised decisions from the Centre, the management of Covid-19 has largely moved in the true spirit of Cooperative fiscal federalism.

### **References**

1. Y.V. Reddy, G.R. Reddy, Indian Fiscal Federalism, Oxford University Press (2019), 4A.1-8A.1
2. "Reaffirm Cooperative Federalism" The Hindu, 13 May, 2020.
3. "Covid-19 Crisis and Centre -State Relations" Economic and Political Weekly 24 April, 2021
4. Teresa Ter- Minassian (editor) 1997, Fiscal Federalism in Theory and Practice, External Relations Department Publication Service IMF, Available on site- [www.elibrary.imf.org](http://www.elibrary.imf.org)

5. Fiscal Federalism , Amitabh Kant (editor), YOJANA ( Special Issue), January 2021, Volume 65, No.01,pp24-29
6. Fiscal Federalism in Covid-19 ,Dr Sajjan S Yadav, Suraj K Pradhan( editor), YOJANA, May,2021 volume 65, No.05 ,pp 29-31
7. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
8. <https://covid19.india.gov.in/document-category/ministry-of-finance/>
9. <https://www.orfonline.org/research/the-covid-19-challenge-to-indian-federalism/?amp>



# ARTISTIC SYMBOLISM- ITS RELATION TO HUMAN MIND

**Dr. Pranesh Kumar Sinha\***

## **Introduction**

My eyes and my mind are absolutely satiated with the wonder of art and artistic symbolism that I have seen, the first are weary with objects so gigantic and extraordinary and the latter has been so much on the stretch, being crowded and overwhelmed with ideas so overpowering and various, that I ever despair of forming any calm judgment upon them.

This is generally said the characters of almost every artistic remains of ancient India is just religious or with religious motivations. Many of the critics of ancient Indian art have more or less accepted the reality and worldliness in ancient art with content to Vedanta and Buddha dharma. But this off course is not the final truth.

Though some of our artifacts are full of religious motives which are rare in the world but mainly the socio- economic- cultural life is the subject in representation of our ancient art wether it is line sketches, sculpture, icons or other symbolism.

Depiction of religious symbolism in Indian art has been a common phenomenon since the Harappan period. It is however, from the Mauryan period onward that the archeological materials grow in abundance. In the art of Sunga period the religious symbols become prominent and the tendency of embossing religious symbols was adopted to make figure of divine importance. However, the period between the Sunga to the Kusana is called formative period in ancient Indian art. A number of mother goddess figurine are found with religious symbols throughout the

---

\*Ret. Principal, S.S.P College Sasaram (Veer Kunwar Singh University), Ara, Bihar



period. In this context mention may be made of terracotta mother goddess figurine which have been recovered from Mathura, Ahichetatra, Kausambhi, Vaishali, Oriup and Patliputra. In Buddhist art of Amravati, which is assigned to 1<sup>st</sup> Century B.C., presence of Lord Buddha is indicated by number of religious symbols such as Chhatra, Srivastava and Svastika.

Hence, it can be a little more comfortable to say that art, religion and symbolism are all inter related. This inter relationship forms the design of culture. Culture is an identify of a civilization in a particular period and thus an integral part of history to peep into past and to extract it to broad day light from the dumpen darkness. Culture is thus the argument that the temporal and the external can be combined in works. The understanding of culture involves understanding the work of idea process of human self- realization within the historically given context of symbols and meanings. Symbols are not only ideas, but ideas made manifest, and the meaningful connection between an idea and an object is an argument for their sameness in some sense. Such arguments differs amongst cultures.

The bridge of communication was established when the familiar was revealed through a known language of symbols. The artist exercised freedom of creation, the freedom in a given frame of reference, of philosophic principles and aesthetic theories.

The most interesting rather exciting is the symbols of prehistoric rock- art of the Hazaribagh region. Though, examples of prehistoric and even historical period cave paintings have been brought to light in the caves of districts of Hazaribagh, Kaimur hills in Rohtas district and in Nawadah, Jamui and Giridih districts in South Bihar. Many important examples of rock- art have been found in North Karanpura Village in Hazari Bagh district.

It is in the Barkagain block located about 45 kms. south- east of Hazaribagh town. The hill is locally known as Satti hill. The rock shelters in the hill are known as khovara (khubar), bridal nuptial chamber for the adivasis of the locality. The painting in Isko are under a shelter formed in a narrow fault gorge, hardly more than five metres from top to bottom and hardly ten meters wide. The painting at Isko cover a long face of the rock surface and are in red (ochre) and white (kaolin), the

red pigment is used in served shades from deep purple to an almost yellowish brick red. The largest number of painted designs comprise geometric. Some anthropomorphic figure are also new, but no clear human figure except in inadequate outline, giving hints to rudimentary legs and stunted upraised hand, and circular heads can be seen zoomorphs, though a few are in several instances well executed and the best examples can be easily compared to the animal depictions known from the mesolithic pictures in the Vindhyan hills. Human and animal figures are found only in lower strata of paintings. The upper, later large is invariably taken by geometric figures mainly squares, trapezoids, some triangles, circles or ovals. One of the interesting figures is of an animal with spots on the body with spoke-like wheels in outline with a circle within a circle. Triangles within triangles, pouncing horse jumping hurdle, a group of anthropomorphs in a square, group of wavy lines indicating rivers perhaps scrolls, spirals, leaf pattern, trees, flowers like lotus, representation of hill with trisula like object on top, full and intricate geometrical figures and ring like object with string attached. Representation of snakes are abundant hand stamping may also be seen.

1. Geometric design where they appear side by side with the animals are often decorated with concentric representation of the outline. Sometimes the square designs are much like the body decorations of mesolithic animals from the Vindhyan.
2. Intricate labyrinth spired or honey combed patterns, though not many, are not rare. A human figure with legs wide apart and marked genital, outlines of deer, a tree in a trapezoid, a figure of the sun, concentric circles with a thick dot in the centre, a large rectangular panel with geometric figures and circles within circle, a bunch of leaves may be noted.
3. Thus we have both paintings of living beings and geometric forms in these Hazaribagh rock-shelters and these could be compared to Orissan rock art of Himgiri, Osalbothe and Sambalpur on the one hand and with Mirzapur rock paintings on the other. Beings of mesolithic age, we have no paintings of

domestic animals or plants. Flint Bunins of various types of sizes were employed.

4. However to claim that the paintings resembling sanme of the Harappan charecters of the script and thus could provid a possible code to decipher the Harappan script, is highly problemetic. Santhal nital symbols, beaning modern Santhali terminology as representing Harappan script as postulated by Patjak and Verma as breaking the code of the Harappan script is highly speculative. But there is some validity in the view held by Imam that the rituals of adivasis of Hazaribagh today betray some continuity of the tradition represented the prehistoric people of the area.

Imam assents that the rock art of the Hazaribagh region is of a date preceding the India or Harappan civilization. Several characters of the rock- art at Isko and other newly discovered sites in the Hazaribagh region resemble the symbols on the soapstone or stellate seals discovered amongst the remains of the cities of Indus. “Recent archeological investigation have reveled Indus valley symbols on copper seals retrieved from Ishak Village near Hazaribagh and a big pit in the dipugarh village adjoining Hazaribagh town found by Gustav Imam. Cointained bits of pottery found to the depth of five feet at an ancient water collection site. The pottery is similar to the Harappan pottery, black on red ware, northern black- painted (polished) wane and ochre coloured pottery. We know that every black on red is not Harppan, and was found in the post Harappan contract in Madhya Pradesh and Maharashtra. N.B.P. finds could not be surprising. Ashoka was in contact with the atavikas.

The most interesting rather exciting is the continuity of tradition and symbols of the prehistoric rock art of Hazaribagh region with the modern folk art rituals and symbols still practiced by adivasi people down to day. Mr. Imam with great alacrity and keen eyes had drawn our attention to the painted designs in the shelters with khovara paintings by the adivasi women to day. This tradition has been carried on in the symbols which we are familiar with the prehistoric rock- art.

5. Such a continuity of tradition is unearthed on the other land where rock- art has been discovered belonging to the upper Paleolithic (Al famira and Las cause) around 20.000 B.C.

Rock- art has also been foend in the Kaimur hills in the Rohtas district particularly in the Pateswar, Mokia, Thapia hills in chand block, Badka Gorla in Bhagwanpur block and Dughea, Hathiadih, Saroday, Chaya, Badap and Koharyagada in Adhwara block. The Jawar koh, Makani koh Barki Goniys Koh and others have paintings, which are mostly in red ochne colour. Animals and human figures, both male and female either individually or in group are subject matter of the paintings in running or dancing postures. Bulls, Rihnos, Dogs, Elephants, Lizards, Snakes, Birds are depicted. Geometric patterns and decorative designs also occur. Community dancing is depicted in Dugha Shelter.

6. Hence, just without being in hurry to place the Hazaribagh painted examples to the period with any certainty because various cultural developments in different parts of the world did not begin simultaneously and upper Paleolithic, Mesolithic and Neolithic in different parts of the earth did not begin or end at the same time. We may opine that these symbols mainly ritualistic and religious in general are concerned more with the environment and the hard life of the people for sustenance. Continuity of rituals and religious symbols in rock- art (paintings) and in contemporary adivasi home in chotta Nagpur and Santhal Pargana, should not compel ourselves to think that some symbols and figures painted in these shelters showing some parallelism with the Sumerian, Egyptian or Harappan had any generic relationship.

Rock- art examples have been reported by Dr. (Col.) A.K. Prasad of the education corps of the Indian Army who has discovered a number of natural caves with prehistoric paintings in the south- eastern part of the nawadah, Gaya and jamui district down to Giridih in deep forced hilly regions almost inaccessible. Hunting, dancing, gathering and other group activities are the main themes of the paintings. Col. Prasad, in all found 48 rock- shelters and gave a talk with beautiful slides at the 30th Annual meetings of the Indian Archeological Society of Delhi. Drwn mainly in

the styles of stick figures, stylised and geometric forms, we can distinguish amongst them elephants, bears, antelopes and reptiles. Drawing of triangle, squares and undisciplined symbols like cross in double branded click and cross in square are ingenious for paintings from other known caves. Figure of animals in simple and straight sequence is yet another variety of the sites.

The caves were occupied since earlier times as old- stone- age tool were also found in this area but, the caves continued to be inhabited even in the historical period as the art of paintings appears to have continued as there are examples of historical period paintings particularly of the Kusana period super imposed over the Mesolithic paintings.

We have to no reason but to believe that a complete sequence of cultural evolution of man can be observed and studied in most reliable and comprehensive manner hence in these caves as the discovery has the potentiality of the bridging history with pre- history and throws light on money of the living tribal symbols and rituals.

The discoveries have successfully communicated the message of our ancestors, they left behind them most probably for ourselves and with task to preserve it for the coming generations as their message of life and life style in their time and the rituals and ritualistic symbolism.

Hence, if we do take into account the description of Goustav Imam, his study of Khovara paintings of also caves, its resemblance in the khovara paintings in the modern period in the region confirms our opinion in this content.

In fact human mind, since time immemorial, are the centres of creativity and expansion. The expression to communicate of its creation. The creations to be essential for its enistance, prosperity and longevity. The creations also leave messages for divinity. The secents of life and death are also left in records either in sketches, paintings or litratures.

The Brahmana literature, while describing the construction of the 'Smasara' (burial mounds and funeral pyres) refers to the fact that, "Four corned is the sepulchral mound. The people who are goodly make their funeral or burial places four corned, while those who are of the Asuran nature, the Easterners and other make their mounds so as to be separated from the earth, either on a basin or on some such things.

7. The Chaityas in Buddhist tradition too reflects the duty with its life style as of its being to Mani Nagin, Yaksha or some body else. This we conveniently interpret to be a message of their importance with life style.

Even in the Vastu- Vigyan, the geometrical signs are well represented on walls of the mountains, probably as a tatomiv symbolism for the protection from evil forces.

I myself have noticed, such symbolic signs in the exterior walls of the mosque of Hassan Shah Sur traditionally, known as "Sukharaja" at Sasaram there I have privilege to quote Prof. D.C. Sirkar who while presiding over the session of Archeology and Epigraphy in 42<sup>nd</sup> Indian History Congress informed the scholars, during discussion on my paper "Secured Symbolisms in temple sculpture", the tatomic symbolisms found in the ercavation of Nagarjuni Knoda most probably for the protection and fertility. These symbolics as to him, were from 2<sup>nd</sup> century B.C.

We observe even to-day, the eristance of such nature in human mind to leave message on walls, surface or on other medimus to make memories of his presence on the sight.

Sri S.A. Dange in his look, "Sensual Symbolism in vedic Ritual" have mentioned ritualistic symbolism during performance of Vedic Rituals, to the symbols of sensual intercourse and sexual union. We may differ with his interpretation and openion but can not deny the significance of symbolism representation.

Thus, we have every strong reasons to believe that all those Artistics symbolism available either in cave paintings, terra- cottas, literatures have a very

strong relation with human mind and carry a rich message of their time with a purpose and cry out for intensive explorations and intensive study.

**References and Books**

1. Puratattva No. 25, p. 81
2. Puratattva No. 25, p. 82
3. Imam Bridal Cases 1995, p.6
4. Puratativa 25, p.82
5. Puratativa, illustrations p.103-104
6. P.C. Prasad in Puratativa No.26, p.87
7. Imam pp. XIX, pp.15 15-22
8. Puratattva, No. 26, p.88
9. Satpatha Brahmana XIII, 8 to 4



# Strategic Significance of 1971 War for South Asia and its Impact on India's National Security

Ramakant Dubey\*

---

**Abstract:** Now it has become 50 years of independence of Bangladesh but the discourse on the significance of independence of Bangladesh is still goes on and it is becoming more relevant with the passing of time. To the common people independence of Bangladesh may be a great victory of India on Pakistan in our history. But the analysis of strategic environment of South Asia reveals that now the strategic importance of Bangladesh is more relevant than in 1971. Now Bangladesh is playing a great role in deciding the strategic environment. It has a great significance for India's security. Through Bangladesh India manages the strategic balance with other major powers in South Asia. The presented research paper focuses on the significance, needs and strategic challenges that emerged due to the creation of Bangladesh.

**Keywords:** India, Bangladesh, South Asia, Strategic Environment, China, USA, Pakistan, Indian Ocean.

---

## Introduction

The 50<sup>th</sup> anniversary of the liberation of Dhaka and the creation of Bangladesh on December 16 had a great strategic significance for India and now it has greater impact on strategic environment of South Asia. Prior to December 16, 1971, what is now known as Bangladesh was East Pakistan and for almost 24 years from August 1947, the leadership of West Pakistan treated the East Pakistan as a poor relative. While East Pakistan has greater contribution in revenue collection the distribution of was biased.

The war stripped Pakistan of more than half of its population, and with nearly one-third of its army in captivity, clearly established India's military and political dominance of the subcontinent.<sup>1</sup> The victory also defined India's much broader role

---

\*Assistant Professor, Maharana Pratap Degree College, Jungle Dhusan, Gorakhpur



in foreign politics, as many countries in the world had come to realise – including the United States – that the balance of power had shifted to India as a major player in the region.<sup>2</sup> In announcing the Pakistani surrender, Prime Minister Indira Gandhi declared in the Indian Parliament that Dacca is now the free capital of a free country. We hail the people of Bangladesh in their hour of triumph. All nations who value the human spirit will recognise it as a significant milestone in man's quest for liberty.<sup>3</sup>

Liberation of Bangladesh made a significant change in strategic scenario of South Asia region. A new country emerged in South Asia. The power and capacity of Pakistan reduced as a large area of it was separated; one third military strength was reduced; a large number of population was separated; the fertile land of East Pakistan slipped from the hand of West Pakistan, the economy was reduced to its half; the image of Pakistan was demolished for violation of human rights; Pakistan faced the most shameful situation with the surrender of largest number of armed forces in the world; India got a new neighbour in the east and Myanmar got in the west.

In 1970, the population was 65 million in the East Pakistan and 58 million in West Pakistan<sup>4</sup> that signifies that after 1971 war more than half of the population of Pakistan went in the hands of Bangladesh. Similarly the economy was also divided between the two countries. In 1971 the GDP of Pakistan was USD 10,666 million.<sup>5</sup> At the time of independence of Bangladesh the GDP of it was USD 6288.2 million.<sup>6</sup> 148460 sq. km. area was separated from Pakistan and it became Bangladesh. The area of Pakistan was confined to 881913 sq. km. About one third of Pakistani armed forces joined Bangladesh military. It is not only a statistical data that changed after 1971 war but many other things also changed that has longer influence on India's national security.

Up-to 1971 India had to face Pakistan on two fronts. In the Kashmir war of 1947 East Pakistan had not any significant role. The main focus of Pakistan was on Kashmir and wanted to merge Kashmir in it. Any special military operation was not conducted on eastern front of India from East Pakistan. The role of East Pakistan was limited to provide the military, economic and morale support to West Pakistan to conduct its operation in Kashmir successfully. The situation during the war of 1965 was a bit different. In the words of Mumtaz Iqbal.....Moreover, details of infiltration in Kashmir — we didn't know about Operation Gibraltar then — preceding the actual shooting war were a bit of a mystery to the Pakistani public, especially Bengalis. For them, Kashmir didn't resonate in the same existential way as it did amongst Punjabis. But Bengalis were also uneasy. East Pakistan was defenceless, with three anaemic brigades. This helplessness was tempered by faint stoicism that

India wouldn't or didn't need to attack in the east. The logic was that Delhi gained nothing by dividing her forces and enlarging the conflict.<sup>7</sup>

During Indo-Pak war 1965 it was rumoured that Pakistan had attacked at eastern front of India and had made massive destruction to Indian Air Force. It was claimed that dozens of fighter planes and choppers were destroyed in these attacks. But the post war observations made it clear that it was only a rumour and in this way the morale of citizens of East Pakistan was kept high. Though Pakistan could not do any harm at our eastern front but it had started to disturb our eastern frontiers well before the start of war. It is reported that Pakistan had started to provide the training of arms to Naga and Mizo insurgents of north east states of India. Pakistan had started to support insurgents of north east states from 1950s. In 1963 India had started counter insurgency operation in north east states under Lieutenant General Sam Hormusji Framji Jamshedji Manekshaw (later Field Marshal). In 1964, instructed by 14 Div. General Officer Commanding Major Gen (later President) Yahya Khan..... with about a dozen SSG specialists had given training to Naga leader A Z Phizo and 300 men, women and children in Madhupur jungle near Mymensingh in light arms and jungle field craft. They had taken shelter in East Pakistan to escape Eastern Command's..... counter-insurgency drive.<sup>8</sup>

Though East Pakistan had no significant role in Indo-Pak war of 1965 but the strategy that Pakistan had opted to disturb our north east states had a greater significance. Pakistan did not create any major issue in the war of 1965 but it hadn't meant that it would not do so in the future too. India had already recognised the gravity of threat emerging from East Pakistan but it could not get suitable time before 1971.

Prior to Bangladesh Liberation War in 1971, India had no plans for large scale military action in East Pakistan. Since the Sino-Indian War of 1962, the primary objective of the Indian Army Eastern Command was the defence of the Indian northern and eastern borders, defending the "Shiliguri Corridor,"<sup>9</sup> and on combating insurgencies raging in Mizoram, Nagaland, Manipur and the Naxalites in West Bengal.<sup>10</sup> In 1971 it was the first time when Indian Armed Forces focused on eastern front and made a drastic strategic change.

The incidents that occurred in 1971 were not unprecedented. Both Indian Armed Forces and Pakistani Armed Forces had predicted that the situation emerging in East Pakistan had been leading to an unavoidable war. In March 1971 Pakistani commanders Maj. Gen. Rao Farman Ali and Lt. Gen. Sahabzada

Yaqub Khan opposed military action in East Pakistan because he feared the India can interfere there accusing violation of human rights. But the situation in East Pakistan was uncontrolled and violation of human rights was continued resulting influx of refugees in adjacent states of India. India had already predicted that intervention in East Pakistan was inevitable to stop this influx. Burden of population was increasing there. Indian Armed Forces knew it well that it is easy to start the war but for how much time it will take to over is unpredictable. Though Indian Armed forces were ready to intervene in East Pakistan in May 1971 but they did not start the operation because very soon the monsoon season was to start and it was unfavourable to military operation. In monsoon season East Pakistan and adjacent states of India face severe floods and effective military operation was not feasible. Indian Eastern Command began drafting an operational plan for military action in Bangladesh from May 1971. Indian planners assumed that Pakistani army would try to defend the whole of the province to prevent Mukti Bahini from establishing the government inside Bangladesh.<sup>11</sup> The main objectives of the May draft plan were:<sup>12</sup>

- The capture of Dhaka was the final goal.
- A winter campaign would reduce the chance of Chinese intervention as passes over the Himalayas would be snowed shut and the ground in Bangladesh would be firm and most favourable for armour and mechanised movements. Some troops deployed on the Chinese border can be used in Bangladesh.
- October – April period was the best time to launch an offensive, while the Monsoon rains (May – September) turned the country into a morass.
- Axis of advance should aim to isolate and bypass Pakistani forces – which meant a minimum superiority in numbers was needed. Fortified positions should be bypassed.
- Subsidiary objectives should be picked to occupy communication centres and destroy Pakistani command and control ability.
- Preliminary operations (by Mukti Bahini and then Indian forces) should aim to draw the Pakistani forces near the border, so key areas in the interior are left undefended.

India achieved unprecedented victory in the war of 1971 with the surrender of more than ninety thousand soldiers of Pakistan. India turned East Pakistan into Bangladesh as an independent state. Pakistan was confined to western front and it could not achieve anything there. India retaliated every efforts made by Pakistan to damage our western front. In post-war peace talk India returned all prisoners

of war unconditionally. It provided a humanitarian image of India at international level.

Historically it is rightly said that we cannot choose our neighbours. They are constant. According to Kautilya's Philosophy of War neighbours have always enemy character. Peaceful co-existence means they are preparing for war. In this context India got a superb strategic superiority after 1971 war in South Asia. India broke Pakistan and changed the dictum that we cannot change our neighbours. India succeeded in changing the neighbour. The countries change their history but India changes its history and geography simultaneously.

After 1971 war Bangladesh not only emerged as a new state but it emerged as a new friend to India. The relation of Sheikh Mujibur Rahman with India is not to discuss here for a good understanding. He took shelter in India when there was a traumatic situation in Bangladesh. Everybody knows that India helped Bangladesh on the basis of humanitarian assistance and interfered in internal affairs of Pakistan because West Pakistan was violating human rights of the people of East Pakistan and wide genocide was carried out. Through the help to the people of Bangladesh India got humanitarian image while Pakistan in the lime-tight that it violates human rights. India emerged as a new power in South Asia and regained its looser image of 1962. We conveyed a message to international community that no one can deny the military power of India further more. Diplomatically India managed external aggressiveness and restrained United States away from this issue. Strategically it was rather more important than liberating Bangladesh.

Since last three decades we are suffering with state sponsored terrorism in Jammu and Kashmir. It is supported and guided by Pakistan. We have paid a heavy toll of both people and property while tackling terrorism in Jammu and Kashmir. India suffered a lot on western front. In case Bangladesh would have been the part of Pakistan India would have to face the problem of terrorism at two fronts. It is well known that India suffered with the problem of insurgency in all north-east states and Naxalism in West Bengal. Since India developed good relation with Bangladesh it helped India to handle the problems of insurgence and Naxalism more properly. Otherwise India would have to face more severe situation at eastern front rather than in Jammu and Kashmir.

India and China have developed their economic, trade, military, technological and strategic cooperation. India and Pakistan have fought four wars and India and China have fought one. China and Pakistan always try to encircle India strategically from all possible sides. India is surrounded by Pakistan and

China from two sides and they always create security issues to India. Through the development of nuclear weapons India has developed nuclear deterrence in South Asia to balance both the countries but in conventional weapons and non-traditional war India is challenged by them cooperatively. If Bangladesh would have been the territory of Pakistan India would have to face more severe strategic challenges from three sides. It would have also been the possibility that the narrow corridor of Siliguri that connects north-east states with rest of India would have been broken.

Pakistan has emerged as an Islamic fundamentalist country and it has close relations with local to international terrorist organisations. It would not be an exaggeration to say that Pakistan has become the motherland of terrorism. It provides assistance to ISIS, Al Qaida, Taliban, LeT, Hizbul Muzahidin etc. If Bangladesh would have been in control of Pakistan it also would have been another centre of terrorism and extremism. Recently radical groups in Bangladesh have emerged but they are unable to do any big incident because they are strictly treated by the government. In case of being the part of Pakistan Bangladesh would have become a serious threat to India's national security.

Myanmar is south eastern neighbour of Bangladesh and from last few years it is suffering with Islamic radicalisation resulting Rohingya issues. Due to military operation against Rohingya radicals Rohingyas were forced to evacuate the region. They got the shelter in Bangladesh, India, Sri Lanka and Pakistan. Wherever they migrated they were found involved in drug trafficking, terrorism and other anti-national and anti-social activities. Many countries did not allow them to enter in their territory for their radical nature. If Bangladesh would have been the part of Pakistan, the condition would have to be different. Pakistan could have used these radical groups against India as it has done with Afghan terrorists in Jammu and Kashmir. Pakistan would have been tried to use them against India in adjacent states. These states have already been suffering with the problem of insurgency and support of radical groups would have worsened the situation.

In the war of 1971 the power of Pakistan had been reduced to a great extent. The area of Bangladesh is 148560 sq. km. and the area of Pakistan is 881913 sq. km. thus the total area of Bangladesh and Pakistan is around one third of India's territorial expansion. In the same way the combined population of Pakistan and Bangladesh is around one third of India's population. The joint military strength of Pakistan and Bangladesh is around 10 lakh that is very close to India's military strength. Economically Pakistan and Bangladesh cannot stand parallel to India but their combined percentage of military budget is greater than

India. India spends 2.4 per cent of its GDP on defence sector while Pakistan spends 4.0 per cent of its GDP. Bangladesh hardly spends 1.3 per cent of its GDP on defence sectors.

Since power and capacity of Pakistan has been reduced to a great extent it cannot attract external powers for massive investment. India is a major hub of foreign investment in South Asia. Major economic powers of the world are always ready to have good relations with India because of its consumer based population. As Indian economy will grow more and more investment is likely to occur. If Pakistan and Bangladesh were united they would also have attracted a major part of it. The economic inclination of major powers would have strategic benefits to Pakistan.

In the war of 1971 India does not change only the history and geography of its neighbour but it also changed its future to a great extent. India changed economic structure of South Asia. It changed geo-strategy and geo-politics of South Asia. Indo-Pak War of 1971 changed the future of not only India but of entire South Asia. It also changed the perspectives of South Asia in international community.

### References:

1. India: Easy Victory, Uneasy Peace, Time 27 December, 1971.
2. Kemp, Geoffrey (2012). The East Moves West: India, China, and Asia's Growing Presence in the Middle East. Brookings Institution Press. ISBN 978-0815724070.
3. India: Easy Victory, Uneasy Peace. Time. 27 December 1971.
4. <https://tribune.com.pk/story/1512636/east-overtakes-west>
5. <https://countryeconomy.com/gdp/pakistan?year=1972>
6. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BD>
7. <https://www.rediff.com/news/2005/oct/05war.htm>
8. Ibid.
9. Singh, Lt. Gen. Sukhwant, The Liberation of Bangladesh, Vol-1, pp18
10. Jacob, Lt. Gen. JFR, Surrender at Dacca, pp60 –pp61
11. Jacob, Lt. Gen. JFR, Surrender at Dacca, pp56- pp57
12. Ibid



# GREEN CHEMISTRY: A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

**Rohit Srivastava and Md. Rashid Tanveer\***

---

**Abstract:** In the current globalized world green chemistry is becoming the most potent tool, the strength towards the sustainable and overall development. It is environmentally benign chemistry which reduces or eliminates the use and generation of hazardous chemicals and substances. The basic principle of green chemistry on which it works is the minimization of risks, hazards and pollution and maximizing the efficiency by maintaining the cost and potential exposure. It includes all parts of chemistry and other disciplines that aim to minimize the negative effects and maximize the efficiency. There are many innovations in green chemistry such as synthesis, renewable products, catalysts, disposal of wastes, design of nontoxic chemicals and components, new formulations etc. Therefore it is imperative to acknowledge the importance and values of this branch of chemistry to future generations. This paper addresses the importance, innovation and application of green chemistry for a sustainable development.

**Keywords:** Green chemistry, multidisciplinary, sustainable development, design of safer chemicals, high efficiency.

---

## Introduction

Green chemistry which was initiated about three decades has attracted lot of attention. It is a multidisciplinary field which covers area such as synthesis, solvents, catalysis, raw materials, products, efficient methods and many more [1-4]. In the last few decades trends such as climate change, population explosion and high degree of urbanisation, toxicity and scarcity of resources, energy and water have led to the initiation of sustainable practices in various sectors including industry, education and society. The ambition to improve standard of living and pure atmosphere the need for performance materials are required so that the

---

\*Electrochemistry Research Lab, Department of Chemistry, St. Andrew's College, Gorakhpur

gap between developed and developing nations get narrower. These conditions have accelerated the development of materials based on green chemistry. The green chemistry is described as the movement towards more environment friendly chemical processes and synthesis. Nowadays green chemistry is regarded as a vital tool for the practice of chemistry and other branches of science to attain the sustainable development, by maintaining the balance with the environment. The concept of green chemistry was coined in 90's by the US Environmental Protection Agency (USEPA). Since then lot of research has been done in this field by developed nations to achieve the optimum level of this branch [5-7]. This fast moving concept is governed by some basic set of principles which move processes and products towards an economy based on renewable feed stocks which prevents chances of toxicity at the atomic or molecular levels. The chemical synthesis and products are designed and formulated to minimize the waste and side effects. The present era of globalization demands emphasis on safer and efficient products which can only be possible with the technology called as the green chemistry. There can be numerous applications of green chemistry in industries such as plastics, textile, pharmaceutical, renewable energy, pesticides, solvents, water purification, etc. It is believed that in the coming time green chemistry will change the face of science as a whole towards an economy based on renewable energy, green processes and bio based productions.

Green chemistry is commonly based on a set of twelve basic principles proposed by Anastas and Warner. The principles include instructions for chemists and professionals to implement new chemical methods and novel ways of synthesis [8]. The twelve principles are given below:

1. Prevention
2. Atom economy
3. Less hazardous chemical synthesis
4. Designing safer chemicals
5. Safer solvents and auxiliaries
6. Design for energy efficiency
7. Use of renewable feed stocks
8. Reduce derivatives



9. Design for degradation
10. Catalysis
11. Real time analysis for pollution prevention
12. Inherently safer chemistry for accident prevention

Thus the basic idea of green chemistry is to accomplish both transmaterialization and dematerialization; through its rational approach and metrics of principles. However to achieve the full potential of green chemistry a coordinated approach of factors like social, political, technological is required.

### **Implementation of green chemistry principles**

In different chemical processes the waste products and the reagents used for synthesis, causes a severe threat to the environment. The exposure to hazardous chemicals can be minimize in a simpler way by applying safe raw materials and nontoxic procedure during the preparation [9]. For example adipic acid is used for the production of polymers like nylon, Polyurethanes, lubricants, plasticizers, etc. This adipic acid is formed by benzene which is a potent carcinogen. However, recently chemists have developed a method for the green synthesis of adipic acid, by using raw materials like glucose, which on action with genetically modified bacteria gets converted to adipic acid. Green chemistry emphasizes the use of renewable sources as raw materials and starting reactants. The production of biodiesel oil is a perfect example of this. As the name indicates, biodiesel oil is produced from cultivated plants like soya beans and fats embedded in plants oil by extracting the glycerine from it. The advantage of using this nontoxic oil is obvious as on combustion it does not generates sulphur and nitrogen compounds which are serious threat for the environment.

Another threat to the environment are the organic solvents which are used during the synthesis of different compounds [10]. They are released in the atmosphere by volatilization process especially in the case of volatile organic compounds (VOCs). This problem can be minimized by using super critical fluids (SCFs) in chemical processes and synthesis which are harmless for human and the environment. The use of SCFs is becoming very common to run the chemical reactions. The term SCF

comprises the liquids and gases at their critical temperature ( $T_c$ ) and critical pressure ( $P_c$ ). Above the critical point the liquid-vapour phase boundary disappears, while the present phase shows both the properties of liquid and the vapour. Due to this, the SCFs are able to dissolve many compounds with different polarity and molar masses. Some of the important fluids which have been in common use are the  $\text{CO}_2$  and  $\text{H}_2\text{O}$ .  $\text{CO}_2$  as a SCF is frequently used as the solvent or medium for reactions, as it is inflammable, easily available and cheaper in cost. Room temperature ionic liquids are also considered to be environment friendly reaction media. However the lack of technology for the removal of products from the ionic fluid has limited their applications. But recently it has been found that  $\text{CO}_2$  can be used to extract non volatile organic compounds, from room temperature ionic liquids. The researches have shown that ionic liquids (using 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate) and  $\text{CO}_2$  shows very attractive phase behaviour. The solubility of  $\text{CO}_2$  in ionic liquids is substantial, reaching mole fraction as high as 0.5 at 10 MPa. In spite of this the two phases do not become completely miscible, so  $\text{CO}_2$  can be frequently used to extract compounds from the ionic liquids.

Green chemistry can also play a substantial role in analytical chemistry [11]. Development of environmental monitoring techniques can lead to better knowledge of the state of environment and the processes that takes place in it. Due to the introduction of green analysis and evaluation new measuring techniques can be used to study the concentration of trace and micro trace components in samples. The novel techniques can also be used to study the acidic behavior of components in the environment, the ozone depletion phenomenon, change in the composition of air, increase in the concentration of persistent organic pollutants (POPs) etc. Thus the introduction of green tool into chemical laboratories and techniques can drastically reduce the instrumental costs and also the adverse effects on the environment which is caused by the liberation of chemicals and fumes. Nowadays many techniques have been used which are based on the rules of green chemistry. Some of them are X-ray fluorescence (XRF), solid phase extraction (SPE), surface acoustic wave (SAW), super critical fluid extraction (SCFE), Mass spectroscopy with membrane interface (MIMS), green solvents, on-line analyzers and off-line analyzers.

### **Green nanotechnology**

Nanotechnology is a potent tool of the present era and has varied applications in almost every sector [12]. Hence there is a general perception that nanotechnology will have a significant impact on the development of green and clean technologies with numerous environmental benefits. Nanotechnology with green approach is playing a vital role in purification of water, separation of different solvents, energy sector, manufacturing units, etc. As a matter of fact renewable energy applications are the area where nanotechnology is ready to play a crucial role and probably it will be a large scale breakthrough across the globe. Nanotechnology applications could provide decisive technological momentum in the energy sector and will enhance the generation of sustainable energy support that will shift the equilibrium away from the fossil fuels which are the major cause of pollution. But these transitions require political and financial supports. The technological foundation is there, all it takes the correct approach and proper laboratory facilities to make it happen. Thus nanotechnology can provide the required thrust to accelerate the energy supply with greener means.

### **Green catalysis**

Lots of research work has been going on to provide a path or mechanism for the greener synthesis routes by using the catalyst which are nontoxic, efficient and degradable. Olefin metathesis is an example of very atom economical reactions with potential to eliminate the waste associated with alternate multistage synthesis. A versatile method for forming the carbon-carbon bond in polar and non-polar solvents has been carried out in the presence of green catalyts like Fe-TAML, enzymes, highly acidic dysprosium(III) triflate (trifluoromethanesulphonate), Molybdenum disulphide coated on alumina, Cativa catalyst, etc. These catalysts have also been used during polymerization, to construct ring systems, synthesis of natural products and in cyclisation of Polypeptides. Olefin metathesis has also been very useful in obtaining useful products from renewable resources. Unsaturated fatty acid esters and natural oils can also be used to produce nontoxic feed stocks and many natural products. Hydrogenation using H<sub>2</sub> gas is another example of atom economical reaction which has high degree of utility in designing green synthesis mechanism and different

pathways in order to phase out hazardous and wasteful hydride and borane reagents. Now the time has arrived to increase the safety of chemical processes, providing alternative to toxic reagents and avoid the generation of harmful pollutants by the extensive use of green catalyst. One such catalyst is Fe-TAML which is an environment friendly oxidizing agent. Its use provides an alternative to polluting oxidizing agents like Cl and metal based oxidants. Fe-TAML activated oxidants can be used instead of dangerous  $\text{ClO}_2$  gas and metals like Zn, Cu, Ti etc. for different processes like bleaching, oxidation and deactivation of biological warfare.

### **Need for collaboration**

There are many components and drivers of green chemistry. The promotion and commercial use of greener components, chemicals and techniques requires collaboration and communication between scientists, chemists, business leaders, politicians and common man. Designing different components and techniques requires lot of technicality and it can only be possible if there is an effective bonding between different branches of science. To implement green chemistry rules the market requires the inclusion of both the expertise and nontechnical manpower. Effective communication between different stakeholders is another criterion for the successful implementation of green technology as they use different technical terms and have different vested interests. However collaboration can be promoted with the creation of interdisciplinary research centers, which promotes fused action by including all the stake holders. The research centers can provide a common platform to discuss and identify key issues regarding the components of green chemistry. The components of green chemistry are actually the fusion of all the branches of science and hence constructive collaboration is needed among all these branches.

### **CONCLUSION**

Green chemistry is a tool which is being used to create a better, safer and efficient environment by minimizing the wastes and reducing the hazardous materials and chemicals. The future challenges in society, environment and resources needs the efficient and clean chemical process which can only be attained by the means of the green chemistry. It is a new smarter approach which can contribute towards the sustainable development of the society and the nation. The green chemistry rules are applied not only in synthesis, processing and manufacturing but are equally important in nano, pharma, health and energy industries. The application of sample preparation

techniques like SPME, SPE, ASE, etc., allows obtaining precise and accurate results. Green efforts are under going across the globe to design processes that initiates from non-polluting materials and requires no solvent to carry out the chemical reactions. Adoption of environmentally benign methods, new programs, government participation and funds are the important factors to replace the conventional methods by more greener and safer methods that form the basis of green chemistry.

### ACKNOWLEDGEMENT

The authors are grateful to the Principal, St. Andrew's College, Gorakhpur and the Head, Department of Chemistry, DDU Gorakhpur University, Gorakhpur for encouragement. Thanks are also due to Professor Athar Adil Hashmi, Department of Chemistry, Jamia Millia Islamia, New Delhi, for valuable discussion and help in library facility of Jamia Millia Islamia during preparation of this manuscript.

### References:

1. G.Peng ; L. Weinun ,(2011) . *Green chemistry and sustainable development*.
2. L.Singh ; S. Ravichandran, (2014) *Green chemistry: The Future Pillars*.
3. J.H.Clark ; Macquarie, (2008) *Handbook of green chemistry and Technology*. John Wiley and Son's.
4. P.T.Anastas ; J. C. Warner, (1998) *Green chemistry. Theory and Practices*. Oxford University Press.
5. M.Lancaster;(2002) *Green chemistry: An introductory text*. Royal Society of Chemistry, Cambridge.
6. J.Haach, (2011) *Greener Education Materials for Chemists*. <http://greenchem.edu/gems.html>
7. A.Cannon,(2011) *Beyond Benign Foundation*. <http://www.beyondbenign.oeg/>
8. Green Center Canada, (2012) ; <http://www.greencentercanada.com>
9. J.H.Clark, (1998) *Green chemistry : Challenges and Opportunities*
10. World Commission on the Environment and Development (WCED). (1997), *Our common future*. Oxford University Press.
11. M.Merrill ; K. Parent, (2003). *Green chemistry. Stopping Pollution before it starts*.
12. D.L.Hjerson ; D. L. Scott, (2000) *Green chemistry and Education*. *J. Chem. Edu.*



# The Concept of Liberation in Advaita Vedanta

**Mahesh sharan\***

The Concept of universal unity behind the multiplicity of the phenomenal world can be traced back to the Rg-Veda<sup>1</sup> and in the upanisadas.<sup>2</sup> The concept of Brahma (neuter) is used along with Brahma (masculine) to indicate the first principle from which everything comes out. The upanisads in many ways out. The Upanisads in many ways attempt to explain and illustrate how the plurality of the world comes into existence.<sup>3</sup> The ultimate fact found in the Upanisadic scheme of things is that “The individual as well as the world is the manifestation of the same Reality and both are therefore at bottom one”.<sup>4</sup> That is to say, the source of the universe is nothing but the supreme Spirit called Brahman or Atman which is “the one non-dual Reality that appears as manifold world and as the plurality of individual souls”.<sup>5</sup> Whether the universe is conceived as an emanation of, or an appearance of, Brahman, is a matter of different approaches but it is clear that Brahman acts as the ground of this phenomenon. We are, however, led by the Upanisadic method of synthesis to visualising the unity behind the plurality of things. The unified approach worked out by the Upanisads is logically bound to result in the Advaitic position. As Professor Mahadevan observes, “It is through this method that the Advaitins reach the non-dual Absolute which can be characterized neither as objective nor as subjective”.<sup>6</sup> Therefore, we find that in spite of the texts describing the creation-theory the fundamental tenet is to point to the Reality as undifferentiated.<sup>7</sup>

Accordingly, the entire system of Advaita Vedanta may be summarized thus: Brahman is the only Reality; the world is ultimately false; and the individual soul is non-different from Brahman.<sup>8</sup> This implies that there is no other reality than Brahman which is the sole Reality, the Absolute, and yet appears both as the objective universe and as the individual subjects. But, while the former is an illusory appearance of Brahman, the latter is

---

\*National Fellow, Indian council of Historical Research (ICHR), New Delhi

Brahman itself appearing under limiting conditions.<sup>9</sup> Brahman in this sense is the original form of the individual soul or jiva. As Ninian Smart puts it, If you look in an ‘outward’ direction, you can conceive the power as pure being underlying appearance; if you look inward’, you can conceive it as the Self underlying ordinary psychological states.<sup>10</sup>

Therefore, Sankara in his commentary on the Brahma-sutra says that the difference of the individual self and the highest Self is not real; it appears otherwise because of the limiting adjuncts, the products of name and form through nescience. He cites the textual passages, for instance, Being only, my dear, this was in the beginning, one without a second (Chan Up., VI. ii, 1): The Self is all this’ (ibid., VII, xxv, 2); ‘Brahman alone is all this (Mun Up., II, ii, 11); ‘This everything is that Self’ (Br. Up., II, IV, 6)<sup>11</sup>

It will be seen that Brahman (or Atman)<sup>12</sup> is the ground or basis the plurality of the world, just as a rope is the ground or basis of an illusory snake. This is very important as much for Kant as for Sankara.<sup>13</sup> It is argued that if the world is groundless and rooted in non-being, then we can reject all reality, even that of Brahman; so we have to accept Brahman as the world-ground, for “not even the mirage can exist without a basis.”<sup>14</sup> This situation takes place in the same manner as the mixing up of truth and error or of the real and the unreal, significantly called superimposition (adhyasa), or illusion (maya) or ignorance (avidya).<sup>15</sup> Sankara explains the situation thus, “That which is supremely real is non- duality, through Maya, it appears as diverse, even as the plurality of moons on account of defective eye-sight, or the rope appearing differently as snakes, water-streak, etc., and not in reality, for the Self is partless.”<sup>16</sup> This points to the fact that we under the influence of Maya or Avidya perceive Brahman, the non-dual Reality, as the world and its existence. As such, the world, the experience of duality, is a product of ignorance, Avidya, which is the material cause of this illusion.<sup>17</sup> Generally speaking, Maya and Avidya are synonymously employed to denote two aspects, viz., concealment (avarana) and projection (viksepa). The former is to conceal Reality and act as a screen to hide it, whereas the latter is to project the world of plurality on Brahman-ground. But, for a more definite meaning, “avidya is the adjunct of the individual soul, whereas maya is

the adjunct of Isvara".<sup>18</sup> That is, Brahman reflected in or conditioned by Maya is God and Brahman by Avidya is the individual soul. The supreme Self, therefore, appears limited and many, and thereby the process of Samsara is created. Like a snake-rope relationship, the world is not identical with, or the same as Brahman. But it is real in so far as we are under the sway of ignorance, just like a dream being real while we are dreaming. The world is found to be illusory as soon as the knowledge of the non-dual Reality is realised. In this - way, such a nature is called 'anirvacaniya', the indeterminable.<sup>19</sup>

Just as, the snake in the illusion leaves the rope untouched, so also does the illusory world leave Brahman untouched. As we have seen, Brahman is the ground for the phenomenon which depends on this Absolute entirely for its existence, it exists in its own right since eternity. The nature of Brahman is described by the Upanisadic texts in a number of illustration and expression such as the principle underlying all things, the inner ruler (Br. Up., III, xi, 1); that out of which all beings come and to which they return (Chan. Up., I, ix, 1; Tait. Up., III, i, 1); reality, consciousness and infinitude (ibid., II, i, 1).

In short, there are two kinds of definitions regarding Brahman or Atman: essence and accidents. It is, however, generally admitted that the Upanisadic declarations such as "satyam jnanam anantam Brahma, anando Brahmeti ayajanat vijnanam anandan Brahma"<sup>20</sup> state up the essential definition of Brahman. Hence, it is stated: "As light is the nature of the sun, coolness of water, and heat of fire, so is existence-consciousness-bliss-eternity-purity of the Self."<sup>21</sup> Professor Mahadevan explains in this connection as follows: One's own nature cannot be altered. Anything seen as changeable is definitely not the nature of that thing. So, we cannot think of the sun without light, or of water without coolness. And if we perceive it otherwise, it only means that such a nature has been overpowered for a particular period of time. Therefore, existence-consciousness-bliss is the nature of Brahman, which is timeless, ever pure, self-luminous and blissful.<sup>22</sup>

Since Sat (Existence), Cit (Consciousness) and Ananda (Bliss) constitute the nature of Brahman, their significance can briefly be pointed out here. Existence is the



basic fact of reality and there is no non-existent reality. It is called pure existence because it is beyond the measure of time.<sup>23</sup> So it is stated that in the beginning Sat (Existence) alone existed, one only, without a second.<sup>24</sup> And the word 'akra' (in the beginning) refers to the time prior to the birth of the universe.<sup>25</sup> And thus the Reality is always there since eternity. The Real is, therefore, eternal; it never ceases to be and thereby remains uncontradicted at all times.<sup>26</sup> Brahman as consciousness means that it is self-effulgent, and is never changed through different states of experience.<sup>27</sup> It is the unitary principle that witnesses and connects all presentations. It is the principle of identity by which every knowledge situation is made possible. Therefore, the texts say, "Brahman is consciousness (prajana) (Ait. Up., III, 1, 3): Here this self is self-luminous" (Brh. Up., IV, iii, 3). Finally, Brahman as Bliss implies that it is the centre of supreme bliss for which everyone strives. It is well-known that the worldly pleasures are transitory and limited. As Brahman being non-dual and infinite, it is alone bliss (Chand. Up., VII, xxiii, 1). It is the culminating point of all activities of life, the seat of love, and the plenary value. Now, it should be emphasised that these aspects are not predicates but the real or intrinsic nature of Brahman (svarupa-laksana).

But, ultimately speaking, Brahman, as the non-dual reality, cannot be defined in terms of any category or expression. This is because it is the whole, the plenary reality, the totality of things, the All. Our intellectual capacity is restricted and limited to the duality of experience and thus cannot grasp the real nature of the Absolute, which is transcendent. Therefore, we find that Yajnavalkya is cautious enough in speaking about it positively, and the best way, he suggests, is a negative approach.<sup>28</sup> Sankara himself reports in his commentary on the Brahma-sutra (III, 2, 17) about the definition of Brahman in the language of silence. Here is called Nirguna Brahman, the Attributeless Brahman. "Attributeless", says Sankara, "actionless, eternal, underermined, unsullied, changeless, formless, I am eternally released, pure".<sup>29</sup> But this does not mean that Brahman is an abyss of nothingness, it is simply because Brahman is the All, and to bring it to the categories of thought is to condition-it. Nevertheless, according to Advaita Vedanta, there are two standpoints in looking at this non-dual Reality, viz., the Absolute (paramarthika) and the relative (vyavaharika). The former is that the Absolute is indescribable, the latter is the same Reality viewed

from our standpoint, and is called God. In other words, Brahman conditioned by Maya is called God or Saguna Brahman, Brahman with attributes.<sup>30</sup>

(b) The Concept of Liberation (Mukti)

We have seen that the individual soul or the jiva is in essence the same as the non-dual Reality or Brahman, but on account of Avidya or nescience the individual soul identifies itself with the limiting adjuncts of body, senses, mind, etc. It harbours the false notion of the 'I' and the 'Mine' arising from the contact of the senses and the external world, and thus is subject to the bondage in Samsara. All these are the result of the superimposition of the unreal on the real; it is the Self being superimposed by the non-Self. The analogy of ether given by Sankara<sup>31</sup> is a clear picture of this situation. The supreme Self is all-pervading like ether. It appears to be souls just as ether is limited by adjuncts like pots, etc. The ether inside pots, etc., and the ether outside them are the same. As soon as the adjuncts are removed, there is only one ether. Similarly, the individual soul and Brahman are the same when Maya or Avidya is removed. The bondage of the individual soul, therefore, lies in its own ignorance and has nothing to do with the outside world.

In this manner, liberation or release (moksa) is the eternal nature of the soul and it is a matter of self-realisation. It is not the realization of something de novo; it is rather a discovery of the fact which has been present since eternity. To illustrate the fact, Sankara<sup>32</sup> employs a parable. A prince is brought up by a hunter since his birth. As soon as he is told about his identity, his royal status, his status as a hunter falls off. But here he does not really get any new status. Likewise, a man attaining liberation with the dawn of right knowledge simply re-discovers his true nature, realising his Brahmanhood.

Liberation is then achieved not by a change of anything in the world, but by the disappearance of ignorance, a false outlook. That is the change brought about here is only epistemic and not ontological.<sup>33</sup> Besides, it is very significant to note that the knowledge of Brahman is not dependent on any human activity for Brahman is eternally existent.<sup>34</sup> It is the nature of knowledge itself which is not an act of the mind even in

the sphere of empirical objects, much less, in the matter of Self-awareness which is the total or plenary experience.<sup>35</sup>

The meaning of liberation or Moksa given by Sankara is as follows: “That which is absolutely real, immutable, eternal, all penetrating like akasa, exempt from all change, ever-satisfied, impartite, self-luminous, in which neither good nor evil nor effect, nor past nor present nor future has any place—this incorporeal state is called liberation.”<sup>36</sup> Again, it is stated: “Being Brahman, is release... Release is of the nature of Brahman to which no addition is possible... Release is of the nature of Brahman which is eternal and pure.<sup>37</sup> Now, it is not difficult to see that to realise Moksa is to become Brahman itself, which is described as something beyond space and time as well as causality. It is the Absolute Transcending all and yet immanent in all. In short, it is not the matter of knowing the Absolute but being it.<sup>38</sup>

In spite of the fact that we cannot form an idea of the Absolute,<sup>39</sup> for there is nothing in the space-time world resembling it, the expression in words is useful for a practical purpose; it, at least, would indicate the direction, or give suggestive definition. Thus, we find in the Atma-Bodh verses 54-64 dealing with the nature of Brahman. It can be summarised thus: The realization of Brahman is the highest gain because it is everlasting and unexcellable bliss. The experience of Brahman is the absolute fulfilment and satisfaction of all. Brahman is everything and everything is Brahman whose nature is existence-consciousness-bliss; it is endless, eternal, non-dual, all-pervading, self-luminous and illuminating the entire universe. It can be indicated through a set of negations. It is the ground of the world

As we have said, bondage is the result of ignorance there is no other means than knowledge to counteract this situation for reaching the goal. And when the goal is reached, it is revealed that the highest knowledge is moksa or liberation itself, as is pointed out: “When the Self, which is devoid of adjuncts, is one, it is not possible for it to be known either by itself or by something else. Because it is of the nature of knowledge, it is not possible that it is expectant of some other knowledge, even as light is not dependent on another light.<sup>40</sup> It is through this knowledge that the wheel of birth and death is made to

stop. Shaking off all sin, one is firmly established in the supreme Brahman, the nature of unending happiness.<sup>41</sup>

Accordingly, the possibility of the Jivan-mukta or a living saint, who is the counterpart of an arahant in Buddhism, is a fact.<sup>42</sup> It is true that the true knowledge destroys Avidya which is the material cause of all karma and renders it all ineffective, i.e., the stoppage of future reproduction. But since the present body is the result of Prarabdha- karma (the past karma giving rise to the present embodiment), it continues till this karma is exhausted. The analogy is the same as we have pointed to the fact of the arahantship.<sup>43</sup> The Jivan-mukta is an ideal man in the world. He is the same as Sathitaprajna in the Gita who continues to work for the welfare and happiness of people, though in a perfectly disinterested manner. In short, he lives in the world, but he is not of it.<sup>44</sup>

Again, it will be interesting to emphasize that the realization of Atman-Brahman is a universalisation of consciousness of identity, a perception of all things as Brahman.<sup>45</sup> It is not the annihilation of the objective world of plurality and multiplicity. Otherwise, it would have been destroyed completely as soon as the first man realises his Moksa. It is rather the case of translating, by means of Vidya, the whole universe into Brahman.<sup>46</sup> It is the realisation of the unity about things, the Self of all (sarvatmabhava), so that the plenary experience: "I am the world-all"<sup>47</sup> is attained.

Now, regarding the status of the Jivan- mukta after the fall of the body, which is traditionally known as Videha-nukti, this seems to create no problem as liberation has nothing to do with the body. Since the liberated one is one and the same as the Absolute, Brahman, which cannot be described in any category, it stands to reason that, from the standpoint of the undelivered Jivas, he is God par excellence.<sup>48</sup>

To sum up: Liberation in Advaita Vedanta is the realisation of the fact that the individual soul is none other than Brahman, the non-dual Reality or the undifferentiated Consciousness. It is thus a matter of Self-realisation. It is not the attainment of a new thing; it is a re-discovery of what is eternally existent. Moksa is, in this respect, affected epistemically and not ontologically. At the dawn of true knowledge Maya or Avidya is totally removed; and the knowledge as much is Moksa itself. The essence of the Absolute

is. Existence-Consciousness-Bliss, although in the ultimate sense the Absolute cannot be predicated.

**References:**

1. Rg-Veda, 1, 164, 46: Ekam sad viprabahuda vadanti again vamam matarisvamamahuti.
2. Mun, Up. 1, i, 1: Svet. Up. VI, 18.
3. e.g., Chan. Up., VI, ii, 1-VI, vii, 7; Bs. Up., 1, iv, 1-1, iv7; cf, Rg-Veda, X, 90, 2 : Purusa evedam sarvam.
4. M. Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, op. cit., p., 57.
5. T.M.P. Mahadevan, Upanisads, (Arnold-Heinemann, New Delhi, 1975), p. 17.
6. T.M.P. Mahadevan, The Philosophy of Advaita, (Ganesh & Co., Madras Private Ltd., Madras, Reprint 1969), p. 114.
7. Vide T.M.P. Mahadevan, Gauapada : A Study in Early Advaita, (University of Madras, Madras, Reprint 1975), p. 119.
8. Brahma satyam jagan mithya jivo brahaiva napaarah.
9. Vide M. Hiriyanna, The Essential of Indian Philosophy, op. cit., p. 158.
10. Ninian Smart, Doctrine and Argument in Indian Philosophy, (George Allen and Unwin, Ltd., London, 1964), p. 99.
11. Vide Ed. Sarvepalli Radhakrishnan and Charless A. Moore, A Source Book in Indian Philosophy, (Princeton University Press, Frinceton, 1957), p. 520: BSB., I, iv, 22.
12. These two terms are used as synonyms in the Upanisads (e.g., Chan.Up., V. xi, 1) with reference to the same Reality, though primarily Brahman implies the ground of the universe and Atman signifies the soul or self of man.
13. It is interesting to note, as Prof. Devaraja observes, that unlike Sankara's concept of the relationship between Reality and Appearance, Which is clear-cut, in Nagarjuna the relationship between the two is of no counterpart. Vide N.K. Devaraja, An Introduction to Sankara's Theory of Knowledge, (Motilal Banarsidass, Delhi, 1962), p. 18.
14. Vide Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. II, op. cit., p. 583; BGB., xiii 14.
15. Chandradhar Sharma, A Critical Survey, etc., op. cit., p. 275.
16. MKB. ii, 19.
17. P.K. Sundaram, Advaita Epistemology, (University of Madras, Madras, 1968), p. 188.
18. T.M.P. Mahadevan, Self-knowledge (Atma-bodha) of Sri Sankarâcarya, (Arnold Heinemann, New Delhi, 1975), p. 24.

19. Ista - Siddhi, p. 36. Maya hyanubhuteh prthaktvaprihaktvabhyam anirvacaniya.
20. A.G. Krishna Warriar, The Concept of Mukti in Advaita Vedanta, op. cit., p. 216.
21. AB, Verse 24: Prakaso'rkasya toyasya saityam agner-yathosanta Pravnavah saccidananda-nitya-nirmalatatmanah.
22. T.M.P. Mahadevan, Self-Knowledge (Atma-Bodha) op., cit., pp. 38–39.
23. T.M.P. Mahadevan, The Pancadasi of Bharatitirtha-Vidyaranya: A Interpretative Exposition, (Centre of Advanced Study in Philosophy, University of Madras, Madras, 1969), p.4.
24. Chan. Up., VI, ii, 1.
- 25/ Dr. Sir Ganganatha Jha, The Chandogyopanisad (A Treatise on Vedanta Philosophy translated into English with the Commentary of Sarkara, (Oriental Book Agency, Poona, 1942), p. 296.
26. BGB., II, 16: cf. Bradley: "Ultimate reality is such that it does not contradict itself," (Appearance and Reality, George Allen & Co., Ltd., London, 1908, p. 136).
27. Cf. Prof. Mahadevan : "If it were one conscicuszess that were awake and another that dreams, isa there would be no case of identity at alp". (Pancadasi, etc., op. cit., p.4.)
28. Vide Br. Up., II, iii, 6; III, viii, 8; III, vi,i. In this respect, silence is the best description.
29. AB. verse 34: *Nirguno niskriyo nityo nirvikalp niranjanah, Nirvikaro nirakaro nitymukto smi nirmalah.*
30. From what we have said at the beginning about this phenomenon, we can have a diagram as follows:
  - (i) Brahman + Maya = Isvara,
  - (ii) Isvara + Avidya = Jiva.
31. Vide BSB., II, i, 14; MKB., iii, 3; AB., verse 10.
32. BUB., II, i, 20.
33. Ashokh Kumar Lad, A Comparative Study of the Concept of Liberation in Indian Philosophy, op. cit., p. 115.
34. Vide BSB., I, i, 1.
35. Prof. Mahadevan says, "In othe matter of perceiving a green parrot perching on a tree, for example, the perceiver has no option. He cannot 'will' to perceive it as a leaf. Knowledge must conform to the object." Vide Dr. T.M.P. Mahadevan, The Insight of Advaita, (Prasaranga, University of Mysore, Mysore, 1970), p. 72.
36. BSB., I, 1,4: Idam tu paramarthikam, kutastham, nityam, vyomavat sarvavyapi, sarvavikriyarahitam, nityatrptam niravayavam svayamjyotissvabhavam, yatra dharmadharmau sahakaryana kalatrayam ca nopavariate tad usariram moksakhyam.

37. Ibid., Brahmavasca moksha... anadhyatisayasvarupatvanmoksasya nityasuddhabuddhamuktasparupatvat moksasya.
38. P.K. Sundaram Advaita Epistemology, op.cit., p. 184; BSB., 1, i, 2.
39. Cf. KUPB., ii, 1, where it is stated that Brahman cannot be easily known.
40. KUPB., ii, 4.
41. Vide KUVB. IV., 9.
42. The evidence of Jivan-mukti can be found in the texts like Br.Upi, (IV, iv, 7; IV, iv, 25) and others. Prof. Suryanarayana Sastri observes that “— for those who believe in release through the dawn of wisdom and the annulment of nescience jivanmukti is the one and only legitimate concept. Vide Ed., Dr. T.M.P. Mahadevan, Collected Papers of Professor S.S. Suryanarayana Sastri, (University of Madras, Madras, 1961), p. 244.
43. Vide infra.
44. T.M.P. Mahadevan, The Philosophy of Advaita, op. cit., p. 285.
45. A.G. Krishna Warriar, The Concept of Mukti in Advaita Vedanta, op. cit., p. 472.
46. Vide ibid., p. 473.
47. Br. Up., IV, iii, 20: Ahameveday sarvo smitimanyate. Cf. Dr. Paul Deussen, The System of the Vedanta. (trans., by Charle Johnson), (Motilal Banarsidass, Delhi, Reprint 1972) p. 194.
48. Vide A.G. Krishna Warriar, The Concept of Mukti in Advaita Vedanta, op. cit., pp. 506-507



# Availability of Road Service in Uttar Pradesh with Special Reference to Gorakhpur District

Dr. Manjeshwar\*

---

**Abstract:** This research paper is related to availability of road service in Gorakhpur district. Road service is an important public service provided by government for the betterment of transport in the Gorakhpur district. The availability of road service has been measured with the help of six independent variables (gender, habitat, religion, caste, literacy and occupation) in respect with availability of road services. In this regard, this research paper deals with introduction, review of literature, aim of the study, methodology, analysis of the study and conclusion.

**Keywords:** Gender, Habitat, Religion, Caste, Literacy, Occupation, Quality and Public services.

---

## Introduction

Uttar Pradesh is the most populous state in India. According to census 2011, Uttar Pradesh has population of 19.98 crores with male and female are 104,480,510 and 95,331,831 respectively. In 2001, total population was 166,197,921 in which male were 87,565,369 and female were 78,632,552. The growth of total population in this decade was 20.23%, while in the previous decade it was 25.80 %

Out of the total Gorakhpur population for 2011 census, 18.83 per cent lives in urban region of district. In total 836,129 people lives in urban area of

which males are 439,051 and females are 397,078. Sex ratio in urban region of Gorakhpur district is 904 as per 2011 census data. As per 2011 census, 81.17 per cent population of Gorakhpur district lives in rural areas of villages. The total Gorakhpur district population living in rural areas is 3,604,766 of which males and females are 1,838,726 and 1,766,040 respectively. The sex ratio of rural areas of Gorakhpur district is 960 while average sex ratio of Gorakhpur district is 950. Thus for every 1000 men there were 950

---

\*Assistant Professor, Dept. of Economics, Maharana Pratap Degree College Jungle Dhusan, Gorakhpur.



females in Gorakhpur district. Also as per census 2011, the Child Sex Ratio was 909 which is less than Average Sex Ratio 950 of Gorakhpur district.

Here, public services means, those services is provided by government for their citizen is known as public services. These services are generally available free for all. One of the important issued that quality of public services are not satisfactorily. There will be difference of quality in between public and private services. Now a days, government responsibility is to full fill the demand of public services. Therefore, availability of public services is affect by supply of public services. Quality and quantity of public services was measured by many of the researchers in their research work. The responsibility of state government is to maintain the level of supply of public services as well as their quality. Public services are not properly available in East U.P. as compared to West in the proportion of population density. Therefore, we can say that implementation of government policy is not properly effective. Gorakhpur district is select for our research work because the supplies of public services are not sufficiently provided to the district levels as well as their populations. Many of the public services are not equally distributed in rural and urban area of district. Therefore, it is important to measure the availability level of public services.

### **Review of Literature:**

There are some studies conducted by researcher to analyse the status of employment service in different states of India. **Kadam B. S. (2012)** highlighted the work life of the women bus conductors. Accordingly, more than 50 percent women bus conductors accepted that they were able to balance personal and work life. He resulted that work life balance is joint responsibility of employees and employers.

**V. Vijay and Durga Prasad (2011)** reported the existing amenities provided by APSRTC to passengers. In this study, passengers' views and opinions about various facilities provided to them by APSRTC are carefully studied and analysed. The satisfaction level of the passengers about these amenities is also measure by the researcher. According to findings passengers are not satisfied with the amenities provided by APSRTC to them.

**Mane K. H. (2010)** concentrated on the reason for dissatisfaction of passengers in the service of MSRTC. He observed that majority of passengers were not satisfied

with hygienic conditions especially in Kalyan and Bhivandi stations. Seventy-seven percent passengers were not satisfied with drinking water facility. However, seventy-one percent passengers were not satisfied with the behaviours of bus drivers and conductors and sixty-three percent passengers were not satisfied with the waiting hall and canteen facilities, the maintenance of buses and seating arrangements.

**Jadav Chandra and Amar (2010)** study the pricing practices and operations of the Gujarat State Road Transport Corporation. They also studied operational scenario of the GSTRC. The study was observed that the corporation needs to reorient the policy of functional management with a better marketing.

**Swaroop Anand B. (1996)** attempted to the transport services of State Road Transport Undertakings from the marketing perspective. This study commented the majority of Road Transport Undertakings failed to know the pulse of the customers. However, suggested that customer centric and customer oriented marketing policies is important for present generation.

#### **Aim of the Study:**

The research is based on the availability of road services in rural and urban area of Gorakhpur district of Uttar Pradesh. It concerned with quantitative data analysis on the basis of primary data with the help of research schedule. The objectives of the study are to analyse how government developed the commitment to providing basic public services. To examine the availability of road service we have collect 285 respondents from rural-urban area in Gorakhpur district of Uttar Pradesh.

#### **Research Methodology:**

The present study was conducted to investigate the effect of gender, habitat and religion, caste, literacy and occupation on availability of road service of Gorakhpur district. The study was conducted in a 2×2×2 factorial design with two types of gender (male and female), two types of habitat (rural and urban), two types of religion (Hindu and minority), three types of caste (general, OBC and SC/ST), four types of literacy (illiterate, literate, inter pass and graduate) and four types of occupation (agriculture base, labour, businessman and job oriented). The data collected in the form of interview schedule answered by the respondents from rural, urban area of

Gorakhpur district. The information collected was processed and tabulated suitably by highlighting all the parameters. The theoretical information was converted in numbers by ranking the Likert scales. Analyzing the data with the help of statistical tools like factor analysis, F test, ANOVAs, mean, standard deviation, correlation statistics were used with the help of M.S.Excel, and SPSS. For the presentation of the data, tables, charts, bar diagrams are used.

### **Analysis of the Study:**

In order to carry out our research paper to analyse the availability of road service in rural and urban area of Gorakhpur district of Uttar Pradesh on the basis of independent variable like gender, habitat and religion, caste, literacy and occupation are discussed in detailed.


Today, road service is a one of the most burning issue of the central and state government; whereas, Uttar Pradesh government is lousy in availability of road service in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. However, with the help of both central and state government number of the most road services is running for better transport service in rural and urban area both. Availability of road service is not adequate for absorb the total transport service of population in Uttar Pradesh. In this way, Gorakhpur is a backward district of Uttar Pradesh in better road service. Whereas, availability of road service of Gorakhpur district is not fairly, as well as corruption rooted in every working level. Therefore, it is important to evaluate the availability level of road service of Gorakhpur district.

### **Gender and Road Service:**

Availability of public services has been affected by gender in Gorakhpur district, because of that Gorakhpur is a high population density area. Here, the total area of Gorakhpur district is 3,321 km<sup>2</sup>. Therefore, density of Gorakhpur district is 1,337 people per square kilometre. As per the data of Census 2011, around 215 sq. km. area is under urban region, while 3,106 sq. km. is under rural region of Gorakhpur district; where, Sex Ratio of Gorakhpur district is 950. Thus, for every 1000 men, there are 950 females in Gorakhpur district. Also as per Census 2011, the Child Sex ratio is 909, which is less than average sex ratio (950) of Gorakhpur district. In 2011 Gorakhpur had population of 4,440,895 with male and female are 2,277,777 and 2,163,118 respectively. In 2001 census, Gorakhpur had a population of 3,769,456 with males are 1,923,197 and remaining 1,846,259 are females.

Road service is also one of the important key to develop a nation. Availability of road service is scare in India as well as in Uttar Pradesh. Therefore, availability of proper road service is basic needs for the development of the state. Here, we have tried to evaluate the status of the availability and maintenance of road service in Gorakhpur district:

Forty-two percent of male and female both respondents have accepted that there are available concrete roads from their villages to the cross roads. 33% of male and 34% of female respondents said that there are concrete roads in their villages. But 69% of male and 71% female respondents have accepted that roads are also scattered. Some roads are unhealed in the Gorakhpur district. There are lacks of drainage systems in the Gorakhpur. Roads are not repaired from time to time. In rainy season, problems of water logging are confirmed by respondents. Information about the breakdown of roads is given to proper authorities but they rarely take actions against in this matter. In Gorakhpur district, there are no sufficient roads for the people and most of the people are not satisfied with the availability of roads.




**Figure- 01: Availability of Road Service under condition of Gender**

Figure 01 shows the availability of road service in Gorakhpur district. It shows that 50% of male and 48% of female respondents have accepted road service availability in the district.

### Habitat and Road Services:

Availability of public services is diversified between rural-urban areas of Gorakhpur district. It is not equally available in the both area of the district; however, as per the Census 2011 out of total population of Gorakhpur, 18.83% people lived in urban and 81.17% in rural areas. Urban population was 836,129 while 439,051 were males and 397,078 were females. In rural areas of Gorakhpur district, male population was 1,838,726 and female population was 1,766,040. Here, we have measured the availability of public services on the basis of rural, urban population:

Concerning the availability of roads, 21% of rural and 87% of urban respondents have accepted that there are concrete roads from their villages to the cross roads. 13% of rural and 82% of urban respondents said that there are concrete roads in their villages. 62% of rural and 73% of urban respondents have accepted that roads are breakdown in their village or wards. There are no properly drainage systems in the villages. But in urban sector, drainages system is found properly. Roads are not repaired from time to time. In rainy season, water logging on the roads is confirmed by respondents. Information about the breakdown of roads is given to proper authorities but they rarely take actions against this matter. In both the sectors, there are no sufficient roads for the people and most of the people are not satisfied with the availability of roads.




**Figure- 02: Availability of Road service under condition of Habitat**

Figure 02 shows 43% of rural and 63% of urban respondents have accepted the availability of road service in the Gorakhpur district.

**Religion and Road Services:**

As per official census 2011, Hindu was majority in Gorakhpur district. Total population of Gorakhpur district was 4,440,895 as per census 2011. Hinduism constitutes 90.28% of Gorakhpur population. Whereas, 9.09% of Islam and 0.63% of other religion. Here, measure the availability of public services on the basis of religion:

According to our first interview schedule 64% of Hindu, 62% of Muslims, 70% of Christian and 63% of other religion respondents have accepted that there are concrete roads from their villages to the cross roads. 39% of Hindu, 42% of Muslims, 51% of Christian respondents and 30% of other religion respondents said that there are concrete roads in their villages but breaks roads are also available in the Gorakhpur district is accepted by 43% of Hindu, 62% of Muslims, 66% of Christian and 45% other religion respondents. Some roads are unhealed in the Gorakhpur district. There are lacks of drainage systems in the Gorakhpur. Roads are not repaired from time to time. In rainy season having water logging is confirmed by respondents. Information about the breakdown of roads is given to proper authorities but they rarely take actions in this matter. In Gorakhpur district there are no sufficient roads for the people and most of the people are not satisfied with the availability of roads.




**Figure- 03: Availability of Road Service under condition of Religion.**

On the basis of above discussion, it is clear that only 48% of Hindu, 47% of Muslim, 56% of Christian and 48% of other religion has accepted availability of road service in the Gorakhpur district (figure 03).

### Caste and Road Services:

Availability of public services has also affected by caste in Gorakhpur district. Out of 79% general and OBC caste, 21% schedule caste and 0.4% are schedule tribes in Gorakhpur district. Child (aged under 6 years) population of Gorakhpur district is 14%, among them 52% are boys and 48% are girls. There are 6.9 lakh households in the district; however, an average 6 persons live in every family.

Fifty-Nine Percent of general, 55% of OBC and 58% of SC/ST respondents have accepted that there are concrete roads from their villages to the cross roads and 32% of general, 40% of OBC respondents and 37% of other religion respondents told that there were concrete roads in their villages. Some roads are unhealed in the Gorakhpur district. There is lack of drainage systems in the Gorakhpur, roads are not repaired time to time. In Gorakhpur district there are no sufficient roads for the people and most of the people are not satisfied with the availability of roads.




**Figure- 04: Availability of Road Service under condition of Caste.**

With the help of figure 04, we have concluded that only 55% of general, 54% of OBC and 50% of SC/ST respondents have accepted the availability of road service in the Gorakhpur district

**Literacy and Road Services:**

Availability of public services is affected by literacy. However, total literacy level in the Gorakhpur district is **70.83%** in 2011 which is greater than average literacy rate 67.68% of Uttar Pradesh, male literacy rate is 81.8% and the female literacy rate is 59.36% in the district. Availability of public services is measured below on the basis of literacy in Gorakhpur district:

Thirty-eight percent of illiterate, 45% of literate, 40% of inter pass and 42% of graduate respondents have accepted that there are concrete roads from their villages to the cross roads and 28% of illiterate, 30% of literate, 33% of inter pass respondents and 28% of graduate respondents said that there are concrete roads in their villages. But break roads are also available in the Gorakhpur district is accepted by 65% of illiterate, 70% of literate, 80% of inter pass and 72% of graduate respondents. Some roads are unhealed in the Gorakhpur district. There are lacks of drainage systems in the Gorakhpur. Roads are not repaired from time to time. In rainy season water logging is confirmed by respondents. Information about the breakdown of roads is given to proper authorities but they rarely take due actions in this matter. In Gorakhpur district there are no sufficient roads for the people and most of the people are not satisfied with the availability of roads.



**Figure- 05: Availability of Employment Service under condition of Literacy.**

Figure 05 denotes that availability of road service in Gorakhpur district under the condition of literacy. It denotes that 51% of illiterate, 49% of literate 55% of inter



pass and 53% of graduate respondents have accepted that there are availability of road service in the district but they are insufficient.

### Occupation and Road Services:

Gorakhpur is highly populated district of eastern Uttar Pradesh; therefore, employment is a major problem of the district. Here, in the Gorakhpur district, according to census 2011, out of total population, 1,351,629 are engaged in economic activity. 55.2% of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) and 44.8% are involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Out of total 1,351,629 workers engaged in Main Work, 174,804 are cultivators (owner or co-owner) and 163,544 is Agricultural labourer. So, it is important to measure the effect of occupation level on public services.

In this context, 46% of agricultural base, 42% of labour, 38% of business base and 40 % of job oriented respondents have accepted that there are concrete roads from their villages to the cross roads and 39% of agricultural base, 35% of labour, 40% of business base respondents and 28% of job oriented respondents told that there were concrete roads in their villages. But breaks roads are also available in the Gorakhpur district this fact is accepted by 60% of agricultural base, 80% of labour, 16% of business base and 52% of job oriented respondents. Some roads are unhealed in the Gorakhpur district. There are lacks of drainage systems in the Gorakhpur. Roads are not repaired from time to time. In rainy season water logging is confirmed by respondents. Information about the breakdown of roads is given to proper authorities but they rarely take due actions in this regard. In Gorakhpur district, there are no sufficient roads for the people and most of the people are not satisfied with the availability of roads.




Figure- 06: Availability of Road Service under condition of Occupation.

The figure 06 shows the availability of road service in the Gorakhpur district under the condition of occupation. It presented that 45% of agriculture base, 47% of labour class, 46% of business base and job oriented respondents both are accepted the availability of road service in the district.

### **Conclusion:**

In this chapter all factors in affinity with different variables play a significant role in availability of public services. We have reached the conclusion that demographic and social factors affect the availability of road services in the study area. Similarly, the availability of road services is affected by all the factors. It denotes that only 50% of male and 48% of female respondents agreed with the availability of road services, however 43% of rural and 63% of urban respondents admit to accept the availability of road services in the study area. Availability of road services is studied on religion basis 48% of Hindu, 47% of Muslims, 56 of Christian and 48% of other religious respondents accepted it. Moreover, 55 % of general, 54% of OBC and 50% of SC/ST respondents accord with the availability of road services. Regarding the effect of literacy level, it denoted that 51% of illiterate, 49% of literate, 55% of inter pass and 53% of graduate respondents have accepted the availability of road services in the study area. It is true for availability of the road services in the study area on the basis of occupation reveals that 45% of agriculture base, 46% of labour, 47% of business base and 47% of job oriented respondents are accepted it. At the end of this chapter finally, we are able to say that 46% of all the respondents have accepted the availability of road services in the study area but they are not sufficient supplied by service providers.

### **References**

1. **Naresh C. Saxena (2013)**, Public Service Reforms-Trends, Challenges and Opportunities, Global Center for Public Service Excellence Singapore.
2. **John Tizard (2012)**, The Challenges and Opportunities in Contemporary Public Sector Leadership, International Journal of Leadership in Public Services. Vol. 8 Issue: 4, pp. 182-190.
3. **Kadam B. S. (2012)**, Work Life Balance: Dilemma of Modern Society- A Special Reference to Women Bus Conductors in MSRTC, Zenith International Journal of Business Economics & Management Research, Vol.2, Issue 2, Feb.

4. **V. Vijay and Durga Prasad (2011)**, Passenger Amenities of Andhra Pradesh State Road Transport Corporation (APSRTC), Asian Journal of Business Management Studies 2(2), pp. 76-83.
5. **Mane K. H. (2010)**, Commuters Satisfaction with Reference to Service Provide by MSRTC, International Referred Research Journal, Vol. II, Issue 18, July.
6. **Jadav Chandra and Amar (2010)**, Towards Sustainable Competitions, Indian Economic Review (Special Number) Vol.18.
7. **G.D.Jacobs and C.J.Banguley (2000)**, Towards a strategy for improving Road Safety in Developing Countries, Transport Research Laboratory, U.K.London.
8. **Swaroop Anand B. (1996)**, An Overview of Marketing – Its relevance of STUs, Indian Journal of Transport Management, Vol.20, No.9, September, pp. 551.
9. **Baig Nafees and Dr.Iqbal.B.A. (1990)**, Transport as a Constraint for Agro Industrial Development in U.P, Aligarh Muslim University Publications, Aligarh.
10. **Edwin, Lowe, Nevile Jr. (1959)**, The Development of Transportation in Japan – A case study of Okayama Ham, Ph.D. Thesis, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.



# ON PRODUCT SUMMABILITY METHODS (D, a, β) (C, l, m) OF FUNCTIONS

Dr. Anupama Srivastava\*

---

**ABSTRACT:** Kuttner [2] introduced the summability method  $(D, \hat{a})$  for functions. Pathak [8] defined the summability method  $(D, \hat{a}) (C, l)$  for functions. In this paper  $(D, \hat{a}, \hat{a}) (C, l, m)$  summability for functions are defined and some of their properties are investigated,  $(\hat{a} > 0, \hat{a} > -1, l > 0$  and  $m > -1)$ .

---

**Key-words:** Product summability,  $(D, \hat{a}, \hat{a}) (C, l, m)$  summability method, Lebesgue integral.

## INTRODUCTION

Ishiguro [1] introduced the summability method  $(D, \hat{a})$  for sequences, and raised the question, what are the main properties of  $(D, \hat{a})$ ? In [2] Kuttner dealt with this problem. Further Kuttner [2] introduced the summability method  $(D, \hat{a})$  for functions. The definition of the product summability method  $(D, \hat{a}) (C, l)$  for function given by Pathak [8]. In [3], Kwee introduced a summability method  $(D, \hat{a}, \hat{a})$  for series and functions by generalizing the  $(D, \hat{a})$  summability method. Mishra and Srivastava [4], introduced the summability method  $(C, \hat{a}, \hat{a})$  for functions and investigated some of its properties.

## SOME RELATIONS AND DEFINITIONS

Let  $s(y)$  be a function bounded in some right hand neighbourhood of origin and be integrable in Lebesgue sense in  $(0, x)$ , for any finite  $x > 0$ . Integrals of the form  $\int_0^{\infty}$  are throughout to be taken as  $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x$ ,  $\int_0^x$  being a Lebesgue integral.

---

\*Assistant Professor Maharana Pratap Degree College, Jungle Dhusan, Gorakhpur

For any  $\ell > 0$ , we write  $S_\ell(x)$  for the " $\ell^{\text{th}}$  integral",

$$S_\ell(x) = \frac{1}{\Gamma \ell} \int_0^x (x-y)^{\ell-1} s(y) dy, \text{ and } S_0(x) = s(x).$$

Let  $\partial_{\ell,m}(x)$ , the  $(C, \ell, m)$  transform of  $s(x)$ , be defined by

$$\partial_{\ell,m}(x) = \begin{cases} s(x), & \ell = 0 \\ \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell)\Gamma(m + 1)} \frac{1}{x^{\ell+m}} \int_0^x (x-y)^{\ell-1} y^m s(y) dy, & \ell > 0, m > -1 \end{cases} \quad (2.1)$$

If, for  $x > 0$ , the integral defining  $\partial_{\ell,m}(x)$  exists and if  $\partial_{\ell,m}(x) \rightarrow s$ , as  $x \rightarrow \infty$ , we say that  $s(x)$  is summable  $(C, \ell, m)$  to  $s$ , and we write  $s(x) \rightarrow s (C, \ell, m)$ .

For  $m = 0$ ,  $(C, \ell, m)$  is the familiar method  $(C, \ell)$ .

We write

$$g(y) = g(\alpha, \beta, y) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} y^{\beta+1} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{(x + y)^{\alpha + \beta + 1}} s(x) dx \quad (2.2)$$

If this exists, we also write

$$U_{\alpha,\beta,\ell,m}(y) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} y^{\beta+1} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{(x + y)^{\alpha + \beta + 1}} \partial_{\ell,m}(x) dx \quad (2.3)$$

If this exists, where  $y > 0, \alpha > 0, \beta > -1, m > -1$  and  $\ell > 0$ .

With the usual terminology, we say that the function  $s(x)$  is summable

- (i)  $(D, \alpha, \beta)$  to the sum  $s$ , if  $g(y)$  tends to a limit  $s$  as  $y \rightarrow \infty$
- (ii)  $(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  to  $s$ , if  $U_{\alpha,\beta,\ell,m}(y)$  tends to a limit  $s$  as  $y \rightarrow \infty$ .

We note that  $(D, \alpha)$  is the same as  $(D, \alpha, \beta)$ , for the case in which  $\beta = 0$ . The cases  $m = 0, \beta = 0$  and  $m = \beta = 0$  of definition (ii) are due, respectively, to Mishra and Srivastava [7], Mishra and mishra [6] and pathak [8].

We know that for any fixed  $y > 0, \alpha > 0, \beta > -1, m > -1$  and  $\ell > 0$ , convergence of (2.3) is equivalent to the convergence of

$$\int_1^\infty \frac{\partial_{\ell,m}(x)}{x^{\beta+2}} dx \quad (2.4)$$

If (2.4) converges, write for  $x > 0$ ,

$$F_{\ell, m}(x) = \int_x^{\infty} \frac{\partial_{\ell, m}(y)}{y^{\beta+2}} dy.$$

We note that  $F_{\ell, m}(x) = o(1)$ , as  $x \rightarrow \infty$ . Further, since  $s(y)$  is bounded in some right hand neighbourhood of the origin, we have

$$F_{\ell, m}(x) = o\left(\frac{1}{x^{\beta+1}}\right) \text{ as } x \rightarrow 0^+$$

The following results are known.

**Theorem A.** Let  $\ell > 0, r \geq 0$ . Suppose that  $s(x)$  is summable  $(C, r)$  to  $s$  and that

$$\int_1^{\infty} \frac{C_{\ell}(x)}{x^{\beta+2}} dx \text{ converges, then } s(x) \text{ is summable } (D, \alpha, \beta)(C, \ell) \text{ to } s.$$

**Theorem B.** Let  $\ell > m \geq 1, \alpha \geq 0, \beta > -1$ , then  $s(x) \rightarrow s (D, \alpha, \beta)(C, \ell-1)$  whenever  $s(x) \rightarrow s (D, \alpha, \beta)(C, m-1)$ .

**Theorem C.** Let  $\ell > n \geq 1, \alpha > 0, m > -1$ , then  $s(x) \rightarrow s (D, \alpha)(C, \ell, m)$  whenever  $s(x) \rightarrow s (D, \alpha)(C, n, m)$ .

**Theorem D.** Let  $\ell > n \geq 0, r \geq 0$ . Suppose that  $s(x)$  is summable  $(C, r, m)$  to  $s$  and that

$$\int_1^{\infty} \frac{\partial_{n, m}(x)}{x^2} dx \text{ converges, then } s(x) \text{ is summable } (D, \alpha)(C, \ell, m) \text{ to } s.$$

### 3. THEOREMS ON $(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$ SUMMABILITY METHODS

3.1 First we shall show that  $(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  is stronger than any cesàro method. In other words, we have

**Theorem 3.1** Let  $\ell \geq n \geq 0, \alpha > 0, \beta > -1, m > -1$  and  $r \geq 0$ . Suppose that  $s(x)$  is

summable  $(C, r, m)$  to  $s$ , and that  $\int_1^{\infty} \frac{\partial_{n, m}(x)}{x^{\beta+2}} dx$  converges, then  $s(x)$  is summable

$(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  to  $s$ .

The following example show that the converse of Theorem 3.1 is not true.

Let  $s(x)$  be a function such that  $\partial_{\ell,m}(x) = \sin x$ , for  $x > 0$ . Since  $\sin x$  oscillates when  $x \rightarrow \infty$ , therefore  $s(x)$  is not summable  $(C, \ell, m)$ , but we have by (2.3)

$$\begin{aligned} U_{\alpha,\beta,\ell,m}(y) &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} y^{\beta+1} \int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{(x + y)^{\alpha + \beta + 1}} \sin x \, dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} y^{\beta+1} \int_0^\infty \frac{(yu)^{\alpha-1}}{(yu + y)^{\alpha + \beta + 1}} y \sin yu \, du \\ &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{(u + 1)^{\alpha + \beta + 1}} \sin yu \, du \end{aligned}$$

tends to zero as  $y \rightarrow \infty$ , by Riemann-Lebesguetheorem. Thus we have proved that for any  $\ell > 0, m > -1$ , there is a sequence of functions  $s(x)$  which is summable  $(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  for every  $\alpha > 0, \beta > -1$ , but not summable  $(C, \ell, m)$ . We next turn to the relation between  $(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  for different values of  $\ell$ .

**THEOREM 3.2.** If  $\ell > n \geq 0, \alpha > 0, \beta > -1, m > -1$ , then  $s(x) \rightarrow s (D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  whenever  $s(x) \rightarrow s (D, \alpha, \beta)(C, n, m)$ .

It is worth mentioning that the strength of summability method  $(D, \alpha, \beta)(C, \ell, m)$  increases with  $\ell$ . The cases  $m = 0, \beta = 0, m = \beta = 0$  and  $m = \ell = \beta = 0$  of theorem 3.1 and 3.2 are due respectively to Mishra and Srivastava [7], Mishra and Mishra[6], pathak [8] & Kuttner [2]. We note that the proof of case  $m = 0$  of theorem 3.1 follows at once from lemma 4.2 with the aid of theorem A.

#### 4. LEMMAS

4.1 We prove few lemmas which play an important role in the proof of our theorems mentioned in section 3.

**Lemma 4.1.** Suppose that  $\ell > n > 0, m > -1$ . Then

$$\partial_{\ell,m}(x) = \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} \frac{1}{x^{\ell+m}} \int_0^x (x-u)^{\ell-n-1} u^{n+m} \partial_{n,m}(u) du$$

This lemma has been proved by Mishra and Srivastava [4].

**Lemma 4.2.** Suppose that  $\ell > n \geq 0, m > -1$  and if the integral



$I_{\ell, m} = \int_1^{\infty} \frac{\partial_{n, m}(x)}{x^{\beta+2}} dx$  converges, then the integral  $I_{\ell, m}$  also converges.

**PROOF.** Altering  $s(x)$  in any way for  $x$  in  $(0, 1)$  will change  $\partial_{\ell, m}(x)$  by an amount

which is  $O\left(\frac{1}{x^{m+1}}\right)$  for large  $x$ , so this will not affect the convergence of  $I_{n, m}$ . Thus

there is no loss of generality in supposing that  $s(x) = 0$ , for  $0 \leq x \leq 1$ , and hence  $\partial_{n, m}(x) = 0$ , for  $0 \leq x \leq 1$ . If  $I_{n, m}$  converges, we write

$$F_{n, m}(t) = \int_t^{\infty} \frac{\partial_{n, m}(x)}{x^{\beta+2}} dx$$

It is clear that, whenever  $I_{n, m}$  converges,  $F_{n, m}(t)$  is defined for  $t > 0$  and that  $F_{n, m}(t) \rightarrow 0$  as  $t \rightarrow \infty$ . Further we have

$$\begin{aligned} \int_1^x \frac{\partial_{\ell, m}(x)}{x^{\beta+2}} dx &= \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} \int_1^x \frac{dx}{x^{\ell+m+\beta+2}} \\ &\quad \left\{ \int_0^x (x-u)^{\ell-n-1} u^{\ell+m} \partial_{n, m}(u) du \right\} \\ &= C \int_1^x \frac{dx}{x^{\ell+m+\beta+2}} \left\{ \int_0^x (x-u)^{\ell-n-1} u^{n+m} \partial_{n, m}(u) du \right\} \\ &= C \int_1^x \frac{u^{n+m}}{u^{\beta+2}} \partial_{n, m}(u) du \int_0^x u^{\beta+2} (x-u)^{\ell-n-1} x^{-\ell-m-\beta-2} dx \\ &\quad + C \int_0^1 u^{m+n} \partial_{n, m}(u) du \int_1^x (x-u)^{\ell-n-1} x^{-\ell-m-\beta-2} dx \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= C \int_1^x \frac{\partial_{n,m}(u)}{u^{\beta+2}} K\left(\frac{x}{u}\right) du + C \int_0^1 \frac{\partial_{n,m}(u)}{u^{\beta+2}} du \\
 &= -C \int_1^x K\left(\frac{x}{u}\right) dF_{n,m}(u)
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

where we write

$$K(w) = \int_1^w (t-1)^{\ell-n-1} t^{-\ell-m-\beta-2} dt$$

Integrating (4.1) by parts, this becomes

$$C F_{n,m}(1) K(x) - Cx \int_1^x K\left(\frac{x}{u}\right) F_{n,m}(u) u^{-2} du \tag{4.2}$$

We use C to denote constant, not necessarily the same at each occurrence. Since  $F_{n,m}(u) = o(1)$ , it is easily verified that the second term of the above equation tends to 0 as  $x \rightarrow \infty$ . Since  $K(x)$  tends to a limit as  $x \rightarrow \infty$ , the result follows.

**LEMMA 4.3.** If  $\ell > n \geq 0, \alpha > 0, \beta > -1, m > -1$  and suppose that

$$I_{n,m} = \int_1^\infty \frac{\partial_{n,m}(x)}{x^{\beta+2}} dx \text{ converges, then for } x > 0,$$

$$(I) \bigcup_{\alpha,\beta,\ell,m}(x) = \frac{\Gamma(\ell+m+1)}{\Gamma(\ell-n)\Gamma(n+m+1)} x^{-(\ell+m)} \int_0^x y^{n+m} (x-y)^{\ell-n-1} \bigcup_{\alpha,\beta,n,m}(y) dy \tag{4.3}$$

$$(II) \lim_{x \rightarrow \infty} |\bigcup_{\alpha,\beta,\ell,m}(x)| \leq \lim_{x \rightarrow \infty} |\bigcup_{\alpha,\beta,n,m}(x)|$$

where (4.3) is to be taken as including the assertion that both sides exist.

Proof. Assuming for the moment that the inversion in the order of integration which follows is permissible and the integrals below converge, we have, using Lemma 4.1, for  $\ell > n > 0$ ,

$$\bigcup_{\alpha,\beta,\ell,m}(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} x^{\beta + 1} \int_0^\infty \frac{u^{\alpha - 1}}{(x + u)^{\alpha + \beta + 1}} \partial_{\ell,m}(u) du$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} x^{\beta + 1} \int_0^\infty \frac{u^{\alpha - 1}}{(x + u)^{\alpha + \beta + 1}} \frac{du}{u^{\ell + m}} \int_0^u (u - v)^{\ell - n - 1} v^{m + n} \partial_{n, m}(v) dv \quad (4.4)$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} x^{\beta + 1} \int_0^\infty v^{m + n} \partial_{n, m}(v) dv \int_v^\infty \frac{u^{\alpha - \ell - m - 1}}{(x + u)^{\alpha + \beta + 1}} (u - v)^{\ell - n - 1} du \quad (4.5)$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} x^{\beta + 1} \int_0^\infty v^{m + n} \partial_{n, m}(v) dv \int_0^\infty \frac{(u + v)^{\alpha - \ell - m - 1}}{(u + v + x)^{\alpha + \beta + 1}} u^{\ell - n - 1} du \quad (4.6)$$

by an obvious change of variable. Putting  $u = vk$ , we see that

$$\mathcal{U}_{\alpha, \beta, \ell, m}(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} x^{\beta + 1} \int_0^\infty v^{m + n} \partial_{n, m}(v) dv \int_0^\infty \frac{(k + 1)^{\alpha - \ell - m - 1} v^{\alpha - n - 1} k^{\ell - n - 1}}{(vk + v + x)^{\alpha + \beta + 1}} dk \quad (4.7)$$

Interchanging the order of integration, we have

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\alpha, \beta, \ell, m}(v) &= \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} v^{\beta + 1} \int_0^\infty (k + 1)^{\alpha - \ell - m - 1} k^{\ell - n - 1} dk \int_0^\infty \frac{v^{\alpha - 1}}{[v(k + 1) + x]^{\alpha + \beta + 1}} \partial_{n, m}(v) dv \quad (4.8) \\ &= \frac{\Gamma(\ell + m + 1)}{\Gamma(\ell - n)\Gamma(n + m + 1)} \int_0^\infty (k + 1)^{\alpha - \ell - m - 1} k^{\ell - n - 1} dk \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left[ \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \frac{x^{\beta+1}}{(k+1)^{\alpha+\beta+1}} \int_0^{\infty} \frac{v^{\alpha-1}}{\left[v + \frac{x}{(k+1)}\right]^{\alpha+\beta+1}} \partial_{n,m}(v) dv \right] \\
&= \frac{\Gamma(\ell+m+1)}{\Gamma(\ell-n)\Gamma(n+m+1)} \int_0^{\infty} (k+1)^{\alpha-\ell-m-1} k^{\ell-n-1} dk \\
& \left[ \frac{\Gamma(\alpha + \beta + 1)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta + 1)} \left(\frac{x}{k+1}\right)^{\beta+1} \int_0^{\infty} \frac{v^{\alpha-1}}{\left[v + \frac{x}{(k+1)}\right]^{\alpha+\beta+1}} \partial_{n,m}(v) dv \right] \\
&= \frac{\Gamma(\ell+m+1)}{\Gamma(\ell-n)\Gamma(n+m+1)} \int_0^{\infty} (k+1)^{-\ell-m-1} k^{\ell-n-1} U_{\alpha,\beta,\ell,m}\left(\frac{x}{k+1}\right) dk
\end{aligned}$$

Putting  $\frac{x}{k+1} = y$ , we have then

$$U_{\alpha,\beta,\ell,m}(x) = \frac{\Gamma(\ell+m+1)}{\Gamma(\ell-n)\Gamma(n+m+1)} x^{-\ell-m} \int_0^x y^{m+n} (x-y)^{\ell-n-1} U_{\alpha,\beta,n,m}(y) dy$$

This Proves

**Conclusion** – Here we have prove that If a Function is summable (D,  $\alpha, \beta$ ) (C,  $\ell$ ) Summability method then it is Summable (D,  $\alpha, \beta$ ) (C,  $\ell, m$ ) Summability methods.

REFERENCES

- [1]. Ishiguro K., *On summability methods of divergent series*, Acad. Roy. Belg. Cl. Mem. Coll. in 8035(1965), 1-43.
- [2]. Kuttner B., *On translated Quasi Cesaro Summability*, Proc. Cam. Phil. Soc. 62(1966), 705-712.
- [3]. Kwee B. *On generalized translated Quasi Cesaro Summability*, Pacific Journal of Mathematics 36(3), 1971, 731-740.
- [4]. Mishra B. P. and Srivastava A.P., *Some remarks on absolute summability of functions based on  $(C, \alpha, \beta)$  summability methods*, To appear in jour. Nat. Acad. Math. India 15(2001).
- [5]. Mishra, S. N., *Some remarks on summability methods*, Ph. D. thesis, D.D. U. Gorakhpur University, Gorakhpur, April 2002.
- [6]. Mishra B. P. and Mishra, S. N., *Some remarks on product summability methods*. To appear in Progress of Mathematics, 2003.
- [7]. Mishra B. P. and Srivastava Anupama, *On Product Summability methods  $(D, \alpha, \beta)$   $(C, i)$  of functions*, Bull. Cal. Math. Soc. 93(4), 2001, 253-262.
- [8]. Pathak, S. N., *Some investigations on summability of functions*, Ph. D. thesis, D.D. U. Gorakhpur University, Gorakhpur, 1986.

# Protection and Therapeutics for COVID-19 pandemic: the knowledge from Ancient Vedic Culture to Modern Science

Dr. Anant Narayan Bhatt\*

---

**Abstract:** The coronavirus pandemic is an ongoing global outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The outbreak was later recognized as a pandemic and declared as Public Health Emergency of International Concern by the World Health Organization (WHO) on 11 March 2020 [1]. As of today, several million people have lost their life from this disease and number is continuously increasing [1]. Months after beginning of pandemic in China, the first case in India was reported in the end of January 2020 and thereafter the steep rise in cases was noted despite the lock down in most of the countries in the world. Less understanding of the new virus and fast spreading pandemic caused 7 to 12% mortality in many European countries. Under these circumstances, on one hand the development of effective drugs for the treatment of COVID-19 has become a crucial and urgent need of the hour and on the other hand the ancient Vedic knowledge and practices can protect us from the infection and help us in fighting the pandemic more effectively.

**Key-word :** Covid-19, Culture, Science, Virus, WHO

---

## COVID-19 Disease and Pathology:

There are three Phases of viral disease 1) Viral replication in host cell (human body), 2) Immune hyper-reactivity and 3) Pulmonary destruction (in case of respiratory disease like COVID-19). Pathological events associated pulmonary destruction due to SARS-CoV-2 infection is called acute respiratory distress syndrome (ARDS) [2]. The viral infection in lungs may cause mild, severe or critical condition in the patients depending on their health conditions and viral load. Nearly 80% of the cases are non or mild pneumonia,

---

\*Sr. Scientist, DRDO New Delhi

some 10 to 14% cases are severe disease with dyspnea and SpO<sub>2</sub> less than 93%, however 6 to 10% cases are showing severe pneumonia, respiratory failure, septic shock, multiple organ dysfunction (MOD) or failure (MOF). In diseases severity, the data so far available seem to indicate that the viral infection is capable of inducing immune cells to uncontrollably release deadly systemic pro-inflammatory cytokines such as IL6 etc. and also chemokines, causing extensive tissue damage. This phenomenon is termed as ‘cytokine storm’. The cytokine and chemokine release by the effector cells will lead to organ failure and death, this happened in the severe case of SARS-CoV-2 infection [2].

Although, most COVID-19 infections are either asymptomatic or result in only mild disease, a proportion of infected individuals develop a respiratory illness that requires hospitalization and may progress to critical illness with hypoxaemic respiratory failure, needing prolonged ventilatory support [3]. Therefore, majority of the protective strategies suggested in Ayurvedic science can help the large population. However, those who developed severe disease and become critically ill should be treated with good therapeutics to recover from viral infection and disease. Physical protective strategies can stop the viral spread, Ayurvedic protective strategies and modern medicine can stop the replication of the virus in host cell and check the disease progression, help in patient recovery and reduce the mortality.

### **Vedic Knowledge for protection from COVID-19:**

There are four factors that have been described in Ayurveda, which are common and essential for every living being i.e. *Vāyu* (air), *Jala* (water), *Desha* (land) and *Kaala* (season) [4]. Any abnormal alteration in these four factors can significantly influence individual, or community or environment or all of them together. Description of such conditions affecting wide population has already been seen in Ayurvedic practices dating thousands year back. Acharya Charaka termed this condition as “**Janpadodhwansa**”. ‘Janpad’ means community on a given place and ‘Dhwansa’ means demolition. Therefore, the literal meaning of the term ‘Janpadodhwansa’ may be considered as a condition with massive demolition or annihilation of people or community. In Janpadodhwansa, persons having distinct Prakriti (constitution), Aahara (diet), Deha (body), Bala (strength), Satmya (suitableness), Mana (mind) and Vaya (age) may be affected by one particular disease simultaneously [4].

It is very heartening to know that some elements of the culture of the Vedic Age have survived over a period of 3,000 years and continue to be a part of Indian culture, even today, which is helping the society to come out from this devastating pandemic. Strict hygiene is one of the common Vedic practices which are being promoted now worldwide as new norms of living to avoid being affected by corona. Like we are now being told to not to touch our eyes, nose etc without washing hands in Manusamriti (4/144) it is written “Without a reason don’t touch your own indriyas (eyes, nose, ears etc). As regards frequent washing of hands, Padmashristi (51/88) states” Wash your hands, feet, mouth before you eat”. Washing of the hands, feet and face before entering to the home and not carrying the footwear’s inside the home is still commonly followed practices in many houses. In the same scripture shloka 51/83 says “Don’t use the cloth (like towel) used by another person for drying yourself after a bath.” In Vishnusamriti shloka 64 preaches “Clothes once worn should not be worn again before washing.” These Vedic practices of strict hygiene are going to be the common norms in the post Covid – 19 times. The material (samagri) used for Havan (fire worship) in Indian Households including incense sticks use many ingredients which purify the atmosphere and keep infections away.

Namaste, Namaskar or Namaskaram, the Vedic cultural way of greeting has already gained wider acceptance and global recognition. Social distancing would be the norm post corona and Namaste is considered the better and appropriate form of greeting maintaining the requisite distance. Persons greeting each other place their palms together, fingers pointing upward, and say namaste with a bow. “Namaste” is a combination of words derived from Sanskrit that mean “I bow to you.” It is a noncontact form of greeting, as opposed to hugging or shaking hands. It is quite proper if a person from a different culture uses this form of salutation to another person, Hindu or non-Hindu. Although a simple expression of greeting, namaste carries a profound spiritual meaning that is derived from the Vedantic ideal of recognizing the divine in everything and in every being. This ideal of the divinity of soul, in a spiritual sense, unifies all of humanity. Thus, though recognised as Hindu way of greeting, Namaste can have universal acceptance due to its spiritual component. It is also believed that chanting of Om and other mantra produces nitric oxide in the nasal tract, which can kill the virus and prevent the infection.

Beside these practices which can protect us from not coming in the contact of infected persons and prevent the viral spread, some Ayurvedic herbs like Tulsi, Guduchi, Black pepper, Ginger, Amla etc. either has direct anti-viral activity or they promote our immune system to counter the virus by developing specific immunity against the virus.

### **Development of DRDO's Anti-Covid Drug:**

Recent sequential outbreak of Nipah and Corona Virus in Indian population poses large threat to the countries health and economy. These viruses are not only threat to common civilian population upon epidemic or pandemic spread but also to defence forces when used as biological warfare agent. Whenever, a new virus induced pathogenesis is identified, it takes years to identify, characterize and develop a specific prophylactic and therapeutic approach against it and by the time the drug is developed, the viral diseases already causes significant human and economic loss. Therefore, we should focus on developing a non-specific effective anti-viral strategy against viral infection to control the epidemic/ pandemic, which should target the most common machinery of every viral replication.

In March 2020, the beginning of pandemic in India; DRDO was involved in searching, investigating and developing newer technologies to strengthen the national fight against the pandemic. The Chairman DRDO, Dr G Satheesh Reddy was looking for such innovative technologies, which can strengthen the defence against pandemic. Institute of Nuclear Medicine and Allied Science (INMAS), an institute of DRDO which is involved in medical research proposed a unique therapeutic strategy against viral infection. The proposal was to use 2-deoxy-D-Glucose as an anti-Covid-19 therapeutic, which inhibits host cell glucose metabolism of virally infected cells, predominantly, not allowing viral replication in host cell.


### **Mechanism of Action of 2-DG:**

Being a non-living entity virus don't inherently have their own metabolism; therefore viruses depend on the host cell to provide components for their rapid replication. In last few decades, it has become clear that viruses dramatically modify upon entry in to cell. To cope with the resulting elevated bioenergetic demands, viruses have evolved strategies to dramatically modify nutrient uptake as well as biosynthetic pathways of the host cells [5]. Most viruses examined to date induce aerobic glycolysis also known as the Warburg effect. This switch is needed for faster



production of ATP and higher levels of glycolytic intermediates, which are advantageous as a source of biomass, required for anabolic processes such as fatty acid synthesis and nucleotide generation for viral replication (Fig.1) [6].

The dependency of viral replication and propagation on enhanced host cell metabolism has been demonstrated in case of many respiratory viral disease similar to CoViD-19 viruses like Rhinoviruses, Influenza A H1N1, Poliovirus, Herpes simplex virus (HSV-1), Pseudorabies, Hepatitis C virus (HCV), adenovirus etc. It was also demonstrated that in the absence of glucose, HSV-1 penetrated cells equally but did not produce infectious progeny [7]. Therefore, it is well established that both DNA and RNA viruses have been shown to reprogram metabolism to support generation of nucleotides, amino acid generation, and lipid synthesis. Based on these facts, the intervention at the level of virus induced host cell metabolism is a promising target to inhibit the viral reproduction and progression of disease(Fig.1).



**Figure 1.** Schematic diagram of viral infection induced alteration in metabolism and how 2-DG can inhibit the viral replication in host cell.

2-DG is a synthetic analogue of glucose, which blocks glycolysis at the initial stage and cause depletion of ATP as well as glucose derivatives required for protein glycosylation [8].

#### **Development of 2-DG as an Anti-COVID-19 drug:**

In the beginning of April, 2020; when nationwide lockdown was in full enforcement, the research on SARS-CoV-2 virus was in very nascent stage in India. Only two scientific institutes in the country namely National Institute of Virology (NIV, ICMR), Pune and Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB-CSIR), Hyderabad isolated and started culturing the SARS-CoV-2 virus from samples of infected individuals. The drug testing at CCMB started on 10<sup>th</sup> May 2020. The experiments showed good anti-SARS-CoV-2 activity of 2-DG at CCMB, Hyderabad.

#### **Clinical trial of 2-DG in COVID-19 patients:**

After establishing the efficacy of 2-DG in laboratory, it was required to test this molecule in COVID-19 patients, which required large amount of 2-DG import or production with in India during the lockdown. In this emergency time, the old Transfer of Technology (ToT) partner Dr. Reddy's Lab, Hyderabad offered to produce 2-DG in large amount and joining hands in conducting the clinical trial in COVID-19 patients. Therefore, with previous clinical trial data in cancer patients and anti-SARS-CoV-2 activity report from CCMB, Hyderabad; DRDO and DRL jointly approached DCGI for permission to conduct Phase-III clinical trial of 2-DG in COVID-19 patients, immediately. DCGI was also facilitating the clinical trial meetings in expedited mode for fast development of anti-COVID-19 drugs in India. On 20<sup>th</sup> May 2020 the DRDO and DRL team jointly presented the clinical trial protocol to subject expert committee (SEC) of DCGI. In the absence of good safety data in COVID-19 patients, the committee did not agreed to Phase-III trial directly and permitted for Phase-II clinical trial in 44 patients on 21<sup>st</sup> May 2020.

DRDO along with its industry partner Dr Reddy's Laboratories (DRL, Hyderabad) started the clinical trials to test the safety and efficacy of the drug in COVID-19 patients. In Phase-II trials (including dose ranging) conducted during May to October 2020, the drug was found to be safe in COVID-19 patients, and showed

significant improvement in their recovery. Phase IIa was conducted in 6 hospitals and Phase IIb (dose ranging) clinical trial was conducted at 11 hospitals all over the country. Phase-II trial was conducted on 110 patients. In efficacy trends, the patients treated with 2-DG showed faster symptomatic cure than Standard of Care (SoC) on various endpoints. A significantly favourable trend (2.5 days difference) was seen in terms of the median time to achieving normalization of specific vital signs parameters when compared to SOC.

Based on successful results, DCGI further permitted the Phase-III clinical trials in November 2020. The Phase-III clinical trial was conducted on 220 patients during Dec 2020 to March 2021 at 27 COVID hospitals situated in states of Delhi, UP, West Bengal, Gujrat, Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. The detailed data of phase-III clinical trial was presented to DCGI. In 2-DG arm significantly higher proportion of patients improved symptomatically and became free from supplemental oxygen dependence (42% vs 31%) by Day-3 in comparison to SOC, indicating an early relief from Oxygen therapy/dependence. The similar trend was observed in patients more than 65 years also. On 1<sup>st</sup> May 2021, DCGI has granted permission for Emergency Use of this drug as adjunct therapy in moderate to severe COVID-19 patients. Being a generic molecule and analogue of glucose, it can be easily produced and made available in plenty in the country.

The drug comes in powder form in sachet, which is taken orally by dissolving it in water. In the ongoing 2nd wave of corona pandemic, a large number of patients have faced severe oxygen dependency and need hospitalization. The drug is expected to save precious lives due to the mechanism of operation of the drug in infected cells. This also reduces the hospital stay of COVID-19 patients and burden on health infrastructure of the country.

**Summary:**

Vedic practices and Ayurvedic medicines can help us in protection from the diseases like COVID-19 and when person develops criticality then the therapeutic drugs like 2-DG can save the life. Any new virus when attack in the form of pandemic, it will

always cause significant harm to the life. However, 2-DG as an anti-viral drug can prevent mortality and morbidity in individuals infected by any kind of virus. This property of 2-DG makes it very lucrative drug for viral bio-terrorism. Therefore, as search of new specific drug from scratch would have taken long time and fails frequently, if virus mutates or a new viral pandemic occurs; we envisaged that development of such drug can not only help us in current pandemic but also prepare us for future pandemics too, if occurs.

## References

1. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020". World Health Organization. 11 March 2020.
2. Zaim S, Chong JH, Sankaranarayanan V, Harky A. COVID-19 and Multiorgan Response. *Curr Probl Cardiol.* 2020;45(8):100618. doi:10.1016/j.cpcardiol.2020.100618
3. Wang Y et al. *Lancet* 2020; 395: 1569–78; April 29, 2020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31022-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31022-9)
4. Sharma P, Kaushik R. *International Journal of Ayurveda and Pharma Research.* IJAPR, May 2020, Vol 8, Issue 5.
5. Wrapp D, Wang N, Corbett KS, et al. (February 2020). "Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation". *Science.* 367(6483): 1260–1263. PMID 32075877.
6. Gualdoni GA, Mayer KA et al. Rhinovirus induces an anabolic reprogramming in host cell metabolism essential for viral replication. *PNAS, USA* 2018;115(30):E7158-E7165. doi: 10.1073/pnas.1800525115.
7. Sanchez EL, Lagunoff M. Viral activation of cellular metabolism. *Virology.* 2015 479-480:609-18. doi: 10.1016/j.virol.2015.02.038. PMID: 25812764
8. Kang HT, Hwang ES. 2-Deoxyglucose: an anticancer and antiviral therapeutic, but not anymore a low glucose mimetic. *Life Sci.* 2006 Feb 16;78(12):1392-9. Epub 2005 Aug 18. PMID: 16111712



# Pascal's Triangle Before Pascal

Dr. V. Ramanathan\*

---

**Abstract:** India has been Ranked 102 of 117 countries in the Global hunger index 2019, behind its neighbours Nepal, Pakistan and Bangladesh. Seventeen countries, including Belarus, Ukraine, Turkey, Cuba and Kuwait, shared the top rank with Global hunger index score of less than five, the website of the Global hunger index that track hunger and malnutrition said. The report prepared jointly by Irish and agency concern worldwide and German organisation welt hunger hilfe turned the level of Hunger in India "serious". Neighbouring countries like Nepal (73), Srilanka (66), Bangladesh (88), Myanmar (69) and Pakistan (94) also in the serious hunger category but have fared better at feeding its citizens than India according to the report.

**Keywords:** GHI- Global hunger index, Undernutrition, Starvation, Undernourishment, The world food summit 1996, Contract labour (Regulation and Abolition) Act 1970.

---

## Introduction

India's intellectual tradition traces a glorious path of evolution having contributed uniquely to the corpus of world heritage. It is said that poetry is a search of ways of communication. In this search, our forefathers excelled to lofty levels that some of this esoteric truths cognized by them were captured and communicated through lucid verses. Poetry, as presented by our forefathers, is not a mere act of versification or an expression of prowess of language alone. It is both an art as well a science. The science of Indian poetry reveals some of the loftier mathematical truths, only to be discovered by other civilizations several centuries later. One of the profound gift to humankind through Indian poetry is the natural usage of binary numbers.

The extent to which credit is bestowed on the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> century mathematicians for using binary numbers, world has largely remained uninformed and silent on Pingala, the Indian prosodist/poet from the 2<sup>nd</sup> century BCE, who was one of the earliest in discovering this system of binary numbers and the whole gamut of mathematical operations involved in it. Yet, Pingala was not a mainstream mathematician. Ancient Indian intellectuals handled mathematics for its practical utility,

---

\*Assistant Professor, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology (BHU), Varanasi

be it in the construction of the architectural wonders that have stood the test of time or be it in understanding the cosmos through astronomy or be it in the art of poesy.

In this paper, the relation between binary numbers and poetry will be brought out succinctly and in doing so, the authentic origin of the eponymous triangle, named after Blaise Pascal the European mathematician, will be traced to none other than the Indian prosodist Pingala. It is to be noted that such an exposition has already been done by several researchers before and this is a reiteration with a specific focus to the triangle.

In order to help the readers fully appreciate the Indian origins of binary numbers in general and Pascal triangle in particular, it is imperative to make a brief sojourn through the art of Indian poetry. Some fundamental aspects of Indian poetry along with few of its associated concepts and techniques will be briefly introduced in the following section.

## 2. छन्दः/Chand or Metre

Among the 6 limbs of the Vedas, chandah or chandas is one of them and considered as the feet of the Vedapurusha, symbolically representing the gait or movement. It is the chandas that determines the tempo of a composition. There are two quanta of this tempo, namely Laghu (L) and Guru (G) meaning short and long, respectively. Short vowels like अ (अ), इ (इ), उ (उ), ए (ए) and ओ (ओ) are collectively defined as Laghu and Guru is defined for the longer vowels like ा (आ), ि (ई), ୂ (ऊ), ऌ (ऌ), ऎ (ऎ), ऐ (ऐ), औ (औ) and au (औ). In practice, Laghu and Guru are relative and intrinsic time measures where a laghu takes half the time to pronounce compared to a Guru. The number of Laghu-s and Guru-s, their combination forms the skeletal structure of Indian poetry.

Although the underlying principle is almost the same for poetries in Sanskrit and other Indian languages, focus will be only on Sanskrit and hindi poetries in this paper. Indian poetry, be it in Sanskrit or any other Indian language, are broadly classified into two families, namely metrical and non-metrical. Generally, the microstructure of Sanskrit poetry consists of 4 lines. Each line within this microstructure is called a quarter. There are two different ways by which this quarter or a single line can be composed. First method is based on a fixed number of Laghu-s and Guru-s. This is called Varna Vritta or Vaarnika. In the second method, a numeric value of 1 is assigned to Laghu, 2 to Guru and the total numeric value of the line is fixed without

laying any specific order for the Laghus or Gurus to appear. This second type is called Maatrika and it is noteworthy to mention that in Sanskrit, it is the former type which is widely used and the second type is popular in Prakrita and Prakrita based other Indian languages. Let us briefly look at these groups of metres.

### 1.1 Maatrika Chand:

As said above the numeric value of the quarter is specified without laying any condition for the sequence of Guru-s and Laghu-s. Let us understand this from a simple example.

#### Corresponding numeric value of each line

रहिमन रा के कहत ही	$1+1+1+1 + 2 + 2 + 1+1+1 + 2 = 13$
निकसत पाप बहार	$1+1+1+1 + 2+1 + 1+2+1 = 11$
फिर भीतर आवत नहीं	$1+1 + 2+1+1 + 2+1+1 + 1+2 = 13$
मकार देत किवार	$1 + 2+1 + 2+1 + 1+2+1 = 11$

In this style of poetry, the numeric value of first and quarter is 13 whereas the numeric value of second and fourth is 11. As is evident, the Guru-s and Laghu-s may appear in any sequence so long the total numeric value is realised.

A numeric value may be realised in a number of manner which gives rise to the different types of metrical patterns within this group.

The following table summarises the Guru-Laghu combinations for various numeric values.

Numeric Value	Possibilities of achieving the numeric value using G and L	Total Possibilities
1	L	1
2	LL or G	2
3	LLL or LG or GL	3
4	LLLL or LLG or LGL or GLL or GG	5
5	LLLLL or LLLG or GLLL or LGLL or LLGL or GGL or GLG or LGG	8
6	LLLLLL or LLLLG or GLLLL or LGLLL or LLGLL or LLLGL or LLGG or LGLG or LGGL or GLLG or GLGL or GGLL or GGG	13
7	---	21
8	---	34
9	---	55

The last column is what we now understand as the famous Fibonacci (1170-1240) series which was originally discovered by the Indian mathematician Hemachanra (1088-1173) many years before Fibonacci.

Somehow Sanskrit poets did not prefer to use maatrika meter and have shown greater proclivity for the other type of metre called the Vaarnika meter.

## 2.2 Vaarnika Chand:

Poetries that are classified under this group have a unique combination of Laghu-s and Guru-s. The number of syllables per quarter is fixed in this style of poetries. This is where the genius of Pingala comes into play and he raises the mathematical question that given the number of syllables in a quarter, there exists how many combinations of Laghu-s (L) and Guru-s (G) corresponding to that number? Let me elaborate this question. Let us assume that the number of syllables in a quarter is decided to be 3. Pingala is asking that in how many ways of arranging Laghu-s and Guru-s we will get 3? This can be answered in a heuristic manner as follows:

GGG, LGG, GLG, LLG, GGL, LGL, GLL and LLL adding up to a total of 8 ways. In other words, for the families of poetries containing only 3 syllables per line, there are 8 different ways of composing such a line and the poetry. In modern parlance, this is calculating  $2^3$ .

There are systematic and fool-proof ways to list out all possible combinations of G and L for a given n. Pingala's method of this systematic arrangement is recursive, whereas Kedarabhata's (from the 10<sup>th</sup> century CE) is simpler. Although, both results in the same solution.

The sutras for prastaara as given by Kedar Bhatt are (taken from <https://www.indictoday.com/quick-reads/prastaar-kedar-bhatt/>):

पादे सर्वगुरावाद्याल्लघुं न्यस्य गुरोरधः।

यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्यादिमुं विधिम् ॥ (वृत्तरत्नाकरः 6.2)

ऊने दध्याद् गुरूनेव यावत्सर्वलघुर्भवेत्।

प्रस्तारोऽयं समाख्यातश्छन्दोविचितिवेदिभिः ॥ (वृत्तरत्नाकरः 6.3)



Meaning:

Begin with a row containing all gurus (G). (For a prastaar for 4 syllables, begin with a row containing all 4 gurus). Start scanning the row from the left. When you encounter the first guru, place a laghu (L) below that. The syllables to the right are copied below as they are. All the places to the left of L are filled up with Gs. Repeat the process for the subsequent rows till you reach the row having all Ls. Let us look at this systematic arrangement by taking  $n=4$

1	G	G	G	G	Start with a row containing all Gs.
2	L	G	G	G	(From Left to Right) Place L below the first G of above row. The syllables to the right are copied as they are.
3	G	L	G	G	All the places to the left of L are filled up with Gs
4	L	L	G	G	(From Left to Right) Place L below the first G of above row. The syllables to the right are copied as they are.
5	G	G	L	G	
6	L	G	L	G	
7	G	L	L	G	
8	L	L	L	G	
9	G	G	G	L	
10	L	G	G	L	
11	G	L	G	L	
12	L	L	G	L	
13	G	G	L	L	
14	L	G	L	L	
15	G	L	L	L	
16	L	L	L	L	Stop

As mentioned before, this is a very systematic way and for any value of  $n$ , this method is fool-proof. If we consider G as 0 and L as 1, we directly see the addition of binary numbers in play. The first row has numbers in decimal system and the subsequent 4

columns show the mirror image its binary counterpart Details are given in Table 2 below.

**Table 2: Use of Binary numbers and binary addition**

Substituting G=0; L=1 in Table 1				Mirror image of Columns 1 to 4				Decimal number represented by the mirror image
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1	0	2
1	1	0	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	1	0	0	4
1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	1	1	0	0	1	1	0	6
1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	0	0	1	1	0	0	0	8
1	0	0	1	1	0	0	1	9
0	1	0	1	1	0	1	0	10
1	1	0	1	1	0	1	1	11
0	0	1	1	1	1	0	0	12
1	0	1	1	1	1	0	1	13
0	1	1	1	1	1	1	0	14
1	1	1	1	1	1	1	1	15

In practise, a minimum of 8 syllables appear in a quarter which means there are  $2^8$  ie., 256 different ways of composing a quarter having Ls and Gs starting from GGGGGGGG, LGGGGGGG, GLGGGGGG.....GLLLLLLL, LLLLLLLL.

As the number of syllables per line increase, the computational complexity and there is a humungous increase in the number of ways of composing it. Mathematically speaking given n, how to quickly compute  $2^n$ ? Pingala offers a very

elegant algorithm to compute it and this forms the preliminary step to understand Pingala's algorithmic approach to binomial expansion. Let us briefly know about this algorithm in the following section.

### 3. Algorithm to compute $2^n$

This is called as Sankhya pratyaya in Chandashastra by Pingala. The sutra to compute  $2^n$  or the sankhya pratyaya is the following:

द्विरर्थे । रूपे शून्यम् । द्विः शून्ये । तावदर्धो तद्गुणितम् ।

(छन्दः शास्त्रम् 8.28-31)

Translation of the sutra:

1. If the number (n) is divisible by 2, divide by 2 and write "2".
2. If the number (n) is not divisible by 2, subtract 1 from n and write "0".
3. Continue till zero is reached.
4. (Start with the number 1. Scan the sequence of 2s and 0s from the right end.)
5. If you encounter "0", multiply by 2.
6. If "2", then square.

Let us understand this algorithm from an example by taking  $n=12$

12 is divisible by 2. So we divide and write 2

Now we have 6, again divisible by 2. So we write 2.

Now we have 3, not divisible by 2. So we subtract 1. We write 0.

Now we have 2, divisible by 2. So we write 2.

Now we have 1, not divisible by 2. So we subtract 1. We write 0.

Now we have 0. The iteration stops here.

Sequence: 2 2 0 2 0; start by taking the number 1 and scan the sequence from right.

From right: 0 so multiply by 2 and we get 2.

Next 2 so square and we get  $2^2 = 4$ .

Next 0 so multiply by 2 and we get 8.

Next 2 so square and we get  $8^2 = 64$ .

Next 2 so square and we get  $64^2 = 4096$ .

So we conclude that there are 4096 different combinations of Laghu-s and Guru-s by which one can compose a line consisting of 12 syllables. One such Vaarnika chand where the quarter consists of 12 syllables is called Bhujangaprayaati and an example of a composition in this is:

नमस्तेऽस्तु गङ्गे त्वदङ्गप्रसङ्गाद्भुजं गास्तुरङ्गा कुरङ्गाः प्लवङ्गाः ।

अनङ्गारिरङ्गाः ससङ्गाः शिवाङ्गाः भुजङ्गाधिपाङ्गीकृताङ्गा भवन्ति ॥

In the above verse, the combination of the Guru-s and Laghu-as are LGGLGGLGGLGG in all the 4 quarters. Just like Table 1 where  $n=4$ , a similar table can be constructed for  $n=12$  but it is to be noted that this table will have 4096 entries to list all possible combinations of G and L which will start from GGGGGGGGGGGG as the first entry and end at LLLLLLLLLLLL as the 4096<sup>th</sup> entry. One may follow the same systematic method of generating all the combinations as explained for the  $n=4$  case in table 1. There is an interesting computational procedure that I will only introduce and request the interested readers to refer other books for further understanding as the details are not directly relevant to the content of this paper. Briefly, when  $n=4$ , we see from Table 1 that the entry number 9 ie.,  $S_9 = GGGL$ . Similarly, when  $n=12$ , what will be, say, the 3999<sup>th</sup> entry? Similarly, from Table 1, we see that the combination GLGL appears as the 11<sup>th</sup> entry. Similarly, for  $n=12$ , what will be index or the entry number for the combination of G and L in the above shown sanskrit verse, ie., LGGLGGLGGLGG? These are, mathematically speaking forward and reverse problems and Pingala gives very elegant algorithm to quickly compute them under the process referred to as NaShTa (नष्ट) and UddiShTa (उद्दिष्ट).

With these starting steps, let us now look at the eponymous triangle.

#### 4. Pingala's Meru Prastaara or the Pascal's triangle:

We saw in the previous sections how Pingala gave elegant algorithm to find out the number of possible combinations of Guru-s and Laghu-s. Let us reconsider the

example of  $n = 4$ . We know that the number of combinations will be 16 which are listed in Table 1. These entries can be grouped in a different manner as shown below:

There exists only possibility where all 4 syllables are G: GGGG

There are 4 possibilities of 3Gs and 1L: GGGL, GGLG, GLGG and LGGG

There are 6 possibilities of 2Gs and 2Ls: GLLL, LGGL, LLGG, GLLG, GLGL and LGLG

There are 4 possibilities of 1G and 3Ls: LLLG, LLGL, LGLL and GLLL

There exists only possibility where all 4 syllables are L: LLLL

Essentially Pingala is computing  $(G + L)^4 = G^4 + 4G^3L + 6G^2L^2 + 4GL^3 + L^4$

This is nothing but binomial expansion in action and Pingala generalises this to any exponent  $n$ . Pingala's sutra given in Chandahshastra for this method is:

**परे पूर्णमिति (छन्दः शास्त्रम् ८. ३४)**

This is a very cryptic code. Halayudha Bhatt's commentaries on Chandahshastra in his work Mritasanjeevani (composed in 10th century CE) helps to understand this sutra. Halayudha explained how to create a table of numbers which he called **मेरु प्रस्तार**.

According to Halayudha, the prastaara or the triangle can be created through the following steps:

Step 1: Draw one square in the first row.

Step 2: Then draw 2 squares below it in the second row. Below this draw 3 squares in the third row. Below this in the fourth row draw 4 squares and so on. To obtain the combinations for a meter having  $n$  syllables draw a table having  $n + 1$  rows.

Step 3: Write 1 in the square in the first row. Then write 1 in the squares at the ends of each row.

Step 4: Numbers in the inner squares are got by adding the numbers in the two squares just above them.

These numbers are the coefficients of the binomial expansion  $(x + y)^n$  which we understand as:

$$(x + y)^n = {}^nC_0 x^n y^0 + {}^nC_1 x^{n-1} y^1 + {}^nC_2 x^{n-2} y^2 + {}^nC_3 x^{n-3} y^3 + \dots + {}^nC_{n-1} x y^{n-1} + {}^nC_n x^0 y^n$$

Just that Pingala considered Guru and Laghu instead of x and y. Thus we see that through a very cryptic code Pingala in fact had laid down the entire

				1				
			1		1			
		1		2		1		
	1		3		3		1	
	1	4		6		4		1
	1	5	10		10	5		1
1	6	15	20	15	6			1

One can now easily obtain all possible combinations of Guru and Laghu by a mere glance at this triangle.

What is now a universal and common knowledge about the coefficients in the binomial expansion (for positive integral exponents) being arranged in a triangular array, in fact has its origin in India through Pingala. This discovery played an important role in the early development of binomial theorem of positive integral exponent.

Unfortunately this triangular array came to be known as Pascal's triangle ever since the posthumous publication of 'Traite du triangle arithemetique' by Pascal in the year 1665. It is interesting to note that this triangle had entered Europe more than hundred years before Pascal. For instance it appeared on the title page of the arithmetic of Apianus in the year 1527 and in the works of Stifel (1544), Scheubel (1545), Tartaglia (1556), Bombelli (1572) and others.

Chinese were familiar with this triangular array through the work of Chu Shi Chieh's Ssu Yuan Yu Chien in the year 1303. Even prior to that Chinese knew this triangular array through Yang Hui and Chia Hsien in the years 1261 and 1100, respectively.

It is indeed a matter of pride to know that our ancestors made such a phenomenal contribution in the world of mathematics that has had global impact. Hence we get to see the Pascal's triangle many centuries before Pascal was even born!

### References

1. Chandasastra by Pingala, Ed., by Pandit Kedaranath of Jaypur 2004
2. Vrittaratnakara, by Kedara Bhatta. With a commentary by Taranatha 1887  
Calcutta
3. Van Nooten, B. (1993-03-01). "Binary numbers in Indian antiquity". *Journal of Indian Philosophy*. 21 (1): 31–50
4. Bag, Amulya Kumar (1966) Binomial theorem in ancient India *Indian Journal of History of Science*, 1 (1). pp. 68-74
5. Singh, A. (1936). On the Use of Series in Hindu Mathematics. *Osiris*, 606-628.
6. The Harmony Of Music, Mathematics And Sanskrit As Explained By Dr Manjul Bhargava (<https://swarajyamag.com/ideas/the-harmony-of-music-mathematics-and-sanskrit-as-explained-by-dr-manjul-bhargava>)
7. Pingala's Algorithm Part VI: Meru Prastaar (<https://www.indictoday.com/quick-reads/pingalas-algorithm-meru-prastaar/>)



## नयी पहल

### मिशन मंझरिया-एक समीक्षात्मक रपट

शिप्रा सिंह

महाराणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, जंगल धूसड़ की ग्रामीण पृष्ठभूमि में स्थापित महाराणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, श्रीगोरक्षपीठ द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक संस्था है। शिक्षा को सेवा का आधार मानकर लोक-कल्याणार्थ स्थापित इस महाविद्यालय ने पठन-पाठन के साथ-साथ जन-सरोकारों से सीध-संवाद स्थापित किया। अपने स्थापना वर्ष में ही 'ग्रामीण भारत का भविष्य' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर महाविद्यालय द्वारा 'आदर्श ग्राम योजना' का स्वरूप निर्धारित किया गया। गाँव से शिक्षकों-विद्यार्थियों के संवाद को आकार देने हेतु 'एक विभाग-एक गाँव' की योजना के क्रियान्वयन का पहला चरण 2006 ई. में ही प्रारम्भ हो गया। इसी क्रम में 2015-2017 ई. तक तत्कालीन सांसद एवं महाविद्यालय के प्रबंधक महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत गोद लिए गए ग्यारह गाँवों में से एक महाविद्यालय के निकट स्थित ग्राम सभा औराही में साक्षरता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान ने आदर्श-ग्राम योजना को अनुभव-जन्य गति प्रदान किया।

सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सत्र 2020-21 ई. की योजना बैठक में 'एक विभाग-एक गाँव' योजना को पूर्ववत् जारी रखते हुए, कोरोना महामारी के कारण कुछ विलंब में महाविद्यालय से सटे ग्राम 'मंझरिया' को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ-साथ केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की योजनाओं से संतुष्ट गाँव बनाने की दिशा में 'मिशन' प्रारंभ किया गया।

**कुल आठ शिक्षण केन्द्र पर बच्चे, प्रौढ़ एवं महिलाएं पढ़ाए जाने लगे। वे आठ केन्द्र इस प्रकार हैं -**

शिक्षण केन्द्र 01 भीमराव अम्बेडकर शिक्षण केन्द्र

शिक्षण केन्द्र 02 माँ सीता शिक्षण केन्द्र

शिक्षण केन्द्र 03 माँ सरस्वती शिक्षण केन्द्र

शिक्षण केन्द्र 04 वीर अभिमन्यू शिक्षण केन्द्र

शिक्षण केन्द्र 05 माँ कत्यायनी शिक्षण केन्द्र



शिक्षण केन्द्र 06 रानी पद्मिनी शिक्षण केन्द्र

शिक्षण केन्द्र 07 रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण केन्द्र

शिक्षण केन्द्र 08 स्वामी विवेकानन्द शिक्षण केन्द्र

छात्राध्यापकों द्वारा अपने इस सेवा कार्य को 'मन से मंझरिया' नाम से संबोधित किया गया।

1 नवम्बर 2020 ई. से छात्राध्यापकों का समूह मंझरिया ग्राम में विभिन्न केन्द्रों पर जाकर दीया पेंटिंग एवं सजावट 1 नवम्बर 2020 ई. से छात्राध्यापकों का समूह मंझरिया ग्राम में विभिन्न केन्द्रों पर जाकर दीया पेंटिंग एवं सजावट की वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया। दीपावली उत्सव को भी इस मिशन का हिस्सा बनाया। छात्राध्यापकों के साथ ग्रामीण महिलाएँ पूर्ण मनोयोग से दीया पेंटिंग एवं सजावट कार्य में हर्षोल्लास के साथ लग गयीं। बनाये हुए दीयों एवं सजावट की वस्तुओं की छात्राध्यापकों ने महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगायी। दीया एवं सजावट की वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त मूल्य को ग्रामीण महिलाओं में वितरित कर दिया गया। यह स्वावलंबन की दिशा में एक कदम था। दीपावली एवं छठ पूजा के उपरान्त छात्राध्यापकों ने ज्ञान यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया। 01 से 10 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की निःशुल्क कोचिंग कक्षाएँ एवं विभिन्न केन्द्रों पर माँ और बच्चे साथ-साथ पढ़ने का कार्य गत वर्षों की भांति जारी किये। प्रत्येक माह के अंत में पढ़ाये गये विषयों का मासिक मूल्यांकन भी किया जाता रहा है, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों एवं महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया है।

महाविद्यालय की तर्ज पर प्रत्येक रविवार को स्वच्छता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का कार्य भी पूर्ववत् जारी रखा। प्रत्येक रविवार आठ केन्द्रों पर शिक्षण कार्य स्थगित कर पहले अपने केन्द्र पर झाड़ू उठाकर छात्राध्यापक एवं ग्रामीण महिलाएँ बच्चे मिलकर सफाई करते, तत्पश्चात् गायन-नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा एक दूसरे का मनोरंजन करते। सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक गणतंत्र दिवस एवं बसन्त पंचमी के अंतर्गत आयोजित समारोहों में दिखी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर अभिमन्यू शिक्षक केन्द्र पर सभी केन्द्रों की महिलाएँ एवं बच्चे मिलकर छात्राध्यापकों संग ध्वजारोहण के पश्चात् राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत नाचते गाते इस समारोह को विलक्षण बना रहे थे। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक भी उपस्थित हुए। इसी क्रम में बसन्त पंचमी के अवसर पर भी छात्राध्यापकों ने अपने-अपने शिक्षण केन्द्रों पर महिलाओं एवं बच्चों के साथ माँ सरस्वती की आराधना कर पढ़ने का कार्य किया।

पढ़ने-पढ़ाने के साथ-साथ छात्राध्यापकों द्वारा व्यक्तित्व विकास योजना का कार्य भी किया गया। जहाँ छात्रों को शारीरिक सफाई, बाल ठीक रखना, बढ़के नाखूनों को चेक करना तथा बातचीत करने के तौर-तरीके भी सिखाये गये। बच्चों को बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने का प्रशिक्षण भी दिया गया एवं बच्चों में कला के माध्यम से रचनात्मकता का विकास भी किया जा रहा है।

'मन से मंझरिया' में छात्राध्यापकों ने ग्रामवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने

के उद्देश्य से पर्यावरण जागरूकता रैली का भी आयोजन किये। बी.एड. विभाग का वास्तविक मिशन निःशुल्क चिकित्सा शिविर की योजना को आधार देने के लिए ग्राम में गुरु श्रीगोरक्षनाथ चिकित्सालय के 'सचल चिकित्सा सेवा' द्वारा साप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जहाँ निःशुल्क दवाएँ भी वितरित की गयीं। मिशन मंझरिया बी.एड. विभाग की अद्वितीय उपलब्धि के रूप में निरन्तर प्रगति पर है। वर्तमान सत्र में इस मिशन को प्रारम्भ कर वर्तमान परिणति तक पहुँचाने वाले सेवाव्रती विद्यार्थी हैं राहुल कुमार यादव, स्मिता वर्मा, हर्षा गुप्ता, अनुज श्रीवास्तव, प्रदीप शुक्ला, अमित साहू, अम्बरीष चतुर्वेदी, अंजली गुप्ता, अवनीश सिंह, इन्दू चौधरी, कुमार सिद्धार्थ यादव, हिमांशु सिंह, सुमित सिंह, विशाल मानव, माध्वेन्द्र पति त्रिपाठी, सीमा पाण्डेय, दिव्यम श्रीवास्तव, संदीप श्रीवास्तव, राघवेन्द्र प्रताप सिंह। सहयोगी छात्राध्यापक कृष्ण मोहन निषाद, अभिषेक सिंह, अंशिका राय, सौम्या त्रिपाठी, अश्वनी कुमार, कृतिका त्रिपाठी, श्वेता मल्ल, दीपक प्रजापति, पूजा सिंह, श्वेता गौड़, आदित्य वर्मा, माया श्रीवास्तव, अम्बिका शर्मा, पल्लवी मिश्रा, अम्बिकेश तिवारी, बलवीर प्रताप मल्ल, अखिलेश प्रजापति, आलोक सिंह, आकाश सिंह, राखी रानी, सहाना खातून, देवेन्द्र कुमार, हरिकेश कुमार यादव, ऐश्वर्या त्रिपाठी, राजन, सूरज यादव, संतोष, कुलदीप शर्मा। 'मिशन मंझरिया' अनवरत गति से चलता रहे, इस दृष्टि से बी.एड. विभाग की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा सिंह ने बी.एड. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी इस मिशन में जोड़ने की योजना बनायी है।

### मिशन मंझरिया

मिशन मंझरिया के अंतर्गत ग्राम मंझरिया में बी.एड. छात्राध्यापकों द्वारा निम्न आयामों में कार्य गतिमान रहा है—

सभी केन्द्रों के मैनेजमेंट का कार्य बी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापक राहुल यादव एवं स्मिता श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

**पाठशाला एवं कोचिंग कक्षाएं** — गत सत्र की भांति इस सत्र में भी मिशन मंझरिया का पहला लक्ष्य गांव के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने एवं समर्थ-सक्षम को विद्यालय भेजने शेष को गृह शिक्षा प्रदान करना रहा है। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कक्षा उपलब्ध कराना था। इस सत्र में इस कोचिंग सेंटर का नाम भीमराव अम्बेडकर शिक्षण केन्द्र था। इस सत्र में यहां 121 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ। यह शिक्षा केन्द्र सफलतापूर्वक संचालित है। पंजीकृत विद्यार्थियों की कक्षा सूची निम्नांकित है।

### 1. भीमराव अम्बेडकर शिक्षण केन्द्र पर पढ़ाने वाले छात्राध्यापक —

- रेगुलर छात्राध्यापक —
01. अमित साहू
  02. विशाल
  03. सुमित तिवारी

सहयोगी – 04. माधवेन्द्र पति त्रिपाठी  
05. अंबिकेश तिवारी

क्र.सं.	नाम	कक्षा
01	पायल निषाद	04
02	आयुष	02
03	सौम्या	नर्सरी
04	सिमरन	05
05	नैना	06
06	सलोनी	03
07	मुस्कान	यू.के.जी.
08	अनुराधा निषाद	01
09	शुकन्या	01
10	मोनिका	नर्सरी
11	शिवांगी	नर्सरी
12	अनुराधा प्रजापति	05
13	आंचल गुप्ता	यू.के.जी.
14	अनुष्का	03
15	गोविंद	05
16	अमन	03
17	आदर्श	नर्सरी
18	शिवम	नर्सरी
19	काजल निषाद	02
20	आयुष	नर्सरी
21	संध्या	01
22	सूरज	02
23	आदित्य	नर्सरी
24	अंकित	04
25	आंचल निषाद	03
26	अंशू प्रजापति	03

क्रं.सं.	नाम	कक्षा
27	शिवम प्रजापति	—
28	मोनू	02
29	अमन प्रजापति	05
30	प्रिंस 02	
31	कृष्णा साहनी	04
32	रिकेश निषाद	03
33	राजीव	04
34	सुशील	01
35	छविएल.के.जी.	
36	मनीषा	04
37	रोशनी	नर्सरी
38	आयुष निषाद	नर्सरी
39	अंकुश	नर्सरी
40	आदित्य	नर्सरी
41	खुशी	04
42	अजय निषाद	04
43	अदिति	नर्सरी
44	शालिनी	02
45	अनोक्षी	03
46	सोनाली	नर्सरी
47	आर्यन निषाद	03
48	दीपक	04
49	महिमा	एल.के.जी
50	सक्षम	—
51	श्रेयांश	नर्सरी
52	जुनैना	03
53	रिया	नर्सरी
54	सोनाक्षी	नर्सरी

क्र.सं.	नाम	कक्षा
55	माया	02
56	सौरभ	नर्सरी
57	राजकुमार	04
58	अन्नपूर्णा	01
59	अनुराग	02
60	हिमांशु	02
61	अंश	—
62	यश	01
63	अंश गुप्ता	—
64	राधिका गुप्ता	—
65	अमित निषाद	—
66	सत्यम निषाद	02
67	खुशी निषाद	04
68	सृष्टि निषाद	03
69	गीता कुमारी	04
70	सीता कुमारी	04
71	अनिता कुमारी	03
72	खुशबू	नर्सरी
73	खुशी	एल.के.जी
74	किसन	02
75	शिवानी	01
76	सन्नी	04
77	आदित्य	03
78	राहुल निषाद	04
79	कुसुम	नर्सरी
80	शालिनी	यू.के.जी
81	कृष्णा निषाद	04
82	बिन्देश	03

क्रं.सं.	नाम	कक्षा
83	आराध्या	नर्सरी
84	लक्ष्मी	नर्सरी
85	आकृति	नर्सरी
86	मन्नी	01
87	छोटी	नर्सरी
88	उजाला	नर्सरी
89	संध्या	नर्सरी
90	विकास	नर्सरी
91	शुकन्या	नर्सरी
92	जूली	नर्सरी
93	अंजलि कुमारी	04
94	गोलू	02
95	मोनू	03
96	शिवम निषाद	नर्सरी
97	सुहानी	नर्सरी
98	राहुल	नर्सरी
99	प्रिती	02
100	निशा	02
101	अंश	01
102	अमोल चौहान	03
103	राज	01
104	दीपक	01
105	सोहन	03
106	अन्नू	01
107	लक्ष्मण	04
108	आस्था	एल.के.जी.
109	सुमन	एल.के.जी.
110	अर्पिता	नर्सरी
111	अराध्या	—

क्र.सं.	नाम	कक्षा
112	अंश	एल.के.जी.
113	दिबेरा निषाद	03
114	संजू निषाद	नर्सरी
115	कलन निषाद	नर्सरी
116	आदित्य कुमार	—
117	अनन्या	—
118	सुमन	—
119	शिवम निषाद	—
120	अनुज निषाद	06
121	प्रतिमा	03

उपर्युक्त केन्द्रों पर इन विद्यार्थियों में से विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार एवं विद्यालय न जाने वाले विद्यार्थियों को उम्र एवं योग्यता के अनुसार कक्षाएं आवंटित कर पढ़ाया जा रहा है।

**साक्षरता** – गाँव की निरक्षर महिलाओं को भी साक्षरता के प्रति जागरूक किया जाने का कार्य जारी रहा। महिलाओं की कक्षाएं उनके घर के आस-पास चल सकें, इस दृष्टि से इस सत्र में 07 केन्द्र बनाए गए। सात अभियान में चलने वाले साक्षरता केन्द्रों में सम्मिलित प्रतिभागियों का विवरण निम्नवत् है।

## 2. विद्यादायिनी माँ सरस्वती शिक्षण केन्द्र –

**रेगुलर छात्राध्यापक** – 01. अनुज कुमार श्रीवास्तव

**सहयोगी** – 02. अवनीश सिंह

03. अंजलि गुप्ता

04. पल्लवी मिश्रा

05. आशुतोष गुप्ता

छात्रों के नाम	कक्षा	पिता का नाम	उम्र	माता का नाम	आधार नं0
निखिल निषाद	07	श्री जगदीश निषाद	12	सुन्दरावती देवी	—
धीरज निषाद	05	श्री सावन्त निषाद	12	गंगोत्री देवी	—
रेखा निषाद	05	श्री नगीना निषाद	13	उषा देवी	—

छात्रों के नाम	कक्षा	पिता का नाम	उम्र	माता का नाम	आधार नं०
सुनीता निषाद	05	श्री शम्भू निषाद	12	पूनम देवी	937928475699
रीता निषाद	07	श्री शम्भू निषाद	15	पूनम देवी	844598491745
रूबी निषाद	07	श्री चन्द्रभान निषाद	13	निशा देवी	—
सीता निषाद	06	श्री शम्भू निषाद	13	पूनम देवी	924619023859
नेहा निषाद	07	श्री हेमन्त निषाद	16	गोगोत्री देवी	890980811368
बबली निषाद	01	श्री केवाश निषाद	10	संतीरा देवी	

**ग्रामीण महिलाओं का नाम**

बसन्ती देवी  
सुन्दरावती देवी  
गंगोत्री देवी  
सुमित्रा देवी  
सन्तिरा देवी  
रोशनी (छात्रा)

**पति का नाम**

श्री अवधेश निषाद  
श्री जगदीश निषाद  
श्री हेमन्त निषाद  
श्री अमरजीत निषाद  
श्री केवाश निषाद  
मनसेदु निषाद (पिता)

**3. माँ सीता शिक्षण केन्द्र -**

- रेगुलर छात्राध्यापक -**
01. स्मिता वर्मा
  02. संदीप श्रीवास्तव
  03. दिव्यम श्रीवास्तव
- सहयोगी -**
04. अभिषेक सिंह
  05. आकाश सिंह

विद्यार्थी का नाम	पति का नाम	उम्र	आधार नं०
आरती देवी	संतबली निषाद	35	405860721065
सिरजावती देवी	पन्नेलाल	40	567236058922
शीला देवी	अशोक	36	313617032409
शकुन्तला	विदेशी	34	494920430000
मंजू	कन्हैयालाल	39	703036194221
विद्यावती	बालकिशुन	30	492551166067
मंतीरा	मोहित लाल	34	444655159117



विद्यार्थी का नाम	उम्र	पिता का नाम	माता का नाम
शिवानी (बच्ची)	34	बाल किशानु	विद्यावती

#### 4. वीर अभिमन्यू शिक्षण केन्द्र –

- रेगुलर छात्राध्यापक – 01. सिद्धार्थ कुमार यादव  
 सहयोगी – 02. हिरकेश यादव  
 03. अश्वनी कुमार  
 04. हिमांशु सिंह  
 05. सूरज यादव  
 06. अंशिका राय  
 07. शालिनी गुप्ता  
 08. हरिकेश यादव

क्रं.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा
1.	आरुषी	प्रदीप	एल.के.जी.
2.	आराध्या	अरुण	यू.के.जी.
3.	अनुष्का निषाद	गुड्डू	–
4.	अनुराधा	अक्षयलाल	–
5.	अंशिका चौहान	दिनेश	एल.के.जी.
6.	आर्य साहनी	प्रदीप	एल.के.जी.
7.	अंश साहनी	सुनील साहनी	एल.के.जी.
8.	आदर्श	बालमुकुन्द	यू.के.जी.
9.	आंचल निषाद	रामजतन निषाद	–
10.	आदित्य चौहान	छोटे लाल चौहान	1
11.	अंशु निषाद	पन्नेलाल	2
12.	आनन्द निषाद	अभिजीत निषाद	–
13.	अंजली चौहान	दिनेश चौहान	4
14.	अजय निषाद	अर्जुन निषाद	4
15.	काजल निषाद	बलवन्त निषाद	2

क्रं.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा
16.	विपिन निषाद	बलवन्त निषाद	1
17.	सोहन निषाद	मोहन निषाद	एल.के.जी.
18.	साहित्य	अच्छेलाल	—
19.	राजीव निषाद	सन्तबली	यू.के.जी.
20.	सूरज निषाद	रामानन्द निषाद	यू.के.जी.
21.	निहाल चौहान	प्रदीप चौहान	यू.के.जी.
22.	रूपा चौहान	रामशरण	1
23.	राज	अमरजीत	—
24.	संजनी	दिनेश	यू.के.जी.
25.	सुमित निषाद	अरुण निषाद	8
26.	संगम चौहान	हरिकेश चौहान	7
27.	समरीन निषाद	कन्हैया निषाद	5
28.	वंशिका शर्मा	संतोष शर्मा	4
29.	दिपांशु शर्मा	संतोष शर्मा	6
30.	नीरज	प्रदीप	4
31.	लाडली	सोनू	1
32.	खुशी	राजबली	4
33.	मनीषा	राजबली	2
34.	संध्या	रामनन्द	यू.के.जी.
35.	ऋषिकेश	रामदरश	एल.के.जी.
36.	सौरभ	रूदल	एल.के.जी.
37.	अंकित	राजबली	एल.के.जी.
38.	छवी	आल्हा	एल.के.जी.
39.	सुशील	आल्हा	एल.के.जी.
40.	खुशी निषाद	पन्नेलाल निषाद	9
41.	करीना निषाद	मोहित निषाद	4
42.	संध्या निषाद	अरुण निषाद	6
43.	रबीना निषाद	मोहित निषाद	7

क्रं.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा
44.	अंजनी चौहान	सेठ निषाद	4
45.	अनुप निषाद	बाल किशन निषाद	—
46.	करीना चौहान	बाले चौहान	1
47.	रोली चौहान	अम्बर चौहान	2
48.	प्रिंस निषाद	मोहित निषाद	3
49.	राहुल चौहान	अम्बर चौहान	एल.के.जी.
50.	कमदानी	रामदरश साहनी	10
51.	नमिता निषाद	—	—
52.	अंशुशिका चौहान	अचर चौहान	05
53.	अंशिका निषाद	पन्नेलाल निषाद	08
54.	आर्यना चौहान	अम्बर चौहान	—
55.	संजना चौहान	अशोक निषाद	02
56.	रिकेश निषाद	कलल निषाद	02
57.	मोनु चौहान	महेश चौहान	01
58.	विक्की निषाद	विदेशी निषाद	01
59.	मोहन निषाद	सजन निषाद	03
60.	संजना चौहान	रमेश चौहान	—
61.	रंजना	.....	.....
62.	रोशन चौहान	.....	.....
63.	मानसी	.....	.....
64.	अखिलेश	.....	.....
65.	यशवंत	.....	.....
66.	आयुष	.....	.....
67.	अंशिका चौहान	.....	.....
68.	जिनी	.....	.....
69.	नित्यानन्द	.....	.....
70.	मुस्कान	.....	.....
71.	अंशु चौहान	.....	.....

क्रं.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा
72.	सुषमा चौहान	.....	.....
73.	निरंजन चौहान	.....	.....
74.	शक्ति चौहान	.....	.....
75.	राजन चौहान	.....	.....
76.	विवेक	.....	.....
77.	अर्जित चौहान	.....	.....
78.	विजय चौहान	.....	.....
79.	सोनू निषाद	.....	.....
80.	रुबी निषाद	.....	.....

#### 5. माँ कात्यायनी शिक्षण केन्द्र –

- रेगुलर छात्राध्यापक – 01. इंदु चौधरी  
 02. अखिलेश प्रजापति  
 03. संतोष कुमार  
 04. राघवेन्द्र प्रताप सिंह
- सहयोगी – 05 सौम्या त्रिपाठी  
 06. बलवीर प्रताप मल्ल  
 07. श्वेता गौड़  
 08. सहाना खातून

क्रं.सं.	नाम	कक्षा	उम्र
1.	रोहित	02	09
2.	मंजित	03	11
3.	निरंजन	03	10
4.	रुबि	05	14
5.	शिवानी– प्रथम	04	12
6.	शिवानी–द्वितीय	02	10
7.	अनामिका	03	11
8.	आर्यन–प्रथम	यू.के.जी.	06
9.	सोनी	यू.के.जी.	06
10.	लक्की	01	06
11.	राजन निषाद	04	09

क्र.सं.	नाम	कक्षा	उम्र
12.	कृष्णा-प्रथम	04	11
13.	कुणाल	04	11
14.	अमित-प्रथम	02	12
15.	कृष्णा-द्वितीय	यू.के.जी.	09
16.	उजाला	यू.के.जी.	06
17.	विवेक	02	12
18.	पीहू-प्रथम	यू.के.जी.	05
19.	सोनू	यू.के.जी.	05
20.	परी	02	09
21.	सपना	03	10
22.	माया	02	16
23.	निलेश	02	10
24.	अनिस	01	09
25.	तृषा	03	12
26.	आर्यन-द्वितीय	02	09
27.	काजल	06	16
28.	सलोनी	एल.के.जी.	05
29.	वन्दना	05	15
30.	सूरज	05	12
31.	आंचल	04	13
32.	मनीषा	03	13
33.	मुस्कान	02	10
34.	अमित-द्वितीय	01	09
35.	शुभम	02	12
36.	खुशबु	04	15
37.	अंजली	06	16
38.	अंशिका-प्रथम	05	14

क्र.सं.	नाम	कक्षा	उम्र
39.	संजनी	04	14
40.	अंशु	02	13
41.	मंयक	01	08
42.	अन्नया	03	13
43.	रबीना	04	12
44.	अंशिका-द्वितीय	02	11
45.	प्रितम	02	10
46.	अंश	01	09
47.	अमन	01	09
48.	ऋषभ	एल.के.जी.	05
49.	कुमकुम	05	16
50.	अरूण	02	10

ग्रामीण महिलाओं का नाम	आयु
श्रीमती पूजा देवी	32
श्रीमती लक्ष्मी देवी	35
श्रीमती किस्मती देवी	40
श्रीमती शीला देवी	41
श्रीमती निर्मला देवी	29
श्रीमती दीपमाला देवी	36
श्रीमती गीता देवी	45
श्रीमती अनीता देवी	39
श्रीमती सिरजावत देवी	34
श्रीमती चन्दा देवी	31

## 6. रानी पद्मिनी शिक्षण केन्द्र -

- रेगुलर छात्राध्यापक -
01. कृतिका त्रिपाठी
  02. कुलदीप शर्मा
  03. अम्बीष चर्तुवेदी
  04. सीमा पाण्डेय

क्र.सं.	नाम	कक्षा	उम्र
1.	राजपाल चौहान	03	08
2.	अजय चौहान	04	10
3.	विजय चौहान	02	07
4.	गौतम चौहान	04	11
5.	सत्यम चौहान	02	06
6.	गुलशन चौहान	08	15
7.	अनुराग चौहान	01	05
8.	आर्यन चौहान	एल.के.जी.	04
9.	रोशनी चौहान	08	13
10.	काजल चौहान	08	14
11.	अनुप निषाद	04	10
12.	ईशान चौहान	01	06
13.	ललिता देवी	साक्षर महिला	35
14.	पुनम देवी	साक्षर महिला	42
15.	सुनीता देवी	साक्षर महिला	41
16.	अंशु चौहान	02	08
17.	शेषपाल चौहान	03	11
18.	अनिकेत निषाद	03	07
19.	गीता देवी	साक्षर महिला	48

### 7. रानी लक्ष्मीबाई शिक्षण केन्द्र –

- रेगुलर छात्राध्यापक –
01. हर्षा गुप्ता
  02. पूजा सिंह
  03. श्वेता मल्ल
  04. दिपक प्रजापति
  - 05 आदित्य वर्मा

क्रं.सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	कक्षा
1.	आदित्य चौहान	सरोज देवी	दिनेश निषाद	
2.	अनुप निषाद	संतीरा देवी	धर्मेन्द्र निषाद	
3.	अरुन निषाद	शर्मिला देवी	रमेश निषाद	
4.	सोनाली	शर्मिला देवी	रमेश निषाद	
5.	लक्ष्मीना	संतीरा देवी	धर्मेन्द्र निषाद	
6.	ऊषा	संतीरा देवी	धर्मेन्द्र निषाद	
7.	मुस्कान	सरोज देवी	दिनेश निषाद	
8.	आर्यन	शकुन्तला देवी	जालन्धर निषाद	
9.	सुनैना	सरोज देवी	दिनेश निषाद	
10.	मनीषा	संतीरा देवी	धर्मेन्द्र निषाद	
11.	प्रियंका	रूना देवी	गुड्डू निषाद	
12.	पायल	रूना देवी	गुड्डू निषाद	
13.	सोनम (बड़ी)	रीना देवी	कन्हई निषाद	
14.	राजन निषाद	धनावती देवी	रामभवन	
15.	अमृता निषाद	सोनी निषाद	रामचरन निषाद	01
16.	आरती निषाद	धनावती निषाद	रामभवन	05
17.	धर्मवीर निषाद	सरोज निषाद	दिनेश	02
18.	युवराज निषाद	रीना निषाद	कन्हई	01
19.	करन निषाद	सन्तीरा निषाद	धर्मेन्द्र	—
20.	हैप्पी	सोना देवी	विरेन्द्र निषाद	प्लेवे
21.	अनन्या	सोना देवी	विरेन्द्र निषाद	—
22.	हिमांशु	सोना देवी	विरेन्द्र निषाद	—
23.	जीवा	शकुन्तला देवी	जालन्धर	01
24.	बन्दना	पूजा देवी	जनई	—
25.	अमन	शर्मिला देवी	रमेश	—
26.	अनुष्का	मंजू देवी	मकसूदन निषाद	04
27.	अंशिका	मंजू देवी	मकसूदन निषाद	—
28.	अंशुमान	मंजू देवी	मकसूदन निषाद	—



क्र.सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	कक्षा
29.	सोनम (छोटी)	सरोज देवी	दिनेश निषाद	—
30.	स्नेहा	देवी	—	—
31.	लक्ष्मण	बोदामा देवी	लल्लन	04
32.	सचिन	पूजा	जनई	01
33.	अनिकेत	रीना	संतोष निषाद	—
34.	सत्यम	गुंजा	गुलाब	—
35.	राज	गुड़िया देवी	जय हिन्द	यू.के.जी.
36.	निशा (प्रथम)	गुड़िया देवी	जय हिन्द	यू.के.जी.
37.	जावनी	गुड़िया देवी	जय हिन्द	यू.के.जी.
38.	आयुष	रीना देवी	संतोष	—
39.	गीता	सूरजी देवी	मुख्तार	—
40.	प्रियंका (द्वितीय)	आरती देवी	गुड्डू	—
41.	प्रिंस	आरती निषाद	गुड्डू	—
42.	रिंकी निषाद	रुना निषाद	गुड्डू	—
43.	सुन्दरी निषाद	ललिता निषाद	मानसिंह	—
44.	निशा निषाद	कुसुम निषाद	कमलेश	—
45.	प्रिया	गुंजा	गुलाब	—
46.	रिया	रुना	गुड्डू	—
47.	शिव कुमार	संजू देवी	हरेन्द्र	—
48.	चांदनी	—	—	—
49.	आकाश	कुसुमावत	संजय	01
50.	काजल	आशा	धर्मदेव	यू.के.जी.
51.	प्रिया	—	—	—
52.	खुशी	गीता	संजय	यू.के.जी.
53.	ऋषि	—	—	—
54.	शिवम	—	—	—
55.	रंजीत	कुसुमावत	संजय	01

ग्रामीण महिलाओं का परिचय –

क्र.सं.	नाम	पति का नाम
1.	रीना देवी	संतोष निषाद
2.	संतीरा देवी	धमेन्द्र निषाद
3.	सोना देवी	विरेन्द्र
4.	पूजा देवी	जनई
5.	सरोज देवी	दिनेश निषाद
6.	शकुन्तला देवी	जालन्धर निषाद
7.	मंजू देवी	मकसूदन निषाद
8.	रेखा देवी	अमरनाथ
9.	शार्मिला देवी	रमेश
10.	रीना देवी	कन्हई निषाद

8. स्वामी विवेकानन्द शिक्षण केन्द्र –

- रेगुलर छात्राध्यापक –
01. प्रदीप कुमार शुक्ल
  02. माया श्रीवास्तव
  03. कृष्ण मोहन निषाद
  04. अम्बिका शर्मा
  05. देवेन्द्र कुमार

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	उम्र
1.	विपुल निषाद	श्री राजदेव निषाद	02	08
2.	अंश निषाद	श्री भोला निषाद	03	09
3.	राजकुमार	श्री राजदेव निषाद	02	08
4.	आदित्य मद्धेशिया	श्री वशिष्ठ मद्धेशिया	यू.के.जी	07
5.	अंजू निषाद	श्री राजदेव निषाद	03	09
6.	अंजली निषाद	श्री अवधेश निषाद	03	09
7.	गुड़िया निषाद	श्री भोला निषाद	02	08
8.	सृष्टि निषाद	श्री अवधेश निषाद	02	08
9.	विपिन निषाद	श्री भोला निषाद	प्लेवे	04

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	उम्र
10.	सोनम चौहान	श्री राजू चौहान	प्लेवे	04
11.	सुन्दरी चौहान	श्री राजू चौहान	प्लेवे	04
12.	संजना मद्धेशिया	श्री सिकन्दर मद्धेशिया	03	10
13.	सृद्धि कुमारी	श्री रवीन्द्र निषाद	02	09
14.	अनू गुप्ता	श्री मोहन गुप्ता	03	10
15.	बेबी मद्धेशिया	श्री सोहन मद्धेशिया	03	10
16.	अंजली मद्धेशिया	श्री अनिल मद्धेशिया	03	10
17.	आरूषि मद्धेशिया	श्री अनिल मद्धेशिया	01	07
18.	अंशिका मद्धेशिया	श्री अनिल मद्धेशिया	01	07
19.	श्रीमती गुडिया देवी	श्री विशाल चौहान	—	—
20.	श्रीमती रोशनी देवी	श्री सूरज चौहान	—	—
21.	साधना निषाद		03	10
22.	सोहन निषाद		01	07
23.	अरूण भारती	श्री रामलखन भारती	01	07
24.	अंशिका भारती	श्री रामलखन भारती	यू.के.जी.	06
25.	युवराज निषाद	श्री अवधेश निषाद	02	09
26.	आयुष मद्धेशिया	श्री वशिष्ठ मद्धेशिया	एल.के.जी.	06
27.	कुमारी राधा	श्री सूरज यादव	03	10
28.	कटरिना भारती	श्री जगदीश भारती	03	10
29.	काजल भारती	श्री जगदीश भारती	02	09
30.	आयुष निषाद	—	एल.के.जी.	05
31.	अनमोल निषाद	—	प्लेवे	04
32.	प्रिति बेलदार	—	प्लेवे	03
33.	चांदनी बेलदार	—	प्लेवे	04
34.	दुर्गा बेलदार	—	एल.के.जी.	05
35.	रोहन बेलदा	—	प्लेवे	04
36.	सुन्दरी निषाद	—	01	07
37.	रानी बेलदार	—	03	10

क्रं.सं.	नाम	पिता का नाम	कक्षा	उम्र
38.	वाजिद अली	—	02	09
39.	राजवीर	—	02	09
40.	इफरान अली	—	यू.के.जी.	07
41.	अर्जुन निषाद	—	एल.के.जी.	06
42.	अंशु साहनी	—	05	11
43.	प्रिंस निषाद	—	04	10
44.	रिति निषाद	—	03	07
45.	संजना निषाद	—	02	08
46.	सृद्धि निषाद	—	01	07
47.	काजल निषाद	—	एल.के.जी.	05
48.	खुशी निषाद	—	यू.के.जी.	08
49.	रिया निषाद	—	प्लेवे	04
50.	सृष्टि निषाद	—	03	10
51.	शबनम	—	03	10
52.	अमित निषाद	—	02	09
53.	शाहिद	—	04	10
54.	अमित निषाद	—	02	09
55.	नेहा निषाद	—	03	10
56.	अंकिता निषाद	—	06	13
57.	अंशिका निषाद	—	04	10
58.	खुशी	—	03	09
59.	श्लोक निषाद	—	प्लेवे	04

3. **स्वास्थ्य** – ग्राम मंझरिया में गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के सचल चिकित्सा सेवा द्वारा साप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जारी रहा जहां निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गयीं। प्रत्येक सप्ताह के बृहस्पतिवार को इस साप्ताहिक शिविर में गांव के अशक्त एवं असहाय लोगों को उनके घर पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गयी। सभी बच्चों-महिलाओं सहित सभी ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य जारी रहा। स्वास्थ्य शिविर से लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं	नाम	उम्र	बिमारी
01.	रामाश्रय	65	पैर के जोड़ों में दर्द
02.	आरुषी	04	बलगम
03.	सोनी देवी	20	बलगम
04.	सुन्द्रवती	60	सर दर्द
05.	सुमित्रा देवी	60	eve discharge
06.	आयुषी	6 माह	बलगम
07.	मयंक	04	शरीर में खुजली
08.	अनिता देवी	35	जोड़ों में दर्द
09.	अंशु	05	बलगम
10.	रीता देवी	30	गले में संक्रमण
11.	छोहाड़ी देवी	30	गले में संक्रमण
12.	नीरज वर्मा	26	सर में दर्द
13.	कृष्णा	09	Loss of Appetite
14.	मीन्ता देवी	70	जोड़ों में दर्द
15.	शान्ति देवी	40	गले में संक्रमण
16.	दीपमाला देवी	30	Loss of Appetite
17.	आर्यन	04	बलगम
18.	सोनू	02	त्वचा रोग
19.	लक्ष्मी देवी	25	पेट में समस्या
20.	रोली	07	Acute abdomen
21.	कमल	68	बलगम
22.	सरिता	6 माह	Loose Motion
23.	बरकी देवी	70	बलगम
24.	कॉजल	10	चक्कर आना
25.	कृषा	08	सरदर्द
26.	राता देवी	55	सरदर्द

क्र.सं	नाम	उम्र	बिमारी
27.	वन्दना देवी	09	बुखार
28.	नीलम देवी	35	खुजली
29.	बेइली देवी	60	आँखों की समस्या
30.	सन्नी	07	दाद की समस्या
31.	वन्दना	13	आँख की समस्या
32.	अमित	05	फोड़ा
33.	शारदा देवी	55	सिर दर्द
34.	सूरज	12	कमजोरी, सिर दर्द
35.	लीलावती देवी	35	पजरी में दर्द
36.	हेमन्ती देवी	38	भुख की कमी
37.	सिरजावती देवी	35	दाद, साँस फुलना
38.	सीरजावती देवी	60	बल्लाम / दमा
39.	शकुन्तला	35	पेट में दर्द
40.	भगवती	60	सर में दर्द / चक्कर आना
41.	सिमिर्ती	75	हमेशा कमजोरी रहती
42.	शिव	50	फालिज
43.	कुमाउती देवी	60	जोड़ों में दर्द
44.	गौतम	10	बल्लाम
45.	ज्ञानमती	40	संक्रमण समस्या
46.	पुनम	25	एलर्जी
47.	सूरज	17	त्वचा रोग
48.	रामान्ता	40	खाँसी, खुजली
49.	बुधनी	45	
50.	नेहा	15	त्वचा रोग
51.	अशरफी	80	जोड़ों में दर्द / आँख में
52.	गंगोत्री	40	सर दर्द मिचली समस्या

क्र.सं	नाम	उम्र	बिमारी
53.	लालमती	35	शरीर में दर्द
54.	सरोज	35	नाक से खून
55.	विवेक	04	छाई
56.	सरोज	32	जोड़ों में दर्द
57.	बासमती	40	जोड़ों में दर्द
58.	कार्तिक	03	बल्गम
59.	निर्मला	04	बल्गम, बुखार
60.	तारा देवी	80	जोड़ों में दर्द
61.	बचन देवी	70	शरीर में दर्द
62.	केशा देवी	65	जोड़ों में दर्द
63.	नंदनी	10	त्वचा रोग
64.	तीषा देवी	60	सर में दर्द
65.	फुलचन्द्र	70	साँस की समस्या, जोड़ों में दर्द
66.	झिमकी देवी	65	बल्गम
67.	चम्पा देवी	50	Hypotention
68.	सरिता देवी	30	सीन में दर्द
69.	किस्मती	35	पेट में दर्द
70.	शीला देवी	40	पेट में दर्द
105	रोशनी	14	सरदर्द
106	किस्मती देवी	70	पैर, कमर में दर्द
107	सुष्मा देवी	35	बुखार
108	साहिल	06	बुखार
109	बीजमानी	65	पैर में दर्द
110.	शोभा देवी	40	पैर में दर्द
111.	आर्यन	07	खाँसी
112.	राजवीर	02	खाँसी

क्र.सं	नाम	उम्र	बिमारी
113.	वासमती देवी	40	पैर में दर्द
114.	दामोदरी देवी	40	कमर में दर्द, खाँसी
115.	सीमा देवी	22	खाँसी, खुजली
116.	इमरती देवी	65	पेट में दर्द
117.	शकुन्तला देवी	40	पैर में दर्द
118.	प्रभावती देवी	55	पैर में दर्द
119.	निर्मला	10	सिर में दर्द
120.	इन्द्रावती देवी	50	सिर में दर्द
121.	मुस्कान	08	फोड़ा
122.	करीना	06	खाँसी
123.	किरन	12	खाँसी, फोड़ा
124.	गीता	13	पैर में चोट
125.	अनुष्का	09	पीठ में दर्द
126.	मन्त्रीरा देवी	40	नाखुन में चोट
127.	रबीना	12	खाँसी
128.	सुषमा	07	खाँसी, सर्दी
129.	नित्यानन्द	06	फोड़ा, पैर में दर्द
130.	आर्यन	11	हाथ में चोट
131.	कुसुम	07	खाँसी, बुखार
132.	राहुल चौहान	20	भुख की कमी
133.	संगम	11	खाँसी
134.	निखिल निषाद	10	चक्कर, खुजली
135.	रीता देवी	48	खुजली
136.	फुलमती देवी	55	पैर में दर्द
137.	ज्योती	15	खुजली
138.	रागनी	14	पैर में दर्द



क्र.सं	नाम	उम्र	बिमारी
139.	सुराती देवी	40	घबराहट, शरीर में दर्द
140.	सोनाली	13	दस्त
141.	धनावती देवी	40	पैर में दर्द
142.	अंशिका चौहान	06	खुजली, दाद, खाँसी
143.	वंशिका	10	कमजोरी
144.	शिवरल	60	आँख की समस्या
145.	अनुज	10	कान का बहना
146.	सूरज	11	खुजली
147.	संजना	15	भुख की कमी
148.	सुमित निषाद	13	पेट में दर्द
149.	खुशबू	13	चक्कर, भूख की कमी
150.	करीना	06	सिर में दर्द
151.	आराध्या	06	पैर में दर्द
152.	परमिल देवी	35	खाँसी, पैर में दर्द
153.	माला देवी	45	दाद, कमर में दर्द
154.	अनुष्का निषाद	12	फोड़ा
155.	दिव्यांशु	12	सर्दी
156.	विट्टू निषाद	10	दांत में दर्द
157.	अनुराधा	10	दाद
158.	रेखा निषाद	12	बुखार
159.	शेषपाल	10	फोड़ा
160.	बिक्की	10	खाँसी, बुखार
161.	अंशुमान	04	खाँसी
162.	विजय	07	छाँही
163.	सुनीता	25	बुखार
164.	राज चौहान	13	खुजली

क्र.सं	नाम	उम्र	बिमारी
165.	गंगोत्री देवी	40	दाद, खुजली
166.	मंजू	35	दाद, खुजली
167.	राजेश	14	दाद
168.	संतोष शर्मा	47	दाद
169.	रामअशीष	40	खुजली, खाँसी
170.	रोहित निषाद	15	सर्दी, जुकाम
171.	धीरज	12	दाद, खुजली
172.	सूरज	12	दाद, खुजली
173.	सुहानी	01	दाद
174.	कलावती	60	आँख में दर्द
175.	संजना	10	सिर एवं पैर में दर्द, बुखार
176.	अजीत निषाद	13	दाद
177.	उमेश चौहान	32	सिर पर चोट
178.	मुकेश निषाद	14	खाँसी
179.	सुमित चौहान	11	कमजोरी
180.	ओमवीर निषाद	11	खाँसी
181.	कुनाल	05	खाँसी
182.	पायल	06	पेट में तेज दर्द
183.	प्रियंका	10	कान का बहना

**स्वास्थ्य शिविर में सहभाग करने वाले विद्यार्थी –**

क्र.सं.	विद्यार्थियों का नाम	क्र.सं.	विद्यार्थियों का नाम
01	श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव	02	सुश्री स्मिता वर्मा
03	श्री संदीप श्रीवास्तव	04	सुश्री कार्तिका त्रिपाठी
05	सुश्री पूजा सिंह	06	सुश्री अंजली गुप्ता
07	सुश्री अम्बिका शर्मा	08	सुश्री इन्दू चौधरी
09	सुश्री सीमा पाण्डेय	10	सुश्री अम्बिश

क्रं.सं.	विद्यार्थियों का नाम	क्रं.सं.	विद्यार्थियों का नाम
11.	सुश्री श्वेता गौड़	12.	सुश्री मल्ल
13.	सुश्री वंशिका त्रिपाठी	14.	सुश्री हर्षा गुप्ता
15.	श्री प्रदीप शुक्ला	16.	श्री अश्वनी मद्देशिया
17.	श्री अवनीश कुमार सिंह	18.	श्री दिव्यम श्रीवास्तव
19.	श्री हिमांशु सिंह	20.	श्री माधवेन्द्र पति त्रिपाठी
21.	सुश्री अंशिका राय	22.	श्री विशाल
23.	श्री सुमित सिंह	24.	श्री कृष्ण मोहन निषाद
25.	श्री अमित साहू	26.	श्री कुमार सिद्धार्थ
27.	श्री देवेन्द्र	28.	सुश्री राखी रानी
29.	श्री राघवेन्द्र	30.	सुश्री साहना
31.	श्री संतोष	32.	श्री आकाश सिंह

**4. संस्कारशाला—** मिशन मंझरिया के शिक्षा और माध्यम केन्द्रों पर साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन पूर्व की भांति प्रारंभ हुआ। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में गांव के परंपरागत गीत, संगीत, नृत्य, खेल-कूद इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के जीवन दृष्टि एवं संस्कार सीखने-सिखाने का यह केन्द्र माध्यम बना। मिशन मंझरिया के इस कार्यक्रम ने पूर्व की भांति मनोरंजन और आनन्द प्रदाता केन्द्र का स्वरूप बनाये रखा। इस सत्र के लगभग सभी पर्व और त्यौहारों में मिशन मंझरिया के सभी शिक्षा केन्द्रों पर परंपरागत समारोह आयोजित हुए। इस समारोह में गांव के बच्चे बूढ़े, सभी ने उत्साह पूर्वक सहभाग किया। बसंत पंचमी के अवसर पर पांचों शिक्षा एवं साक्षरता केन्द्रों पर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा, नृत्य, गीत-संगीत के कार्यक्रम आयोजित हुए। इस प्रकार मिशन मंझरिया के शिक्षा केन्द्र भारत की ग्रामीण संस्कृति को सीखने-सिखाने की संस्कारशाला चल रही है।

**5. स्वच्छता—** महाविद्यालय में स्थापना काल से ही चल रहे प्रत्येक शनिवार को स्वैच्छिक श्रमदान की तर्ज पर मिशन मंझरिया में भी साप्ताहिक स्वैच्छिक श्रमदान इस सत्र में भी चल सफलतापूर्वक चला। जिसमें शिक्षा-केन्द्रों के आस-पास स्वच्छता के साथ ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाता रहा है।

**6. सामाजिक समरसता —** मिशन मंझरिया का एक उद्देश्य सामाजिक समरसता भी इस सत्र में सफलतापूर्वक रहा। गांव के लोगों का आपसी मेल-जोल, प्रेम, सद्भाव की दिशा में छात्राध्यापकों द्वारा सराहनीय कार्य किये गये।

7. स्वरोजगार – मिशन मंझरिया के अंतर्गत लक्षित स्वरोजगार के द्वितीय चरण में महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रयत्न सराहनीय रहे। छात्राध्यापकों द्वारा निरंतर सिलाई-कढ़ाई, पेंटिंग, अचार, मुरब्बा बनाना जैसे प्रशिक्षण इस सत्र में और अधिक गतिमान रहे।

#### इस सत्र के मौलिक प्रयोग

1. दीया पेंटिंग, सजावट की वस्तुओं का प्रशिक्षण।
2. दीपावली के अवसर पर दीयों और सजावट की वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर स्वावलंबन की दिशा में बढ़ना।
3. महापुरुषों के नाम पर शिक्षण केन्द्रों का नामकरण।
4. तकनीकी प्रशिक्षण।
5. गाँव के बच्चों के व्यक्तित्व विकास की दिशा में साफ-सफाई, बड़े नाखून को चेक करना।
6. बच्चों को बीमारियों से बचने के लिए हाथ धोने का प्रशिक्षण।
7. कला सिखाकर रचनात्मकता का विकास किया गया।
8. निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं में छात्रों का सहभाग बढ़ा है।



## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	मकन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उच्चवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
5	श्री रामानन्द	34	दुकान (किराना)	9000 मासिक	02 मण्डा	-	पक्का	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	हाँ	लागू नहीं है।	नहीं	नहीं	माता के पेंशन के लिए आवेदन आता नहीं	सफेद
4	श्रीमती सीमित्री	69	मजदूरी	300 दैनिक	01 मण्डा	-	पक्का	नहीं मिलता	नहीं मिलता	नहीं	लागू है	-	है	-	लाल
5	श्री विशुन निषाद	70	मजदूरी	300 दैनिक	1.5 डेसीमल	-	कच्चा	नहीं मिलता है	लागू नहीं है।	नहीं मिला है।	नहीं मिलता है।	-	नहीं	-	सफेद
3	श्रीमती स्मावती	60	मजदूरी	300 दैनिक	02 मण्डा	-	पक्का	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	पहले से नर्स है।	-	खुला है।	-	लाल
5	श्रीमती लक्ष्मीना	75	बेटे विदेश में पेंटर है।	1,50,000 वार्षिक	1 बीघा	-	कच्चा	नहीं मिलता	नहीं मिलता	नहीं है	हाँ	-	खुला है।	-	सफेद
8	श्री दिनेश	34	मिस्ट्री	9000 मासिक	नहीं है।	-	पक्का	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	नहीं	नहीं	-	नहीं है।	-	सफेद
4	श्री जनार्दन	35	मजदूरी/5 पास	300 दैनिक	नहीं है।	-	पक्का	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	हाँ	-	नहीं	-	सफेद
4	श्रीमती सुरेश देवी	60	मजदूरी	300 दैनिक	नहीं	-	पक्का	लागू नहीं है।	नहीं मिलता	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	सफेद
5	श्रीमती इमरती देवी	30	फल-सब्जी बेचती है।	तय नहीं	नहीं	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	पहले से है	-	खुला है।	-	लाल
3	श्री शेरू	25	मजदूर	300 दैनिक	नहीं	-	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	-	नहीं	-	लाल
5	श्री सुधीर	40	राजमिस्ट्री	8000 मासिक	नहीं	-	पक्का	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	नहीं मिला	नहीं मिला	-	नहीं	-	लाल
7	श्री रवीन्द्र चौहान	-	सऊदी में रहते हैं।	-	-	-	पक्का	-	-	है	है	-	है	-	पीला
5	श्री नन्दू	40	लेबर	300 दैनिक	नहीं	नहीं	कच्चा	पात्र नहीं	पात्र नहीं	नहीं	हाँ	-	नहीं	-	सफेद

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उज्जवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
3	श्री रामधरतार	45	मजदूरी	300 दैनिक	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	नहीं
3	श्री राजकुमार	25	ब्रह्मचर	25000	नहीं	नहीं	कच्चा	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	नहीं
8	श्री नगीना निषाद	50	मिस्त्री	36,000	हाँ	-	पक्का	-	-	-	-	-	हाँ	-	सफेद
4	जीना निषाद	45	मजदूरी	36,000	हाँ	-	कच्चा	-	-	हाँ	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
5	अरुण निषाद	27	मजदूरी	48,000	नहीं	-	पक्का	-	-	हाँ	-	-	हाँ	-	सफेद
4	अशोक कुमार	39	मजदूरी	48,000	नहीं	-	पक्का	-	-	नहीं	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
2	धर्मेंद्र	40	मिस्त्री/नहीं	72,000	नहीं	-	कच्चा	-	-	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	लाल
4	बनवारी निषाद	26	मजदूरी	36,000	हाँ	-	पक्का	-	-	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	सफेद
8	रामप्रत निषाद	50	मिस्त्री	-	हाँ	-	पक्का	-	-	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	सफेद
9	मोतीराम	50	सरकारी नौकरी	108000	नहीं	-	पक्का	-	-	हाँ	हाँ	-	हाँ	-	लाल
5	कन्हैयालाल निषाद	40	पेंटिंग/9 वीं पास	108000	हाँ	-	पक्का	-	-	नहीं	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
5	सन्तबली निषाद	36	मजदूरी	36,000	हाँ	-	कच्चा	-	-	हाँ	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
4	राममिलन चौहान	45	मिस्त्री/9वीं पास	-	हाँ	-	पक्का	-	-	नहीं	नहीं	-	हाँ	-	सफेद
4	गोबू	50	मजदूरी	-	हाँ	-	पक्का	-	-	नहीं	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
5	जगदीश निषाद	35	मजदूरी	72,000	नहीं	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	-	लाल
6	नेबू लाल चौहान	65	रिटायर्ड/5वीं पास	छाटा गलत है।	हाँ	-	पक्का	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
3	राममिलन निषाद	30	मजदूरी	9000	हाँ	-	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	नहीं है
6	रामेश्वर	45	मजदूरी	9000	हाँ	-	कच्चा	-	-	नहीं	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
6	रामप्रताप निषाद	45	मजदूरी	15,000	हाँ	-	पक्का	-	-	नहीं	हाँ	-	नहीं	-	सफेद

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	मकन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
5	रेखा चौहान	40	गृहिणी/साक्षर	10,000	नहीं	-	कच्चा	-	नहीं	नहीं	हाँ	-	हाँ	-	सफेद
6	जोगिन्दर चौहान	35	मजदूर/साक्षर	20,000	नहीं	-	कच्चा	-	-	नहीं	नहीं	-	नहीं	-	नहीं है
5	जगदीश	45	मजदूरी	नहीं	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	-	नहीं
4	पशुराम	70	मजदूरी	नहीं	एक मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	लाल
8	मिश्री निषाद	74	मजदूरी	18000रु.	नहीं	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय निर्माण	नहीं	-	सफेद
11	श्री हरि लाल	70	कुछ नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	नहीं
6	श्री योगेन्द्र प्रसाद	46	मजदूरी	8000 मासिक	24 असमिल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	पीला
6	श्री रंजीत	54	ड्राइवर	6000 मासिक	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	-	सफेद
6	श्री कन्हैया	45	पेन्टर	5,000 मासिक	थोड़ा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	-	लाल
6	श्री जल्दई	35	फर्नीचर	नहीं	थोड़ा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	-	नहीं
6	श्री बबलू	45	मिन्त्री	नहीं	डेढ़ मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय निर्माण	हाँ	-	नहीं
4	श्री अवधेश	53	लेबर	9,000रु.	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	शौचालय निर्माण	नहीं	-	लाल
9	श्री सुनील	35	ड्राइवर	6,000रु.	1 बीघा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	-	सफेद
3	मुखिया	95	कुछ नहीं	5,000रु.	नहीं	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	पीला
5	पंचम	22	मिन्त्री/8 पास	नहीं	1 मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	लाल
13	महेन्द्र प्रजापति	70	R.E.I. सेवानिवृत्त	60000 रु.	एक एकड़	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	शौचालय	हाँ	-	सफेद
6	गमला देवी	55	कुछ नहीं	9000 रु.	आधा मण्डा	नहीं	पक्का	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	शौचालय	नहीं	-	नहीं

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
6	श्री शिवप्रसाद			-		-	पक्का	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	लागू है	शौचालय	हाँ	-	लाल
6	श्री मोहन		राजमिस्त्री		एक मण्डा	-	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	शौचालय	नहीं	-	सफेद
6	श्री ध्रुव लाल निषाद		राजमिस्त्री		दो मण्डा		पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय	नहीं	-	लाल
5	श्री इब्ने		राजमिस्त्री		एक मण्डा		पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय	हाँ	-	सफेद
5	श्री रामनयन		मजदूरी		आधा मण्डा		पक्का	-	-	-	-	शौचालय	-	-	-
8	श्री विश्राम निषाद		मजदूरी		दो मण्डा		कच्चा	-	-	-	-	शौचालय	-	-	सफेद
2	मोला		मजदूरी		एक मण्डा		पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	नहीं	-	-
1	गुजराती		गृहणी		एक मण्डा		कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय	नहीं	-	सफेद
6	रुक्मणी		लेबर		एक मण्डा		पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	नहीं	-	-
5	श्री कमलेश चौहान		लेबर		आधा मण्डा		पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	नहीं	-	लाल
5	श्री नीना निषाद		शिक्षायालक		नहीं		पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय	हाँ	-	लाल
5	श्री मोहन लाल निषाद	55	ड्राइवर		एक कर्ठ		कच्चा	-	नहीं	हाँ	हाँ		हाँ	-	सफेद
12	श्री राजमती देवी		-		दो मण्डा		पक्का	-	नहीं	नहीं	नहीं		हाँ	-	सफेद
11	बंसी देवी						कच्चा	-	नहीं	नहीं	हाँ		हाँ	-	सफेद
5	केणस				एक मण्डा		पक्का	-	नहीं	नहीं	नहीं		नहीं	-	सफेद
6	रामजतन निषाद		होटल में कार्यरत		दो मण्डा		पक्का	-	नहीं	हाँ	नहीं		नहीं	-	सफेद
5	रामनयन		व्यवसाय				पक्का	-	नहीं	हाँ	नहीं		नहीं	-	-
15	राजपति देवी				एक मण्डा		पक्का	-	-	-	-		-	-	सफेद



## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	मकान-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	अयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उज्जवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
7	श्री शम्भू		मजदूरी		नहीं		पक्का	-	नहीं	नहीं	हैं		-	-	सफेद
7	श्री बालें चौहान				आधा मण्डा		पक्का	-	नहीं	नहीं	नहीं		हैं	-	सफेद
7	अमननाथ	45	रेन्टर/ 9 वीं पास	18000	एक मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	नहीं	हैं	शौचालय की समस्या	सफेद
13	राम आसरे चौहान	60	वृद्ध साक्षर	6000	एक मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय है पर पूरा पैसा नहीं मिला है।	नहीं	नाली नहीं	नहीं है
1	भगवती	69	5 पास	नहीं	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	शौचालय	हैं	अकेले रहती है	सफेद
4	विष्णु	89	-	9000	एक मण्डा	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	नहीं	नहीं	लाल
9	मोल्ई प्रसाद	70	मजदूर	-	दो मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हैं	सरकार द्वारा	नहीं	हैं	नहीं	लाल
7	दीनानाथ मद्धेशिया	60	मजदूरी	9000	बारह डिसमिल	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	एक व्यक्ति विकलांग	नहीं
7	गोरखनाथ शर्मा	80	छोटी दुकान 10वीं पास	5000	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नाली राशन कार्ड नहीं है।	नहीं
4	विष्णु	70	-	6000	एक मण्डा	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	हैं	हैं	शौचालय	नहीं	नाली की समस्या	सफेद
3	बासमती	40	गृहिणी/साक्षर	24000	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नाली की समस्या	लाल
3	राधिका निषाद	89	गृहिणी	नहीं	30 डिसमिल	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	नहीं	पेंशन नहीं	सफेद
7	शारदा निषाद	70	गृहिणी	9000	10 डिसमिल	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	नहीं	विधवा पेंशन की समस्या	लाल

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
4	श्रीमती सुमित्रा देवी	60	कुछ नहीं	8000	15 डिसमिल	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं		सफेद
6	संजय निषाद	40	5वीं पास	6000 मासिक	15 डिसमिल	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नाली व कुड़े की समस्या	सफेद
3	प्रेम शिला निषाद	45	गृहणी	9000	2 डिसमिल	नहीं	पक्का सरकारी	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	विधवा पेंशन नहीं मिलता	लाल
5	रमेश	40	-	-	आधा मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	-	-
16	नेवू लाल चौहान	60	-	-	03 डिसमिल	300000	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	पैरा लाइसिन ग्रस्त	सफेद
8	बदामा चौहान	70	गृहणी	-	-	250000	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	लाल
8	रामधारी चौहान	38	राजगीर	180000	07 डिसमिल	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	नहीं	-	नहीं
4	चंदबलि चौहान	35	मजदूरी	100000	07 डिसमिल	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	हाँ	-	सफेद
4	गिखारी लाल चौहान	45	मजदूरी	108000	07 डिसमिल	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	शौचालय	हाँ	-	लाल
5	रामबलि चौहान	40	मजदूरी	108000	07 डिसमिल	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	-	सफेद
4	पारसनाथ निषाद	45	-	-	05 बीघा	-	कच्चा+पक्का	एकबार मिला	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	पैरा लाइसिन ग्रस्त	
5	शम्भू निषाद	50	मजदूरी	108000	नहीं	-	पक्का	मिलता है।	नहीं	नहीं	नहीं	राशन मिलता है।	-	-	

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
13	सिमिरती देवी	50	गृहणी	-	नहीं	300000	पक्का	लागू है मिलाता है	लागू है मिलाता नहीं है	नहीं	नहीं	शौचालय 6000 प्राप्त	नहीं	-	सफेद
4	कलावती देवी	40	गृहणी	-	नहीं	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	बना है
6	रामधुष निबाद	59	-	-	02 मण्डा	72030	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	हैं	-	पीला
8	नरायण	75	सेवानिवृत्त रेलवे	180000	-	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	हैं	-	सफेद
7	भाना देवी	70	पेंशन प्राप्तकर्ता	72000	नहीं	-	पक्का	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	शौचालय	नहीं	-	नहीं
2	कोइली	60	गृहणी/सहसर	240000	1 बीघा	-	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	लाल
11	सरोजनी देवी	60	गृहणी	-	30 डिसेमिल	108000	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कोई लाभ नहीं	नहीं	-	-
4	अख्दराल	29	ड्राईवर/प्लॉई नहीं किये है।	6000 मासिक	02 मण्डा	-	पक्का	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू है	नहीं	हैं	शौचालय सरकारी बना है।	नहीं है
7	बुलाही निबाद	70	किसान	9000	45 डिसेमिल	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कोई लाभ नहीं	नहीं	सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला	पीला
7	श्री नेजर प्रसाद	75	कृषक	12000 मासिक	2 मण्डा	-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कोई लाभ नहीं	खोला गया था वर्तमान में बन्द	सरकारी शौचालय नहीं बना	नहीं
7	शन्तलाल	40	ड्राइवर/कक्षा 8 पास	5000 मासिक	2 मण्डा	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कोई लाभ नहीं	नहीं	वृद्ध है पेंशन नहीं मिलता है।	नहीं
13	रामवृक्ष	30	कृषक	-	एक विंगह	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	हैं	नहीं	सफेद

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आप यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (यदि लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
4	रमेश निषाद	24	लेबर	6000	दो मण्डा	-	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	राशन कार्ड नहीं है	पर्ची पर मिलता है।
6	जयहिन्द निषाद	30	मजदूर/5 पास	6000	1 मण्डा	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	नहीं	राशन कार्ड नहीं है	सफेद
4	विरेंद्र निषाद	35	मिस्त्री	9000	1मण्डा	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	शौचालय	नहीं	-	सफेद
3	श्री रामजानम	35	मिस्त्री	6000 मासिक	नहीं	-	घर बन रहा है।	पात्र नहीं	पात्र नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कूड़ेदान की आवश्यकता, नाला नहीं है।	सफेद
4	जितेंद्र	35	मिस्त्री/5 पास	7000 मासिक	नहीं	-	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	नहीं	घर की समस्या नाली को समस्या	सफेद
4	नन्दु प्रसाद	40	अध्यपक/M.Ed	40,000	नहीं	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं है।	नहीं है।
11	चुनौलाल	55	मजदूर/साक्षर	60,000	3 मण्डा	कृषि	पक्का	नहीं	नहीं	फार्म भरा गया है	नहीं	कोई लाभ नहीं	हैं	-	पीला
4	अजय उर्फ पप्पू	35	मजदूर/बक्शा 8	10,000 मासिक	नहीं	1 लड़का मजदूरी करता है।	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	कोई लाभ नहीं	नहीं	शौचालय बना है।	सफेद
4	अशोक	35	मजदूर/पढ़ाई नहीं किये	9000 मासिक	1 मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं है मीस पट्टे से है।	नहीं	हैं	-	सफेद
3	गुड्डु सहानी	30	मजदूरी	4200	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	-	शौचालय बना है।	सफेद

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का /कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है।)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल /सफेद)
2	जालंधर	25	लेबर/साक्षर	10000	नहीं	नहीं	कच्चा	पात्र नहीं	पात्र नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	न पैसा मिला, न शौचालय मिला	नहीं बना
5	गुड्डु सहानी	35	मिस्त्री/5 पास	-	1 माण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	कोई लाभ नहीं	हाँ	शौचालय नहीं है	सफेद
4	गुजरती	75	गृहणी	नहीं है	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	लागू नहीं गैस पहले से है	कुछ नहीं	नहीं	सरकारी योजना का लाभ नहीं	सफेद
4	गम्बर	30	राजमिस्त्री/कक्षा 8 तक	10,000	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	है	लागू नहीं गैस पहले से है	शौचालय बना है।	नहीं	-	नहीं बना
4	रामप्रित चौहान	45	राजमिस्त्री/पढाई नहीं किये	20,000 मासिक आय	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	राजवती महाविद्यालय में पढ़ती है।	सफेद
2	शेरू	20	मजदूर/पढ़े नहीं है।	10000	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	कुछ नहीं	नहीं	गैस नहीं है	लाल
6	रामसेवक निषाद	65	-	-	2 माण्डा	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय बना है।	नहीं	नहीं, नाली की समस्या	लाल
6	श्री महेंद्र चौहान	50	लेबर	36000 वार्षिक	हाँ	-	आवश्यकता है।	-	-	आवेदन किया, लाभ नहीं मिला	हाँ	नहीं	नहीं	पक्का मकान की आवश्यकता	सफेद
4	श्रीमती अशरफी देवी	90	गृहणी	10000 वार्षिक	नहीं	नहीं	नहीं	-	-	-	-	कोई लाभ नहीं मिला	नहीं	पक्का मकान की आवश्यकता	सफेद

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है।)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
5	श्री मुरारी चौहान	35	लेबर	2000 मासिक	नहीं	नहीं	झोपड़ी	-	-	-	नहीं	नहीं	नहीं	पक्का मकान की आवश्यकता	लाल
6	श्री लाल जी	70	किसान/साक्षर		हाँ	स्वरोजगा र (डिल्लेमा)	पक्का	-	-	-	नहीं	नहीं	है	नहीं	-
4	मोहित	35	मजदूर/निष्कर	5000 मासिक	हाँ	नहीं	पक्का	-	-	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं		सफेद
4	रामवती देवी	70			हाँ	नहीं	पक्का	फार्म भरा गया है पेंशन नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय	नहीं		सफेद
4	भगवती चौहान	84		9000 मासिक	हाँ	नहीं	पक्का	-	-	-	-	-	है	वृद्ध है पेंशन नहीं मिलता है।	सफेद
14	विरजन	63		6800 मासिक	हाँ	-	पक्का	-	-	-	-	-	है		
6	लल्लन	50	मजदूर	-	हाँ	-	पक्का	-	-	-	हाँ	-	है	नाली की समस्या	लाल
6	सीताराम	70	पंचवी पास	-	हाँ	नहीं	पक्का	-	-	हाँ	नहीं	शौचालय	नहीं		सफेद
6	रामदयाल	50		-	हाँ	नहीं	पक्का	-	-	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय नहीं बना	
3	गुड्डु सहानी	40	मजदूरी/8 पास	5000	हाँ	नहीं	पक्का	-	-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	सफेद
4	मुखार निघाट	42	लेबर	6,000	नहीं	नहीं	पक्का	-	-	नहीं	नहीं	शौचालय बना के	नहीं	-	कोई नहीं है रसीद पर राशन मिलता है।

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	वृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	रजजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
6	अमरनाथ	35	मजदूर/निष्कर	10000 मासिक	हैं	-	पक्का	-	-	नहीं	हैं	भारत स्वास्थ्य अभियान का लाभ मिला	नहीं	-	सफेद
3	महेन्द्र	27	मजदूर/निष्कर	15000 मासिक	नहीं	-	कच्चा	-	-	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	-	नहीं
4	मुकेश	30	राजमिस्त्री/साक्षर	15000 मासिक	हैं	-	पक्का	-	-	-	-	शौचालय	हैं	-	नहीं
5	केदारनाथ			4200 मासिक	हैं	-	कच्चा	हैं	-	हैं	-	-	-	-	-
5	शिवशंकर चौहान	45			हैं	-	-	-	-	-	हैं	-	-	-	सफेद
3	शिनक निषाद	50	कृषक		नहीं	नहीं	पक्का	-	-	नहीं	हैं	-	हैं	-	लाल
3	रंगीलाल	65	मजदूर/साक्षर	30000	हैं	-	पक्का	-	-	नहीं	-	शौचालय	हैं	-	सफेद
3	राजवली	-	मजदूरी	हैं	3 मण्डा	-	कच्चा	लागू नहीं	नहीं	हैं	हैं	-	हैं	-	सफेद
3	श्री कचन निषाद	29	राजगिरी (मिस्त्री)	-	आधा मण्डा	-	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	कनकेशन था इसलिए नहीं मिला	-	हैं	-	-
10	राधेश्याम प्रजापति	65	सेवानिवृत्त/साक्षर	-	डेढ़ मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	पात्र नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शौचालय नहीं मिला सका	नहीं
6	गोविन्द चौहान	44	मिस्त्री	300 रु. दैनिक	2 मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	-	हैं	-	पीला
6	प्रदीप चौहान	34	मजदूर/7 वीं पास	300 रु. दैनिक	1 मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हैं	राशन कार्ड यहाँ का नहीं है	नहीं

## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	बृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उपजवला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
3	प्रभु निषाद	40	मजदूर/ 8वीं पास	—	नहीं	मजदूरी	पक्का	नहीं	—	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	—	—
5	बलवन्त	40	मजदूर/ 6वीं पास	10,000 ₹ मासिक	हैं	मजदूरी	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	हैं	—	सफेद
4	पन्ने लाल निषाद	40	मजदूर (निष्कार)	—	नहीं	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	हैं	हैं	—	सफेद
4	बालकिशुन निषाद	34	मजदूरी	300 ₹. दैनिक	3 कटठा	गृहणी तिलाई करती है।	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	—	हैं	—	सफेद
2	शंकर निषाद	26	पेन्टर (मजदूरी)	100 ₹. दैनिक	डेढ मण्डा	—	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	—	नहीं	—	नहीं
2	इन्द्रवाती देवी	70	फल बेवती है।	—	नहीं	—	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	शौचालय सरकार द्वारा प्राप्त	हैं	नाली पानी की समस्या	नहीं
7	त्रिलोकी	50	12 तक की पढ़ाई	—	नहीं	—	कच्चा	नहीं	नहीं	हैं	हैं	शौचालय सरकार द्वारा प्राप्त	हैं	—	नहीं
4	मेवाती	48	बर्तन धुलती है।	—	1 मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	नहीं	हैं	नहीं	हैं	—	लाल
4	दिलीप निषाद	26	मजदूरी	300 ₹ दैनिक	नहीं	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	लागू नहीं	हैं	शौचालय का निर्माण	हैं	—	लाल
4	सुरेश निषाद	34	मजदूरी	300 ₹ दैनिक	1 मण्डा	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	लागू नहीं	हैं	शौचालय का निर्माण	हैं	नाली नहीं बना है।	सफेद
4	रामदरस निषाद	31	मजदूरी	300 ₹ दैनिक	6 डिसमिल	नहीं	पक्का	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शौचालय का निर्माण	हैं	नाली नहीं बना है।	सफेद
6	रजिन्दरी	59	—	—	आधा मण्डा	—	पक्का	नहीं	5 साल से नहीं आ रहा है।	हैं	नहीं	—	हैं	—	सफेद



## मिशन मंझरिया ग्रामवासियों का विवरण 2020-21

परिवार की संख्या	नाम	उम्र	कार्य/शिक्षा	आय यदि है तो	कृषि योग्य भूमि	अन्य आय के स्रोत	भवन-पक्का/कच्चा	बृद्धा पेंशन (यदि लागू है)	विधवा पेंशन (लागू है)	आयुष्मान योजना (यदि लागू है)	उज्ज्वला योजना (यदि लागू है)	किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ	जन-धन खाता	अन्य कोई जानकारी	राशन कार्ड (पीला/लाल/सफेद)
1	राम आसरे	50	-	-	2 मण्डा	-	-	-	-	नहीं	नहीं		हाँ	-	-
3	श्री रामसरन	27	मजदूरी	5000 मासिक	नहीं	नहीं	कच्चा	नहीं	नहीं	नहीं मिला (आवेदन किया गया है)	नहीं मिला (आवेदन किया गया है)		नहीं	गैस मकान नाली की आवश्यकता	गैहू+चावल
4	लाल बिहारी	32	मजदूरी	5000 मासिक	नहीं	नहीं	कच्चा	पात्र नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	पक्का मकान नाली की आवश्यकता	गैहू+चावल+मिट्टी का तेल

मिशन मंझरिया महाराणा प्रताप पी.जी. कॉलेज, जंगल धूसड़, गोरखपुर की नई पहल है मिशन मंझरिया। मिशन मंझरिया की उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर मंझरिया गाँव में स्वस्थ, शिक्षा, रोजगार की सम्यक योजना पर कार्य-योजना बनाई जा रही है। अगले कुछ वर्षों में मंझरिया सम्भव है एक आदर्श गाँव के रूप में प्रतिष्ठापित होगा।

## Reread

# National Policy on Education

**Mahant Digvijay Nath\***

On July 14, 1964, Mr. Mohammad Ali Currim Chagla appointed, as the Education Minister of India, an Education Commission consisting of 17 Members which was comprised of 6 foreigners, 2 Muslims and the rest opponents of Hindi.

The Objective of this Education Commission was given out as being "to advise Government on the national pattern of education and on the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects". This Education Commission submitted its Report to the Government of India on June 29, 1966.

On April 5, 1967, the Government of India constituted a Committee of Members of Parliament whose terms of reference were :

1. To consider the Report of the Education Commission.
2. To prepare a draft statement on the National Policy on Education.
3. To draw up a plan of work for immediate implementation.

This Committee of Members of Parliament appointed a Sub-Committee, to draw up a statement on the National Policy on Education, and it was this statement alone that was discussed by the Committee of Members of Parliament. This Committee did not go into the Report of the Education Commission in detail at all.

Among the members of Parliament which were members of this Committee, the sole representative of the Hindu Mahasabha in Parliament, Mahant Digvijay Nath, was also one. He raised a number of objections at the meetings of this Committee of Members of Parliament, but these were not given due consideration. He was, therefore, left with no alternative but to append a detailed Minute of Dissent to the statement on National Policy on Education prepared by the Committee, which has been published along with the statement on National Policy on Education.

I have gone through the report of the Education Commission at some length. I have also attended the meetings of the State Education Minister held on April 28, 29 & 30, 1967. And, I have also attended almost all meetings of the Committee of Members of Parliament formed to study the Education Commission's report. The statement on National Policy on Education, in its final form dated June 29, 1967, has also been received by me, and the signing of this report now remains to be done. I sign it with the following Minute of Dissent.

---

\* For public interest we publish herein the Minutes of Dissent by late Mahant Digvijay Nath (Member of Parliament), who has left this mortal body on 27.9.1969

2. I feel that the objective of education mentioned to para I of the proposed "National Policy on Education" is not properly worded. I feel that it should be worded as follows:

*Education is a powerful instrument of national development-cultural, social and economic. The highest priority should therefore be accorded to the development of a national system of education which will:-develop among the people of India a national personality based on its ancient civilization and culture;*

while the rest of the para remains as in the draft.

3. I regret to say that I found much of unreality about the entire problem of education as it has to be re-organised after twenty years of our independence, as the basic problem about the character of education to be imparted to our children has not been examined by the Education Commission, as it was expected to do. I am sorry that the Report of the Education Commission was not considered in detail by the Committee, thereby defeating the very purpose for which it had been appointed.

4. The real malaise with the present system of education in India is that it has been based on the infamous Minute of Macaulay dated February 2, 1835, the real aim of which was clearly defined by him in the following words : We must at present do our best to form a class which may be interpreters between us and the millions whom we govern-a class of person Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect". This clearly shows that the basic aim of Macaulay was only to produce clerks, and this aim has been carried through by the Government of India ever since March 7, 1835, when Lord William Bentinck got the Government resolution adopted which said that "the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education along."

5. The objective which both Macaulay and Bentinck had before them was to convert the whole of India to Christianity, as is clear from the letter Macaulay wrote to his parents from Calcutta on October 12, 1835. In this, he wrote: "Our English Schools are flourishing wonderfully, the effect of this education on the Hindus is prodigious. No Hindu, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy, but many profess themselves pure deists, and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty year hence. And, this will be effected without any efforts to proselytize, without the smallest interference with religious liberty merely by the natural operation of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the prospect".

6. Commenting on this letter of Macaulay, Mahatma Gandhi wrote in "Young India" dated March 29, 1928 thus : "I do not know whether Macaulay's dream that English-educated India would abandon its religious beliefs has been realized, but we know too that he had another dream, namely, to supply English-educated India clerks and the like for the English rulers. That dream has certainly been realized beyond all expectation".

7. Another objective Macaulay had in this mind when introducing this English education in India, was to denigrate everything India. He wrote in para 9 of the same infamous Minute that "I have ever found one among them (the Orientalists) who could deny a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia". This view of his has been impressed on the Indian mind during the last seven generations continuously so much so that every Indian today considers everything Indian as inferior and everything English or Western as superior.

8. Under these circumstances, the basic aim of educational reconstruction in India must be to reverse this process, and very effort must be made through education to eliminate this inferiority complex from the minds of the new generations in India and also to produce youngmen with a fully developed national personality, based on the ancient the civilization and culture of our great country.

9. I am really very happy to note that our present Education Minister, as well as the Prime Minister and the Deputy Prime Minister, are fully conscious of this great need of educational reform. In the course of his address at the inaugural session of the Tenth Conference of the State Education Ministers, held in New Delhi on April 28, 1967 the Education Minister had stated : "Equally significant is the programme to promote national consciousness and to strengthen national integration and unity. Unfortunately patriotism has become the first casualty after independence. We must not make the schools assume responsibility for promoting national consciousness and for strengthening national integration and unity". The Prime Minister, while inaugurating this Conference clearly stated that "partly because of the system itself and partly because of unavoidable transitional factors, it has resulted in a certain degree of alienation and rootlessness. Many young people have been cut adrift from traditional values, without being provided the anchorage of an alternative set of constructive modern values". The Deputy Prime Minister, in the course of his address at the same Conference, went a step further, when he said : "We have a very ancient, perhaps the most ancient civilization and culture. In the realm of thought, which raises human personality to the highest fulfilment, I do not think any other country can beat this country. Today also, we are having all those thoughts and ideals but they are more in name than in action. Our ideals are the highest but our actions are probably the lowest. I must agree to this indictment, but if that indictment is rightly taken by us to heart, not as a criticism but as a statement of the present state of affairs from which we are suffering, we

shall soon find a way to remove this contradiction between thought and action. We have not go to lower our ideals but we have got to raise the level of our action, so that it conforms with the ideals that we profess of believe, in. I believe education is the only instrument through which we can achieve this. There is nothing else which can make a nation integrated, strong and consisting of a real human society, because it is the purpose of education to enable us to see that is right and what is wrong and also to acquire a capacity to stick to what is right and to give up what is wrong. Judged from that standard, I am afraid, our education has been a miserable failure, barring a few exceptions here and there. That is because our education took a different turn during our days of slavery. I am happy that those days are gone, but the effects of those days are not yet gone. Whereas we have become physically independent and free, I wonder if we are mentally yet free and independent. We are still being governed, and very strongly governed, by some of the ideas which were responsible for putting us into slavery and keeping us there". These sentiments, expressed by the highest in authority in the country in regard to education, give a clear indication, as to how our educational system should be re-organized for the future.

10. It is from this standpoint that I have stated in the very beginning of this Minute of Dissent that the report of the Education Commission and all the proceedings held in connection with it, have appeared to me to altogether unreal. I had expected the Education commission to have pointed out re-organized educational system would reverse this process of de-nationalizing the people, so that a national personality might develop among the future generations. I feel that the very constitution of the Education Commission was faulty from the very start. It was most unfortunate that no less than 6 of the 17 members of the Education Commission were foreigners : two Englishmen, one Japanese, one American, one Russian and one Frenchman. Out of the remaining eleven, two represented the Muslim minority in the country. Out of the remaining nine, apart from the Chairman, who is one of the topmost scientists and educationists of the country, and present Education Minister, a great engineer and educationist, most of the others were of a calibre which left much to be desired as members of an Education Commission, the basic objective of which was to reconstruct in India, so as to raise it to the highest standards. It is most unfortunate that the Ministry of Education could not find a single North-Indian educationist from any of the many universities in the so-called Hindi region fit enough to become a member of this Education Commission. It is a result of this faulty constitution of the Education Commission that this lopsided Report has come before us, which seems to have been written with the deliberate objective of destroying the very national fabric of this country. All through this Report, an excessive emphasis has been laid on diversity among our people. For example, para 1.07 says : "Our people profess a number of different religion ; and the picture becomes even more complicated because of caste, and undemocratic

institution, which is still powerful and which, strangely enough, seems to have extended its sphere of influence under the very democratic processes of the Constitution itself. The situation, complex as it was, has been made critical by recent developments which threaten both national unity and social progress. As education is not rooted in the traditions of the people, the educated persons tend to be alienated from their own culture. The growth of local, regional, linguistic and State loyalties tend to make the people forget India. The old values' which held society together, have been disappearing, and as there is not effective programme to replace them by a new sense of social responsibility, innumerable signs of social dis-organization are evident everywhere and are continually on the increase". This by itself is a misstatement of the Indian society. There is hardly any big country in the world which does not have a small minority, but this minority does not change the basic character of the Nation. As such, to repeat *ad nauseum*, as has become the fashion today, to call India a multireligious polygeot country, is basically wrong. In this connection also, the Education Commission has put too much stress on the word "Secular" This much-abused word is regarded as something sacrosanct, when the fact is that this word has a very low connotation as it gives an idea of something mudance. It was for this very reason that this word does not find any place in the Constitution of India.

According to the "New English Dictionary" the word "Secular" stands for the "the absence of connection with religion". And according to the "Encyclopedia Britanica", the word "Secular" means "anything non-spiritual, having no concern with religion or spiritual matters-anything that is distinctly opposed to, not connected with religious or ecclesiastical, things temporal as apposed to spiritual or ecclesiastical". These definitions make it perfectly clear that there is nothing in the Constitution of India to justify the application of the title "Secular" to the political system embodied therein. As against this, Article 25 of the Constitution provides for the right to freedom of religion, clearly declaring that "subject to public order, morality and the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propogate religion". Article 26 of the Constitution further clarifies how these religious rights are to be exercised by the people. These Articles in the Constitution gives religion a place in the political life of the country as hardly any other modern Constitution does. From all this it follows that India is not a "Secular State".

11. It is not a mere omission that the word "Secular" does not find a place in the Preamble to our Constitution, whereas social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship and equality of status and of opportunity all find a place there. The fact is that the learned constitution-makers of India were fully aware of the real meaning of the word "Secular" and they deliberately refused to countenance the addition of the word "Secular" in the Constitution, in spite of concerned efforts made by

some members to introduce this work in the Constitution itself. While discussing the Chapter on Fundamental Rights, it was Prof. K.T. Shah, the great economist, who moved an amendment by which he wanted an additional Article, to be numbered 18-A serially to be inserted in the draft Constitution, and this amendments to the Draft Constitution of India, Volume One", and it ran thus : "that the following new Article be inserted under the heading 'Rights relating to Religion', occurring after Article 18.

But, our Constitution-makers refused to accept this amendment and it was duly rejected. The matter, however, did not end there. The same Prof. K.T. Shah also moved an amendment to the Preamble in the Draft Constitution, by which he wanted to add the word "Secular" between the words "Sovereign" and "Democratic Republic", but this too was rejected by the Constituent Assembly. This amendment was the very first in the list of amendments printed in book form. Then again, by amendment No. 96, printed in the list of amendments, Prof. K.T. Shah and Mr. Mohan Lal Gautam wanted Article One of the Draft Constitution running "India shall be Union of States", to be changed in to "India shall be a Secular, federal, socialist Union of States", but this amendment also met the same fate and this too was rejected. These facts clearly go to show that the learned Constitution-makers of India did not want India to be a "Secular State" in any shape of form. Under such conditions, it was most improper for the Education Commission to have gone out of its way to lay undue emphasis on secularism, as it has done in para 1.79, wherein the Education Commission has taken undue pains to make a distinction between "Religious education" and "education about religions". It goes on to say that 'it would not be practicable for a Secular State with many religions to provide education in any one religion". As I have shown already, India cannot be called a Secular State with many religions. As ninety per cent of the population of the country follows the Hindu religion in one form or another, the remaining ten per cent of the minorities remain minorities and they cannot be permitted to act as if they had a right of veto on the rights of the ninety per cent nationals of this country. As to who is a Hindu has been made perfectly clear in the Constitution in Explanation II to Article 25(2)(b), which clearly says that "the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly'. This explanation makes it perfectly clear that ninety per cent of the people of India profess a single religion in different forms, and as such there should be absolutely no ban placed on religious instruction in the schools. It is a tragedy of India that while all Christian institutions in the country have the liberty to teach Christianity to its students and all Muslim institutions train their children in their religion, it is only the Hindu students who are debarred from getting any linking into their own religious beliefs. This attitude of the British Government in India all through the last 100 years before independence and of our own National Government

during the last twenty years after the country's independence, has left a complete vacuum in the lives of the people of this country, and the Present indiscipline among the students can largely be traced to this non-teaching of the tenets of the Hindu religion, because Hindu religion has always been a great check on sin and crime. I therefore strongly demand that this attitude must now change. The ninety per cent nationals of this country have every right to have their children trained in the religious traditions of the country. I therefore demand that from the very elementary stages of education, all students must be imparted religious instruction in the sacred books of the Hindus, including the Vedas, the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, the Gita and other scriptures, so that when the children grow up as citizens, they may have a through knowledge of the background about the great past of this ancient land. It is here that Macaully's work of denationalizing the people has to be undone and undone with a strong hand. Until this is done, no system of education, however scientific in the Western sense, imparted in our schools and colleges, can make them first-rate citizens.

12. It is in this same connection that I consider it necessary to emphasize that the attempt made by the Education Commission to dissociate holidays in educational institutions from religious festivals is most reprehensible. In para 2.36, it has been stated that "the idea of vacation terms should be made secular and dissociated from religious festivals like Diwali, Christmas or Puja". And in para 2.37(I) the opinion has been expressed that "there is no need to close an educational institution on a religious holiday. Nor it is necessary, for instance, to close it on birthdays or death anniversaries of great Indians". I take the strongest objection to these statements in the Report of the Education Commission. In all Christian countries in the world, Christmas and Easter holidays are celebrated on a grand scale. In the same ways, in all Muslim countries, Id-ul-Fiter and Id-ul-Zuha and Moharram are celebrated by the people on a mass scale, and the students are main participants in all these celebrations. Is it any crime for Hindus in India to be Hindus, that they must be debarred for celebrating their great days? it is often said that there are too many festivals among the Hindus. The reason for this is not far to seek. In words of Mr. Morarji Desai, our Ex-Deputy Prime Minister, (already quoted) "we have a very ancient, perhaps the most ancient civilization, and culture". And, it is but natural that the older a civilization, the more great men and great deeds is must have to celebrate, so that the future generations might follow in the footsetps of these great men. It is therefore not at all improper if the Hindus have a much larger number of festivals to celebrate, and the students must have every facility to participate in these festivals. This year important national holidays like Holi and Shivaratri were not declared closed holidays by the Government of India. This was a great encroachment on the rights of the people of this country, and it seems this action was taken on the basis of this Report of Education Commission. The Education Commission



seems to have been very particular about reducing the number of holidays that might be granted to students. The simplest procedure that should have been adopted by the Education Commission was that it should have suggested that only those festivals should be declared as closed holidays which concern a majority of the people, that is in which more than 50 per cent of the people participate, and all festivals which concern people numbering less than 50 per cent should have them as restricted holidays, with full pay, available only to members of the communities with which those festivals are concerned. This would save many unnecessary holidays, without doing injustice to the vast majority of the people.

13. In this same connection, I wish to draw the attention of the people to the attempt made by the Zakir Hussain Committee on Basic Education, which through a seven-year course on general science, had made an attempt to teach "Islamic Culture in India and the World" to students all over India in class V, when it had scrupulously avoided mentioning the Vedas and the Upanishads, the Ramayana and the Mahabharata, Sanskrit and Hindi and the Aryan Hindu cultures from the entire syllabus. This was deliberately done by this committee to continue the process of de-nationalizing the people of this country, a process started by Macaulay in 1835. The present Report of the Education Commission seems to be a mere continuation of the same de-nationalizing process, and I take strong exception to it.

14. It is from the same standpoint that I take strong exception to paras 4.48 and 8.49. wherein every has been made to discourage the study of Sanskrit. It was the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, who has once said that every State in India should have a Sanskrit University. It seems to me that the assertion of the Education Commission that it cannot support the idea of Sanskrit Universities, was incorporate in this Report to counteract this absolutely essential suggestion of Shri Shastri. As we all know, Sanskrit is the treasure-house of vast knowledge in every field of knowledge, including the sciences. The people of this country cannot become first-rate scientists until and unless they have a proper grounding in ancient Indian sciences in Sanskrit, whether it be in the field of mathematics, or in astronomy and astrology, in medicine or surgery, whether in philosophy or logic, or any other science. I take strong exception to Sanskrit being included along with other classical languages, which do not deal with sciences as such, and which have always been foreign to India. I feel that Sanskrit being the mother of all Indian languages, and of all science, its study should be made compulsory for all students from the very beginning, so that when the students grow up they might be masters of this language and it might be easy for them to grasp the modern scientific discoveries and inventions, as they are merely the continuation of the knowledge about our sciences contained in Sanskrit. In this respect also, Macaulay's mischief must be undone.

15. In regard to the language policy, I feel, a very wrong approach has been made.

The fact is that a child's mind is fit to grasp several languages, while as he grows up his capacity to learn new languages grows less and less. But as regards other subjects, the child increases his capacity to learn them as he advances in age. It is therefore very wrong to say that the child not be burdened with three or four languages does not need mental development of a high calibre, and learning of the other subjects does need more of mental development, the excessive emphasis laid on the teaching of science and discouraging the study of several languages to children in the initial stages, is basically wrong. In the primary classes, I feel languages in the form of short stories and the elementary principles of arithmetic and general knowledge alone should be prescribed. And, as he advances in age, less and less of languages and more and more of scientific subjects should be taught. It is in this light that I consider the teaching of Sanskrit along with Hindi as the national language, the regional language and a third Indian language as necessary for all students in the beginning, and Sanskrit, Hindi and the regional language must continue all through the educational career. In this age of democracy, in which a bare majority of 51 per cent can foist its view and decisions on everybody, including the substantial minority of 49 per cent, the undue importance attached to English must not be permitted to hold up the progress of the country, which can be made only through the national language and the regional languages, simply because of a small minority of 7.4 per cent people from Tamilnad. The assertion that English is a window to learning in the West is also not quite true. In the whole of Europe, English today is as foreign to the people there, as is Hindi. Except for England, Canada, Australia, South Africa, the U.S.A. and the countries which are under British domination till recently, English is not understood anywhere in the rest of the world. The four languages of Europe today are from West to East, Spanish, French, German and Russian. If a real window to the knowledge of the West is needed by our students, they must learn any of these Continental languages rather than English. To say that we cannot make any scientific advance without a knowledge of English is also wrong. The Russians who today are at the top in science, learnt all their sciences through Russian, although 40 years back they were the most backward and science in modern terms was not even known to them. China also learnt all its sciences through the Chinese through the Japanese language. Even small countries in Europe, like Bulgaria, learn all their sciences through their own Bulgarian language. Why then is it necessary for the people of this country to learn a foreign language to become masters in various arts and sciences? The problem is merely one of translating scientific books in the national languages. If Maharaja Ranbir Singh of Jammu and Kashmir could get hundreds of books in Sanskrit translated in Hindi with the help of a hundred Pandits employed in the Dharmarth Trust, and if Osman Ali Khan, the late Nizam of Hyderabad, could get all textbooks from primary classes up to the post-graduate classes translated in Urdu for his Osmania University there is no reason why, our Government of India, with all resources at its command, cannot get all important scientific

books in the different languages of the world translated in India spends thousands of crores of rupees on different activities, there is no reason why it should not devote a few crores on the work of translation alone, so that the nation might make maximum scientific advance in the shortest possible time through our own languages. I therefore strongly oppose the continuance of English as an associate official language along with Hindi because so long as English remains as the medium of instruction in India, in any shape or form, Macaulay's mischief of keeping Indians mental slaves of the English cannot be undone. I take strong exception to the Education Commission having gone out of its way to make changes in the three language formula, which was so successfully being worked out all over the country. Bringing in the mother tongue as an alternative to the regional language, and proposing English as an alternative to Hindi as the link language, is the worst mischief that this Education Commission has proposed in the course of this Report, and I condemn it with all the strength at my command. I want the old three language formula to continue in practice, in which Hindi and the regional language must remain the medium of instruction throughout. The proposal to teach, up to the university stage, only in the regional language, as envisaged in the two language formula, would lead to the disintegration of the country into so many separate water-tight compartments, thereby Balkanising it completely as the compatriots of Macaulay and other enemies of our country would like to see. I therefore entirely disagree with it and strongly oppose its adoption.

16. I feel it necessary to draw attention to another matter of importance and that is in regard to the education of girls in India. All over Europe today, there is a general tendency to reduce co-education in the higher classes, as it demoralizes the students. As against this, in India, efforts are going on in the reverse direction. It is really ludicrous that while we find primary schools separate for boys and girls, more and more secondary and higher secondary educational institutions are being converted into co-educations, while in the universities co-education is being made universal, at an age which is most dangerous in one's life. The position should be that while co-education should be confined to children up to the age of 10 or so, all education above this age must be kept separate for boys and girls. I am really very sorry that the Education Commission has not paid proper attention to this aspect of education, and I want this to be incorporated in any Statement on National Policy on Education that might be prepared for the country. We must not forget that the very basis of our society in India is *Brahmacharya*, and it is on this account that our country has so far maintained its high position in the world of knowledge and social behaviour. Co-education is destroying the very foundation of our society, and I consider it our duty to restore our social behaviour to the greatness that has sustained us all through the ages. In this connection it is also very necessary that the aim of education in India should be to train our people for the future lives they have to live. As such, the courses of secondary, higher secondary and

university studies for women should be confined to subjects they have to deal with all through their lives, like doctors, teachers, fine arts and household work of various kinds only. At the same time, boys should be discouraged from taking up fine arts as their subjects of study. They should confine themselves mostly to many pursuits.

17. I regret that the Education Commission has not touched on the cinema and television is the most suitable media for education. In almost all countries of the world, these media are fully utilized for this purpose. Instead of these, our young men and women are being corrupted through most demoralizing films. I demand that a total ban be imposed on "For Adults Only" films, and also to see that much of sex is not allowed to be included in the Indian films, with most obnoxious songs, as is happening today.

18. I also take strong exception to wrong name of culture being given to the lowest arts, like dancing and singing, in the Education Commission's Report. These might be part of culture for the people of the West, who have not as yet reached the higher conception of philosophical living, but for the people of India, only the highest forms of philosophical discourses, etc. have been recognized as culture. By encouraging these so called arts, a concerted effort is being made to degenerate the people as a whole. I would like to see *Yoga* and *Asanas* being encouraged on a mass scale, so that the people of the country might become healthy and strong, as a healthy body is necessary for healthy mind. I am really very sorry that the education commission has not seen fit to go into this question at all, except what concerns drill and the N.C.C. In this connection also, I cannot appreciate our girls being given any training in N.C.C. or the like. There is no shortage of man-power in India, like most countries of Europe. As such, it is not only wrong but definitely harmful to try to prepare our girls in form of military training, except nursing, first-aid and tending the sick and wounded. I hope the day will never come in India when our women would have to go to fight in the battlefield, due to lack of men to defend the country's honour. As such, all this training in N.C.C. imparted to girls is a complete national waste. This money can very well be utilized in training all our youngmen militarily.

19. In some places in the Statement on National Policy on Education, there is a reference to the teaching of History of Freedom Movement in India. This history should cover the entire period of the last 1000 years of our struggle for freedom and not only the last 200 years.

20. I have every hope that while considering the Report of the Education Commission, the above comments of mine will also be taken into consideration, and proper decisions taken thereon.



# Vimarsh

An Interdisciplinary Journal

## Subscription Form

Editor,  
*Vimarsh*  
Maharana Pratap Degree College  
Jungle Dhusar, Gorakhpur-273014

Dear Editor,

I/we would like to subscribe to the *Vimarsh*, an interdisciplinary journal, published by you. Subscription amount Rs./US\$..... is being enclosed herewith by cheque\*/demand draft no. .... drawn on ..... Kindly enrol my/our - Annual/ Five Year/Life subscription\*\* and arrange to send the issues of the journal on the following address :

Name of Individual/Institution : .....

Address : .....

City : ..... Pin/Zip .....

State : ..... Country :.....

### Subscription Rates

	Individual		Institutional	
Annual	Rs. 100	US \$ 5	Rs. 200	US \$ 10
Five Years	Rs. 400	US \$ 20	Rs. 800	US \$ 40
Life (15 Years)	Rs 1300	US \$ 60	Rs. 2500	US \$ 100

\* All cheques/demand drafts should be drawn in favour of *Pracharya, Maharana Pratap Snatkottar Mahavidyalaya, Jungle Dhusar* payable at Gorakhpur. In case of outstation cheques please add Rs. 30/US\$ 2 for clearing expenses.

\*\* Please tick the desired subscription period.

**Maharana Pratap Degree College**  
Jungle Dhusar, Gorakhpur-273014  
Mob. : 9794299451, 9452971570 • E-mail : vimarshmppg@gmail.com